शुक्रवार, 27 फ़रवरी 1981

8 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 10, शुक्रवार, 27 फरवरी, 1981/8 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 166, 167 और 170 से 174	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 168, 169 और 175 से 185	23—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1601 से 1657, 1659 से 1689 और 1691 से 1800	34—195
स्थगन प्रस्तावों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों इत्यादि के बारे में	196—202
सभा पटल पर रखे गए पत्र	202—205
राज्य सभा के संदेश	206
वायु (प्रदूषण निवारक और नियंत्रण) विधेयक, संशोधन सहित राज्य सभा से लौटाया गया	206
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में	206
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन	207
स्थगन प्रस्तावों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों इत्यादि के बारे में जारी	207—218
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	218—236
उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धि	218
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	218
श्री विद्याचरण शुक्ल	218
श्री राजेशकुमार सिंह	225
श्री एडुआर्डो फैलीरो	227
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	231
विधेयक—पुरः स्थापित	236
(एक) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक	236
(दो) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	236
नियम 377 के अधीन मामले—	237—241
(एक) केरल को सीमेंट के आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता (श्री के०ए० राजन)	237
(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती (श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम्)	237

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य से पूछा था।

	विषय	पृष्ठ
(तीन)	बिड़ला सीमेंट फैक्टरी द्वारा चित्तौड़गढ़ में वायु प्रदूषण (प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत)	238
(चार)	पश्चिम बंगाल में मोहिनी काटन एंड टैक्सटाइल मिल्स को फिर से खोला जाना (श्री सोमनाथ चटर्जी)	238
(पांच)	कोवलम स्थित केरल समुद्री अध्ययन संस्थान को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने की आवश्यकता (श्री ए० नीललोहितादसन नाडार)	239
(छः)	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को मिट्टी के तेल, डीजल और डामर की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता (श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत)	240
(सात)	महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती जिलों में संतरों को कीड़ा लगने से बचाने की आवश्यकता (श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी)	240
रेल बजट 1981-82—सामान्य चर्चा		241—245
	प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	241
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति		245
	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	
आदिवासी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत		246—260
	श्री जेवियर अरकल	246
	श्री योगेन्द्र मकवाना	249
खाद्य उत्पादन में वृद्धि के उपायों के बारे में संकल्प		260—283
	प्रो० सत्यदेव सिंह	260
	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	262
	श्री बापूसाहेब परुलेकर	265
	श्री ए०टी० पाटिल	269
	श्री आर०के० महालगी	272
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	274
	श्री मुकुन्द मंडल	277
	श्री गिरधारीलाल व्यास	279
	श्री रामावतार शास्त्री	282

लोक सभा

शुक्रवार, 27 फरवरी, 1981, 8 फाल्गुन 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सुपर बाजार द्वारा बढ़िया वस्तुओं का न खरीदा जाना

*166. प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या नागरिक पूर्तिमंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में भारत की प्रसिद्ध कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती और जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी बढ़िया वस्तुओं से वंचित रह जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने तथा खरीद-नीति में सुधार के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली के सुपर बाजार द्वारा संगठित औद्योगिक क्षेत्र के बहुत से विनिर्माताओं, प्रसिद्ध कम्पनियों और वितरकों से बढ़िया किस्म की वस्तुएं खरीद कर बेची जाती हैं। इस क्रय-नीति आमतौर पर उपभोक्ताओं की पसंद पर आधारित होती है और प्रबन्धकों द्वारा इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, सुपर बाजार का उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच से बिचौलिए को समाप्त करना था तथा साथ ही कीमतों को स्थिर रखना था परन्तु सुपर बाजार अपने इस उद्देश्य में बुरी तरह से असफल रहा है। अभी स्थिति यह है कि सुपर बाजार में वस्तुओं की कीमतें बाजार भाव से प्रभावित होती हैं। न कि सुपर बाजार की कीमतें बाजार भाव को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार सुपर बाजार को क्रियाशील बनाकर, जिससे कि उपभोक्ताओं का विश्वास उस पर जम जाए और सुपर

बाजार कीमतों को स्थिर रख सके, उसे समाज सेवा का एक प्रबल साधन बना सकेगी ?

श्री रविन्द्र वर्मा : महोदय, तनिक ध्यान दें, सभी महिलाएं एकजुट हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि वे क्या खिचड़ी पका रहे हैं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : वैसे आपकी इनायत होती नहीं, हमने सोचा शायद इस तरह से आपकी नजरें इनायत हो जाएं।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मन्त्री को उनका साथ देना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, सुपर बाजार का जो उद्देश्य था वह यह था कि दिल्ली में कोई दूकानदार मुनाफाखोरी न कर सके। मुख्यरूप से मुनाफाखोरी रोकने और स्वस्थ्य प्रवृत्तियों को चलाने के लिए ही सुपर बाजार का निर्माण किया गया था। मैं कह सकता हूं कि यद्यपि इधर-उधर कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य था उसको सुपर बाजार की ब्रांचेज हासिल करने में कामयाब हुई हैं। इसके कार्य में कई ऐसी कमजोरियां और कठिनाइयां बीच-बीच में आई जिनको समय समय पर दूर किया जाता रहा है। अब सुपर बाजार के बारे में यदि कोई यह सोचे कि उससे मूल्य नियंत्रित हो जाएंगे, मूल्य वृद्धि पर रोक लग सकेगी तो सुपर बाजार की संस्था के द्वारा यह नहीं हो सकेगा, इसके लिए हमें कोई दूसरे उपाय सोचने पड़ेंगे। प्रमुख रूप से कंज्यूमर आइटम्स में मुनाफाखोरी पर रोक-टोक लगाने का जो उद्देश्य था उसमें सुपर बाजार काफी हद तक सफल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं महिला सदस्यों से विनती करना चाहता हूं वे इन बेचेज तक ही सीमित रहें कहीं अलहदा चैम्बर तक न बढ़ जाएं।

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी : सभी महिलाओं का मिल जाना एक खतरनाक चिन्ह है।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : क्या यह आपके लिए खतरनाक है ?

प्रो० अजीत कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, प्रश्न के जवाब में दिल्ली के सुपर बाजार के बारे में बताया गया है जब कि मैंने सुपर बाजार इन जनरल पूछा था। खैर, यहां पर सुपर बाजार में सालाना टर्न-ओवर करीब-करीब 12-13 करोड़ का होता हैं, सुपर बाजार द्वारा 10 परसेन्ट मुनाफा लिया जाता है, इस प्रकार से साढ़े 12 करोड़ से टर्न-ओवर पर सुपर बाजार को सालाना 1,25 लाख की आमदनी होती है और इस पर 1,22 लाख का खर्चा दोता है। इस तरह से किराया वगैरह सारा मिलाकर और सारा खर्चा घटाकर जो बचता है वह करीब 23 लाख है।

जो वास्तविक आमदनी है, वह बहुत कम है। लगता ऐसा है कि उसमें चोरी बहुत

अधिक होती है और नाजायज काम होता है, जिससे वास्तविक लाभांश बहुत कम मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे दूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा सवाल कीजिए।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : यह जो जवाब दिया गया है उसमें कहा है कि लगभग सभी मशहूर उत्पादकों की वस्तुएं सुपर बाजार के उपलब्ध होती हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि कुछ चीजें सुपर बाजार में नहीं मिल पाती हैं और कम से कम दो साल से मैं एच० एम० टी० की घड़ी के लिए कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्षमहोदय : इससे काम नहीं चलेगा, आप सवाल कीजिए।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मैं सवाल ही कर रहा हूं। एच० एम० टी० की 'काजल' घड़ी के लिए मैं दो साल से चक्कर लगा रहा हूं और आज तक वह उपलब्ध नहीं हो सकी है हालांकि सुपर बाजार की ब्रांच आप के पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में है। (व्यावधान) मैं जानना चाहूंगा कि इसके बारे में आप क्या स्टेप ले रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को वे चीजें, जिनकी खोज में वे चक्कर लगाते रहते हैं, मिल सकें। एच०एम०टी० घड़ी एक मशहूर चीज है।

अध्यक्षमहोदय : छोड़िए इसको।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह मैं नहीं कह सकता कि हर चीज, जो उपभोक्ता चाहता है, वह सुपर बाजार में उपलब्ध है लेकिन अधिकांश चीजें, जिनकी मांग उपभोक्ता करते हैं उनका वितरण सुपर बाजार के द्वारा अवश्य किया जाता है। सुपर बाजार की व्यवस्था के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा, वह कुछ हद तक ठीक है कि वहां पर हिसाब-किताब जितनी अच्छी तरह से रखना चाहिए, मैं...समझता हूं उतने ही सन्तोषजनक ढंग से नहीं रखा गया हैं। उसका उपचार हम कर रहे हैं। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हिसाब-किताब रखा जाता था, उसको सुधारने के प्रयत्न कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए जो भी कार्यवाही। उचित हैं, वह कर रहे हैं। वितरण व्यवस्था ठीक हो और जो भी काम वहाँ होता है, वह संतोषजनक ढंग से चले और किसी प्रकार का लीकेज, जैसा हम लोग समझते हैं कि थोड़ा बहुत होता है वह भी न हो और हमारा प्रयत्न यह है कि वह भी रुक जाए।

श्री के० रामामूर्ति : महोदय, क्या आपने महिलाओं के लिए अलग स्थान निश्चित किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो वे स्वयमेव हथिया लिये हैं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आगे इसलिए बैठे हैं ताकि मौका मिल जाए। रोटी दाल की परेशानी तो हमें उठानी पड़ती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रोफेसर साहब ने बहुत काफी समय ले लिया है। नेक्स्ट क्वश्चन श्री चित्त बसु।

कपड़ा नीति

*167. **श्री चित्त बसु** :

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री कृपा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी कपड़ा नीति अन्तिम रूप से तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) वस्त्र नीति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मन्त्री महोदय बड़ी सरलता से यह कह कर कि "मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।" पीछा छुड़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी और उपाय सुझा सकते हैं ?

श्री चित्त बसु : महोदय मुझे आशा है कि आपकी इसके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया होगी। हमारे देश की वस्त्र-नीति की मुख्य विशेषतः हमारे देश की जन संख्या के एक बहुत बड़े वर्ग को, विशेषकर समाज के निर्धन-वर्गों के लोगों के लिए सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। सस्ता-वस्त्र-नियन्त्रण-योजना, जिसे कुछ वर्ष पूर्व लागू किया गया था, वास्तव में, जनता के, अधिक गरीब वर्गों के लिए वस्तुएं सप्लाई करने और आवश्यकताएं पूरी करने में असफल रही है। 4000 लाख मीटर का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे बढ़ा कर 6000 लाख मीटर कर दिया गया था। परन्तु हमारे लिए यह बड़ी ही निराशा की बात है कि उन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है। इसी के साथ-साथ, निजी क्षेत्र की मिलों को सस्ती दरों पर वस्त्र दिलाने के उस उत्तरदायित्व से छुटकारा दिला दिया गया है जिसे जनता सरकार ने लागू किया था और उस उत्तरदायित्व को अब नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को सौंपदिया गया और वह भी लक्ष्य पूर्ति में असफल रही है। इस सन्दर्भ में क्या मैं मन्त्री महोदय से क्या पूछ सकता हूं कि वह नीति निर्धारित करते समय इस बात पर ध्यान रखेंगे कि सस्ते कपड़े के लक्ष्य को और आगे बढ़ाकर पूरा करेंगे जिससे कि हमारे देश के लोगों को सस्ता कपड़ा मिल सके तथा क्या सरकार सभा को यह आश्वासन भी दे

सकती है कि नियन्त्रित वस्त्र की कीमतों में आगे और वृद्धि नहीं होगी ।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय जैसा कि मैं उत्तर देते समय माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि मेरी एक कठिनाई तो यह है कि अभी हम वस्त्र नीति को अन्तिम रूप दे रहे हैं और जब यह तैयार हो जायेगी मैं उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा और तथ्य माननीय सदस्यों को बता दिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य के सुझाव का प्रथम भाग यह है कि नीति निर्धारित करते समय हमें विशाल पैमाने पर उपयोग के लिए सस्ती दर के कपड़े की विभिन्न किस्मों के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और इसी नीति का हम पालन कर रहे हैं । जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है और सिद्ध हो चुका है कभी-कभी हम लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहे हैं परन्तु यही अभ्यास हम निरन्तर करते आ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो ।

महोदय, नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन के मामले में, इसकी मात्रा निर्धारित करना सम्भव न हो सकेगा, क्योंकि ये सब बातें उस नीति में सम्मिलित कर लीं जायेंगी जिसकी मैं घोषणा करूंगा, परन्तु हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह निश्चितरूप से इस क्षेत्र में यह माँग के साथ कदम मिलाकर चल सके और कीमतों के बारे में किसी प्रकार का स्पष्ट आश्वासन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करना अब मेरे लिए असम्भव है ।

श्री चित्त बसु : क्या मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करूं कि वर्तमान उत्पादन पद्धति भी अधिकाधिक लाभ कमाने की रही है, क्योंकि मिलों द्वारा उत्पादित वस्त्र की भी अनेक किस्में रही हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार किस्मों के घटाने और कपड़ों की ऐसी किस्मों के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने या जोर देने के प्रस्ताव पर भी ध्यान देगी जिसे जनता के निर्धन-वर्गों द्वारा उपयोग में लाया जा सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, यह बड़ा ही अच्छा सुझाव है, परन्तु एक व्यावहारिक कठिनाई है, जिसे वित्त मन्त्रालय विशेषकर बड़ी संख्या में किस्मों के बारे में झेला रहा है । हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं परन्तु एक विचारणीय सीमा तक यह पसन्द और बाजार की मांग पर निर्भर करता है । अतः ऐसा करना इतना आसान नहीं है यद्यपि ऐसा करना वाँछनीय हो सकता है ।

श्रीमति माधुरीसिंह : मान्यवर, गैर सरकारी क्षेत्र में कपड़ों की मिलों ने सरकार द्वारा चलाए गये आधुनिकीकरण की नीति का लाभ नहीं उठाया है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा नयी घोषित नीति में कोई खास कदम उठा रहे हैं जिससे कि इस आधुनिकीकरण की नीति का लक्ष्य पूरा हो सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, हम आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं, परन्तु जहां तक टेक्सटाइल मिलों का सम्बन्ध है, सम्भवतः माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि संयन्त्रों

के आधुनिकीकरण की जो योजना हमने लागू की थी उससे बड़ी संख्या में मिलों ने लाभ उठाया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इससे पहले कि सरकार अपनी टेक्सटाइल नीति को फिर से नया रूप दे, क्या वे हथकर्घा बुनाई उद्योग के प्रतिनिधियों और उनकी राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों तथा उन संसद सदस्यों से जो कि हथकर्घा बुनकरों में रुचि रखते हैं सलाह-मशविरा करेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, यह एक और अच्छा सुझाव है और मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मुझे मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए इस उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि टेक्सटाइल नीति पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है जब कि देखने में यह आया है कि टेक्सटाइल नीति की तो पहले से ही पंच वर्षीय योजना में रूप रेखा दे गई जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपना लिया है । मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि नई टेक्सटाइल नीति में, जिसकी पंचवर्षीय योजना में रूप रेखा दी गई है और मैं यह मान कर चल रहा हूं कि पंचवर्षीय योजना उनका नीति दस्तावेज है (एक) राष्ट्रीय टेक्सटाइल निगम का व्यय यथानुपात घट गया है; और (दो) यह कि हथकर्घा और बिजली कर्घा क्षेत्र में कुल उपलब्ध कराई जाने वाली धन-राशि यथानुपातिक रूप में काफी घट गई है ।" अतः क्या मैं यह मान लूं कि सरकार की टेक्सटाइल नीति को अब उस नये सिद्धान्त के अनुरूप ढाला गया है जिसे वाणिज्य मन्त्री महोदय ने तैयार किया है, जिसमें वे कहते हैं कि सभी प्रकार की फालतू क्षमताओं को नियमित कर दिया जाए और उन लाइसैन्सों से फालतू क्षमताओं को जिन्हें बड़े उद्योगपतियों को जारी किया गया है, इस देश में कोई अधिक अपराध नहीं हुए हैं मैं मन्त्री महोदय के अपने ही शब्दों को उद्धत कर रहा हूं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तव में यह बड़ी ही दिलचस्प बात है कि यह प्रश्न उन माननीय सदस्य ने पूछा हैं जो कुछ समय तक टेक्सटाइल उद्योग के प्रभारी रहे थे और वह भी कोई बहुत समय पहले नहीं । योजना दस्तावेज में जो कुछ दिया गया है, यदि माननीय सदस्य ने उसे देखा है तो शायद वे मेरे से इस बात पर सहमत होंगे कि बिजली करघा या हथ करघा क्षेत्र में किसी के महत्व को घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । हम तो उनके यहां उत्पादन वृद्धि का प्रक्षेपण कर रहे हैं । जहां तक बिजली करघे का सम्बन्ध है यह 32 प्रतिशत है और हथकरघा में 40 प्रतिशत है । सम्पूर्ण उत्पादन को देखें तो हम 1979-80 के 34500 लाख मीटर के वर्तमान स्तर से ऊपर उठकर 43000 लाख मीटर तक पहुंच गए हैं और हथकरघा के क्षेत्र में 29000 लाख मीटर से बढ़कर 41000 लाख मीटर तक पहुंच गए हैं । इसकी नीति से मेरा मतलब यह है वह यह है कि माननीय सदस्य मन्त्रालय प्रभारी थे और टेक्सटाइलस के बारे में 1978 में उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे और उस नीति

के परिणामस्वरूप इसमें कुछ विकार पैदा हो गए हैं। जो कुछ मैंने सुझाव दिया था और इस सदन में भी अनेक बार मैंने यह बताया था कि क्या हम उस नीति की समीक्षा कर रहे हैं और उस सन्दर्भ में मैंने कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने दो मुद्दे उठाए थे-- क्या आपकी नई पंचवर्षीय योजना में हथकरघा और बिजली-करघा पर व्यय में कमी नहीं आई है ? मेरे पास आंकड़े हैं जो कि सीधे ही आपकी योजना से लिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं उन्हें पढ़कर सुना सकता हूं, परन्तु मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं मुझे इसकी ही पुष्टि मन्त्री महोदय से करवानी है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह यही नीति है।

दूसरे, मन्त्री महोदय ने अब एक नया ही सिद्धान्त प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें बड़े उद्योग को दिए गए लाइसेन्स की क्षमता से अधिक उत्पादन को जो कि लाइसेन्स का हनन है अपराध की सीमा से निकाल दिया गया है। वास्तव में इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस नीति को ध्यान में रखते हुए, क्या टेक्सटाइल उद्योग की बड़ी मिलों ने, टेक्सटाइल उद्योग के संगठित क्षेत्र में क्या···का क्षेत्र। आपके आंकड़े सिद्ध करते हैं कि इस विकेन्द्रित क्षेत्र को वैसी ही प्राथमिकता नहीं मिलेगी। मन्त्री महोदय ने इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है। यह ठीक है कि मैंने कहा था और मैं इसे दोहरा रहा हूं कि अधिक उत्पादन कोई सदैव अपराध नहीं होता और मैं इस पर दृढ़ता से कायम हूं। कहां पर इसका स्थायीकरण किया जाएगा मैंने विशिष्टरूप से बता दिया है। (व्यवधान) उप उद्योगों में जहां हमें अधिक उत्पादन चाहिए क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित कर दिया जायगा। नीति की घोषणा इसी सदन में की गई थी, दूसरे सदन में 23 जुलाई को घोषणा हो चुकी है और उसको ध्यान में रखते हुए हम उसे नितमित कर देंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपको मुझे संरक्षण प्रदान करना चाहिए। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। हथकरघा और बिजली करघा को छूट दी जा रही है और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं कि हम 32 प्रतिशत और 40 प्रतिशत वृद्धि उत्पादन में प्रक्षेपित कर रहे हैं। इसका यह अर्थ कैसे हो जाता है कि हम उन्हें छूट दे रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उसमें निवेश नहीं होता। निवेश के बिना वृद्धि कैसे हो सकती है ?

प्रो० मधु दण्डवते : अनियमितताओं का राष्ट्रीयकरण किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमजी भाई डामोर । वे यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री वाजपेयी वे भी उपस्थित नहीं हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सदस्य बाहर धरने पर बैठे हुए हैं ।समस्या क्या है ?

महत्त्वपूर्ण बाजारों को पटसन के माल का निर्यात

*170. **श्री रामविलास पासवान** :

श्री राजेशकुमार सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन के माल के निर्यात में गत दो वर्षों के दौरान सांश्लिष्ट पदार्थों और बांगला देश से निर्यात की प्रतिस्पर्धा के कारण किस सीमा तक कमी हुई है;

(ख) क्या चीन ने विश्व के बाजार में, विशेषकर गलीचों के अस्तर के बाजार में, प्रवेश करके भारतीय पटसन के माल के निर्यात के लिए नया खतरा उत्पन्न कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो विश्व के महत्वपूर्ण बाजारों में पटसन के माल के निर्यात में भारत के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन माल के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	(मात्रा हजार मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1977-78	521.4	254,09
1978-79	328.1	166,73
1979-80	490.2	332,72

(ख) विश्व बाजार में चीन के प्रवेश के सम्बन्ध में अखबारी समाचार प्राप्त हुए हैं । हाल ही में बताया जाता है कि उन्होंने श्रीलंका में पटसन बोरे ऐसी कीमतों पर बेचे हैं जो भारत अथवा बंगलादेश की कीमतों से कम हैं । समाचारों से ऐसा भी पता चलता है कि यह कालीन अस्तर वस्त्र के विनिर्माण के लिए मशीनरी के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहा है । सरकार स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रही है ।

(ग) एक आक्रामक निर्यात संवर्धन अभियान चलाने के लिए उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। उद्योग को अपनी उत्पाद शृंखला का आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण व अपने विपणन माध्यमों में सुधार करने के लिए कहा गया है। पटसन तथा पटसन मिल को अधिक विविधिकृत तथा प्रतियोगी बनाने के लिए अनुसंधान तथा विकास पर निवेश किये जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में छः पटसन मिलों का राष्ट्रीकरण किया है जिससे इसे देश में लगभग 40 प्रतिशत कालीन अस्तर वस्त्र उत्पादन पर नियन्त्रण करना होता है। इससे भारत निर्यात बाजार में अपना स्थान बनाए रख सकेगा और इससे गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों का अभिमुखीकरण होगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है और मेरा जो प्रश्न था, उसका सही-सही जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : जो बाकी रह गया है, आप पूछिए।

श्री रामविलास पासवान : हमारे पास जो फिगर्स हैं और मेरे प्रश्न का जो विशेष मुद्दा था वह यह था कि पिछले दो वर्षों में कितना आपने निर्यात किया है और उस निर्यात में, जो जूट का निर्यात आपने किया है, उसमें कितना घाटा हुआ है ?

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जूट की सबसे बड़ी मार्केट हमारे लिए यू०एस०ए० है। मैं इकोनोमिक टाइम्स की फिगर्ज आपके सामने रखना चाहता हूं। कारपेट बैकिंग का जहां 1970-71 में 165.5 लाख टन निर्यात हुआ था वहां वह नियत घट कर 1978-79 में मात्र 69.8 रह गया। बाकी सब चीजों का कुल मिला कर निर्यात 1970-71 में हम 221.4 का करते थे वह घट कर 1978-79 90·9 रह गया। इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि फारेन मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हमारा प्रतियोगी बन सकता है। चीन का आज भले ही आपके लिए कोई महत्व न हो लेकिन जिस ढंग से वह फारेन मार्केट में घुस रहा है और फारेन मार्केट पर अपना अधिपत्य जमा रहा है, कब्जा कर रहा है, आपने भी पढ़ा होगा···

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए।

श्री रामविलास पासवान : मेरा आप सवाल पढ़िये। मैं रेलेवेंट सवाल हो कर रहा हूं। मैं प्रश्न ही अब पूछने जा रहा हूं।

चीन, जापान और अमरीका ये तीनों मिलकर जूट इण्डस्ट्रीज खड़ी कर रहे है फारेन मार्केट में चीन···जापान आदि ने पांच से दस परसेंट कीमतें कम कर के हमारी मार्केट को विदेशों में खत्म कर दिया हैं। जूट का निर्यात हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जूट हमारी रीढ़ है। हमें यह बहुत ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमाकर देता हैं। आपने अभी तक चालीस परसेंट मिलों को नेशनलाइज किया है। बाकी जो बच गई है और

जिनको आप देख रहे हैं कि उनमें माडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, आधुनिक ढंग से वे काम नहीं कर रही हैं और फारेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रही हैं उन बची हुई मिलों को जिनके मालिक गड़बड़ी करते हैं, फारेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते हैं क्या आप नेशनलाईज करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का प्रश्न है, मैं आँकड़े दे चुका हूं। जहाँ तक कुल निर्यात का सम्बन्ध है, 1977-78 से 1979-80 तक कुछ गिरावट की प्रवृत्ति रही है। परन्तु 1978-79 से इसमें सुधार हुआ है। यह सच है कि संश्लिष्ट पदार्थों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और पटसन उत्पादक कुछ अन्य देशों की ओर से भी प्रतिस्पर्धा है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यदि चीन बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए आता है तो स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा होगी और भी प्रतिस्पर्धा कड़ी हो जायेगी। दुर्भाग्यवश पटसन उद्योग बाजार के विविधीकरण की आवश्यकता तथा माल के विविधीकरण के अनुसार नहीं बना सका है ताकि वे निर्यात बाजार में टिके रहते। परन्तु इस कहानी से माननीय सदस्य अवगत हैं। हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और प्रश्न काल के दौरान वह शायद मुझ से बड़ी नीति की घोषणा करने की आशा नहीं करते हैं, चाहे कि क्या हम पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं या नहीं।

श्री राम विलास पासवान : क्या यू० एस० ए० ने जूट कारपेट बैकिंग्ज के लिए जो कंसेशन दे रखा था, उसको विदड्रा कर लिया है यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : अमेरिका बाजार में मन्दी है और जहाँ तक कालीन अस्तर वस्त्र का सम्बन्ध है उसमें भी मन्दी है। उसके परिणामस्वरूप अमेरिका को निर्यात होने वाले-कालीन अस्तर वस्त्र पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है।

श्री राजेश कुमार सिंह : जो आंकड़े मंत्री महोदय ने दिए हैं उनके संदर्भ में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1968 में हम लोग 63 परसेंट टोटल बैकिंग्ज बाहर भेजते थे। आप देखें कि वह घट कर कितना रहा गया है।

> "पूरे अस्तर बाजार में जूट अस्तर का कुल हिस्सा 1979 में घट कर 34.7 (1974 में यह 44 प्रतिशत था) 1980 की प्रथम दो तिमाहियों में 23.4 प्रतिशत रह गया बताया जाता है।"

यह निर्यात में बढ़ोत्तरी की स्थिति है ?

क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि बंगला देश, थाईलैंड और चीन मिल कर हमारे जूट के निर्यात को, हमारे कारपेट बैकिंग्ज के निर्यात को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं ? और इसके लिए चाइना के अन्दर 400 करोड़ रु० की जापान और अमेरिका की कोई योजना चल रही है, ऐसी कोई जानकारी है ?

और अब तक आपने जो निर्यात के पूर्व करार किये हैं उनमें से कितने अब तक पूरे कर लिये हैं और कितने अभी बाकी हैं, और कितने आप पूरे करने जा रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य महोदय ने वर्ष 1972 में हमारे कार्य-निष्पादन से तुलना की है। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि वर्ष 1972 में भारत को नैसर्गिक लाभ 1971 में बंगला देश में युद्ध के कारण हुआ था। परन्तु इसे नैसर्गिक लाभ नहीं माना जा सकता है।

जहाँ तक पटसन के उत्पादन का सम्बन्ध है, बंगला देश एक परम्परावादी प्रतिस्पर्द्धी है। प्रतिस्पर्द्धा के मामले में यह सच है कि बंगला देश तथा कुछ अन्य देश भी हमारे साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं और हमें अधिक प्रतिस्पर्द्धी होना पड़ेगा।

मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि 1972 में हमें कुछ लाभ हुये थे क्यों कि बंगला देश में निर्यात कर्त्ता 1971 में युद्ध के कारण निर्यात नहीं कर सके। परन्तु वह कृत्रिम तथा अस्थाई लाभ था और आप प्रति वर्ष 1972 में पटसन उद्योग के उसी कार्य-निष्पादन की पुनरावृत्ति होने की आशा नहीं कर सकते हो।

हम अपनी स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु मेरे लिये उन सब संविधाओं का ब्यौरे देना संभव नहीं है जो अलग-अलग आयात कर्त्ताओं तथा निर्यात कर्त्ताओं के बीच हो चुके हैं तथा उनमें से कितने रद्द हो चुके हैं। उन आंकड़ों को देना संभव नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : इस सभा में ही एक बार मैंने किस्म नियंत्रण प्रणाली में गुण ह्रास का उल्लेख किया था जिसके कारण हमारे पटसन माल की किस्म में प्रति दिन गुण ह्रास हो रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें वरीयता नहीं दी जा रही है मैंने उस समय एकाधिक बार कहा था कि उस विशेष विभाग अर्थात निर्यात निरीक्षण परिषद में बहुत भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि वह मामले पर ध्यान देंगे। परन्तु उस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अपने मंत्रालय में किस्म नियंत्रण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार कर लिया है और उस भ्रष्टाचार को दूर कर दिया जो मुख्य रूप से माल के किस्म के गुण ह्रास के लिये जिम्मेवार है।

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रत्येक वस्तु में हमें किस्म नियंत्रण निरीक्षण में सुधार करना होगा।

श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पटसन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले में भी 40 प्रतिशत पैदा होता है जहाँ कि दो साल से बराबर पटसन भरी हुई पड़ी है आज तक कोई खरीद नहीं हो रही है, उसके बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इस प्रश्न का भी मैं अनेक बार उत्तर दे चुका हूं कि हम उत्पादकों को निश्चित रूप से उतनी राहत नहीं दे सकते हैं जितनी कि उन्होंने मांगी हैं और इसका निधान ढांचा निर्माण तथा समर्थन मूल्यों के बारे में मशीनरी में सुधार से किया जा सकता है।

भारत आने वाले पर्यटक

*171 **श्री जैनुल बशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने विदेशों में क्या उपाय किए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में (वर्ष-वार) भारत में विदेशों से आए पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि की प्रतिशतता क्या रही ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर)

(क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) भारत की ओर अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से, यू० एस० ए०, यू० के०, कान्टिनेन्टल यूरोप, जापान, थाईलैण्ड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और कुवैत में स्थित अपने 18 पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से पर्यटन विभाग विश्व की प्रमुख टूरिस्ट जनरेटिंग मार्केटों में व्यापक प्रचार-कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया, ईरान और जापान में लाभ प्रद स्थानों पर 7 पर्यटक संवर्धन अधिकारी भी तैनात हैं। विदेशों में पर्यटक संवर्धन-कार्य इन्हीं कार्यालयों के द्वारा किया जाता है, जो समाचा-पत्रों/मैग्जीनों, टी० वी० और रेडियों के माध्यम से प्रचार और विज्ञापन कार्य करते हैं। वे अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले देशों में यात्रा अभिकर्त्ताओं, एयरलाइनों के स्टाफ के लिए सेल्स सेमिनारों/वर्कशापों का भी आयोजन करते हैं। इस संवर्धनात्मक प्रयास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण पर्यटक प्रचार साहित्य की नियमित सप्लाई और पोस्टरों के प्रदर्शन, संवर्धनात्मक फिल्मों की स्क्रीनिंग, भारतीय संध्याओं के आयोजन और मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे अन्य सम्बन्धित कार्यालय हैं। इसके अलावा, पर्यटक यातायात के अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए विदेशों में भारत को एक प्रमुख पर्यटक गंतव्य स्थान के रूप में संवर्धित करने की दृष्टि से विभाग का विदेशी यात्रा अभिकर्त्ताओं तथा यात्रा प्रचालकों, यात्रा लेखकों और प्रचारकों, टी० वी० तथा फिल्म इकाइयों को आमंत्रित करने का भी एक कार्यक्रम है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की ओर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के आंकड़े (पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर) और पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि की प्रतिशतता नीचे दी गई है :

वर्ष	पर्यटक आगमन की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1978	747,995	16.8
1979	764,781	2.2
1980	800,150	4.6

जनवरी, 1981 में 1980 के तत्सम्बन्धी महीने की तुलना में पर्यटक आगमन में 9.3 प्रतिशत (6655) की वृद्धि हुई।

श्री जैनुल बशर : हमारे देश मे अनेक पर्यटक आकर्षण केन्द्र हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश हम अन्य देशों से भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। परन्तु कुछ देश जिनके पास थोड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षण केन्द्र हैं, विदेशी पर्यटकों को भारी संख्या में आकर्षित कर पाते हैं। दियेगए विवरण से मुझे मालूम हुआ है कि 1978 में पर्यटक आगमन में वृद्धि 16.8 प्रतिशत थी और 1979 में यह 2.2 प्रतिशत हे और 1980 में यह 4.6 प्रतिशत हो गई है। पर्यटक आगमन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : यह सच है कि प्रतिशतता की दृष्टि से 1979 में कमी हुई हैं और 1980 में भी कमी प्रतीत होती है परन्तु यदि आप आंकड़ों पर नजर डाले तो आप को मालूम होगाकि बंगला देश, पाकिस्तान, तथा नेपाल से आये पर्यटकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैं पुनरावृत्ति करता हूं; कि प्रतिशतता को देखते हुए कमी हुई प्रतीत होती है। क्योंकि प्रतिशतता एक आधार के अनुसार निकाली गई है; यदि आधार को व्यापक बना लिया जाता है तो साधारण रूप से प्रतिशतता में गिरावट आ जाती है।

श्री जैनुल बशर : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बाह्य प्रचार कार्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : विभिन्न देशों में हमारे पर्यटक कार्यालय हैं; वहां पर हमारे कर्मचारी भी हैं। हम प्रचार कार्य के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, रेडियो के जरिये तथा कभी-कभी गोष्ठियों का आयोजन करके भी उन देशों जैसा अपने देश को बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया : भारत में पर्यटकों को भारी स्वागत करने के लिए पर्यटक मंत्रालय द्वारा दिये गये निदेश का पर्यटक मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित न किये जाने तथा उसके स्थान पर उसे वित्त मंत्रालय द्वारा बड़े उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। सीमा शुल्क प्राधिकारी न केवल भारी स्वागत करते हैं बल्कि भारत में आने वाले पर्यटकों को अत्याधिक तंग करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय ने विमान पत्तनों पर तंग करने की पर्यटकों की दुखद कहानियां नहीं सुनी है; और यदि ऐसा

है तो क्या उसने इस स्थिति में सुधार करने के लिये वित्त मंत्री महोदय से कोई परामर्श किया है जो इस देश से दूर अनेक विदेशी पर्यटकों को भयभीत कर रही है।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : यह सच है कि इस बारे में शिकायत होती रही थी। हाल में मैं तथा मेरे साथी श्री सिसौदिया ने दिल्ली विमान पत्तन का दौरा किया और वर्तमान प्रक्रियाओं तथा नियमों में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किये हैं जिससे पर्यटकों को तंग न किया जाये तथा उसके स्थान पर उनका हार्दिक स्वागत हो सके।

श्री जगपाल सिंह : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पिछले वर्षों की तुलना में पर्यटकों का आगमन कुछ कम हुआ है। मैं सीधा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या पर्यटकों के आगमन की कमी का एक कारण यह भी है कि जो एतिहासिक पुरातत्व अवशेष मौजूद हैं, उनका रख-रखाव ठीक ढंग से सरकार की ओर से नहीं हो रहा है और वहां पर पर्यटकों को जाने में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि सैयदपुर में मौर्य कालीन एक बहुत बड़ी लाट है, मैं 15 दिन पहले वहां गया था,

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में कमरे में जाकर बता देना।

श्री जगपाल सिंह : मैं जब वहाँ गया था तो मैंने देखा कि उसका रख-रखाव ठीक नहीं है। हजारों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन वहां पर पर्यटकों को जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, जब कि 8, 10 साल पहले वहाँ काफी पर्यटक जाते थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्यटकों के आगमन में कमी के बारे में क्या यह भी एक फैक्टर कार्य कर रहा है ?

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : पर्यटकों के आगमन में कमी का सबसे बड़ा कारण तो पिछली सरकार की नीति थी, जिसके कारण दूसरे देशों से पर्यटकों ने यहां आने की कोशिश नहीं की। जो सुविधाएं पर्यटकों को यहां मिलनी चाहिएं थीं, वह सरकार उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दे पायी। जहाँ तक माननीय सदस्य का रख-रखाव के सम्बन्ध में सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूं कि उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर किसी खास जगह के सम्बन्ध में कोई बात है, जैसा उन्होंने बतलाया है, उसके बारे में अगर कोई कमी है और कुछ करना है तो मैं उसको देखूंगा।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि विदेशों में हमारे पर्यटन के कार्यालयों में जो आफिसर्ज हैं, जो पर्यटकों को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, क्या मंत्री महोदय ने कभी यह पता लगाया है कि क्या वे लोग विदेशों में जा कर बस खुद पर्यटक बन कर घूमते हैं, या जिस उद्देश्य के लिए उन्हें भेजा गया है, उस उद्देश्य की भी पूर्ति करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप को भेज दें ?

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : जैसा कि एक दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा है, क्या पर्यटकों के हमारे देश में आने में यह भी दिक्कत है कि हर एक दर्शनीय स्थल पर उनके आने-जाने की सुविधा नहीं है, उदाहरण के लिए खजुराहो जैसे विश्व पर्यटक स्थान पर जाने के लिए भी रेलवे लाइन नहीं है ? क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय को कोई सुझाव दिए हैं कि ऐसी सब जगहों पर आने-जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मिनिस्टर साहब से सिफारिश करूंगा कि वह श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी को दौरे पर बाहर भेज दें।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : विदेशों में भिन्न-भिन्न जगहों पर हमारे जो अधिकारी हैं, वे क्या काम करते हैं, उसके बारे में मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि वे अपने देश के सम्बन्ध में प्रचार करते हैं और जा कर लोगों से मिलते हैं। घूमना-फिरना भी उनका एक काम है, लेकिन घूमने-फिरने में वे और क्या करते हैं, वह तो हम यहां नहीं कह सकते, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह वे जाते हैं और लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आ सकें। उनके काम पर बराबर ध्यान रखा जाता है।

विदेशी यात्रा योजना के अन्तर्गत दी गई विदेशी-मुद्रा

*172. श्री के० राम मूर्ति : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा दी गई;

(ख) क्या दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में लाया गया है और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या इस विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत 500 डालर की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

1978-79	66,715
1979-80	56,786

चूंकि इनमें से अनेक व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली 500 अमेरिकी डालर की पूरी राशि का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व

बैंक के पास जारी की गई विदेशी मुद्रा की वास्तविक राशि के सम्बन्ध में तुरन्त सूचना उपलब्ध नहीं होती है।

(ख) विदेशी यात्रा योजना का दुरुपयोग करने का कोई भी मामला अब तक सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(उपाध्यक्ष महोदय पठासीन हुए)

श्री के० राममूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय ऐसी टिप्पणी करने के लिए मुझे खेद है। यदि आप मेरे प्रश्न के प्रथम भाग को देखें तो मैंने उसमें यह पूछा है कि विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी, वास्तव में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछी थी। मुझे नहीं मालूम कि मन्त्री महोदय ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं। महोदय, चूंकि विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा दिए जाने के कारण विदेशी मुद्रा की हमारी आरक्षित निधि कम होती जा रही है, मुझे आश्चर्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक हमें यह बताने में क्यों असमर्थ है कि इस योजना के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत दी गई विदेशी मुद्रा की मात्रा से सम्बन्धित सारी जानकारी वह कृपया सभा पटल पर रखें।

श्री आर० वेंकट रामन : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक को यह सूचना विभिन्न स्रोतों से एकत्र करनी पड़ेगी जिसे मैं अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं समझता। सामान्यतः हम ऐसा करते हैं कि विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को 500 से गुणा कर लेते हैं और इस तरह वह आंकड़ा निकाल लेते हैं। यदि उससे कोई लाभ होता है तो मैं वह सूचना प्राप्त कर लूंगा।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग इस योजना के अन्तर्गत 500 डालर की सीमा को बढ़ाने के बारे में पुनः विचार करने से सम्बन्धित है। जनता सरकार ने इसे 100 डालर से बढ़ाकर केवल 500 डालर किया था। जब इस योजना के कारण विदेशी मुद्रा की हमारी आरक्षित निधि खत्म हो रही है तो क्या माननीय मन्त्री इस सीमा को 500 डालर से घटाकर 100 डालर करने के बारे में विचार नहीं करेंगे ? क्या सरकार फिर से पहली वाली स्थिति लाने पर विचार नहीं करेगी ?

श्री आर० वेंकट रामन : यदि माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि विदेशी मुद्रा के अनुरक्षण के हित में हमें 500 डालर की राशि की सीमा को देना चाहिए तो इस लक्ष्य पूरा करने के लिए इसके अलावा और भी साधन हैं। महोदय आपको विदेश जाने वाले व्यक्ति को पर्याप्त राशि देनी चाहिए। आप उससे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह

विदेश में थोड़ी सी धनराशि से निर्वाह कर सके। इसलिए यदि सरकार विदेशी मुद्रा की राशि के व्यय को घटाना चाहती है तो उसे इस राशि को घटाने के बजाय अन्य माध्यम खोजने चाहिए।

श्री के० लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदनों से यह पता चलता है कि जनता सरकार के 2॥ वर्ष के शासनकाल में विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि का दुरुपयोग किया गया है, अपव्यय किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई सूचना है और क्या माननीय मंत्री जांच द्वारा पता लगा कर सदन को यह सूचित करेंगे कि आरक्षित निधि की कितनी विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग और अपव्यय किया गया है ? क्या मंत्री महोदय जांच कराने के लिए सहमत हैं ? गत वर्ष अपने बजट भाषण में उन्होंने स्वयं ही उसका उल्लेख किया था।

श्री आर० के० वेंकट रामन : महोदय, मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि विदेश यात्रा योजना के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग और अपव्यय किया गया है। विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग या अपव्यय किया गया है या नहीं, यह एक ऐसा विषय है जिस पर बजट में चर्चा की जायेगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, जनता सरकार ने चाहे और कुछ भी किया हो लेकिन यह बात अच्छी की है कि यह सीमा 100 डालर से बढ़ाकर 500 डालर कर दी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सीमा को 500 डालर से बढ़ा कर 1000 डालर करने जा रहे हैं। महोदय जैसाकि आप जानते हैं विदेश में एक बार बाल कटवाने पर 40 रु० से 60 रु० तक खर्च होते हैं। एक कप काफी 15 रु० से 30 रु० तक की आती है। वस्तुतः हमारे लोगों को दूसरों से उधार लेना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप विदेश से हमारे देश में आने वाली धन राशि घट जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी विदेश गये हैं और आप जानते हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन मैंने किसी से उधार नहीं लिया।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले आवंटन में कोई परिवर्तन करने का मेरा कोई विचार नहीं है और यदि माननीय सदस्य का यह सुझाव यह है कि एक बार बाल कटवाने में 50 रु० से 60 रु० तक व्यय होते हैं तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि वह विदेश जाने से पहले यहां बाल कटवा लें।

एयर इंडिया के बोइंग 707 विमानों की आर्थिक लाभप्रदत्ता की अवधि समाप्त हो जाना

*173. **श्री रसीद मसूद** :

श्री छांगुर दास : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के बोइंग 707 विमानों में से कितने विमान अपनी आर्थिक लाभप्रदता की अवधि पार कर चुके हैं तथा गत एक वर्ष में उनकी परिचालन लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) सरकार ने पुराने हो रहे विमानों के स्थान पर दूसरे विमान खरीदने के लिए यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया है तो वह क्या है और उस पर कितना व्यय होगा तथा पुरानों के स्थान पर नए विमान आने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया के पास 9 बोइंग-707 प्रकार के विमानों में से, चार विमान बी-707-437 प्रकार के हैं जिन्होंने सेवा के बहुत अधिक घंटे पूरे कर लिए हैं और इसलिए उनकी बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से उन्हें काफी समय तक अनुसूचित रूप से भूमिस्थ करना पड़ता है। इन चार विमानों में से दो को अप्रैल/जुलाई, 1980 में सेवा से निकाल दिया गया है तथा दो और को अप्रैल, 1982 तक सेवा से हटा देने की आशा है।

केवल इन चार विमानों के परिचालन की लागत में हुई वृद्धि की मात्रा अलग से उपलब्ध नहीं है, परन्तु एयर इंडिया के समग्र बोइंग-707 विमान—बेड़े के लिए 1980-81 में परिचालन लागत में कुल वृद्धि 1979-80 की परिचालन लागत की तुलना में 25.37 प्रतिशत थी।

(ख) : एयर इंडिया के बी—707 विमान—बेड़े को क्रमशः बदल कर उसके स्थान पर नए विमान लेने के लिए वायुयान मूल्यांकन अध्ययन किए जा चुके हैं और उसके आर्थिक एवं वित्तीय परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। पुरानों को बदल कर उनके स्थान पर लिए जाने वाले नए प्रकार के विमान का भी अध्ययन किया जा रहा है। विमानों के बदलने में लगने वाला समय अंततः अंतिम रूप से चयन किए जाने वाले नये विमान पर निर्भर करेगा।

श्री रशीद मसूद : डिप्टी स्पीकर साहब, जब इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया का मैनेजमेंट एक था, उस वक्त क्या सरकार ने कोई कमेटी स्टडी करने के लिए मुकर्रर की थी कि इन जहाजों को रिप्लेस किया जाए और किन हवाई जहाजों से रिप्लेस किया जाए ? अगर की थी तो उसकी क्या रिपोर्ट आई और उस पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है बोइंग 707 के रिप्लेसमेंट का। इसलिए इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया को कोई कमेटी बनी हो इस बात को देखने के लिए कि कितने इसमें रिपप्लेस किए जायें, कितने न किए जायें—इस सम्बन्ध में मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूं। (व्यवधान) 707 के रिप्लेसमेंट के लिए और उसके बदले में किस टाइप का जहाज हम लें—उसके लिए जरूरी एक कमेटी बनी है और उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, वह दो-तीन महीने में सरकार के पास आ जाएगी।

श्री रशीद मसूद: 707 के रिप्लेसमेंट के लिए एक कमेटी बनी थी जबकि कंबाइन्ड मैनेजमेंट था खैर उसको आप छोड़िए। मेरा यह कहना है कि हमारी एकानामी जिस तरीके पर है, उसका अन्दाज सभी को है। इसलिए क्या सरकार इस पर गौर करेगी कि जो करीब के मुमालिक हैं जैसे वैस्ट एशिया है, अरब कन्ट्रीज है, जहां हमारे बोइंग 747 जाते हैं। जो बहुत ज्यादा अनइकानामिक होते हैं, उनकी जगह छोटे जहाज लगाये जायें। लोंग-डिस्टेंस के लिए जैसे यूरोप, अमेरिका के लिए, बड़े जहाज लगायें, लेकिन शार्ट-डिस्टेंस के लिए छोटे जहाज लगायें, क्या इस पर सरकार गौर करेगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी जो बोइंग 707 हैं, वे कुछ जगहों में जाते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं या इधर सिंगापुर मलेशिया है, उनकी तरफ जाते हैं। जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, एयर इंडिया का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि और छोटे जहाज हों, बल्कि 707 को फेज-आउट करनेके बाद, जो जहाज हम लेंगे, जिसका फैसला कमेटी करेगी, इस तरह हमारे पास दोही तरह के जहाज होंगे—एक तो ये 747 होंगे और दूसरे वे जिनसे 707 को रिप्लेस किया जायगा।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ने जो फेस्ड- प्रोग्राम बनाया है—707 को रिप्लेस करने के लिए, इसको आप कब तक पूरा कर लेंगे ? क्या इण्डिया एअर लाइन्स की जो सेवायें हैं, विशेषकर दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर हो कर बम्बई जाती है, क्या उसमें भी 707 विमान लगाने का आप का कोई कार्यक्रम है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : ये जहाज जैसे-जैसे पुराने होते जाते हैं, इनको फेज-आउट करते हैं। जब तक इनकी जिन्दगी चलने के लायक है, उनको फेज-आउट नहीं करते हैं। ऐसे जहाजों का टाइम हमारे पास है, उसके मुताबिक ग्रेजुअली फेज आउट करेंगे और उनके बदले में दूसरे जहाज लेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब कि इस बात से सहमत होना सम्भव है कि 707-बोइंग वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी हैं लेकिन उन्हें बहुत से अन्य वैकल्पिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सरकार दो नए बोइंग खरीदने का विचार कर रही है जिन्हें प्रधान मन्त्री और श्री बसन्त साठे जैसे अन्य लोगों के देश भ्रमण के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों के स्क्वेड्रन दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वी. आई. पी. स्क्वेड्रन का भी वाणिज्यिक विमानों की तरह अत्यधिक उपयोग नहीं किया जायेगा और क्या सरकार ने विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों के बारे में विचार किया है, और यदि हां, तो क्या 707-बोइंग को अति विशिष्ट व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के बारे में भी विचार किया गया है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उनके प्रश्न के बाद वाले भाग का विचाराधीन प्रश्न से

कोई सम्बन्ध नहीं हैं। सच्चाई यह है कि यह असंगत है। मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध एयर इण्डियां द्वारा न कि इण्डियन एयर लाइन द्वारा चलाए जा रहे 707-बोइंग से हैं।

डा० सुब्रह्मणम स्वामी : भारतीय वायु सेना के वी० आई० पी० स्क्वेड्रन का क्या मामला है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, वह बोइंग-737 की बात कर रहे हैं जो इण्डियन एयर लाइन्स अति विशिष्ट व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए दे रहा है। उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, वह एयर इण्डिया को आकाशवाणी के साथ मिला रहे हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहाँ तक 707 का सम्बन्ध है हमने इस समय दो 707 विमानों को एयर इण्डिया की नियमित सेवा से हटा दिया है और दो 707 विमानों को और हटाया जा रहा है और उन्हें वायु सेना को सौंपा जा रहा है और उनमें आवश्यक मरम्मत करने के बाद वे उनका उपयोग करेंगे। लेकिन अन्य 707 विमानों के बारे में मैं यह कह चुका हूं कि उन्हें दिल्ली-मास्को जैसे भिन्न मार्गों पर चलाया जा रहा है। अब हम इसे बर्मिंघम तक चलाने जा रहे हैं। अतः इन मार्गों पर 707 बोइंग चलाये जायेंगे और ये कब तक चलते रहेंगे जब तक बेकार न हो जायें।

श्री पी० नामग्याल : कुछ दिनों पहले हमने समाचारपत्रों में यह पढ़ा था कि इनमें से कुछ विमानों के बदले ट्रिस्टार विमान चलाये जायेंगे। इण्डियन एयर लाइन्स और अन्तर्राष्ट्रीय एयर इण्डिया के प्रबन्धकों ने सिद्धान्तरूप में यह स्वीकार कर लिया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रबन्धकों का विचार इन 707 बोइंग विमानों के स्थान पर ट्रिस्टार विमान या 737 बोइंग विमानों के पुराने माडल को लाने का है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं पहले यह कह चुका हूं कि एक समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है और यह सही है कि केवल ट्रिस्टर विमानों के बारे में ही नहीं बल्कि यह समिति डी. सी.-10 और एयर बस के बारे में भी विचार कर रही है। उक्त समिति इन तीन प्रकार के विमानों के बारे में विचार कर रही है।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, हमारे विमानों का रख-रखाव अपेक्षानुसार नहीं हो रहा हैं जो भी कदम उठाये जाने हैं उन्हें तकनीकी कर्मचारियों के सहयोग से किया जाना चाहिए। अर्थात, हमारे विमानों का कार्यकाल अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। यहां तक कि लाग बुकों को भी जिनमें शिकायतें लिखी जाती है लगातार कई-कई सप्ताह और महीनों तक नहीं देखा जाता है। मैंने स्वयं एयर इण्डिया की ये लाग बुकें देखी हैं। क्या माननीय मन्त्री कृपया इन विमानों के रख-रखाव के बारे में कार्यवाही करेंगे और यह देखेंगे कि लाग बुकों में लिखी गई खराबियों पर तत्काल ध्यान दिया जाए ? दूसरे

707 बोइंग या जम्बू में आपातकालीन निकास द्वार के पास भी सामान्य और अन्य पैकिटों ढेर इक्ट्ठे कर दिए जाते हैं। नियमों के अनुसार बाहर निकालने के रास्ते पर सामान इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। इससे विमान के सुचारू रूप से चलने और चालकों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एयर इण्डिया के विमान चालकों के सामने आने वाली कुछ वास्तविक कठिनाइयां है जिनके बारे में कुछ समय पहले माननीय मन्त्री जी को सूचित किया गया था। आप जानते हैं कि मैं उड़ान कर्मचारियों की एसोसिएशन से संबद्ध हूं। माननीय मन्त्री का ध्यान उड़ान कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्या आप कृपया विमान के अनुरक्षण और उसे सही हालत में रखने से सम्बन्धित उनकी सभी वास्तविक समस्याओं और विमानों में कार्य करते समय उनके सामने आने आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक लाग-बुक में इंदराज का सम्बन्ध है तथा जहां तक तकनीकी खराबियों का सम्बन्ध है उन पर न केवल तकनीशियनों द्वारा ध्यान ही दिया जाता है बल्कि खराबियों को ठीक कर दिये जाने के बाद पर्यवेक्षकों द्वारा उनका पर्यवेक्षण भी किया जाता है। लेकिन यदि कोई विशेष मामला माननीय सदस्य की जानकारी में है, तो मुझे जाँच करने में प्रसन्नता होगी। लेकिन सामान्यतः हमारे तकनीकी कर्मचारी पर्याप्त रूप से दक्ष है और ये तकनीकी खराबियों की जाँच करते हैं। जहां तक उड़ान कर्मचारियों की समस्याओं का सम्बन्ध है, मैं यह बता दूं कि मेरे माननीय मित्र को समस्याओं की पूरी जानकारी है और कई बार वह अनौपचारिक रूप से मुझसे उन पर चर्चा कर चुके हैं। उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है और हम यह चाहते हैं कि जहाँ तक काम की शर्तों का सम्बन्ध हैं और उनको मिलने वाली सुविधाओं का सम्बन्ध है हमारे कर्मचारी सन्तुष्ट रहें। लेकिन उनके साथ-साथ हाल ही में कुछ मामलों में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जानकारी में लाया यह गया है कि हमारे उड़ान कर्मचारियों ने जमीन पर यात्रियों को भोजन परोसने तक से इन्कार कर दिया था। अब यदि यात्रियों की सेवायें जो उड़ान कर्मचारियों का मुख्य कार्य है, प्रभावित होती हैं, तो उन्हें किस लिए रखा गया है। जब मेरे पास आये तो मैंने विनम्रतापूर्वक पूछा कि यदि वे यात्रियों की सेवा नहीं करते हैं तो आप और क्या काम करेंगे। मुझे अत्याधिक प्रसन्नता है कि अब वे इस बात को समझ गए हैं और मैं आशा करता हूं कि यात्रा करने वाले यात्रियों की सेवा का कार्य वे जारी रखेंगे।

खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि

*174 **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में हाल में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह वृद्धि रोकने और देश में खाद्य तेलों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (म) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) :

पिछले तीन महीनों अर्थात नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान, मूंगफली के तेल, जिजली के तेल, करड़ी के तेल, बिनौले के तेल आदि जैसे देशीय खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांकों में कुछ वृद्धि हुई थी। इसी अवधि के दौरान, सरसों के तेल और नारियल के तेल के मूल्य सूचकांकों में गिरावट आई थी। 20.2.81 को समाप्त होने वाले सप्ताह से खाद्य तेलों के मूल्यों में आम गिरावट आई है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि 1979-80 में खाद्य तिलहनों के उत्पादन में आई गिरावट के कारण कही जा सकती है। उत्पादन में आई कमी से सट्टेबाजों को सक्रिय होने का मौका मिला, जिससे तेल के मूल्यों में तेजी का रुख आया।

देश में खाद्य तेलों की उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई दीर्घकालीक और अल्पकालिक कदम उठाये हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

(i) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए नियोजित प्रयास करना, ताकि तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम किया जा सके; (ii) पर्याप्त मात्रा में तेल का आयात जारी रखना; (iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक तेल निर्मुक्त करना; (iv) वनस्पति उद्योग द्वारा स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण स्वीकार करना; (v) वनस्पति का निरन्तर उत्पादन कायम रखना; (vi) बिनौले के तेल के अधिक उप्पादन को बढ़ावा देना; (vii) राज्य सरकारों से भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य कानूनों को लागू करने का अनुरोध करना; (viii) गुजरात सरकार द्वारा मूंगफली तथा तेल के संचलन पर लगी रोक को हटाना; (ix) वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर छापे मार कर तिलहनों तथा तेलों के गैर-कानूनी व्यापार को नियंत्रित करना।

श्री जी० वाई० कृष्णन : समाचार-पत्रों में प्रति सप्ताह हम मूल्यों की स्थिति देखते हैं। उन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है। हम देखते हैं कि खाद्य तेल हम आज जिस मूल्य पर खरीदते हैं, कल उससे अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है और उससे अगले दिन उससे भी अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है। मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि मूल्यों का स्तर किस प्रकार स्थिर किया

जायेगा। उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। दूसरे, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उतार-चढ़ाव जमाखोरी के कारण है। इस जमाखोरी को रोकने के बारे में मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। क्या मंत्री महोदय कृपया इस बात को स्पष्ट करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ हद तक जमाखोरी भी अपनी भूमिका अदा करती है। लेकिन खाद्य तेल के उचित और विनियमित वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक सही उपाय है। इससे जमाखोर भी हतोत्साहित होते हैं। लेकिन यदि लोगों को कम मूल्य पर तेल उपलब्ध हो जाता है तो जमाखोरों को जमाखोरी से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए, जमाखोरों को निरुत्साहित करने का हम भरसक प्रयत्न करते हैं। लेकिन कुछ हद तक जमाखोरी चलती रहती है और उसमें हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयकर निरीक्षकों के छुट्टी रिजर्व पदों का बनाया जाना

*168. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में आयकर निरीक्षकों के छुट्टी रिजर्व पदों के बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आयकर निरीक्षकों के संवर्ग में छुट्टी रिजर्व पद कब तक मंजूर किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : निरीक्षको के छुट्टी रिजर्व पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) : यह कहना कठिन है कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जायगा।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्षेत्रीय असंतुलन

*169. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि देश के कुल जिलों में से केवल 23 जिलों को कुल बैंक ऋणों का लगभग 66 प्रतिशत अर्थात् औसतन लगभग 619 करोड़ रुपए मिलते हैं जबकि

अन्य लगभग 271 जिलों को ऋणों का केवल 10 प्रतिशत अर्थात् औसतन 8 करोड़ रुपये ही मिलते हैं; और

(ख) : यदि हाँ, तो बैंक राष्ट्रीयकरण के 10 वर्षों के पश्चात भी इस क्षेत्रीय असंतुलन के क्या कारण है और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : जमाओं और अग्रिमों (मंजूरी के अनुसार) के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 1979 के लिए संकलित अन्तिम आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि बैंक ऋण में से 23 जिलों का अंश 66 प्रतिशत और 271 जिलों का 10.2 प्रतिशत बैठता है ।

ये आंकड़े मंजूरी के जिले के सम्बन्ध में हैं न कि ऋण के उपयोग के जिले के संबंध में । साधारणः इन दोनों में भेद होता है क्योंकि बड़े औद्योगिक अभिगरणों या राज्य प्रायोजित निगमों/संगठनों को ऋण की मंजूरी शहरी और/या महानगरीय स्थानों अथवा राज्यों की राजधानियों में स्थित बैंकों की बड़ी शाखाओं द्वारा दी जाती है लेकिन ये निधियाँ उपयोग के लिए अन्य क्षेत्रों को प्रेषित कर दी जाती हैं । इन प्रेषणों की सीमा इस बात से आंकी जा सकती है कि जून, 1978 के अंत की स्थिति के अनुसार, जिसके कि उपयोगिता के अनुसार आँकड़े उपलब्ध हैं, अग्रिमों में उक्त 23 जिलों का भाग बैंक ऋणों का 54.8 प्रतिशत बैठता था यद्यपि मंजूरी के अनुसार इन जिलों का भाग 59.0 प्रतिशत बैठता था ।

निसंदेह बैंक ऋणों के संवितरण में एक सीमा तक क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है । लेकिन यह आर्थिक विकास में, विशेषत: बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन द्योतक है । सरकारी क्षेत्र के बड़े व्यापारिक संगठनों जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, भारतीय जूट निगम, भारतीय कपास निगम आदि का महानगरों में स्थित होना भी बैंक ऋणों के स्थानगत वितरण में दीख पड़ने वाला असंतुलन उत्पन्न कर देता है । यद्यपि इस प्रकार के संगठनों के परिचालनों से, सभी क्षेत्रों को लाभ होता है ।

यद्यपि न तो यह व्यवहार्य होगा और न वांछनीय ही कि विभिन्न जिलों के बीच ऋण के संवितरण में पूरी तरह बराबरी ला दी जाए, क्योंकि इससे सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों और प्रमुख वसूली तथा वितरण अभिकरणों समेत उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तथापि बैंक ऋणों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को घटाना सरकार की स्वीकृत नीति का एक अभिन्न अंग है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि वे छोटे उद्यमों को निर्धारित करके एवं उन्हें सहायता प्रदान करके ऐसे राज्यों/जिलों में अपने ऋणों के संवितरण को बढ़ाने का प्रयास करें । जहाँ ऋण: जमा अनुपात बहुत ही खराब है । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे मार्च,1983

तक अपने कुल ऋणों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण के अंश को 45 प्रतिशत तक पहुंचा दें। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋणों की उपलब्धि में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण: जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक पहुंचा दें। लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को ऋण सहायता पहुंचाने के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला स्तर पर सम्बद्ध सभी अभिकरणों के कार्य को एक जुट और समन्वित करने की सुविधा के उद्देश्य से, बैंकों ने जिला ऋण योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं।

राज्य सरकारों से भी कहा है कि वे कमजोर वर्गों के लिए, विशिष्ट योजनाओं के अधीन, निर्धारित लाभकर्त्ताओं को बैंक ऋण सुलभ कराने के लिए, अपने संस्थागत मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाएं। आशा है कि इन उपायों से बैंक ऋणों के संवितरण में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायता मिलेगी।

अमेरिका से सहायता

*175. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बताया गया है कि नया अमेरिकी प्रशासन चालू वर्ष में विदेशी सहायता में बड़े पैमाने पर कटौती करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी सहायता में इस कटौती का भारत पर तथा विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर जिनके लिए अमेरिका द्वारा प्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है, अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इसका कोई मूल्यांकन किया है कि नई अमेरिकी सरकार द्वारा विदेशी सहायता में कितनी कटौती करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) अमेरिका के इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) : हमारे पास इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते।

जीवन बीमा निगम के श्रेणी एक के अधिकारियों द्वारा किया गया आन्दोलन

*176. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जीवन बीमा निगम के श्रेणी एक के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं जिसके सिलसिले में उन्होंने 28 नवम्बर, 1980 को सामुहिक रूप से आकस्मिक अवकाश लिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं ।

(ग) जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों ने अधिकारियों को एक ठोस प्रस्ताव की पेशकश की जिसे उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है ।

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*177. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जनवरी, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह में सभी वस्तुओं के मूल्यों में 1.4 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो 10 जनवरी, 1981 से पहले मूल्य क्या थे;

(ग) क्या मूल्य-सूचकांक में वृद्धि खाद्य-उत्पादकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है;

(घ) गैर-खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ङ) मूल्यों में वृद्धि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या फरवरी 1981 में भी थोक मूल्य सूचकांक बढ़ गया था ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) से (च) : 10 जनवरी, 1981 के समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान समस्त वस्तुओं का थोक कीमत सूचक अंक (1970-71 = 100) 257.5 से बढ़ कर 258.9 हो गया अर्थात इसमें 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 3 जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाले सप्ताह में भी सूचक अंक में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और यह 256.1 से बढ़ कर 257.5 हो गया था ।

3 जनवरी और 10 जवनरी 1981 को समाप्त होने वाले दो सप्ताहों के दौरान खाद्य वस्तुओं और खाद्य उत्पादों के संयुक्त सूचक अंक में क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । खाद्य-भिन्न उत्पादों में दो सप्ताहों के दौरान क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

मुद्रा स्फीतिकारी दबावों को रोकने के लिए कई उपाय किए गए । इनमें ये शामिल

हैं (एक) सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना; (दो) आयात द्वाराघ रेलू पूर्ति में वृद्धि करना; (तीन) मुद्रा उपलब्धि में अनावश्यक विस्तार पर नियंत्रण करना; (चार) जमाखोरी और काला बाजारी जैसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना और (पांच) उत्पा दन बढ़ाना। इन उपायों के फलस्वरूप मुद्रास्फीतिकारी दबावों में कुछ कमी आई है।

पटसन उत्पादकों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकता

*178. **श्री जगदीश टाईलर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने पटसन उत्पादकों की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई कार्य-दल नियुक्त किया है;

(ख) : यदि हाँ, तो उनके निदेश-पद क्या हैं;

(ग) : क्या मौजूदा अग्रिम ऋण प्रणाली के स्थान पर संस्थागत ऋण व्यवस्था आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) : यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) : जी, हाँ।

(ख) : भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 के आदेश के अनुसार नियुक्त किए गए कार्यकारी दल के कार्य निम्न प्रकार हैं :

(1) जूट उत्पादकों की अगले पाँच वर्षों की कुल ऋण आवश्यकताओं का आकलन करना तथा वर्तमान "दादान" (अग्रिम) प्रणाली के स्थान पर संस्थागत ऋण की व्यवस्था करने के लिए कार्यक्रम सुझाना। इस प्रयोजन के लिए दल, जूट उत्पादकों की उपभोग ऋण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख सकता है। यह दल इस बात की संभाव्यता की जांच भी कर सकती है कि गरीब जूट उत्पादकों को विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन ऋण दिया जा सकता है या नहीं तथा इस प्रयोजन के वास्ते इस योजना के अधीन राशियों को नियत कर सकता है।

(2) जूट उत्पादकों के वास्ते विद्यमान सहकारी ऋण की प्रणाली की समीक्षा करना और सहकारी ऋण तथा सहकारी हाट-व्यवस्था के ढांचों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करने के बारे में उपाय सुझाना, ताकि जूट उत्पादक अपने उत्पादन के लिए समुचित और लाभप्रद मूल्य प्राप्त कर सकें।

(3) जूट उत्पादकों को फसल बीमा की व्याप्ति उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार करना और सुझाव देना।

(ग) और (घ) :—यह कार्यकारी दल विशिष्टतः लोक उद्यमों विषयक समिति

की भारतीय जूट निगम विषयक 33 वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। इस समिति की सिफारिशों में से जो सिफारिश अब इस कार्यकारी दल के विचारणीय विषयों में से एक बन गई है, वह है—"वर्तमान "दादान" (अग्रिम) प्रणाली के स्थान पर संस्थागत ऋण की व्यवस्था करने के लिए एक कार्यक्रम" तैयार करना। जब इस कार्यकारी दल की सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी तो उन पर सरकार विचार करेगी।

कच्चे काजू का आयात

*179. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू के आयात में हाल ही के वर्षों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कच्चे काजू के आयात में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1981 में इसके आयात की मात्रा कितनी होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशेद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) कमी होने के कारण ये हैं :

(एक) निर्यातकर्ता देशों में कच्चे काजू के उत्पादन/वसूली में कमी।

(दो) निर्यातकर्ता देशों में कच्चे काजू के स्थानीय संसाधन के लिए व्यापक संसाधन क्षमता की व्यवस्था।

(तीन) कच्चे काजू की खरीद के लिए आयातकर्ता देशों के बीच प्रतियोगिता।

(ग) जी हां !

(घ) जुलाई 1979 में एक योजना तैयार की गई थी जिसमें भारतीय काजू निगम के अध्यधीन तथा पात्र कारखानों को वितरण के लिए उस निगम को आयात का 50 प्रतिशत देने पर विनिर्माता निर्यातकों द्वारा गैर परम्परागत स्रोतों से भी काजू के आयात की अनुमति दी गई है।

प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर संसाधन तथा पुनर्निर्यात के लिए सीमित मात्राओं में कच्चे काजू के आयात की अनुमति है।

(ङ) भारतीय काजू व्यापार निगम ने वर्ष 1981-82 के लिए 20000 मे. टन कच्चे काजू के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

*180. **श्री नवीन रबाणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अनेक कर्मचारियों ने देश के विभिन्न भागों में जनवरी और फरवरी, 1981 के दौरान सांकेतिक हड़ताल रखी। अपना काम रोक दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) उनकी मांगें क्या थीं;

(घ) उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) हड़ताल में भाग लेने पर कितने कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया और निलम्बित कर दिया गया तथा कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही की गई;

(च) हड़ताल के दौरान राजकोष, कर्मचारियों, व्यापारियों और जनता, सरकार तथा बैंकों को नकद राशि और वस्तु के रूप में कितनी-कितनी हानि उठानी पड़ी, और

(छ) सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ताकि भविष्य में इस प्रकार की हड़तालें न हो ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) भारतीत जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने 31 जनवरी, 1981 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गए जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश 1981 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के विरोध में 2,3,5 और 24 फरवरी, 1981 को सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों की मांगें इस प्रकार हैं :—

(एक) अध्यादेश और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को वापिस लिया जाए;

(दो) 1974 के समझौते की शर्तों के अनुसार बोनस की अदायगी की जाए;

सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवम्बर, 1980 के अपने निर्णय में यह निर्देश दिया था कि बोनस सम्बन्धी 1974 के समझौते की शर्तों को लागू किया जाए जब तक कि किसी नए समझौते औद्योगिक पंचाट अथवा सम्बद्ध कानून से उसका अतिक्रमण नहीं किया जाता। जीवन निगम ने कानूनी सलाह लेकर उस निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका

दायर कर दी है जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः मामला न्यायालयिक विचाराधीन है।

(ङ) और (च) 'कोई काम नहीं—कोई तनख्वाह नहीं' के मान्य सिद्धान्त के अनुसार कर्मचारियों के वेतनों से उतने दिनों का मानक वेतन काट लिया जाएगा जितने दिनों वे सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इस अवधि में ग्राहकों को असुविधा हुई और ग्राहक सेवाओं को धक्का लगा। इस हड़ताल के कारण अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को हुई हानि का निर्धारण करना संभव नहीं है। इस अवस्था में कोई और कार्रवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जीवन बीमा निगम में लिपिक की परिलब्धियां

*181. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में लिपिक को भारत सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी यथा संयुक्त सचिव, से अधिक परिलब्धियां प्राप्त होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है और निरन्तर चल रही इस बिषमता के क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम में एक तीसरी श्रेणी के कर्मचारी और भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव की मासिक परिलब्धियां उनके अधिकतम वेतनमान में इस प्रकार हैं :—

जनवरी, 1981

	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	बोनस	जोड़
जीवन बीमा निगम का तीसरी श्रेणी कर्मचारी	920	2042	*444	3406
भारत सरकार का संयुक्त सचिव	2750	450	—	3200

(*सीमा निर्धारित नहीं है)

विषमताओं का मूल कारण यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ किए गए 1974 के समझौते अनुसार न तो मंहगाई भत्ते की और न ही बोनस की कोई सीमा निर्धारित थी। किन्तु हाल ही में मंहगाई भत्ते और बोनस की सीमा निर्धारित कर दी गई है ताकि इन विषमताओं को कम किया जा सके।

लोहे के कारखानों को आधुनिक बनाने की प्रस्तावित योजनाएं

*182. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहे और इस्पात सम्बन्धी अनुसंधान और विकास केन्द्र राँची ने देश में लोहे के कुछ कारखानों को आधुनिक बनाने के लिए कुछ योजनाएं कार्यान्वित करने का निर्णय किया हैं;

(ख) यदि हां, तो लोहे के उन कारखानों से क्या लाभ हैं, जहां आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा;

(ग) उड़ीसा के बरबिल में कलिंग आयरन वर्क्स की धमन-भट्टियों में चूने के चूरे का अन्तःक्षेप करने के लिए रांची के उक्त लोहे और इस्पात अनुसंधान केन्द्र का विचार एक आधुनिकतम, पूर्णतः स्वचालित और स्वदेशी रूप से तैयार की गई प्रणाली विकसित करने का है;

(घ) क्या कलिंग आयरन वर्क्स का यह विकास कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) राँची के अनुसंधान और विकास केन्द्र की सहायता से भिलाई, दुर्गापुर के इस्पात कारखानों और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हाँ।

(ङ) अभी हाल में कलिंग आयरन वर्क्स की धमन भट्टियों में 450 किलो ग्राम प्रति घंटे की दर से चूने की धूलि डालने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं। इस प्रक्रिया का विकास स्वदेश में ही किया गया है। परीक्षण अवधि के दौरान दैनिक उत्पादन की दर में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि और कोक ओवन की दर में 5 से 3 प्रतिशत की कमी हुई है। तप्त धातु की उत्पादिता और क्वालिटी में सुधार के बारे में प्राप्त हुए परिणाम भी उत्साहवर्धक हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

*183. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष मध्य प्रदेश में भिलाई इस्पात संयंत्र की उत्पादन

क्षमता में वृद्धि करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की 25 लाख टन की वर्तमान वार्षिक क्षमता का 40 लाख टन तक विस्तार कार्य चल रहा है। इसके अक्टूबर, 1982 तक पूरा हो जाने की संभावना है। लेकिन प्लेट मिल एक और दो को दिसम्बर, 1981 तक चालू करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि अन्य स्रोतों से सिल्लियाँ प्राप्त करके प्लेटें तैयार की जा सकें। इसके अलावा आधुनिकीकरण के द्वारा भिलाई की क्षमता में और वृद्धि करन के लिए मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लि० को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

बड़े निजी व्यापार समूहों द्वारा निर्यात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

*184. **श्री के० ए० राजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 421 बड़े निजी व्यापार समूहों के वित्तीय मसलों के बारे में किए गए एक सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ है कि इन बड़े समूहों द्वारा निर्यात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा वर्ष 1978-79 के दौरान निर्यात से हुई आय से अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में निर्यातोंन्मुख इकाइयों को अधिकाधिक रियायत दिए जाने का क्या औचित्य है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) तथा (ख) जी नहीं। 421 बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की वित्तीय स्थिति (जिनकी चुकता पूंजी एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है) का भारतीय रिजर्व बैंक ने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार उन कंपनियों ने 1988-79 के दौरान कुल मिलाकर 825 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा (आयात पर खर्च किए गए 680 करोड़ रुपये सहित) खर्च की हैं। इसी अवधि में इन कंपनियों ने 835 करोड़ रुपए (निर्यात के द्वारा 761 करोड़ रुपये सहित) की विदेशी मुद्रा अर्जित की। इन कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा पर जो व्यय किया गया उसे उनको निर्यात से होने वाली आमदनी से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता; बल्कि विदेशी मुद्रा पर किए गए व्यय को उत्पादन से जोड़ा जा सकता है, जो कि 1978-79 में 12562 करोड़ रुपए का हुआ। ये कंपनियाँ मुख्य रूप से निर्यात प्रधानकंपनियाँ नहीं है और इनके द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा के व्यय का एक भाग घरेलू बाजार के लिए किए जाने वाले उत्पादन के लिए होता है।

(ग) स्थिति की उपर्युक्त व्याख्या को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

मैसर्स पारले बिवरेजेज को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा जारी किये गये "कारण बताओ" और मांग नोटिस

*185. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता बम्बई द्वारा मैसर्स पार्ले बियरेजेज को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में आई० बी० और आई० डी० मदों के अन्तर्गत आने वाली ("प्रिपेयर्ड एण्ड प्रिजर्वड/फूडस एण्ड एइरेटिड बिवरेजेज") माल के सम्बन्ध में 1 अगस्त, 1973 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि के दौरान क्लियरेंस के लिए कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या हैं तथा उनसे कोई उत्तर मिल गया है;

(ग) "क्लियरेंस" में अनियमितताओं के पता लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच का आदेश देने का विचार है; और

(ङ) उस कम्पनी से राशि शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार का विचार क्या अन्य उपाय करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) वातित जलों के सम्बन्धि में 20 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 120.98 लाख रुपए के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की आरोपित न्यून-लेवी की मांग की गई है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 1-ख के अन्तर्गत आने वाले तैयार अथवा परिस्थित खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में 13 और कारण बताओ-एवं-मांग नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें 2.94 लाख रु० के विभेदी शुल्क की मांग की गई है ।

इस सम्बन्ध में ग्रस्त विवाद इस सन्दर्भ में हैं कि कारखाने द्वारा उत्पादित तथा निकासित पूर्वोक्त माल का सही शुल्क-निर्धारणीय मूल्य क्या होना चाहिए । मैसर्स पार्ले बीवरेजेज ने कारण बताओ नोटिसो में से 28 नोटिसों का उत्तर दे दिया है ।

(ग) आरोपित न्यून-लेवी का पता 1974 में चला था । एतद्नुसार, उसका पता लगाने में कोई बिलम्ब नहीं हुआ था ।

(घ) जी, नहीं । उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) को दृष्टिगत रखते हुए, इसमें कोई ताजा जाँच करने की जरूरत नहीं है ।

(ङ) इस मामले में न्यायिक कल्प प्राधिकारी द्वारा न्याय-निर्णयन किया जाना है मामले का न्याय-निर्णय होने के बाद ही देय रकम का, यदि कोई होगी, पता लगेगा। रकम की वसूली का प्रश्न उसके बाद ही पैदा होगा।

विश्व तमिल सम्मेलन

1601. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जनवरी, 1981 में मदुराई में हुए विश्व तमिल सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) उन्हें मंजूर की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तमिलनाडु सरकार से आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्व तमिल सम्मेलन के लिए कोई विदेशी मुद्रा मंजूर नहीं की है।

भारतीय स्टेट बैंक चित्तरंजन पश्चिम बंगाल से पैसा निकालने वालों द्वारा अंशदान की अदायगी

1602. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय स्टेट बैंक चितरंजन, पश्चिम बंगाल से राशि निकालने वालों की बैंक के कुछ अधिकारियों द्वारा 5 रु० अथवा 10 रु० का अंशदान देने को बाध्य किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, चितरंजन में इस प्रकार कीगतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मन्त्रालय में उपं वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने मामले की जांच की है और उसने यह पाया हैं कि यह आरोप कि "जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से पैसा निकालते हैं उन्हें बैंक के कुछ कर्मचारियों को पांच रुपए अथवा 10 रुपये अंशदान के रूप में अदायगी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है" साबित नहीं हुआ है। परन्तु बैंक को यह सूचना मिली है कि उक्त शाखा के कुछ कर्मचारी सरस्वती पूजा के लिए बैंक के ग्राहकों समेत जनता से स्वैच्छिक आधार पर चन्दा इकट्ठा करते रहे हैं। बैंक इस

मामले में और आगे जांच पड़ताल कर रहा है और यदि इस सम्बन्ध में कोई अनुचित बात पायी गई तो बैंक उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

भारत-नेपाल सीमा पर पर्यटन स्थलों का विकास

1603. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** भारत-नेपाल सीमा पर पर्यटन स्थलों के विकास के बारे में 21 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न में दिए गए सुझाव इस बीच बिहार सरकार को प्रेषित कर दिए गए हैं तथा उसकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और बिहार सरकार के उत्तर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) दिनांक 21-11-1980 के लिखित प्रश्न संख्या 602 में दिए गए सुझाव और उसका उत्तर 25-11-1980 को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिए गए थे। अभी तक राज्य सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें स्मरण-पत्र भेजे गए हैं।

तालचर उड़ीसा में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र

1604. **श्री गिरधर गोमांगो :** यह **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तालचर, उड़ीसा में प्रस्तावित रक्षित विद्युत संयंत्र को शामिल किया है जैसा कि उड़ीसा के एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स के लिए एच०आई०एल०सी०ओ० ने सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षित विद्युत संयंत्र परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है और तालचर में उपलब्ध कोयले के आधार पर मंत्रालय ने उसे अनुमोदित कर दिया है;

(ग) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रक्षित विद्युत संयंत्र कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भी इस नदी कोयला निपेक्ष के आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) ग्रहीत बिजली घर के लिए तैयार साध्यता रिपोर्ट तालचर क्षेत्र के कोयले पर आधारित है। इस पर सरकार द्वारा विचार किया रहा है।

(ग) ग्रहीत बिजलीघर की पहली इकाई सरकारी स्वीकृति की तारीख से 4 वर्ष और 6 महीने में चालू की जाएगी तथा शेष इकाईयां उसके बाद 2 वर्ष और 6 महीने में क्रमश: चालू हो जाएंगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) एल्यूमिनियम प्रद्रावक के निकट तालचेर कोयला क्षेत्र के भारतपुर खंड में पर्याप्त कोयला भंडार हैं, जिन्हें प्रस्तावित बिजलीघर को कोयला सप्लाई का निकटतम और उपयुक्त स्रोत माना गया है।

कपास की खरीद

1605. **आचार्य भगवान देव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के लिए कपास की खरीद के बारे में राज्य वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा कितनी मात्रा में कपास की खरीद की गई थी; और

(ख) वर्ष 1991-82 के लिए कपास की खरीद के लिए क्या राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) भारत में, सिवाय महाराष्ट्र के जहां कि राज्य में उगाई जाने वाली समस्त कपास की अधिप्राप्ति महाराष्ट्र कपास, (अधिप्राप्ति) संसाधन तथा विपणन) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारिता विपणन परिसंघ द्वारा की जाती है, सभी उपजकर्ता राज्यों में कपास का मुक्त व्यापार होता है। विभिन्न राज्यों में कपास उपजकर्ताओं से कपास की अधिप्राप्ति सार्वजनिक सहकारिता तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न अभिकरण करते है। जहाँ तक भारतीय रुई निगम लि०, जो कि केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है, का सम्बन्ध है, निगम द्वारा 1980-81 (1 सितम्बर, 1980 से 31 अगस्त, 1981 तक) सीजन के लिए निर्धारित अधिप्राप्त लक्ष्य नीचे दिए गए हैं। 1-9-1980 से 18-2-1981 तक अधिप्राप्त की गई मात्रा का भी उल्लेख है।

(प्रत्येक गांठ 170 किग्रा० की) (लाख गांठों में)

राज्य	अधिप्राप्ति लक्ष्य	कपास की खरीदारियां
1	2	3
पंजाब	3.75	2.18
हरियाणा	1.25	0.67

1	2	3
राजस्थान	1.50	1.09
गुजरात	3.50	1.16
मध्य प्रदेश	1.50	1.64
आन्ध्र प्रदेश	1.00	1.00
तमिलनाडु	1.00	0.04
कर्नाटक	1.50	0.07
	15.00	7.85

(ख) निगम द्वारा सितम्बर, 1981 में अगस्त, 1982 तक के लिए रुई का अधिप्राप्ति के लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

बैलाडिला मध्यप्रदेश के निकट लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट

1606. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को बैलाडिला, मध्य प्रदेश के निकट एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसने उसकी जांच कर ली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कब शामिल किया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात के लिए दीर्घावधि योजना

1607. **श्री एस०एम० कृष्ण :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावी एक दशक की इस्पात की मांग और उपलब्धता का अनुमान लगा कर तत्सम्बन्धी मांग को पुरा करने तथा जहाँ सम्भव हो, उसका अतिरिक्त भन्डार बनाने हेतु सरकार किसी दीर्घावधि योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए कितने-कितने उत्पादन का नियतन किये जाने का प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा "लोहे और इस्पात के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल, 1980-85" ने अक्तूबर, 1980 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दो अन्तिम वर्षों अर्थात् 1984-85 और 1989-90 में तैयार इस्पात की मांग तथा उपलब्धि के अनुमान इस प्रकार दिए गए हैं :—

(मिलियन टनों में)

	1984-85	1989-90
मांग	12.700	18.4000
उपलब्धि	11.395	16.796

2. उत्पादन के उपर्युक्त स्तरों को प्राप्त करने के लिए परिचालनरत कारखानों के विस्तार, आधुनिकीकरण और पुनः स्थापन कार्यक्रमों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया है। उत्पादन लागत को कम करने और उत्पादिता में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रौद्योगिकीय सुधार किए हैं तथा नए स्थानों पर नए कारखाने लगाये जा रहे हैं।

3. वर्ष 1984-85 और 1989-90 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के बारे में प्रस्तावित उत्पादन के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार है :—

मिलियन टनों में

	1984-85		1989-90	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
सरकारी क्षेत्र	9.561	8.110	16.402	13.900
गैर-सरकारी क्षेत्र	1.740	1.600—	I.764	1.680
कुल	11.301	9.710	18.166	15.580

विद्युत चाप भट्टी इकाइयों के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से उत्पादन स्तर में और अधिक वृद्धि हो जाएगी।

स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० का अधिग्रहण

1608. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० के कर्मचारियों का

अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सार्वजनिक तथा मजदूरों के हित में सभी छः सूती कपड़ा मिलों तथा इनकी आस्तिओं और सम्पत्तियों का राष्ट्रीयकरण (और/अथवा सम्पूर्ण अधिग्रहण) करने और स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० जिसकी उत्तर प्रदेश में (97 प्रतिशत अनुदान प्राप्त) दो चीनी मिलें हैं, भी राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों तथा सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०, जिसका प्रबन्ध ग्रहण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत, 1978 में किया गया था, के वस्त्र एककों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार के पास कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अधिग्रहण की सरकारी कार्यवाही को भूतपूर्व मालिकों द्वारा आरम्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । 13 जनवरी, 1981 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार को निर्देश दिए कि वह असन्तुष्ट स्वामी को सुनवाई का मौका दें।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

1609. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं चल रही हैं, और

(ख) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 के दौरान आज तक कुल कितनी जमा राशियां प्राप्त हुई हैं और इसी जिले में जमा राशियों की तुलना में कितनी प्रतिशत अग्रिम राशियां दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में वाणिज्यिक बैंकों की 151 शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कार्य कर रहे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं, अग्रिमों (स्वीकृति के अनुसार) तथा ऋण जमा अनुपात से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है;

	दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (लाख रुपये)	
	1978	1979
जमा	5909	7356
अग्रिम	1440	1725
ऋण जमा अनुपात	24.4	23.5

दिसम्बर, 1980 के अन्तिम शुक्रवार से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

'मोम्बासा में नीलामी के लिए लाखों रुपये की कीमत का भारतीय माल' शीर्षक समाचार

1610. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'पेट्रियट' नई दिल्ली के 4 फरवरी 1981 के संस्करण में प्रकाशित 'मोम्बासा में नीलामी के लिए लाखों के मूल्य का भारतीय माल' शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है और वर्तमान स्थिति को बचाने के लिए तथा भविष्य में इस तरह की घटना न होने देने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या बिना सहारे के अप्रत्यादेय साख-पत्रों के एवज में माल का लदान करना भारतीय निर्यातकों के लिए अनिवार्य नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया, और

(ङ.) यदि नहीं, तो क्या उनका भारत से किए जाने वाले निर्यात के सभी मामलों में इस तरह का अनुबन्ध लागू करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) कीनिया में भारतीय उच्चायुक्त से मामले में जांच पड़ताल करने तथा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । उनसे पूरी जानकारी प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) जी नहीं ।

(ङ.) भारतीय निर्यातकों को, निर्यात विक्रियों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई खास तरीका अपनाने के लिए मजबूर करना सम्भव नहीं है । अपनाया गया तरीका, सरकार की ऋण स्थिति, अन्तर्ग्रस्त राशि, माल की किस्म तथा व्यापार में प्रचलित सोना शुल्क जैसे कारकों पर निर्भर करेगा ।

अरुणाचल में अभ्रक और खनिज निक्षेप

1611. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरुणाचल में अभ्रक और खनिज के विशाल निक्षेपों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उनके वाणिज्यिक विदोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश में कोयला, आयरघात, क्रोमाइट, चूना-पत्थर, डोलोमाइट और ग्रेफाइट के छिट-पुट भंडार होने का पता चला है । साथ में वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्रक निक्षेप होने की अभी भी तक कोई सूचना नहीं मिली है । कोयला निक्षेप भी छोटे हैं और उनके विदोहन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इन खनिजों के वाणिज्यिक विदोहन की अभी तक आर्थिक उपादेयता सिद्ध नहीं हो पाई है ।

भारतीय सीमेंट निगम उद्योग मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में टीडिंग नाम स्थान पर 200 टन दैनिक क्षमता वाले सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिए अन्वेषण और साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहा है ।

पटना हवाई अड्डे पर रात्रि के समय विमानों को उतरने

1612. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार परिवहन प्रयोक्ता संघ ने पटना हवाई अड्डे पर रात्रि के समय भी विमानों के उतरने की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हुए उन्हें पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

आल इंडिया हैंडलूम्स फैबरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध मामले

1613. **श्री आर० एन० राजेश** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया हैंडलूम्स फैबरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी के या उसके पदधारियों के विरुद्ध कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त किये जाने और उपभोक्ताओं से सम्बन्धित कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि० बम्बई तथा उसकी व्यवस्था के खिलाफ समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें हमें और साथ ही सहकारी समिति के केन्द्रीय पंजीकार को मिली हैं। कुछ शिकायतें उन कर्मचारियों की ओर से थीं जिन्हें दण्डित किया गया है। कुछ शिकायतों में यह आरोप लगाये गए हैं कि समिति के कुछ कर्मचारियों की सेवाएं अनुचित ढंग से समाप्त की गई हैं। इन तथा अन्य शिकायतों के आधार पर यह विनिश्चय किया गया है कि समिति के गठन, कार्य संचालन तथा वित्तीय स्थिति की कानूनी जांच कराई जाए। सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीकार से, जो कानूनी जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, अनुरोध किया गया है कि इसकी जाँच आरम्भ करें। उन्हें पहले ही इस मामले की जानकारी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्तो का भुगतान

1614. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों को कुल कितना-कितना समयोपरि भत्ता दिया गया,

(ख) क्या सरकार इन बैंकों में दिए जा रहे समयोपरि भत्तों को समाप्त करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरौट) :

(क) 1980 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए समयोपरि भत्तों (ओवर टाइम) के (लेखा परीक्षा के बिना) बैंकवार आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	बैंक	समयोपरि भत्ते की राशि (अन्तिम) (लाख रुपये)
	(1)	(2)
1.	इलाहाबाद बैंक	62.00
2.	बैंक आफ बड़ौदा	300.00
3.	बैंक आफ इण्डिया	326.00
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	83.88
5.	केनरा बैंक	26.00
6.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	148.88
7.	देना बैंक	96.00
8.	इण्डियन बैंक	72.09
9.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	114.10
10.	पंजाब नेशनल बैंक	130.00
11.	सिण्डीकेट बैंक	36.00
12.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	95.00
13.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	132.00
14.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	140.00
15.	आन्ध्र बैंक	1.88
16.	कारपोरेशन बैंक	6.16
17.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	54.00
18.	विजया बैंक	8.50
19.	न्यू बैंक आफ इंडिया	30.45
20.	ओरियंटल बैंक कामर्स	35.00
21.	भारतीय स्टेट बैंक	900.00
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61.36
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	59.46
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	27.00
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	21.62

(1)	(2)
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 48.48
28.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर 35.00

(ख) और (ग) : सरकार तथा भारतीय बैंक संघ ने बैंकों में समयोपरि भत्ते के भुगतान पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस की है। उद्योग स्तर पर, भारतीय बैंक संघ ने यूनियनों से सभी कार्यालयों में समयोपरि कार्य की सीमा को नीचे लाने की मांग उठाई है। यह मामला विवाचक मण्डल को भेजा गया है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं कि समयोपरि भत्ते के भुगतान को न्यूनतम रखा जाए तथा समयोपरि भत्ता केवल न्यायसंगत मामलों में ही दिया जाए।

तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के माल लाने-ले-जाने वाले लोगों की गिरफ्तारी

1615. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने और चांदी की तस्करी करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के माल लाने-ले-जाने वाले कुछ लोगों को हाल ही में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनसे कितने मूल्य का कितना सोना और चांदी पकड़ा गया;

(ग) गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम, पते आदि क्या हैं, और

(घ) गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : जी हां। सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि 1 फरवरी, 1981 को दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने लगभग 3.9 लाख रुपये मूल्य के 440 तोले सोने की तस्करी का एक मामला पकड़ा था।

उक्त मामला दिल्ली में सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया था। इस मामले में ग्रस्त पाए गए तीन व्यक्तियों को बाद में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है और वे इस गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

हाई स्पीड साफिस्टिकेटिड मशीन के आयात के लिए अनुमति

1616. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माचिस की डिब्बियां बनाने के लिए हाई स्पीड साफिस्टिकेटिड मशीन आयात करने हेतु आयात लाइसेंस मंजूर करने के बारे में विरोध का सामना करना पड़ा है जिसमें घर्षण की व्यवस्था हो तथा लेबल छपे हों;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त मशीन द्वारा बनाए गए कार्ड बोर्ड के डिब्बे लघु उद्योग इकाइयों द्वारा बनाई जाने वाली लकड़ी की परतों को प्रति-स्थापित करेंगे,

(ग) क्या सरकार खपची तथा परत बनाने वाले उद्योगों तथा उसमें लगे हुए व्यक्तियों के रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उक्त मशीन के आयात पर रोक लगाने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, उक्त मशीन के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) दियासलाई की ऐसी डिब्बियां बनाने के लिए जिनमें घर्षण की व्यवस्था हो तथा लेबल छपे हों, हाई स्पीड साफिस्टिकेटिड मशीन आयात करने की अनुमति देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) से (घ) : सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या आयात की अनुमति दी जाए अथवा नहीं।

गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा तीसरी विमान सेवा

1617. श्री चिरन्जीलाल शर्मा
स्वामी इन्द्र वेश :
राजेश कुमार सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा कम्पनियों को तीसरी विमान सेवा चलाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उक्त पार्टियों के नाम क्या हैं तथा किन शर्तों पर ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) :

(क) और (ख) : सरकार किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, वर्तमान विनियमों के अंतर्गत, निजी पार्टियां उन मार्गों पर विमान सेवाएं परिचालित कर सकती हैं जिन पर दोनों में से कोई भी कारपोरेशन परिचालन नहीं करती है। पार्टियों के नामों तथा उन मार्गों को दर्शाने वाला, जिन पर उन्हें परिचालन की अनुमति दी गई है, एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी०—1983181)।

उड़ीसा में विदेशी पर्यटकों का आगमन

1618. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 के दौरान उड़ीसा आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है,

(ख) क्या सरकार की केरल में कोवलम की भांति पर्यटक रुचि के स्थानों और होटलों की स्थापना के लिए उड़ीसा के समुद्री तट का विकास करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम का संयुक्त उद्यम के तौर पर कोणार्क में, प्रारम्भिक तौर पर 30 कुटीरों वाले, एक बीच काम्पलैक्स के निर्माण का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए स्कीम तैयार की जा रही है।

उड़ीसा में पर्यटक केन्द्र खोलना

1619. **श्री अनादि चरण दास :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा में कितने पर्यटक-केन्द्र खोले गए;

(ख) वे कहां-कहां स्थित है ;

(ग) क्या सरकार के पास उड़ीसा में वर्ष 1981-82 के दौरान कुछ नए पर्यटक-केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा राज्य के किसी प्रमुख रेलवे स्टेशन के निकट कोई नया पर्यटक-केन्द्र खोला जाएगा, और

(ङ.) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) :

(क) से (ङ.) : 1980-81 के दौरान उड़ीसा में भारत सरकार का कोई पर्यटन कार्यालय नहीं खोला गया । भुवनेश्वर में कोई नया पर्यटक कार्यालय खोलने का प्रश्न अन्य बातों के साथ-साथ उक्त क्षेत्र की जरूरतों और संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

नन्दन कानन विकास परियोजना के लिए उड़ीसा से योजना प्राक्कलन

1620. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से नन्दन कानन विकास परियोजना के लिए कोई योजना प्राक्कलन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता दी जायेगी, और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) से (घ) : भारत पर्यटन विकास निगम [आई०टी०डी०सी०] को हाल ही में उड़ीसा सरकार से नन्दन कानन के निकट 120 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक एलीफेंटा सफारी पार्क और 18.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक लायन सफारी पार्क के विकास के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इन प्रस्तावों पर इनकी व्यवहार्यता और वित्तीय सहभागिता की दृष्टि से भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विचार किया जा रहा है ।

रत्नगिरि महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम संयंत्र में काम बन्द

1621. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोंकण के पिछड़े क्षेत्र के रत्नगिरि जिले में सरकारी क्षेत्र के एल्यूमिनियम संयंत्र में वर्षों से काम बन्द पड़ा है जबकि विभिन्न राज्यों में एल्यूमिनियम अथवा एल्यूमिनियम के नए संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) क्या सरकार की विचाराधीन रत्नगिरि जिले में एल्युमिनियम संयंत्र को चालू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) और (ख) रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना, जो 1974 में मंजूर की गई थी, को तत्कालीन वित्तीय कठिनाईयों के कारण शुरू नहीं किया जा सका। अद्यतन लागत अनुमानों के आधार पर परियोजना की समीक्षा करने से पता चला है कि निम्नलिखित कारणों से परियोजना को उस समय की गई परिकल्पना के अनुसार कार्यान्वित करना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न होगा :—

(क) कम स्तर पर प्रचालन

(ख) अप्रचलित प्रौद्योगिकी

(ग) बिजली की अधिक लागत

(घ) अपर्याप्त अवस्थापन सुविधाओं के फलस्वरूप माल ढुलाई की अधिक लागत।

यह परियोजना तभी उपयोगी सिद्ध हो सकती है जब कारखानों का उत्पादन पैमाना वर्तमान आर्थिक आकार का कर दिया जाए। लेकिन अपेक्षित क्षमता के एल्यूमिना कारखाने को चालू रखने के लिए बॉक्साईट के पर्याप्त भंडारों की पुष्टि करना जरूरी होगा। अतः उस क्षेत्र में बॉक्साईट भंडारों की और अधिक खोज करने तथा पुनः आकलन करने का फैसला किया गया है। बाक्साइट भंडारों की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाने पर ही परियोजना के लिए नए सिरे से साध्यता अध्ययन करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। चूंकि इसकी तकनीकी आर्थिक साध्यता की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है अतः रत्नगिरि परियोजना की स्थापना के लिए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

'दी केस ऑफ कोर्डबोर्ड कोल्हापुर चप्पल्स' शीर्षक समाचार

1622. श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'स्टेट्समैन' दिनांक 18 जुलाई, 1980 में 'दी केस ऑफ कोर्डबोर्ड कोल्हापुर चप्पल्स' शीर्षक समाचार देखा है;

(ख) सरकार ने चूक करने वाली फर्म एस० पी० एस० इन्टरनेशनल, दिल्ली" के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(ग) सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषद् के निरीक्षक तथा सम्बन्धित सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध दिल्ली हवाई अड्डे से खेप के भेजे जाने के बारे में कथित गलत घोषणा के लिये क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) : जी, हां।

यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विचाराधीन है। इसी बीच इस फर्म को नकद मुआवजा सहायत के भुगतान की सरलीकृत भुगतान योजना से निलंबित कर दिया गया है। सम्बन्धित चमड़ा निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा इस फर्म का पंजीकरण समाप्त करने के लिए कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरण का वह निरीक्षक अधिकारी जिसे परेषण को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी पाया गया था उसे भी निलंबित कर दिया गया है।

जहाँ तक सम्बन्धित सीमा शुल्क अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का सम्बन्ध है, दिल्ली पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी तक ऐसी कोई अन्तर्ग्रस्तता सम्बन्धित सीमा शुल्क प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं लायी गयी है। पुलिस की जांच रिपोर्ट मिलने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

मयूरभंज, उड़ीसा में ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

1623. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इस समय कार्य कर रहे ग्रामीण बैंकों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) : इस जिले में 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान खोले गए ऐसे बैंको की संख्या क्या है; और

(ग) : क्या सरकार का 1981-82 के दौरान इस आदिवासी जिले में कुछ और ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : उड़ीसा के क्योंझर तथा मयूरभंज जिलों को व्याप्त करते हुए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् बैतरणी ग्राम्य बैंक की स्थापना 23-6-1980 को हो चुकी है। किन्तु संभवतः माननीय सदस्य के ध्यान में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत, वाणिज्यिक बैंकों, की शाखओं की संख्या है। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	ग्रामीण केन्द्र	अर्द्ध शहरी केन्द्र	जोड़
1. अगस्त, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार कार्यरत शाखाओं की संख्या	29	9	38
2. निम्नलिखित के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या			
1978	7	—	7
1979	1	1	2
1980 (अगस्त तक)	6	1	7

(ग) : भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार वर्ष 1979-81 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार के प्रयासों में मुख्यत: इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बैंकिंग की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम व्याप्ति वाले जिलों के बैंक रहित उन ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में बैंकों की शाखायें खोली जाएं जहाँ ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के प्रति 20 हजार लोगों के लिए एक शाखा से कम हो। इस मानदण्ड के अनुसार, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अपेक्षित 71 ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी शाखाओं में से, अगस्त, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, इस जिले में 38 ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी शाखाएं कार्यरत थीं। राज्य सरकार के परामर्श से, शेष बची 33 शाखाओं के भी 1981 के अन्त से पहले खुल जाने की आशा है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा श्री लंका के नेशनल डेवेलपमेंट बैंक को ऋण का दिया जाना

1624. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय इंजीनियरिंग सामान का आयात करने के लिए श्री लंका के नेशनल डेवेलपमेंट बैंक को 5 करोड़ रुपए का ऋण दिया है; और

(ख) : यदि हाँ, तो अब तक निर्यात किए गए ऐसे सामान का मूल्य क्या है तथा निर्यातकों के नाम और ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, हाँ। जून, 1980 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने श्रीलंका को भारतीय पूंजी तथा इंजिनियरिंग

माल के निर्यात के वित्तपोषण के लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक आफ श्रीलंका को 5 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर एक ऋण स्वीकृत किया गया है ।

(ख) : इस ऋण के अधीन, अभी तक श्रीलंका को माल निर्यात नहीं किया गया है ।

काले धन के सौदों में अन्तर्ग्रस्त गैर-सरकारी डाक सेवा

1625. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के आसूचना विंग ने करोड़ों रुपयों के काले धन के सौदे में एक गुप्त गैर-सरकारी डाक सेवा का पता लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस घोटाले में अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) : विभिन्न स्थानों पर एक-साथ ली गई तलाशियों के परिणाम-स्वरूप, विभाग ने प्रथम दृष्टया हिसाब में नहीं दिखाई गई 6,56,027 रुपए की नकदी और ऐसे अन्य दस्तावेज पकड़े हैं जिनसे हुंडी के रूप में 4 करोड़ रुपए की रकम के अंतरण का पता चलता है । पकड़े गए दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि यह संगठन एक वर्ष के दौरान लगभग 25 करोड़ रुपए के अंतरण में अन्तर्ग्रस्त रहा है ।

तलाशी के दौरान पकड़े गए अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों को, सम्बन्धित आय-कर आयुक्तों को भेज दिया गया है ताकि उनका, कानून के अनुसार, कर-निर्धारण कार्य-वाही में उपयोग किया जा सका ।

2 तथा 5 रुपए के करेंसी नोटों की छपाई

1626. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाटर मार्क कागज के अभाव में सिक्योरिटी प्रेस, नासिक महाराष्ट्र में 2 रुपए तथा पाँच रुपए के करेंसी नोटों की छपाई रोक दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रेस को समय पर कागज की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और इससे कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) **और** (ख) : करेंसी नोटों के कागज के 4 वेगन भार पारेषण का होशंगाबाद कारखाने पर 24.12.80 को लदान होना था और वह 26.12.80 को नासिक में पहुंच जाना था किन्तु 27.12.80 तक

वैगनों के उपलब्ध न होने के विचार से प्रेषित माल की ढुलाई 28.12.80 को की गई जो 1.1.81 को नासिक पहुंचा और प्रचालन सम्बन्धी कारणों से इसे 3.1.81 को ही सिक्योरिटी प्रेस नासिक को रेलवे साइडिंग में लगाया जा सका। चूंकि प्रेस के पास 5 रुपए के करेंसी नोटों के कागज का स्टाक नहीं था इसलिए 30.12.80 से 3.1.81 तक 4-1/2 मशीन पारियों में छपाई रोकनी पड़ी। दो रुपए के नोटों की छपाई में कोई रुकावट नहीं आई।

कोई वित्तीय हानि नहीं हुई क्योंकि जन-शक्ति का उपयोग अन्य उत्पादन कार्य के लिए किया गया और मशीन को इस अवधि के दौरान सामान्य निरोधात्मक अनुरक्षण और जाँच के काम में लाया गया।

उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्य

1627. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि (1) चावल (2) गेहूं (3) दाल (4) स्वीट आयल (5) मिट्टी का तेल (6) गुड़ (7) चीनी (8) चाय (9) काफी (10) साबुन (11) टूथ पेस्ट (12) कपड़ा और सब्जियां जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और जयपुर में औसतन खुदरा मूल्य 31 दिसंबर, 1979 तथा 30 जून, 1980 को इनके मूल्यों की तुलना में 31 दिसंबर, 1980 को कितने थे ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

(मूल्य रुपयों में)

वस्तु	मात्रक	बम्बई			कलकत्ता		
		दिसम्बर, 80	जून,80	दिसंबर,79	दिसंबर, 80	जून, 80	दिसंबर, 79
1	2	3	4	5	6	7	8
1. चावल	किलोग्राम	2.50 (मो०)	2.20 (मो०)	2.40 (मो०)	2.10 (अ०)	1.90 (अ०)	1.90 (अ०)
2. गेहूं (सफेद)	किलोग्राम	2.70	2.25	दा० न०	1.45(उ० मू०)	1.45(उ० मू)	1.45 (उ० मू.)
3. अरहर (दाल)	किलोग्राम	6.00	4.60	5.00	दा० न०	5.20	5.00
4. मूंग (दाल)	किलोग्राम	6.00	6.00	5.00	दा० न०	5.40	5.00
5. मसूर (दाल)	किलोग्राम	6.00	4.40	3.60	दा० न०	4.40	4.00
6. उड़द (दाल)	किलोग्राम	5.00	4.60	5.00	दा० न०	4.00	4.20
7. मूंगफली का तेल	किलोग्राम	11.80	10.80	10.20	17.00**(दो०)	18.00(दो०)	17.00 (दो)
8. सरसों का तेल	किलोग्राम	17.00	13.50	12.50	16.00	13.00	13.00
9. वनस्पति	किलोग्राम	12.00	12.50	53.48	13.00	14.00	14.00
				(4 कि०ग्रा० का टीन)			
10. चीनी	किलोग्राम	7.00	6.00	4.60	5.97**	6.25	4.40
11. चाय	किलोग्राम	24.00	21.00	18.00	दा० न०	22.00	22.00

1	2	3	4	5	6	7	8
12. टाटा साबुन 501	प्रति बार	2.25 (आधी छड़ (बार)	4.20	3.40	दा० न०	दा० न०	दा० न०
13. लाइफबॉय साबुन	प्रति बट्टी	1.90	1.85	1.55	दा० न०	दा० न०	दा० न०
14. टूथपेस्ट	प्रति टयूब	5.50	6.35	5.25	दा० न०	दा० न०	दा० न०
15. लांग क्लाथ	प्रति मीटर	7.50	7.50	7.50	दा० न०	दा० न०	दा० न०
16. आलू	प्रति किलो०	2.00	2.40	1.60	दा० न०	1.90	1.60
17. प्याज	प्रति किलो०	1.20	1.00	3.50	दा० न०	1.00	5.00
18. मिट्टी का तेल	प्रति लीटर	1.39	1.39	1.39	दा० न०	दा० न०	दा० न०

**12.12.80 के मूल्य दिए गए हैं। /(मो०) = मोटा/ (दा० न०) = दाम नहीं दिए गये हैं/(*) मदुराई के दाम दिए गए हैं।
(अ =)अच्छी किस्म/(कि०) = किस्म में परिवर्तन/(उ०मू) = उचित दर दुकान के मूल्य/(दो०) = दो बार परिशोधित

वस्तु	मात्रक	दिल्ली			जयपुर		
		दिस० 80	जून 80	दिस०79	दिस०80	जून०80	दिस०79
1	2	10	11	12	13	14	15
1. चावल	किग्रा०	2.50 (मो०)	2.40 (मो०)	2.20 (मो०)	2.50 (मो०)	2.25 (मो०)	2.00 (मो०)
2. गेहूं (सफेद)	किग्रा०	2.00	1.70	1.75	1.80	1.55	1.90
3. अरहर (दाल)	किग्रा०	4.80	4.00	4.60	5.25	4.50	4.60

1	2	10	11	12	13	14	15
4. मूंग (दाल)	किग्रा०	5.50	5.80	4.80	5.50	5.60	4.80
5. मसूर (दाल)	किग्रा०	5.80	4.20	3.60	5.50	4.00	3.50
6. उड़द (दाल)	किग्रा०	5.00	4.60	4.80	4.50	4.20	4.00
7. मूंगफली का तेल	किग्रा०	12.50	12.00	11.50	11.60	11.40	10.50
8. सरसों का तेल	किग्रा०	14.00	12.60	11.40	15.00	14.40	11.80
9. वनस्पति	किग्रा०	11.50	11.60	11.40	11.90	11.80	12.50
10. चीनी	किग्रा०	7.60	6.70	5.00	7.20	6.50	4.60
11. चाय	किग्रा०	दा० न०	दा० न०	दा० न०	22.00	22.00	22.00
12. टाटा साबुन 501	प्रति बार	दा० न०	दा० न०	दा० न०	दा० न०	दा० न०	दा० न०
13. लाइफबॉय साबुन	प्रति बट्टी	1.90	1.85	1.60	2.00	1.90	1.60
14. टूथपेस्ट	प्रतिट्यूब	3.50	3.80	3.75	6.50	6.50	5.45
15. लांग क्लाथ	प्रति मीटर	11.70 (कि०)	9.35	9.35	7.75	7.10	दा० न०
16. आलू	प्रति किलो०	1.20	2.00	1.00	1.00	1.60	1.00
17. प्याज	प्रति किलो०	1.00	0.80	4.00	1.00	0.50	4.00
18. मिट्टी का तेल	प्रति लीटर	1.54	1.54	1.54	1.57	1.57	1.54

मो० = मोटा/दा० न० = दाम नहीं दिए गये हैं

कि० = किस्म में परिवर्तन

वस्तु	मात्रक	मद्रास		
		दिस०, 80	जून, 80	दिसंबर, 79
1	2	16	17	18
1. चावल	किलोग्राम	2.50	2.10*	2.10* (मो०)
2. गेहूं (सफेद)	किलोग्राम	2.40	1.70*	1.80*
3. अरहर (दाल)	किलोग्राम	5.60	4.70*	5.30*
4. मूंग (दाल)	किलोग्राम	5.20	दा० न०	5.00*
5. मसूर (दाल)	किलोग्राम	5.25	दा० न०	दा० न०
6. उड़द (दाल)	किलोग्राम	4.50	4.00*	4.30*
7. मूंगफली का तेल	किलोग्राम	12.00	10.20*	दा० न०
8. सरसों का तेल	किलोग्राम	18.50	दा० न०	दा० न०
9. वनस्पति	किलोग्राम	13.50	13.00*	13.00*
10. चीनी	किलोग्राम	7.00	5.45*	5.00*
11. चाय	किलोग्राम	11.30 1/2 कि० ग्रा०	दा० न०	20.00*
12. टाटा साबुन 501	प्रति बार	2.20	दा० न०	1.90*
13. लाइफबॉय साबुन	प्रति बट्टी	1.91	1.90	1.58*

1	2	16	17	18
14. टूथपेस्ट	प्रति ट्यूब	6.25*	6.25*	6.25*
15. लांग क्लाथ	प्रति मीटर	8.30	6.88*	6.86*
16. आलू	प्रति किलो	1.90	2.40*	दा० न०
17. प्याज	प्रति किलो	1.10	1.80*	दा० न०
18. मिट्टी का तेल	प्रति लीटर	1.56	दा० न०	1.63*

*मदुराई के दाम दिये गए हैं।
दा० न० = दाम नहीं दिए गए हैं।
मो० = मोटा

ग्रेट ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा नए इस्पात कारखाने का निर्माण

1628. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख मर्चेन्ट बैंकर्स लिसार्ड ब्रदर्स एन्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा एक नए इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए भारत सरकार को वित्तीय प्रस्तावों का एक "पैकेज" पेश किया गया है जिसके अन्तर्गत चार अलग-अलग देशों के ठेकेदार काम करेंगे, और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : मेसर्स लैजार्ड ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लि० ने ब्रिटेन के मैसर्स डेवी इन्टरनेशनल लि० (जिनका नाम अब डेवी मेके है) के नेतृत्व में एक यूरोपीय कन्सार्शियम का गठन किया है। इस कन्सार्शियम ने भारत में बन्दरगाह पर एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स मैनसमैन डेमाग, रूमानिया के मैसर्स यूजीन-एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कनाडा के मैसर्स मेटकेम और फ्रान्स के मैसर्स कोफरेनसिड से पेशकशें प्राप्त हुई हैं। मोटे तौर पर इन पेशकशों में वित्तीय प्रबन्धों की व्यवस्था है जिससे कारखाने की परिधि में सहायता, आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था, खरीददारों द्वारा उधार देने तथा यूरो-लोन से परियोजना की लागत की पूर्ति की जा सके।

प्राप्त हुई सब पेशकशों की जांच करने, उनका तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यांकन करने और उन पार्टियों के साथ, जिनकी पेशकशें उपयुक्त समझी जायेंगी, आगे बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों की एक अन्तर्मन्त्रालय समिति बनाई गई है। कारखाने में उत्पादित माल का 50 प्रतिशत तक स्वयं खरीदने की भी परिकल्पना की गई है। इस बारे में इस समय और विवरण देना समय पूर्व होगा क्योंकि वित्तीय सहयोग की शर्तें अभी सम्बन्धित पार्टियों के साथ आगे बातचीत करके तय की जानी हैं।

अनुभागाधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

1629. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री अनुभागाधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभागाधिकारियों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने के लिए कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सचिवालय के अनुभागाधिकारियों को प्रथम श्रेणी का अधिकारी बनाए जाने के सम्बन्ध में उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष की एक मांग यह है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी अनुभाग अधिकारियों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जाए भले ही इस ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख कुछ भी क्यों न हो। इस माँग पर विचार करने के लिए विभागीय परिषद् की एक समिति गठित की गई और यह मामला अभी भी इस समिति के विचाराधीन है।

(घ) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को श्रेणी I अधिकारी बनाया जाए। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष की इस आशय की एक मांग पहले से ही है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा का पुनर्निर्माण किया जाए, जिसको विभागीय परिषद् की एक समिति को जाँच करने के लिए भेज दिया गया है। अभ्यावेदन में उठाए गए प्रश्न को भी इस समिति को विचार करने के लिए भेजा जाएगा।

ग्रामीण बैंकों का विकास

1630. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक के नियंत्रण में देश में ग्रामीण बैंकों के विकास का निर्णय किया है और इस कार्य के लिए कुछ धनराशि भी मंजूर की है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : संभवतः, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में उल्लेख है, जिनकी स्थापना मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए की जानी है। ऐसे बैंकों की शेयर पूंजी में, भारत सरकार, प्रायोजक बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा 50:35:15 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक शेयर पूंजी में अंशदान नहीं करता। किन्तु, यह ऐसे बैंकों पर उसी प्रकार का नियंत्रण रखता है जैसा अन्य वाणिज्यिक बैंकों पर। इस

समय देश में ऐसे 88 बैंक कार्य कर रहे हैं। यह निर्णय किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980-85 के दौरान और 105 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाएं। इन बैंकों की शेयर पूंजी में, केन्द्रीय सरकार के अंशदान के रूप में, आयोजना के अन्तर्गत 1312.50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इनामी पर्ची और धन वितरण योजना (निषेध) अधिनियम, 1978 के उल्लंघन में सिंडीकेट बैंक की गड़ियाहाट शाखा (कलकत्ता) के प्रबन्धक का कथित हाथ

1631. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात् सिंडीकेट बैंक की गड़ियाहाट शाखा (कलकत्ता) के प्रबन्धक का इनामी पर्ची और धन वितरण योजना (निषेध) अधिनियम, 1978 का उल्लंघन करके संचित निवेश के काले धन में हेराफेरी करने में गहरा हाथ है;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि एक समय तो उक्त बैंक के पास रु० 27,97,86,065/- (सत्ताईस करोड़ सतानवें लाख छियासी हजार पैंसठ रुपये) की राशि थी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री मुखर्जी नामक एक व्यक्ति द्वारा धन जमा करने, धन निकालने, अन्तरित करने आदि की सारी कार्यवाही उक्त बैंक के प्रबन्धक के सहयोग से बड़े ही नियमित ढंग से की जा रही थी और बैंक ने जानबूझकर जाली खाते रखे हुए थे जो पूरी तौर पर काले धन के खाते थे ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, यह प्रश्न ऐसे मामले से सम्बन्धित हैं, जिसके सम्बन्ध में समादेश न्यायिका, कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथा इस प्रकार यह न्यायाधीन है। इस बीच, 8 जनवरी, 1981 के उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन और आगे जांच-कार्य को स्थगित कर दिया गया है।

राजनयिकों का तस्करी में हाथ

1632. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इन्डियन एक्सप्रेस" दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 में "डिप्लोमेट्स इन्वोल्वड इन स्मगलिंग" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है:

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया है और उक्त गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) उक्त गतिविधियों में कथित आरोप वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कितने मुकदमे लम्बित हैं तथा उक्त व्यक्तियों से जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई है और उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उनके कब्जे से मूल्यवान विदेशी सामान भी जब्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो जब्त किए गए माल का नाम क्या है और प्रत्येक की मात्रा कितनी है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) : सीमा शुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1980 के दौरान तस्करी के तीन मामले पकड़े जिनमें चार विदेशी राजनयिक ग्रस्त थे। इन मामलों में कुल लगभग 12 लाख रुपये मूल्य का माल, जैसे चांदी, कलाई घड़ियां, इलैक्ट्रानिकीय सामान, आदि पकड़ा गया था। इन मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

सरकार ने सम्बन्धित देशों की सरकारों के सहयोग से इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की है और इन सरकारों के साथ इस दृष्टि से गोपनीय सम्पर्क बनाए हुए हैं जिससे विदेशी राजनयिकों द्वारा अपनी हैसियत का दुरुपयोग किए जाने के ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सम्बन्धित देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और सतत सहयोग को देखते हुए, ब्यौरा जाहिर करना उचित नहीं होगा।

हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती

1633. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लगभग तीन चार वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस अनुमति के बावजूद वहां पर अब तक इसकी खेती शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी खेती कब शुरू की जाएगी और ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां इसकी खेती की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकार

ने हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को, राज्य के कृषि विभाग की देखरेख में सरकारी फार्मों में 5 हैक्टेयर से अधिक रकबे पर आजमाइशी आधार पर अफीम की काश्त करने की इजाजत दी है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश को निर्यात परमिट देना

1634. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश से चावल के निर्यात के लिए किन-किन पार्टियों को निर्यात परमिट दिए गए हैं तथा ये परमिट किस देश के लिए दिए गए हैं और इनमें से कौन-कौन सी प्राइवेट पार्टियां हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की सरकारी एजेंसी को भी परमिट दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (ग) : केवल मध्य प्रदेश निर्यात निगम लि०, भोपाल को, जो कि राज्य सरकार द्वारा नामित अभिकरण है फ्रांस को 7,22,20,200 रु० मूल्य के 30,000 मे० टन घटिया चावल का निर्यात करने के लिए 4-2-81 को एक निर्यात लाइसेंस दिया गया है।

मध्यप्रदेश से गैर-बासमती अथवा घटिया चावल के निर्यात के लिए किसी भी निजी पार्टी को कोई निर्यात लाइसेंस नहीं दिया गया है।

डाक लेखन सामग्री छापने के लिए सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना

1635. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक टिकटों आदि की बार-बार होने वाली कमी को रोकने के लिए एक और सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सरकार ने पोस्ट कार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों और उत्कीर्णित लिफाफों को छापने के लिए हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का फैसला किया है ताकि इन मदों के सम्बन्ध में इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड से माचिसों की उत्पाद-शुल्कों की

पट्टियां (बैंडरोलों) और कुछ प्रतिभूति प्रपत्रों (सिक्योरिटी फार्मों) की छपाई का काम हैदराबाद प्रेस को अन्तरित करने का प्रस्ताव है। नए प्रेस की कुल लागत का अनुमान 5.7 करोड़ रुपये का है। आशा है कि प्रेस में 1981 के अन्त से उत्पादन होने लगेगा।

भारतीय औषध फर्मों को विदेशों में यूनिट स्थापित करने की अनुमति

1636. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय फर्मों को विदेशों में अपनी औसत यूनिट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं, और इस मामले में सरकार का निर्णय क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) और (ख) : औषधियों तथा भेषजों के क्षेत्र में विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए जिन भारतीय कम्पनियों को अनुमति दी गई है; उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय कम्पनियां, जिन्हें औषधियों तथा भेषजों के क्षेत्र में विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई है

क्रमांक	भारतीय कम्पनी का नाम	स्थापना का देश	भारतीय इक्विटी 000 रु०	अनुमोदन की तारीख
1.	मै० आर०आई०एम० कैमिकल्स	इण्डोनेशिया	4727	29.7.1976
2.	मै० कीरिन्दा इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०	कीनिया	345	14.6.1976
3.	मै० आर०आई०एम० कैमिकल्स	मलयेशिया	2485	15.9.1976
4.	मै० मैकगा रवीन्द्र लेबोरेटरीज (इण्डिया) लि०	मलयेशिया	2450	26.10.1976
5.	मै० रौविक्सो लैबोरेटरीजलि०	नाइजीरिया	840	18.10.1977
6.	मै० कैमोसाईन प्रा० लि०	तंजानिया	267	22.12.1980

खनिज अयस्क पर से निर्यात शुल्क को हटाये जाने की मांग

1637. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के खनिज अयस्क-निर्यातकों (गोआ मिनेरल और एक्सपोर्टर्स) ने खनिज अयस्क पर से निर्यात शुल्क हटाने की मांग की है ताकि यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी. हाँ ।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय मामले की जांच कर रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व

1638. **श्री जगपालसिंह :**
श्री रशीद मसूद :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री छांगुर राम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में तथा सरकारी उपक्रमों में कुल पदों की तुलना में समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित कितने व्यक्ति इस समय निदेशक आदि के पदों पर नियुक्त हैं, और

(ख) समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व में यदि इनका प्रतिशत कम है तो उसके क्या कारण हैं और उनके उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) । (क) तथा (ख) : संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उच्च कार्यकारी अधिकारियों सहित पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या कितनी है। वांछनीय जानकारी फिलहाल उपलब्ध न होने के कारण एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पटसन के उप-उत्पाद

1639. **श्री डूमरलाल बैठा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन का रेंशा निकाले जाने के बाद पटसन की लकड़ियाँ या तो ईधन के रूप में काम में लाई जाती हैं या नष्ट कर दी जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पटसन की लकड़िया या तो ईंधन के रूप में काम में लाई जाती हैं, या नष्ट कर दी जाती हैं;

(ग) क्या सरकार ने कागज की लुगदी के प्रयोजन या गन पाउडर के लिए एक पदार्थ या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इसकी उपयोगिता की जाँच करवाई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार पटसन की लकड़ियों का श्रेष्ठतर और अधिक उपयोगी कार्यों के लिए उनके उपयोग की जांच करवाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) पटसन की लकड़ी पटसन के उत्पादन से सम्बद्ध कृषिगत कचरा है। सरकार ने पटसन की लकड़ियों आदि पर आधारित छोटे पैमाने की यूनिटों को स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की थी। इस दल ने देखा कि पटसन की लकड़ियां आमतौर पर किसानों द्वारा ईंधन और बाड़ लगाने के काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसने रिपोर्ट दी कि पटसन की लकड़ी से जूटस्टिक पाउडर, रेयन अथवा उच्च किस्म का कागज, सेल्यूलोस पर आधारित विभिन्न रसायन, क्राफ्ट पेपर, हार्ड बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड आदि विनिर्मित किये जा सकते हैं। अध्ययन दल ने यह भी बताया कि जूटस्टिक पाउडर पहले ही बाजार में है परन्तु विस्तार के अनुसार बहुत ही सीमित प्रतीत होते हैं। रेयन तथा उच्च किस्स के कागज के लिए आपेक्षित निवेश लघु उद्योग के क्षेत्र से बाहर हैं। सेल्यूलोस पर आधारित रसायनों के विनिर्माण के लिए सपरिवर्तन प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया गया हैं। क्राफ्ट पेपर के विनिर्माण के लिए प्रक्रिया का वाणिज्यक अर्थ क्षमता का पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया हैं। दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लघु क्षेत्र में, जिसकी वाणिज्यिक अर्थ क्षमता पहले ही प्रमाणित एवं प्रदर्शित हो चुकी है। पटसन की लकड़ियों के परिवर्तन इस्तेमाल के लिये वाणिज्यिक प्रक्रिया नहीं है। कलकत्ता में एक पटसन मिल फैटर्न पैनलों, दीवारों की सजावट, कृत्रिम भीतरी छत, ध्वनि अप्रिक्रिया आदि के इस्तेमाल किये जाने वाले जूट पार्टिकल शेड का विनिर्माण कर रही है।

आर्थिक समिति गठित करना

1640. **श्री सतीश अग्रवाल .**

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक आर्थिक समिति के गठन पर विचार कर रही है जो कि आर्थिक नीति तथा इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य निर्णय करेंगी;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि अधिकारियों तथा गैर

संसद-विज्ञों की यह समिति किस प्रकार कार्य करेंगी जबकि संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक मन्त्रालय का एक मन्त्री होता है जो कि सरकार की आर्थिक नीतियों के बनाने, उनको क्रियान्वययन तथा उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और यदि समिति का गठन हो गया है तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके कार्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी निदेश पद क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) : सरकार इस बारे में विचार करती रही है कि क्या उसे आर्थिक प्रशासन के कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञों का परामर्श लेना चाहिए, किन्तु इसके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं ।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

1641. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य-प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से तथा कितने उद्योग अपनी अधिष्ठापित क्षमता पर काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या वे इस कारण अभी भी घाटे पर चल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनको लाभ कमाने वाले उद्योग बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में अलग-अलग ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) हालांकि मध्यप्रदेश में अनेक उद्यम/एककों का प्रचालन सन्तोषजनक है तथापि कुछ उद्यम/एककों, अर्थात् भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० का कोरबा एकक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० का बेलडिलाडएकक और बर्न स्टेण्डर्ड लि० के तापसह सामग्री एककों में विभिन्न कारणों, जैसे बिजली की कमी तथा कुछ प्रौद्योगिकीय समस्याओं के कारण क्षमता का कम उपयोग हुआ है । इन उद्यमो/एककों में अधिकांशत: क्षमता के उपयोग में कमी के कारण घाटा हुआ है ।

(ग) उद्यमों में क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं । ये प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, जिनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं :—

(1) प्रत्येग उद्यम के तिमाही कार्यनिष्पादन की समीक्षात्मक बैठक के माध्यम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से परिवीक्षण किया जाना;

(2) कुछ चुने हुए उद्यमों के कार्यनिष्पादन के विषय में एक-एक कारखाने का

अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन करना; और

(3) चालू उद्यमों के वित्तीय और वार्षिक कार्यनिष्पादन का आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा आवधिक और नियमित परिवीक्षण किया जाना।

हम आशा करते हैं कि देश की प्रधान मन्त्री होने के नाते आप तत्काल इन उपक्रमों के प्रबन्धकों पर इस बात के लिए जोर देंगी कि वे अपने वायदों को पूरा करते हुए कामगारों की माँग स्वीकार करें तथा ऐसी स्थिति से बचें जहाँ भारत का समस्त श्रमिक वर्ग इस प्रश्न को लेकर भारत सरकार के रवैये के खिलाफ और हड़ताली कामगारों के समर्थन में डट जाएं।

हमें बार-बार यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आज का धरना आपका हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए केवल एक साँकेतिक धरना है।

"एफ०आई०सी०सी०आई० अगेन्स्ट कैडिट कर्बस" शीर्षक समाचार

1642. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1980 के 'बिजनस स्टेन्डर्ड' में 'एफ०आई०सी०सी०आई० अगेन्स्ट केडिट कर्बस' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय व्यापार और उद्योग संघ (फ़ेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री-फिक्की") ने नकद ऋण के सम्बन्ध में कार्यवाही दल द्वारा दी गई रिपोर्ट से सम्बन्धित जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे, वे इस प्रकार हैं :

1. इस नई प्रणाली के अन्तर्गत बैंकिंग क्षेत्र से उद्योग को प्राप्त होने वाली रकमों पर बुरा असर पड़ेगा और उद्योग अधिक उत्पादन करने में समर्थ नहीं होंगे।
2. रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य कामकाज की अवधियों तथा अधिक कामकाज की अवधियों के लिए ऋणकर्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का जायजा लेते समय बैंकों की अलग-अलग सीमाएं निश्चित करनी होंगी तथा स्वीकृत सीमाओं से अधिक तदर्थ अथवा अस्थाई सीमाओं पर भी प्रतिबन्ध लगाना होगा। इस प्रकार का कठोर प्रतिबन्ध वित्त की परिवर्तनशील

आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है जो राज्य व्यापार एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली अनियमित पूर्ति, आयातों अथवा निर्यातों के लदान में होने वाली अनिश्चितताओं, कृषि प्रधान कच्चे माल के उत्पादन में घट-बढ़ तथा मूल्यों में होने वाली वृद्धि के कारण माल सूची में होने वाली घटबढ़ पर निर्भर होती है ।

3. टंडन रिपोर्ट के बाद से उद्योग को वित्तीय कठिनाइयां होती रही हैं और वह सरकारी निकायों द्वारा प्रायः स्वयं पैदा की जाने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहा है । हालांकि रिपोर्ट में लचीलेपन की व्यवस्था थी, फिर भी बैंकों ने सिफारिशों का शब्दशः कार्यान्वयन किया जिससे कई मामलों में उत्पादन तथा निर्यातकों पर बुरा असर पड़ा ।

उपर्युक्त मुद्दों के सम्बन्ध में क्रमवार स्थिति इस प्रकार है :

1. चोरे समिति द्वारा, ऋण प्रदान करने की प्रणाली में संशोधन करने का मूल उद्देश्य यह था कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के मध्यम और बड़े ऋणकर्ताओं की बैंक वित्त पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसके साथ ही इस बात की भी सावधानी बरती गई है कि इस प्रकार के ऋण-कर्ताओं की आवश्यकता पर आधारित कार्यवाही पूंजी की आवश्यक रकमो को बैंकों द्वारा पूरा किया जाएगा । चोरे समिति द्वारा प्रस्तावित ऋण प्रदान करने की नई व्यवस्था के अनुसार ऋणकर्ताओं को कार्यकारी पूंजी के लिए उत्पादन के अनुमानित स्तर के लिए अपनी चालू परि-सम्पत्ति के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर की रकम जुटाना होगा। यदि कोई ऋणकर्ता इस शर्त को तत्काल पूरा करने की स्थिति में हो, तो ऋणकर्ता द्वारा उपभोग की जा रही आवश्यकता पर आधारित वर्तमान ऋण सीमाओं में कोई कमी नहीं की जाएगी और ऋणकर्ता को अनुमत-ऋण सीमाओं से अधिक के ऋणों को अलग रखा जाना चाहिए तथा उसे कार्य-कारी पूंजी सम्बन्धी सावधिक ऋण (का०यू०स० ऋ०) मानना चाहिए, जिसकी वापसी अदायगी एक निश्चित अवधि के अन्दर, जो 5 वर्षों से अधिक न हो, छमाही किस्तों में की जानी चाहिए । इस प्रकार चोरे समिति की सिफारिशों का कार्यन्वयन किए जाने के तुरन्त बाद कार्यकारी पूंजी की सीमाओं में कोई कटौती नहीं होगी । ऋणकर्ताओं को नई ऋण व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया जाना है । उत्पादन की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के ऋण कर्ताओं को यथावश्यक अतिरिक्त सीमाएं भी मंजूर की जा सकती हैं परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके वर्तमान कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी सावधि ऋण के अंश में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और वे

अतिरिक्त उत्पादन के प्रयोजन के लिए समानुपातिक अतिरिक्त अंशदान जुटाएंगे ।

2. सभी मामलों में अधिक काम काज के मौसम और कम कामकाज के मौसम के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है । इस प्रकार की सीमाएं केवल उन्हीं मामलों में निश्चित की जानी है जहां संभव हो अर्थात् जहां सीमाओं के उपभोग में स्पष्टतः मौसमी घटबढ़ दिखाई पड़े । स्वीकृत सीमाओं से अधिक तदर्थ/अस्थाई सीमाओं के सम्बन्ध में यह मंशा नहीं है कि ऋणकर्ताओं की युक्ति-संगत अतिरिक्त ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने से इन्कार कर दिया जाए । युक्तिसंगत मामलों में ऋणकर्ताओं को इस प्रकार की तदर्थ सीमाओं के बारे में अपने बैंकरों को विश्वास दिलाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

3. सामान्यतः यह राय कायम करना सही नहीं है कि टंडन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप उद्योग को वित्तीय कठिनाइयां होती रही है । टंडन समिति ने बैंक ऋण को आवश्यकता पर आधारित करके, कार्यकारी पूंजी के उपयोग में अनुशासन तथा सुधार किया है। इस समिति द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न मानदंडों की भारतीय रिजर्व बैंक बराबर समीक्षा करता है और बैंकों को यह छूट दी गई है कि यदि वे संतुष्ट हों तो वे निर्धारित मानदंड में परिवर्तन कर सकते हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में चलाए जा रहे उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारी

1643. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में चलाए जा रहे उद्योगों में कार्य कर रहे स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनकी स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के ब्यौरे से हैं । केन्द्रीय सरकारी पद्धति की भाँति सभी सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों का आवश्यक रूप से स्थाई या अस्थायी श्रेणियों में वर्गीकरण नहीं किया जाता है । कुल कर्मचारियों का स्थायी एवं अस्थायी श्रेणियों में विवरण उपलब्ध नहीं है, तथापि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल कर्मचारियों का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के कुल कर्मचारियों का राज्यवार विवरण

आंध्र प्रदेश	66,256
असम	28,821
बिहार	4,19,486
गुजरात	39,987
हरियाणा	8,702
हिमाचल प्रदेश	10,380
जम्मू एवं कश्मीर	1,414
कर्नाटक	1,13,217
केरल	25 886
मध्यप्रदेश	2,35,369
महाराष्ट्र	1,48,375
उड़ीसा	61,232
पंजाब	8,085
राजस्थान	30,132
तमिलनाडु	64,019
उत्तर प्रदेश	67,449
पश्चिम बंगाल	3,61,421
अन्य राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश	81,187
दिल्ली	70,400
गोआ	1,664
अवर्गीकृत	1,00,247
जोड़	18,73,729

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की मांगों पर समझौता

1644. श्री समर मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को छः मुख्य ट्रेड यूनियनों की केन्द्रीय समिति के सदस्यों से एक संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस ज्ञापन में क्या मुद्दे उठाए गए हैं, और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा श्रमिकों की इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय छः प्रमुख ट्रेड यूनियनों की केन्द्रीय समिति द्वारा लिखित पत्र से है। उक्त पत्र की प्रतिलिपी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कामगारों की मांगों पर विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है। कामगारों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। प्रबन्धकों ने कामगारों से अपील की है कि वे इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लें और काम पर लौट आएं।

विवरण

छः मुख्य ट्रेड यूनियनों की केन्द्रीय समिति के सदस्यों द्वारा प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सम्बोधित दिनाँक 31-1-1981 के पत्र की प्रतिलिपि।

जैसाकि आप भली भांति जानती हैं कि छः केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन अर्थात केन्द्रीय औद्योगिक श्रमिक संघ (सिटु), हिन्द मजदूर सभा, अखिल भारतीय श्रमिक संघ (एटक), भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ (इंटक), संयुक्त श्रमिक संघ (यूटक) और भारतीय मजदूर सभा से सम्बद्ध यूनियनें बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उन 125000 कामगारों, जो अब पिछले पांच हफ्ते से अधिक समय से हड़ताल पर हैं के साथ मिलकर आज 30 जनवरी, 1981 को एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं।

हम, इन केन्द्रीय संगठनों के कार्यकर्ता और सदस्य आज आपके निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठकर यह चाहते हैं कि आप खुद इस हड़ताल का निपटान करें।

कर्नाटक सरकार द्वारा इन उपक्रमों में हड़ताल को दबाने और हड़तालो कामगारों का मनोबल गिराने के लिए दमन चक्र चलाये जाने जिसमें पुलिस की गोलियों से तीन कामगारों के मारे जाने पर भी इन उपक्रमों में पूर्ण हड़ताल है और यह शान्तिपूर्वक है। हड़तालो कामगारों की पूर्णतः औचित्यपूर्ण मांग के प्रति भारत सरकार के कठोर रवैये से हमें आघात पहुंचा है; अर्थात सरकार को अपने वायदे पूरे करने चाहिए और 1978 में किए गए समझौते लागू करने चाहिए। सरकार द्वारा अपने ही करारे के प्रति यह निन्दनीय पद्धति अपनाने अथवा हड़तालो कामगारों को हड़ताल छोड़ने के लिए दमनचक्र चलाने का उद्देश्य हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है।

इस हड़ताल के लिए यदि कोई पूर्णतः जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों के अलावा और कोई नहीं हो सकता, जो कि सीधे भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं।

हमें विश्वास है कि सरकार के इस रवैये से ऐसी स्थिति उभर सकती है जिससे

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भारी क्षति उठानी पड़े और इसीलिए हमारा यह प्रयास है कि यह मामला आप अपने हाथ में ले लें।

तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा इस्पात संयंत्रों को जारी लाइसेंस

1645. **श्री के०टी० कोसलराम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अब तक कितने वायर ड्राईंग जैसे तथा अन्य इस्पात एककों को लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनकी विभिन्न इस्पात मदों की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) ऐसे एककों की संख्या क्या है और वायर राड आदि जैसे कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बंद पड़े हैं; और

(ग) जिन एककों को लाइसेंस जारी किए हैं उन्हें ऐसे आधारभूत कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय उद्योग मंत्रालय के अधीन है। संभवतः माननीय सदस्य संगठित क्षेत्र की वायर-ड्राईंग इकाइयों के बारे में जानकारी चाहते हैं। संगठित क्षेत्र में 71 वायर-ड्राईंग इकाइयों को लाइसेंस दिए गए हैं। इन इकाइयों की वार्षिक लाइसेंसीकृत क्षमता 755.79 हजार टन है। इनमें से दो इकाइयां, जिनकी वार्षिक क्षमता 610 टन है, अभी चालू नहीं हुई है।

(ख) मात्र वायर-राड की कमी के कारण किसी भी इकाई के बन्द होने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) वायर-ड्राईंग इकाइयों को उनके आयात आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर वायर राड का आयात करने की अनुमति दी गई है।

काजू कारखाने में कच्चे काजू की कमी

1646. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में काजू के कारखाने कच्चे काजू की कमी के कारण वर्ष में अधिकांश समय तक काम नहीं करते; और

(ख) कारखानों को कच्चे काजू की सप्लाई करने लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) कच्चे काजू की कमी के कारण, देश के प्रोसेसिंग यूनिट वर्ष में केवल कुछ समय तक ही काम कर सकते हैं।

(ख) भारतीय काजू निगम प्रोसेसिंग के लिए कच्चे काजू का आयात बढ़ाने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयास कर रहा है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान द्वारा विशाखापत्तनम और बिहार में कारखानों की स्थापना

1647. **श्री दौलतराम सारन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान द्वारा विशाखापत्तनम और टुन्डू (बिहार) में जिंक से चाँदी निकालने के कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) इन कारखानों पर कितनी पूंजी लगाई जाएगी और इन कारखानों में उत्पादन कब शुरू होगा और उनमें कितनी चाँदी का उत्पादन होगा; और

(ग) इन कारखानों में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड इस समय विशाखापत्तनम में जस्ता सान्द्रों से चाँदी निकालने के लिए 2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर चांदी अधिप्राप्ति संयंत्र लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। योजना के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद ही चाँदी उत्पादन क्षमता रोजगार क्षमता और उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख के ब्यौरे ज्ञात हो सकेंगे :

टुन्डू, बिहार में इस प्रकार की सुविधाएं जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि टुन्डू में जस्ते का उत्पादन नही होता।

मन्त्रियों द्वारा विदेशों के दौरे

1648. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलैन्डर वर्ष 1980 में प्रत्येक मंत्री ने विदेशों के कितने दौरे किए;

(ख) इन दौरों का उद्देश्य क्या था;

(ग) इनमें से प्रत्येक दौरे पर कुल कितना खर्च किया गया और उस व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के कुशल कार्यकरण के लिए ये सभी दौरे अनिवार्य थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) मंत्रीगण विदेशों का दौरा सरकारी खर्चे पर केवल उसी स्थिति में करते हैं जब ऐसा करना लोक हित में होता है ।

लोकोमोटिव का आयात

1649. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने हाल ही में 650 हार्स पावर के 50 लोकोमोटिव और 1400 हार्स पावर के 29 लोकोमोटिव का आयात करने के लिए विश्व भर से टेंडर मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई टेंडर स्वीकार किया गया है और इसके मूल्य, तकनीक तथा डिलीवरी अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में ही लोकोमोटिव निर्माता हैं जिन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1980 के दौरान कितने लोकोमोटिव आयात किए गए थे और 1981 और 1982 के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) मीडियम हार्स पावर (600-700 एच० पी०) के डीजल इलेक्ट्रिक के 43 इंजनों (इनमें टिस्को के लिए दो इन्जन भी शामिल है) की सप्लाई के लिए अमरीका की मेसर्स जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को एक आशय-पत्र दिया गया है बशर्ते कि भारत सरकार इसे अनुमोदित कर दे । प्रत्येक इंजन का जहाज तक निष्प्रभार आधार मूल्य 4,23,100 अमरीकी डालर है । इनकी सुपुर्दगी प्रति सप्ताह एक इंजन की दर से जून, 1981 से आरंभ होनी है । सप्लाई किए जाने वाले इंजनों में डीजल इलेक्ट्रिक तकनीक अपनाई जाएगी । जहां तक अधिक हार्स पावर (1400 एच० पी०) के डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों का संबन्ध है इनके लिए की गई पेशकशों पर सेल में विचार किया जा रहा है ।

(ग) रेलवे ने, जो देश में इंजनों के मुख्य निर्माता है, 1981-82 तक मीडियम हार्स पावर के डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों की सेल की आवश्यकताओं पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । मेसर्स जेसप्स और मेसर्स सूरी एण्ड नय्यर, जिन्होंने एन० आई० टी० के आधार पर अपने टेंडर भेजे थे, मीडियम हार्स पावर के (600-700 एच० पी०)

इन्जन नहीं बनाते हैं। अतः सेल ने अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें उपयुक्त नहीं समझा। लेकिन सप्लाई के देशीय स्रोत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए परीक्षण के तौर पर आर्डर देने पर विचार किया जा रहा है बशर्ते कि सेल की सन्तुष्टि के अनुसार करार की शर्तें तय हो जाय।

(घ) वर्ष 1980 में कोई इन्जन आयात नहीं किया गया था। वर्ष 1981 और 1982 की अवधि में क्रमशः 43 और 29 इन्जनों की आवश्यकता होने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पूर्तिकर्ताओं को अदायगी

1650. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योग पूर्तिकर्ताओं को समय पर अदायगी नहीं करते हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अदायगी में विलम्ब के कारण ब्याज की एक बहुत बड़ी राशि की अदायगी करनी पड़ती है, और यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंहसिसोदिया) : (क) और (ख) : सरकारी उद्यमों द्वारा की गई खरीद के लिए यथा समय भुगतान करने का दायित्व उद्यमों के प्रबन्धकों को सौंपा गया है। किन्तु सरकार इस तर्क को सही नहीं मानती कि अनेक सरकारी उद्यम पूर्तिकर्ताओं को समय पर अदायगी नहीं करते और अदायगी में विलम्ब होने के कारण ब्याज की एक बहुत बड़ी राशि की अदायगी करनी पड़ती है।

गुजरात में जी०आई०आई०सी० द्वारा प्लेनेट्री मिल प्रोजेक्ट की स्थापना

1651. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जी०आई०आई०सी० द्वारा प्लेनेटरी मिल प्रोजेक्ट की स्थापना किए जाने की सिफारिश की है; यदि हां, तो यह कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी; और

(ख) क्या स्पंज लौह परियोजना के लिए भी कोई मांग की गई है और यदि हां, तो यह मांग कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) प्लेनेटरी मिल प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए मैसर्स गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (जी०आई०आई०सी०) को 17.2.1981 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ख) जी, हां। मैसर्स जी०आई०आई०सी० ने गुजरात में स्पंज आयरन का एक कारखाना लगाने हेतु एक आवेदन दिया है। इस समय योजना आयोग तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कर रहा है और इसके पूरा हो जाने पर निर्णय ले लिया जाएगा।

त्रिपुरा में इस्पात डिपो की स्थापना

1652. **श्री अजय विश्वास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में इस्पात डिपो की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी स्थापना कब होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) धर्मनगर में एक स्टाकयार्ड खोलने के लिए सेल इस समय त्रिपुरा राज्य सरकार के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस स्टाकयार्ड का खोला जाना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं सहित भूमि उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मशीनों को क्षति

1653. **श्री निरेन घोष :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि घटिया किस्म के कोकिंग कोल की सप्लाई के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मशीनों को क्षति पहुंच रही है और धमन भट्ठियों की उत्पादन क्षमता भी कम हो रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को सप्लाई किया गया घटिया किस्म का कोयला उन कारणों में से एक कारण है जिनकी वजह से उत्पादन में कमी हुई है तथा धमन भट्ठियों का कार्यकरण अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इस वजह से उपस्कर को हानि होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

इस स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं। कोककर कोयले की क्वालिटी में वांछित स्तर तक सुधार करने के लिए कोयला उत्पादन अभिकरणों से राख की मात्रा पर नियंत्रण रखने को कहा गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा अपनी कोयला शोधनशाला में कच्चे कोयले को साफ करने के प्रयत्न में भी तेजी लाई गई

है ताकि डिजाइन की तुलना में राख की मात्रा में अधिक कमी की जा सके। इसके अलावा कोक के उपयोग में कटौती करने की योजना आरम्भ की गई है ताकि कोक के उपयोग में कमी की जा सके तथा धमन भट्टी की उत्पादिता में वृद्धि की जा सके।

तम्बाकू से प्राप्त होने वाला वार्षिक राजस्व

1654. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तम्बाकू से प्राप्त होने वाले वार्षिक राजस्व का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) अनिर्मित तम्बाकू को 1 मार्च, 1979 से उत्पादन शुल्क से छूट मिली हुई है। वर्ष 1980-81 के लिए निर्मित तम्बाकू के विभिन्न उत्पादों से प्राप्त होने वाले राजस्व सम्बन्धी बजट-अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

उत्पाद का नाम	राजस्व (करोड़ रुपयों में)
सिगार और चुरूट	0.04
सिगरेट	639.96
बीड़ियाँ	113.42
धूम्रपान मिश्रण	1.29
खैनी तम्बाकू	20.79
नसवार	5.15
हुक्का तम्बाकू	0.46

शहरी जनसंख्या के कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण गरीब लोगों के लिए बचत-प्रधान बीमा

1655. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम को शहरी जनसंख्या के कमजोर वर्गों और ग्रामीण गरीब लोगों के लिए बचत-प्रधान बीमा करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान आल इण्डिया फेडरेशन आफ बैंक आफिसर्स एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन के बीमा पालिसियों के बदले बैंकों से सम्बद्ध बीमा योजनाओं के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बैंकों से सम्बद्ध सामूहिक बीमा योजना लागू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हाँ। कठिनाई इस कारण पैदा होती है कि जिन व्यक्तियों की नियमित आय नहीं होती और जिनके बचत करने की क्षमता कम है ऐसे व्यक्ति बचत-प्रधान जीवन बीमा स्कीमों का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं।

(ख) सरकार का ध्यान आल इन्डिया कन्फैडरेशन आफ बैंक आफिसर्स संगठनों के "सबके लिए अनुदान से सम्बद्ध बीमा" शीर्षक से निकाले गए लेख की ओर दिलाया गया है, जिसका विषय बैंक से सम्बद्ध बीमा था।

(ग) इस लेख पर विचार किया जा रहा है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अंडमान और निकोबार की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सस्ती विमान यात्रा

1656. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन के विकास के लिए और अंडमान में पर्यटन उद्योग की सम्भावनाओं के बेहतर उपयोग के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं तथा सरकार उन पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इन द्वीपों के लिए आने-जाने की सस्ती विमान यात्रा की सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पोर्ट ब्लेयर में एक यूथ होस्टल के निर्माण के लिए 13.80 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। निर्माण-कार्य प्रगति पर है। विभाग का 25 सीटों वाली एक मोटर लांच खरीदने का भी प्रस्ताव है, बशर्ते धन राशि उपलब्ध हो, जो पर्यटकों को कुछ द्वीपों के परिभ्रमण के लिए पोर्ट ब्लेयर से चला करेगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के लिए मार्च 1981 में द्वीप प्रशासन से परामर्श करते हुए अंडमान द्वीपसमूह में पर्यटन विकास का एक ब्लू-प्रिंट तैयार करने का प्रस्ताव है।

प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण निकोबार द्वीप समूह में विकास के लिए कोई भी पर्यटन स्कीमें विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा 21-10-1980 से कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर-कलकत्ता के बीच एक फैमलि ट्रैवल स्कीम प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत उपर्युक्त सेक्टरों पर यात्रा कर रहे किसी एक परिवार के कम से कम दो सदस्यों को रियायती किराए का लाभ उठाने की अनुमति है, जो कि 580 रुपए और इंधन अधिभार के रूप में इसमें 157 रुपए जोड़ते हुए अर्थात ईंधन अधिभार को शामिल करते हुए 829 रुपए के सामान्य किराए की तुलना में 737 रुपए हैं।

फ्रांस की सरकार के सहयोग से एल्यूमिनियम परियोजना

1657. **श्री बापू साहिब पल्लेकर** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में एक एल्यूमिनियम परियोजना फ्रांस की सरकार या फ्रांस स्थित किसी कंपनी के सहयोग से शुरू करने का निर्णय किया है और यदि हाँ, तो सहयोग की शर्तों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना में सरकार कितनी पूंजी लगाने को सहमत हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जी हां; सरकार ने फ्रांस की एल्यूमिनियम पेशी ने (ए०पी०) के तकनीकी सहयोग से उड़ीसा में एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स स्थापित करने का फैसला किया है। परियोजना में, पंचपटमाली में 2.4 मि० टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की एक बाक्साइट खान, दायनजोडी में 8 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक एल्यूमिना संयंत्र, तालचेर में 2,18,000 टन वार्षिक धातु उत्पादन क्षमता का एक एल्यूमिनियम प्रद्रावक और एल्यूमिनियम स्मेल्टर को 400 मेघावाट बिजली की निश्चित सप्लाई हेतु तालचेर में ही एक ग्रहीत बिजली घर की स्थापना तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

ए०पी० तकनीकी पेटेंट, आधारभूत इन्जीनियरी सप्लाई करेगी तथा भारत में ही निर्माण और परिचालन परीक्षणों की निगरानी सहित तकनीकी सेवाएं भी मुहैया करेगी।

परियोजना की स्वीकृत पूंजी लागत 1242.4 करोड़ रुपए है।

जयपुर-अजमेर-चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के लिए विमान/रेल लिन्क

1659. **श्री भीखाभाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से पर्यटक अभिरूचि के महत्वपूर्ण स्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन स्थलों को विमान सेवा अथवा

सुपर-फास्ट गाड़ियाँ चलाकर रेल द्वारा जोड़ने का अथवा जोड़ने के लिए सिफारिश करने का है; और

(ग) क्या सरकार ने और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के विचार से इन स्थानों को तीव्र गति के परिवहन से जोड़ने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आजकल जयपुर और उदयपुर के लिए इंडियन एयरलाइन्ज वायु सेवाएं परिचालित करता है जहां से अजमेर और चित्तौड़गढ़ तक आसानी से रेल अथवा सड़क द्वारा पहुंचा जा सकता है ।

जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जैसे राजस्थान के महत्वपूर्ण शहर पहले से ही तेज रफ्तार वाली रेल-सेवाओं से जुड़े हैं ।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद शुल्क

1660. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काला-बाजारी और काला-धन जमा करने की रोकथाम के लिए बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद शुल्क लगाने के महत्वपूर्ण उपाय को राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन महीनों में और क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए बिक्री से छूट पाने वाली मदों की सूची में और कौन-कौन सी मदों को शामिल किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) दिनांक 16 और 17 सितम्बर 1980 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय का भी संकल्प पारित किया गया था कि :

(क) हाथी समिति द्वारा सूची-बद्ध जीवन रक्षक औषधियों और वनस्पति पर लगने वाले बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाय और राज्यों के वर्तमान तथा भावी तर्कसंगत राजस्व हितों की रक्षा के लिए तदर्थ उपयुक्त रीति निर्धारित की जाए;

(ख) (एक) वस्तुओं की जिस सूची पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना लागू करनी है उसमें वृद्धि करने और (दो) घोषित वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य मन्त्रियों की एक नामिका तैयार की जाए ।

तदनन्तर, वित्त मंत्रालय में मामले की समीक्षा की गई और

वनस्पति, भेषज तथा औषधों, सीमेण्ट, कागज तथा गत्ते और पैट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया । इस प्रस्ताव पर, 15-2-1981 को मुख्य मंत्री-सम्मेलन में विचार किया गया। केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि प्रस्तावित योजना को कुछ ऐसे ढंग से तैयार करके लागू किया जाएगा कि उन वस्तुओं से राज्यों के वर्तमान तथा भावी राजस्व हितों की रक्षा हो सके, सम्मेलन ने निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किए :

1. पूर्वोक्त प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों और उस पद्धति का अध्ययन करने के लिए कि जिससे राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा की जा सके, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसका अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने योग्य कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो और जिसके सदस्य एक अर्थशास्त्री और एक प्रशासक हो;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, अपने कार्य के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यथावश्यक सूचना मांग सकती है और समिति अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देगी;

3. समिति की रिपोर्ट, समुचित विचार करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए मुख्य मन्त्री सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।

पश्चिम बंगाल, केरल तथा जम्मू और कश्मीर राज्य, सिद्धान्ततः इस संकल्प से सहमत नहीं हुए हैं।

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण आवास सम्बन्धी प्रपत्र का अध्ययन

1661. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण आवास सम्बन्धी प्रपत्र का रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है जिनमें यह कहा गया है कि प्रमुख संस्थागत एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध किए गए 800 करोड़ के आवास वित्त में से लगभग सारी की सारी राशि का लाभ नगरीय क्षेत्रों को पहुंचा है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए असल में कुछ भी नहीं किया गया है;

(ख) : यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) : ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) **और** (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक के एक अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किया गया "हाउसेज फार दी रुरल पूअर" (ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान) शीर्षक लेख में, जो कि "रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ओकेजनल पेपर्स" खण्ड 1 संख्या 2, दिसम्बर, 1980 में प्रकाशित हुआ है यह कहा गया है कि "1978 तक प्रमुख संस्थागत ऋण अभिकरणों द्वारा दिए गए आवास वित्त की कुल राशि 750-से-800 करोड़ रुपए के बीच थी। लगभग इस पूरी राशि से शहरी क्षेत्रों को लाभ हुआ।" यह लेख एक अध्ययन पर आधारित है और इसमें अभिव्यक्त विचार अनिवार्यतः भारतीय रिजर्व बैंक या इसके केन्द्रीय निदेशक मण्डल या इस लेख को प्रकाशित करने वाली सम्पादन समिति के नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह निष्कर्ष कि आवास के लिए लगभग सारे संस्थागत ऋण का लाभ शहरी क्षेत्रों को मिला, वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए आवास वित्त विषयक किन्हीं उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

आवास के लिए दिए गए बैंक वित्त का अधिकांश "हुडकों" और राज्य आवासों बोर्डों को ऋणों और गारन्टी शुदा बांडों और डिबेंचरों को अंशदान के रूप में होता है। संस्थागत वित्त के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जाने के बारे में अलग-अलग आँकड़े वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) : "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" में ग्रामीण भूमि हीन मजदूरों को मकानों के स्थान और मकान बनाने के लिए सहायता को ऊंची प्राथमिकता दी गयी है। छठी पंच वर्षीय योजना में यह प्रस्ताव है कि उन सभी भूमिहिन किसानों को जिन्हें अब तक मकानों के प्लाट नहीं मिले हैं, मकानों के प्लाट उपलब्ध करा दिए जाएं और जिन्हें अब तक मकान बनाने के लिए सहायता नहीं दी गयी है उनमें से लगभग 25 प्रतिशत को भवन निर्माण सहायता प्रदान कर दी जाए।

बिहार में बाक्साइट निक्षेप

1662. **श्रीमती कृष्ण साही** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में करोड़ों रुपए के मूल्य के बाक्साइट के भारी निक्षेप का पता लगा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी सुरक्षा तथा विकास के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : रांची, पलामू, मुंगेर और शाहाबाद जिलों के विभिन्न स्थानों में लगभग 37 से 66 प्रतिशत एल्यूमिना और 5 से 11 प्रतिशत से कम सिलिका वाले कुल 85.46 मि० टन बाक्साइट भंडारों

का अनुमान लगाया गया है। संथाल-परगना जिले में भी कुछ बाक्साइट युक्त परतों का पता चला है।

(ख) : बिहार में उस राज्य के बाक्साइट भंडारों पर आधारित एल्यूमिना/एल्यूमिनियम परियोजना शुरू करने की कोई स्कीम इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

1980-81 के दौरान तम्बाकू का निर्यात

1663. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) . 1980-81 के दौरान कितना तथा कितने रूपयों के मूल्य में तम्बाकू का देशवार निर्यात किया गया;

(ख) . इस अवधि में तम्बाकू के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ग) . किस दर से निर्यात शुल्क लगाया गया तथा इससे कितना निर्यात शुल्क प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : 1980-81 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान मात्रा तथा मूल्य सहित तम्बाकू के देश-वार निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1980-81 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान विभिन्न अधिनियमों के अंतगर्त अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात पर लगाए गए शुल्क की दरें और उनसे एकत्रित राशि नीचे दी गई हैं :—

अधिनियम, जिसके अन्तर्गत शुल्क लगाया जाता है।	लगाये गये शुल्क की दर	1980-81 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान एकत्रित शुल्क की राशि (लाख रु० में)
सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975	75 पैसे प्रति किग्रा अथवा एफ० ओ० बी० मूल्य का 20 प्रतिशत जो भी कम हो।	503.30
तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975	1/2 प्रतिशत यथा-मूल्य	48.92
कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940	अनिर्मित तम्बाकू के टैरिफ मूल्य पर 1/2 प्रतिशत यथा मूल्य।	40.59

विवरण

1980-81 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के देश-वार निर्यात।

देश का नाम	मात्रा (हजार किग्रा०)	मूल्य (हजार रु०)
1	2	3
ब्रिटेन	15,160	20,49,51
बैल्जियम	441	87,69
फ्रांस	658	40,91
आयरिश गणराज्य	275	64,39
नीदरलैंड्स	508	74,38
स्वीडन	30	3,32
बुल्गारिया	1,265	1,01,90
चैकोस्लोवाकिया	300	51,49
सोवियत संघ	27,296	45,58,13
बहरीर द्वीप समूह	17	1,28
साईप्रस	76	10,54
दुबई	148	24,84
ईराक	1,100	2,57,27
इजराइल	16	4,76
कुवैत	40	3,72
कतार	3	42
दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य	7,479	52,92
सउदी अरब	1,368	87,25
यमन अरब गणराज्य	950	54,26
बंगला देश	140	20,69
चीन	8,963	16,34,74
इंडोनेशिया	25	3,15
जापान	1,925	5,48,53
सिंगापुर	20	3,07
मलेशिया	25	1,53
केमरून	10	56
कांगो	92	4,36
मिस्र	10	55

1	2	3
आइवोरी कोस्ट	130	4,41
सोभालिया	171	9,60
पश्चिमी अफ्रीका	330	23,72
सं० रा० अमेरिका	833	1,05,26
	योग : 63,074	104,95,13

टिप्पणी : उपरोक्त जानकारी तम्बाकू बोर्ड द्वारा संकलित अन्तिम निर्यात आंकड़ों पर आधारित हैं ।

विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1664. **श्री रामजी भाई मवणि :** क्या **वित्त मन्त्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न बैंकों के अनेक कर्मचारियों ने जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के आन्दोलन तथा उनकी मांगों के समर्थन में जनवरी/फरवरी, 1981 के दौरान हड़ताल की थी और प्रदर्शन भी किया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी माँगें क्या थीं;

(घ) उनकी माँगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) अब तक किनी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और क्रियान्वित किया गया है तथा शेष मांगों को कब तक स्वीकार कर लिया जाएगा; और

(च) इस बारे में कि ऐसी हड़तालें तथा आंन्दोलन निकट भविष्य में न हों, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि जनवरी/फरवरी, 1981 में उद्योग में किसी हड़ताल, या उनके कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन अथवा प्रदर्शन की कोई सूचना उन्हें प्राप्त हुई है । लेकिन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुछ कर्मचारियों ने, फरवरी 1981 में विभिन्न स्थानों पर मुख्य रूप से भोजनावकाश/कार्यालय समय के पश्चात् जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया था ।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त प्रदर्शनों के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों ने कोई विशिष्ट मांग नही उठायी, लेकिन वे जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे । इसलिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उनकी माँगें मानने का प्रश्न नहीं उठता ।

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों आदि का सहारा बहुत से कारणों, से लेते हैं जिनमें प्राय: स्थानीय मुद्दे अधिक होते हैं। सरकार तथा बैंकों द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि बैंकों के कर्मचारियों द्वारा देश व्यापी हड़तालों/आंदोलनों/प्रदर्शनों का सहारा न लिया जाए और विवाद के मामलों को आपसी बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए। कर्मचारियों की कुछ मांगें विवाचक-मंडल के सामने है और इन माँगों को हल करने के लिए भारतीय बैंक संघ (इण्डियन बैंकस एसोसिएशन) अखिल भारतीय यूनियनों के साथ-साथ बातचीत की जा रही है। लेकिन, जहां, उक्त प्रयासों के बावजूद कुछ कर्मचारी आंदोलनात्मक तरीके अपनाते हैं तो ऐसे व्यतिक्रमी कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मुख्यालय का दिल्ली से रांची में स्थानान्तरण

1665. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मुख्यालय का दिल्ली से रांची में स्थानांतरण किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लि० के मुख्यालय को रांची स्थानान्तरित करने प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में बातचीत आरम्भ करना

1666. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 29 अक्तूबर, 1980 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के शिष्ट मंडल को केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के बारे में बातचीत आरम्भ करने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत कब की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधि मण्डल 29 अक्तूबर, 1980 को वित्त मंत्री से मिला तो उन्होंने उनको यह बताया कि उत्पादकता पर आधारित बोनस की योजना की मंजूरी के लिए निर्धारित मानदण्ड को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के

किसी भी समूह को उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। किन्तु सामान्य रूप में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस की मंजूरी देने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न एजेंसियों को दी गई होटल परियोजनायें

1667. **श्री गुफरान आजम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम राजधानी में तथा अन्य जगहों पर नई होटल परियोजनायें शुरू करने का इच्छुक नहीं है; और

(ख) यदि नहीं, तो राजधानी तथा अन्य नगरों में नई होटल परियोजना में विभिन्न अन्य ऐजेंसियों को दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम पहले से ही राजधानी में दो होटलों का निर्माण कर रहा है और शीघ्र ही नई दिल्ली में तीसरे होटल के निर्माण का कार्य हाथ में ले लेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान इसका देश के अन्य पर्यटक केन्द्रों पर होटलों के निर्माण का भी कार्यक्रम है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संभावित पर्यटक यातायात की वृद्धि की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त होटल कमरों के बनाने के लिए काफी निधियों की जरुरत पड़ेगी, भारत पर्यटन विकास निगम के लिए अपनी छठी योजना के सीमित परिव्यय से, अकेले इस आवश्यकता की पूर्ति कर पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा देश में पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए भारत पर्यटन विकास निगम अन्य आवश्यक दायित्वों की पूर्ति करता है। अतः निश्चित रूप से यह आवश्यक हैं कि पर्यटकों की होटल-आवास सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्राइवेट सैक्टर में भी होटलों का निर्माण किया जाय।

गुआ में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की रक्षित लोह अयस्क खानों में लोह अयस्क धूलि के भंण्डारों का संग्रह होना

1668. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या पिछले कई वर्षों में गुआ में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की रक्षित लौह-अयस्क खानों में लौह अयस्क धूलि के बड़ी मात्रा में भंण्डार जमा हो गए हैं;

(ख) : क्या इन भंडारों का कोई मूल्य-निर्धारण किया गया है; और

(ग) : क्या इन भण्डारों का निपटान निर्यात द्वारा अथवा लाभप्रद घरेलू उपयोग द्वारा करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : अब तक इस्को की-गुआ स्थित लौह-अयस्क की अपनी खानों पर लगभग 210 लाख टन लौह-अयस्क का चूरा जमा हो गया है ।

(ख) : निश्चित बाजार के अभाव में ऊपर बताए गए लौह-अयस्क के चूरे का कोई मूल्य नहीं लगाया गया है ।

(ग) इस्को द्वारा बर्नपुर के कारखाने में चूरे का उपयोग करने के लिए एक सिन्टर संयंत्र लनाने का प्रस्ताव रखा गया है । चूरे की कुछ मात्रा प्रतिवर्ष बोकारो इस्पात कारखाने को सप्लाई की जा रही है । इस चूरे को खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत निर्यात करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ।

कोकिंग कोयले की माँग और आपूर्ति

1669. **श्री के० मालन्ना** : **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : इस्पात मंत्रालय के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान कोकिंग कोयले की मांग एवं आपूर्ति सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) : क्या यह सच है कि उत्पादन के उच्च मात्रा के अनुमानों के बावजूद कोल इंडिया स्वदेशी कोकिंग कोयले के समाप्त होने वाले भण्डारों को कुछ सीमा तक "बचाये रखने" और बचाव के रूप में लगभग 5 लाख टन कोकिंग कोयले का आयात करने के विरुद्ध नहीं है; और

(ग) : यदि हां, तो सरकार की नीति का इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : **(क) और (ख)** : वर्ष 1981-82 के लिए छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की कोक कर कोयले की कुल आवश्यकता 163.3 लाख टन है बशर्ते कि कोयले में राख की औसतन मात्रा 19 प्रतिशत हो । कोयला विभाग ने बताया है कि कोयले की उपलब्धि 152.8 लाख टन होगी और उसमें राख की औसतन मात्रा 20.5 प्रतिशत होगी । उपलब्धि और मांग में अन्तर को कोककर कोयले का आयात करके पूरा करने का विचार है ।

(ग) : कोककर कोयले की कुल आवश्यकता और देशीय उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने तथा देशीय कोयले में राख की अधिक मात्रा को कोयले का उपयुक्त संमिश्रण तैयार करके कम करने के लिए फिलहाल सरकार वर्षानुवर्ष आधार पर कोककर कोयले का आयात करने की अनुमति दे रही है । योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक विशेषज्ञ समिति दीर्घकालीन आधार पर कोककर कोयले का आयात करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है । इस समिति की सिफारिशें मिल जाने के बाद सरकारी नीति तय की जाएगी ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने का प्रस्ताव

1670. **श्री आर० पी० यादव** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाजों, दालों, खाद्य तेलों, साबुनों तथा डिटरजैन्टों और वनस्पति आदि विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार कुछ और वस्तुओं को उस सूची में मिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) : आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने तथा उनकी उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय किये जा रहे हैं। सरकार की नीति में मुख्य बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर वे जिनकी सप्लाई कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर है। खाने योग्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा एक कार्यवाही योजना बनाई गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निरन्तर मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 1980 में, उचित दर की दुकानों की संख्या में 40,000 की वृद्धि की गई है। पैट्रोलियम पदार्थों, खाद्य तेलों और सीमेंट जैसी कुछ वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, ताकि देश में इनकी सप्लाई बढ़ाई जा सके। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नितमित किया जा रहा है। ऋण नीति प्रतिबंधित बनी हुई है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके तहत जारी किए गये आदेशों और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 को सख्ती से लागू करें। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के कार्य में सुधार लाने के लिए भी प्रयास करना जारी है।

यह भी उल्लेख है कि जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाले पिछले तीन महीनों के दौरान साबुन और अपमार्जकों के थोक मूल्य सूचकांक स्थिर रहें हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और वस्तुएं शामिल करने का कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है

धारक बांडों में निवेशकर्त्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपाय

1671. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक दल के किसी नेता द्वारा 1 फरवरी 1981 को त्रिवेन्द्रम

में लोगों को दी गई उस सलाह की ओर ध्यान दिलाया है कि वे 2 फरवरी, 1981 को स्टेट बैंक आफ इंडिया के सामने खड़े हो जायें और जो लोग वहाँ धारक बांडों में निवेश करने के लिए धन लेकर आयें उनसे धन छीन लें;

(ख) क्या यह सच है कि भय के कारण पहले दिन लोग धारक बांडों में धन निवेश करने के लिए अधिक संख्या में नहीं आये; और

(ग) धारक बांडों में निवेशकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या सुरक्षात्मक उपाय किए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क) : सरकार ने इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : यह प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे माल का न मिलना

1672. **श्री चित्त महाटा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि देश के इस्पात संयंत्रों में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है; और

(ख) : यदि हाँ, तो कच्चे सामान के उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : इस्पात कारखानों में मुख्य रूप से कोककर कोयले, लौह-अयस्क, चूना-पत्थर डोलोमाइट और मैंगनीज-अयस्क जैसे कच्चे माल का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति को छोड़कर जबकि बिजली की अत्याधिक कमी अथवा यातायात सम्बन्धी कठिनइयाँ होती हैं कोककर कोयले को छोड़कर कच्चे माल की आवश्वकताएं पर्याप्त मात्रा में पूरी की जाती हैं। उत्पादन और/अथवा यातायात की कठिनाइयों के कारण इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा सकती है। कोयले के निक्षेपों के प्रकार तथा खानों में अधिक गहरी पर्तों से कोयला निकालने के कारण भी कोयले की क्वालिटी घटिया हो गई है। कोयले की कमी को पूरा करने तथा इस्पात कारखाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले के मिश्रण की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कुछ मात्रा में राख की कम मात्रा वाला कोककर कोयला आयात किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में ईरा सेझियन समिति का प्रतिवेदन

1673. **श्री पी० एम० सईद : श्री आर० के० महालगी : श्री मल खन्ड** निर्यात

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरा सेझियन समिति ने सिफारिश की है कि एक ही प्रकार के सभी सरकारी संस्थानों के लिए एक संयुक्त वेतन आयोग की स्थापना की जाए;

(ख) क्या सरकार ने समिति के प्रतिवेदन को पूर्ण-रूपेण स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या जीवन बीमा निगम में व्याप्त भारी असंतोष और हड़ताल को देखते हुए सरकार सम्पूर्ण मामले पर पुनः विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, हाँ

(ख) : समिति की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। जीवन बीमा निगम के प्रशासनिक और प्रचालन सम्बन्धी स्वीकार्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई आरम्भ कर दी है। सरकार द्वारा निवेश के स्वरूप और संगठनात्मक ढाँचे से सम्बन्धित सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

गुजरात में हवाई अड्डों और टर्मिनल के आधुनिकीकरण के लिए बड़ोदा को शामिल किया जाना

1674. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हवाई अड्डों और टर्मिनलों का आधुनिकीकरण करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यक्रम में बड़ोदा विमान टर्मिनल शामिल है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विमान यात्रियों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ोदा विमान टर्मिनल के विकास और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को स्वीकार करती है क्योंकि बड़ोदा हवाई अड्डे को टर्मिनल के रूप में उपयोगिता समाप्त हो गई है; और

(घ) यदि बड़ोदा विमान टर्मिनल को उक्त कार्यक्रम में शामिल किया गया है तो वहाँ कार्य के कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) : हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी आयोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप परिचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती

है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, राजकोट तथा जामनगर में विकास कार्य पहले से ही चल रहे हैं या आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

बड़ौदा स्थित वर्तमान टर्मिनल भवन के विस्तार/सुधार का कार्य अक्तूबर, 1981 में आरम्भ हो जाने तथा 18 मास में पूरा हो जाने की संभावना है।

कोरापुट उड़ीसा में एल्यूमिना संयंत्र

1675. **श्री के० प्रधानी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार ने किसी कंपनी का चयन किया है;

(ख) क्या यही कंपनी तकनीकी जानकारी प्रदान करेगी;

(ग) इस प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत क्या होगी;

(घ) इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कब तक होने की आशा है; और

(ङ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (भारत सरकार का उपक्रम) उड़ीसा एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलैक्स स्थापित करेगी।

(ख) : जी नहीं। तकनीकी जानकारी फ्रांस के मै०एल्यूमिनियम पेशीने द्वारा दी जाएगी, जिनके साथ 9 जनवरी; 1981 को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० ने एक तकनीकी सहयोग का करार किया है।

(ग) : ग्रहीत बिजली घर सहित परियोजना की कुल लागत 1242.4 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(घ) : कम्पलैक्स की विभिन्न इकाइयों से 1985-86 में उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है और पूर्ण क्षमता उत्पादन एल्यूमिना कारखाने में 1986-87 में तथा एल्यूमिनियम प्रद्रावक में 1987-88 में शुरू हो जाने की आशा है।

(ङ) : परियोजना के अंतर्गत पंचपटमाली में 2.4 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की एक बाक्साइट खान, दामनजोडी में 8 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक एल्यूमिना संयंत्र और तालचेर में 2,18,000 टन वार्षिक धातु उत्पादन क्षमता का एक एल्यूमिनियम प्रद्रावक और एल्यूमिनियम प्रद्रावक को 400 मेगावाट बिजली की निश्चित सप्लाई हेतु तालचेर में ही एक ग्रहीत बिजलीघर लगाने तथा अन्य अवस्थापना सुविधाएं जुटाने का कार्यक्रम है।

राजस्थान जाने वाले पर्यटकों की संख्या

1676. **श्री जयनारायण रौट :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान की यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी नगर वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत की यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़े अखिल-भारतीय आधार पर तैयार किए जाते हैं कि राज्य/शहरवार आधार पर तथापि, 1976-77 में किए गए विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार कुल अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों के 12·97 प्रतिशत द्वारा राजस्थान में जयपुर की यात्रा की गई । जबकि उनके 3.45 प्रतिशत द्वारा राजस्थान में उदयपुर की यात्रा की गई । उस आधार पर, 1980 के दौरान जयपुर और उदयपुर की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या क्रमश: 1.04 लाख और 0·28 लाख थी ।

(ख) पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा आय भी अखिल-भारतीय आधार पर अनुमानित की जाती है न कि राज्य-वार आधार पर । वर्ष 1979 में 384 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय की तुलना में वर्तमान मूल्यों के आधार पर वर्ष 1980 में अन्तिम रूप से 482 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन केन्द्रों का विकास करने की योजना

1677. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ चुने हुए पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए धन का आवंटन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पपर्यटक केन्द्रों पर आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श करते हुए ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं जिनमें वित्तीय खर्च और संसाधनों सम्बन्धी ब्यौरे शामिल हैं ।

सरकार के प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए किए गए उपाय

1678. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान सरकार के सभी विभागों के प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान विभागवार कितनी सफलता मिलने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) किफायत करने और गैर-विकासात्मक व्यय में कटौती करने की आवश्यकता पर गत समय में तथा चालू वित्तीय वर्ष में भी समय-समय पर जोर दिया जाता रहा है। सरकारी व्यय में कमी करने के लिए किए गए उपायों में पदों के सृजन/भरने पर रोक, यात्रा भत्ता और समयोपरि भत्ता जैसे भत्तों का विनियमन और फुटकर व्ययों, स्टाफकारों, टेलीफोनों और अन्य मदों जैसे फर्नीचर की खरीद, सम्मेलनों का आयोजन, सरकारी आतिथ्य सत्कार, पेट्रोल, कागज, बिजली आदि की खपत पर खर्चे में कटौती जैसे उपाय शामिल हैं।

जबकि ये उपाय अपने आप में ही वांछनीय हैं परन्तु ऐसा हो सकता है कि ये पर्याप्त बचत न दे पाएं। इसीलिए सरकार का विचार है कि सही अर्थों में किफायत को केवल स्कीमों/परियोजनाओं का ठीक चयन करके और उनके कुशल कार्यान्वयन द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परियोजनाओं का ठीक चयन मूल्यांकन और कार्यान्वयन द्वारा ही केवल यह सुनिश्चित हो सकेगा कि हम अपने निवेशों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकें। सरकार का यह प्रयास रहा है कि परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा सरकारी व्यय की प्रभावशीलता में उत्तरोत्तर सुधार होता रहे। आर्थिक सहायता भी, जो कि सरकारी खर्च का एक महत्वपूर्ण अंश होती है, समीक्षाधीन रखी जाएं।

(ख) किफायती उपायों के परिणामस्वरूप हुई बचतों को व्यय की किसी प्रारम्भिक यूनिट अथवा किसी अलग उप-शीर्ष में नहीं दर्शाया जाता। इसको ध्यान में रखते हुए 1980-81 के दौरान विभागवार अनुमानित उपलब्धियों की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता।

पान का निर्यात

1679. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पान के निर्यात से गत पचपन वर्षों में कितने विदेशी धन की आय हुई;

(ख) पान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) पान के श्रेष्ठतर विपणन के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार का भावी कार्यक्रम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) गत पाँच वर्षों के दौरान किए गए पान के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	(मूल्य लाख रुपये में)*
1975-76	14
1976-77	23
1977-78	80
1978-79	122
1979-80	31

(अप्रैल 79 से जनवरी 80)

(ख) से (घ) चूंकि पान केवल चबाने के ही काम आता है अतः इसकी निर्यात माँग कम रही है। तथापि इसके निर्यातों में सुधार एवं वृद्धि होने की कुछ सम्भावनाएं प्रतीत होती हैं।

पान का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सेंट्रल अरेकानट मार्कीटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कोआपरेटिव लि० का राज्य व्यापार निगम के सहयोग से अन्य बातो के साथ-साथ संभावित विदेशी बाजारो तथा पान की अधिक लोकप्रिय किस्मों के बाजार में एक बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का विचार है।

ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

1680. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर में अभी तक कितने ग्रामीण बैंक खोले गए हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त ग्रामीण बैंकों के खोले जाने के लिए सरकार द्वारा क्या सामान्य कसौटी अपनाई जाती है; और

(ग) इन बैंकों द्वारा ग्रामीण लोगों को सहायता के लिए क्या मुख्य विशेष योजनाएं पेश की गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) अभी तक देश में 146 जिलों को व्याप्त करते हुए 88 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं। इन बैंकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दर्शाया गया है।

(ख) नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के स्थान का निर्णय सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति की

सिफारिशों पर किया जाता है। समिति द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण के स्थान के निर्धारण के लिए, ये व्यापक मानदण्ड अपनाए गए हैं (1) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा किसी क्षेत्र की अपर्याप्त व्याप्ति (2) छोट/सीमांतिक किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति में ऋण अन्तराल, तथा (3) सहकारिता ऋण ढांचे की स्थिति।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना का उद्देश्य, छोटे/सीमांतिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कम आय वाले अन्य व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं जुटाना है। अपने लाभ प्राप्तकर्ताओं को ये बैंक सरलता से ऋण प्रदान कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए, इन्हें यह सलाह दी गई है कि ये सरलीकृत फार्म और प्रक्रियाएं तथा ऋण की उदार शर्तें अपनाएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारालिए जाने वाले ब्याज की दरें उनके कार्य क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दरों के अनुरूप ही रखी गई है। ग्रामीण बचतों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ये बैंक जमा राशियों पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में आधा प्रतिशत अधिक ब्याज देते हैं। ऋण देने के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक और प्रायोजक बैंक, इन बैंकों को सस्ती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराते हैं।

विवरण

राज्य	स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	व्याप्त जिलों की संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	4	8
2. असम	2	5
3. बिहार	14	22
4. गुजरात	2	2
5. हरियाणा	2	5
6. हिमाचल प्रदेश	1	3
7. जम्मू और कश्मीर	2	8
8. कर्नाटक	4	7
9. केरल	2	3
10. मध्य प्रदेश	10	16
11. महाराष्ट्र	1	4
12. उड़ीसा	8	10
13. राजस्थान	4	8

1	2	3
14. तमिलनाडु	1	2
15. त्रिपुरा	1	3
16. उत्तर प्रदेश	23	26
17. पश्चिम बंगाल	7	14
जोड़	88	146

आंध्र प्रदेश के रायलसीमा ग्रामीण बैंक के कार्य-क्षेत्र के अधीन प्रकासम जिले के दो ताल्लुक शामिल नहीं हैं।

मैसर्स आटो पिन्स इंडिया (रजिस्टर्ड)

1681. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री रतिलाल प्रसाद शर्मा : क्या वित्त मन्त्री मैसर्सेस आटो पिन्स (इंडिया) द्वारा विदेशों में जमा किए गए धन के बारे में 4 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के उन सभी मामलों पर, जो न्याय निर्णयन के अधीन थे, अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के सभी मामलों का न्याय निर्णय 30-11-1978 और 30-6-1979 के आदेशों द्वारा किया गया था।

दिनांक 30-11-1978 के आदेश द्वारा मैसर्स आटो पिन्स (इण्डिया) रजिस्टर्ड और फर्म के प्रबन्धक-भागीदार श्री अवतारसिंह पर, 1,25,000 रु० का समेकित अर्थदंड लगाया गया था। दिनांक 30-6-1979 के आदेश द्वारा मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) रजि० और फर्म के प्रबन्धक-भागीदार श्री अवतारसिंह पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इन पार्टियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड के समक्ष न्याय-निर्णय आदेशों के खिलाफ अपीलें दायर कीं जिसने 30-6-79 को न्याय-निर्णय आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली है। दिनांक 30-11-78 के आदेश से सम्बन्धित अपील, अभी बोर्ड के सामने अनिर्णीत पड़ी है।

बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क में छूट

1682. **श्री नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष 60 लाख से कम बीड़ियाँ बनाने पर बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क में छूट का बीड़ियों के बड़े निर्माताओं द्वारा अपनी क्षमता का बंटवारा करके तथा उत्पादन शुल्क से बचकर दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम मात्रा के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में छूट का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोगों ने मशहूर ब्रांडों की नकली बीड़ियां बनाना आरम्भ कर दिया है जिसके कारण अधिकतर निर्मित हो रही बीड़ियां उत्पादन शुल्क से बच रही हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उत्पादन शुल्क की चोरी को रोकने के लिए तथा नकली बीड़ियों के निर्माण को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ बेईमान विनिर्माता फर्जी लेवल लगाकर बीड़ियों का विनिर्माण कर रहे हैं और उन पर उदग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी कर रहे हैं। इसलिए सभी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे नियंत्रण कड़ा करके ऐसे विनिर्माताओं के खिलाफ उचित निवारण कार्यवाही करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन विनिर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की उचित अदायगी किए बिना बीड़ियों की चोरी-छिपे निकासी नहीं की जाती है ।

व्यापार में घाटा

1683. **श्री नवलकिशोर शर्मा :**
श्री अशोक गहलोत :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी०एम० सईद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेश व्यापार में लगभग 5000 करोड़ रु० का घाटा होने की सम्भावना है ।

(ख) पिछले वर्षों की संगत अवधि के दौरान प्राप्तियों की तुलना में पिछले छः महीनों (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान विदेश व्यापार से होने वाली आय में कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार विदेश व्यापार की आय में वृद्धि करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय कर रही है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) उपलब्ध संकेतों के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान भारत का विदेश व्यापार घाटा 4000 करोड़ रु० से भी अधिक होने की संभावना है ।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1980 के दौरान पिछले दो वर्षों की उसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों सहित भारत के विदेश व्यापार घाटे का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(करोड़ रु०)

	अप्रैल-सितम्बर 1980 (अन्तिम)	अप्रैल-सितम्बर, 1979 अन्तिम	संशोधित	अप्रैल-सितम्बर, 1978 अन्तिम	संशोधित
व्यापार शेष	—2927.26	—790.24	—987.63	—588.12	482.25

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के विदेश व्यापार के घाटे में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण पी०ओ०एल०, उर्वरकों आदि की विश्व कीमतों में तीव्र वृद्धि होने से आयात बिल में असाधारण वृद्धि का होना है ।

(ग) तथा (घ) सरकार बढ़ते हुए व्यापार घाटे पर गम्भीर रूप से चिन्तित है । बढ़ते हुए आयात बिल तथा विदेशी मुद्रा के रिजर्व में गिरावट के कारण भारत के भुगतान शेष के दबाव से यह आवश्यक हो गया है कि निर्यात संवर्धन को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी जाए । सरकार निर्यात उत्पादन पर घरेलू रुकावटों को दूर करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है और 1980 दशक के दौरान निर्यात आय में लगातार वृद्धि करने के लिए दीर्घावधि नीति तैयार कर रही है ।

औद्योगिक निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में कई उपाय किए हैं । इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. 'लाइसेंस क्षमता' तथा 'प्रधानता' के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु उत्पादन को अलग रखना ।

2. उस मामले में निर्यात की नई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जहाँ उस वस्तु में परिवर्तन किया जाना है जिसके विनिर्माण के लिए किसी औद्योगिक इकाई को लाइसेंस दिया गया है ।

3. ऐसे निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिक, आयातों के बारे में अनुकूल व्यवहार करना जिसमें रायल्टी का एक मुश्त भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो ।

4. निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वतः विस्तार करने की अनुमति देना ।

5. सभी शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाईयों को मुक्त व्यापार जोन जैसा ही व्यवहार प्रदान करना ।

6. महानगरीय शहरों में नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबन्धों में ऐसे एककों को जो निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे हैं चयनात्मक आधार पर छूट देना ।

इसके अलावा, वाणिज्य मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं का भी पता लगा रहा है । आशा है कि निर्यात आयात बैंक, जिसकी स्थापना की जा रही है, निर्यात वित्त व्यवस्था का विस्तार करेगा । शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब के मामलों को कम करने तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है । काफी तथा अर्ध-साधित चमड़े पर से निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है और हैसियन तथा पटसन से बनी वस्तुओं पर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है । साथ ही साथ तेल, इस्पात, कोयला, उर्वरक तथा अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने और तेल की खोज तथा आयात प्रतिस्थापन के उत्पादन में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं । स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है तथा यथा समय आगामी उपाय किए जायेंगे ।

बिहार में प्रमुख बैंकों की शाखाएं खोला जाना

1684. **श्री रीतलालप्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर में बैंकों को अधिकतर प्राप्तियां खनिज और वन सम्पदा से प्राप्त होने के बावजूद बैंकों की शाखाओं के पर्याप्त संख्या के अभाव के कारण ग्रामीण विकास और कृषि सम्बन्धी विकास कार्य में पर्याप्त पूंजी नहीं लगाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रमुख बैंकों की शाखाओं को गिरीडीह जिले के बुद्धडीह, अहिल्यापुर, मेघ्यमुण्डा, तारातण्ड (गण्डे थाना), छोटकी (खगडडीहा), चंकदाह, चपुआडीह (बेंगवाद), गदीनडीहा, डूमा, वगैहरा, रेम्ववा अथवा हीरोडीह (जमुआ) चतुरु, मानिकवाद, मन्दारो, दे-ग्रोरी, चन्दौरी, खिजरी, गुमांगी (तीसरा), पिहरा, मझहनगांव खेतको, बिदो-कलां कोमरीडीह और नगर केश्वरी, (बगोदर प्रखंड) में और हजारीबाग जिले के मर्चोई, खुन्टा और मीरगंज (सतगोना) फूलवाडिया, जम्मू, बडियाहडीह, नवलशाही (मरकाचु) छ लकूसा, धन्धारी गैंडा और चौबे बाडकठा प्रखंड डुमरेन, भराजो-झरपो, करियातपुर, इबु इच्कमोर (इच्छक प्रखंड) दार-कंचनपुर, सलगौरा (हजारीबाग मुफ्फसिल)

गिछोर, पथलगड्डा (समरिया प्रखंड) कर्नी (इठरबोरी) भंगड (चम्पारन प्रखंड) आदि में खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक, वर्ष 1979-81 तक की तीन वर्ष की अवधि की अपनी वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि वाणिज्यिक बैंक अपने शाखा विस्तार के प्रयत्नो में, प्राथमिक रूप से, बैंकिंग की दृष्टि से कमी वाले जिलों के बैंक रहित उन ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने पर जोर दें, जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध शहरी लोगों के लिए बैंक की एक शाखा से कम हो। नई शाखाओं के स्थानों का निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के 6 जिलों के बारे में, सम्बन्धित आंकड़े संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित केन्द्रो में से, गिरडीह जिले के 6 केन्द्रों अर्थात् अहिल्यापुर, छोटकी-खरगेय, चारघरा, घटरो, भारगो तथा पिहरा और हजारीबाग जिले के दो केन्द्रों-नवलशाही और भराजो-झारपो को बिहार सरकार द्वारा 1979-81 की अवधि के दौरान, शाखा खोलने के लिए निर्दिष्ट किया गया है जबकि भराजो-झारपो केन्द्र, शाखा खोले जाने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक को आवंटित किया जा चुका है, बाकी के 7 केन्द्रों को विभिन्न बैंकों को आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में 1979-81 की अवधि के दौरान ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा

जिला	मानदंडों के अनुसार ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाओं की कुल अपेक्षित संख्या	जून, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार कार्य कर रही ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाओ की कुल संख्या	* मानदंडों के अनुसार ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में अपेक्षित अतिरिक्त कार्यालय
1	2	3	4
1. धनबाद	73	96	—
2 गिरडीह	69	45	• 24

1	2	3	4
3. हजारीबाग	82	67	15
4. पलामू	75	42	33
5. रांची	122	76	46
6. सिंघभूम	105	68	37

* इन शाखाओं के दिसम्बर, 1981 तक खोले जाने की सम्भावना है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा शासित कम्पनियों का व्यापारिक उत्पादन

1685. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा शासित कम्पनियों पर 5 करोड़ रुपए के व्यापार की वर्तमान सीमा में कुछ छूट देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत एक उपबंध यह है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनी की व्यापारिक कारबार 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । किन्तु कुछ एक मामलों में गुणावगुणों के आधार पर इस उपबन्ध में ढील देने का निर्णय किया गया है । ज्यादा ऊंची सीमा के लिए अनुमोदन तभी दिया जायगा जब प्रस्ताव सहायक उद्योगों की स्थापना के संबंध में हो या संघटकों की व्यवस्था करने के लिए लघु उद्योगों को सहायता पहुंचाने के संबंध में हो । यह ढील तब भी दी जा सकेगी जबकि प्रस्ताव सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों में रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए हो अथवा इस तरह के एककों के लिए प्रौद्योगिकीय समर्थन प्रदान करने के लिए हो और तब भी जबकि व्यापारिक कार्य के परिणामस्वरूप अन्य पक्षों के उत्पादों के निर्यात का कार्य फलीभूत होता हो ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा

1686. **श्री डी०पी० यादव** :

श्री के० ए० राजन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित जीवन बीमा निगम अध्यादेश के आधार पर विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि एक ही श्रेणी के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन में समानता रखी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा प्रस्तावित जीवन बीमा निगम अध्यादेश के आधार पर करने का कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का कोई सामान्य परिशोधन करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें । इन प्रस्तावों की जांच करते समय सरकार यह ध्यानपूर्वक देखती है कि किसी एक ही उद्योग या क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उद्यमों के बीच तथा एक ओर सरकारी उद्यमों और दूसरी ओर सरकारी विभागों के बीच वेतन ढांचे में, जहां कहीं समुचित हो, कोई अयुक्तिसंगत असमानताएं न रहें ।

मिश्रित सूत सम्बन्धी उत्पादन शुल्क विनिमय

1687. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित सूत से सम्बन्धित उत्पादन शुल्क विनियमों में त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय राजकोष को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की धनराशि का नुकसान हो रहा है ।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 और 1980 में कितना-कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) विभिन्न प्रकार के मिश्रित सूतों पर लागू शुल्क-दरें सांविधिक अधि-सूचनाओं द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं । इनकी वजह से मिश्रित सूतों पर उत्पादन शुल्क का अपवंचन होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

अफीम की खेती

1688. **प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की खेती के क्षेत्र में कमी कर दी गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में विदेशों की अफीम की मांग को आधार बनाने का

प्रस्ताव है अथवा देश में जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में वृद्धि करके अफीम की खेती को घटाये जाने से बचाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हाँ। विश्व में भारतीय अफीम की मांग के घट जाने और परिणामस्वरूप इसके विपुल भण्डार जमा हो जाने के कारण वर्ष 1980-81 में पोस्त की काश्त के निमित्त लाइसेंस शुदा रकबे में कटौती करने का फैसला किया गया है।

(ख) देश में अफीम की काश्त की योजना, विदेशों में निर्यात सम्बन्धी अनुमानित कुल माँग और चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए देश में इसकी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

रोहड़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के दुकानदारों के बीमा सम्बन्धी दावे

1689. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको रोहड़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीमा कम्पनियां उन दुकानदारों को बीमा सम्बन्धी दावों के मामले में परेशान कर रही है जिनकी दुकान आग लग जाने के कारण जल गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) दावों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा और पीड़ित पार्टियों को भुगतान कर दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) बीमा कम्पनी ने दावों की जांच की है और दिसम्बर, 1980 में मूल्यांकन के अनुसार स्वीकार्य राशि के लिए दावेदारों को डिस्चार्ज वाउचर भेजे हैं। दावेदारों से भरा हुआ डिस्चार्ज वाउचर प्राप्त होने पर दावों का निपटान कर दिया जाएगा।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी

1691. **श्री के०ए० स्वामी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई से दिसम्बर में अर्थात् 1980 के उत्तरार्द्ध में 1979 की इसी अवधि की तुलना में समुद्री उत्पादों के निर्यात में और कमी आई है;

(ख) कमी सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हाँ।

(ख) जुलाई-दिसम्बर, 1980 की अवधि में 109.28 करोड़ रु० मूल्य के 35353 मै० टन समुद्री उत्पादों का निर्यात हुआ, जो गत वर्ष की उस अवधि की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 12.36 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से 8.14 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

(ग) इस गिरावट को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में ये शामिल हैं : 1. फामफ्रेट्स के सम्बन्ध में निर्यात नीति को संशोधित किया गया है 2. डिब्बा बंद पिम्पों पर नकद मुआवजा सहायता को बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया गया है 3. मद्रास में एक समुद्री खाद्य व्यापार मेला आयोजित किया गया 4. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया है 5. भारतीय समुद्री उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं 6. गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने हेतु जहाजों को चार्टर करने के लिए नई शर्तों की घोषणा की गई है 7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बाजारों तथा उत्पादों का विविधीकरण करने के लिए बाजार सर्वेक्षण किए हैं 8. दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को एक बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजा जा रहा है। सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स भी स्थापित किया है।

भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर प्रदेश की शाखाओं में चैक-बुकों की अनुपलब्धता

1692. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, विशेषकर बांदा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में पिछले एक वर्ष से चैक बुक उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप लोगों ने वहां अपने खाते खोलना बंद कर दिया है और वे बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तथा इससे बैंक की छवि भी धूमिल हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) तथा (ख) भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनसार, उसकी सभी शाखाओं में चैक बुकें उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, बांदा शाखा के मामले में, बचत/चालू, दोनों प्रकार के खाते खोले जाते रहे हैं/खोले जा रहे हैं तथा चैक बुकें जारी की जा रही हैं। कुछ मामलों में चालू खातों की चैक-बुकें, प्राप्त होने में देरी के कारण, जारी नहीं की जा सकी थी लेकिन इस बीच में वे प्राप्त हो चुकी हैं तथा जारी कर दी गई हैं।

मद्रास और कलकत्ता में चक्रवात की पूर्व सूचना देने वाले राडार

1693. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास और कलकत्ता में तिथि अंकित करने वाले अतिरिक्त उपकरण सहित चक्रवात की पूर्व सूचना देने वाले राडार उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या यह सुविधा चक्रवात की पूर्व सूचना देने वाले शेष राडारों को भी उपलब्ध की जाएगी;

(ग) क्या वीडियो-टेप तैयार करने और बाद में उन्हें प्रदर्शित करने की सुविधाएं भी दी जा रही हैं; और

(घ) उस सम्बन्ध में लागत व्यवस्था और की गई कार्यवाही क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) मद्रास स्थित चक्रवात चेतावनी राडार के लिए एक अतिरिक्त अंकित प्रणाली (डिजिटल सिस्टम) से सज्जित उच्च शक्ति सम्पन्न चक्रवात चेतावनी राडार की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है। कलकत्ता में डिजिटल सिस्टम के 1981-82 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

(ख) मछलीपत्तनम स्थित चक्रवात चेतावनी राडार के लिए भी डिजिटल सिस्टम की व्यवस्था कर दी जाने की सम्भावना है। फिलहाल सरकार की पारादीप, विशाखापत्तनम, कराईकल, गोवा तथा बम्बई स्थित अन्य चक्रवात चेतावनी राडारों के लिए यह सुविधा प्रदान करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ग) वीडियो टेपिंग व प्ले-बैक सुविधाएं कोई पृथक अथवा अतिरिक्त सुविधाएं नहीं हैं अपितु डिजिटल प्रणाली के डिजिटिंग उपस्कर का ही एक भाग है।

(घ) एक डिजिटल सिस्टम का मूल्य 21 लाख रुपए हैं जिसमें 12 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा का अंश सम्मिलित है।

लद्दाख में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

1694. **श्री पी० नामग्याल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले प्रतिकर भत्ते को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लद्दाख में काम रहे जम्मु और काश्मीर राज्य के कर्मचारियों की ग्रीष्म ऋतु के दौरान 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत की दर से और शीत ऋतु

के दौरान 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की दर से बिना किसी उच्चतम सीमा के प्रतिकर भत्ता मिलता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रीनगर जो लद्दाख के लिए सप्लाई-आधार है की तुलना में लद्दाख में आवश्यक पदार्थों का मूल्य 100 प्रतिशत से 400 तक अधिक है; और

(घ) यदि उपरोक्त (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार लद्दाख में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिकर भत्ते की दर को राज्य सरकार के कर्मचारियों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की दर से मंहगाई भत्ता भी मिल रहा है, की दर के समान लाने का है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : जम्मू और काश्मीर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी के सम्बन्ध में संशोधित आदेश 5-9-79 को जारी किए गए थे। चूंकि राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को भत्ते की मंजूरी के सम्बन्ध में मानदण्ड में परिवर्तन कर दिया इसलिए इसकी आवश्यकता हुई। शुरू में, राज्य सरकार इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्षेत्र मोटर योग्य सड़कों से जुड़े हुए हैं, अथवा नहीं जुड़े हुए हैं, निम्नतर अथवा उच्चतर दरों पर विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता दे रही थी। बाद में उसने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट दरों पर भत्ता देने का निर्णय किया, भले ही क्षेत्र मोटर योग्य सड़कों से जुड़े हों। अथवा नहीं जुड़े हों। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू आदेशों में इसी प्रकार का परिवर्तन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लद्दाख अथवा जम्मू और कश्मीर में कहीं भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही स्वीकार्य विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में कोई कमी नहीं हुई है। वास्तव में लद्दाख के जरकर क्षेत्र में दरों को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया। हाल ही में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त होने पर लेह और आस-पास के क्षेत्रों में सर्दी के महीनों (अक्तूबर से मार्च) के दौरान विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों को वेतन के 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के कर्मचारी लद्दाख में वेतन का 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता पाते हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार भत्ते की दरों के मामले में राज्य सरकारों का अनुसरण नहीं करती। वह केवल क्षेत्रों के वर्गीकरण के मामले में ही उनके मार्ग दर्शन पर चलती है। तद्नुसार जम्मू और काश्मीर सरकार के कर्मचारियों के समान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी करना सम्भव नहीं है।

विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी के लिए किसी क्षेत्र का मंहगापन कोई संगत बात

नहीं है । इस भत्ते की मंजूरी के लिए क्षेत्र की दुरस्थता, जलवायु स्थिति गम्भीरता, सामाजिक पर्यावरण तथा लगभग इसी प्रकार की स्थिति वाले अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए गए भत्तें की दर, जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता हैं ।

मूंगफली और बिनौले से निकले पदार्थों (एक्सट्रेक्टशस) के आयात पर प्रतिबन्ध के लिए ब्रिटेन सरकार का प्रस्ताव

1695. **श्री भीकूराम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने उस देश में मूंगफली और बिनौले से निकले पदार्थो (एक्सटेक्शन्स) के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार किया है;

(ख) क्या इस मामले पर उन्होंने ब्रिटेन के व्यापार से सम्बन्धित सैक्रेटरी आफ स्टेट की हाल की यात्रा के दौरान उनके साथ बातचीत की थी; और

(ग) क्या इन पदार्थों के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने के लिए कोई आवश्यक उपाय सुझाए थे; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) ब्रिटेन सरकार ने चारे के रूप में उपयोग के लिए ग्रेट ब्रिटेन में एफलाटाक्सिन के पता लगाए जा सकने योग्य स्तर तक मूंगफली बिनौले तथा उनके व्युत्पन्न उत्पादों के आयात पर 1 फरवरी 1981 से रोक लगा दी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) यह सुझाव दिया गया कि पशु चारे के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत किन्हीं अन्य मानकों के न होने पर, ब्रिटेन सरकार को यूरोपीय अधिक समुदाय के उन विनियमों को लागू रखना चाहिए जिनके अनुसार चारे में 0.05 पी० पी० एम० एफलाटाक्सिन के अंश की सीमा निर्धारित की गई है । ब्रिटेन पक्ष ने यह कहा कि पशु चोर के सम्बन्ध में उनके मानक बहुत ऊंचे हैं लेकिन ऐसी आशा है कि ऐसे उपाय निकल सकेंगे जिनसे पशुओं के स्वाथ्य सम्बन्धी अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से आयात किए जा सकें ।

राजस्थान के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के कारण अफीम उत्पादकों को कठिनाइयां

1696. **श्री चतुर्भुज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झालावाड़ तथा कोटा के जिलों में तथा राजस्थान के अन्य भागों में सूखे

की स्थिति के कारण इस वर्ष अफीम की खेती करने में अफीम उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों की ओर अफीम विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस स्थिति की जानकारी है जो अफीम की खेती करने के पट्टाधारी अफीम उत्पादकों के सामने तब पैदा हो सकती है जब कि नियमों में निहित किस्म के नीचे के स्तर की अफीम पैदा करने से उनके पट्टों का नवीकरण न किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन करने और राहत देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) हमेशा की तरह, अगली फसल के लिए लाइसेंस देने की नीति निर्धारित करते समय, सरकार ऐसे काश्तकारों के वास्तविक मामलों पर, जिनकी फसल पर पर्याप्त वर्षा नहीं होने से पानी की कमी के कारण बुरा असर पड़ा है, विचार करेगी और लाइसेंस जारी करने के सिद्धान्तों में समुचित उपबन्ध बनाएगी ।

प्रगति मैदान में इमारतों का वातानुकूलित किया जाना

1697. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रगति मैदान में बड़े पैमाने पर विभिन्न इमारतों को वातानुकूलित किया जा रहा है; और

(ख) सरकार ने भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के गठन के समय ली गई सहमति के अनुसार इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को पूंजीगत ऋण के रूप में कितनी राशि दी है और किन शर्तों पर ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी, नहीं । तथापि, प्रगति मैदान में कुछ छतदार स्थान का वातानुकूलन किया गया है ।

(ख) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण कोई ऋण नहीं दिया है ।

हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की निकासी को सुगम बनाने के लिये की गई कार्यवाही

1698. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रकट की गई चिन्ता

के बावजूद हवाई अड्डों पर यात्रियों, विशेष कर विदेशों से आने वाले पर्यटकों की निकासी की प्रक्रिया समय लेने वाली, परेशान करने वाली और जटिल बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों को आप्रवासन तथा सीमा-शुल्क विभाग आदि द्वारा निकासी किए जाने हेतु घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या उन्होंने कभी स्वयं प्रातः काल में इन सब कठिनाइयों का अनुभव किया है अथवा देखा है; और

(घ) स्थिति को सुगम बनाने और विदेशी पर्यटकों के मन से इस प्रकार की भावना दूर करने के लिए तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) : पैसेंजर हैंडलिंग प्रक्रिया में सुधार लाने की दृष्टि से 19 जनवरी, 1981 को पर्यटन और नागर विमानन मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री ने पालम हवाई अड्डे पर सरलीकरण प्रक्रियाओं व व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

कस्टम्स और क्लीयरेंस के लिये :

यात्री सामान के क्लीयरेंस की वर्तमान प्रणाली के अनुसार पर्यटकों को "वॉक थ्रू" चेनल में से गुजर कर क्लीयर किया जाता है। जो पर्यटक समूहों में आते हैं उन्हें अपने दल के नेता (ग्रुप लीडर) द्वारा सीमाशुल्क अधिकारी को प्रस्तुत की गयी समूह-सूची के आधार पर क्लीयर किया जाता है। देश में आने वाले यात्रियों, विशेषतः पर्यटकों, को और सुविधा देने के एक और उपाय के रूप में, तथा ऐसे यात्रियों (पर्यटकों अथवा गैर-पर्यटकों) को जो कि सीमाशुल्क योग्य कोई समान नहीं लाते, और अधिक तेजी से क्लीयर करने के लिये 6 फरवरी, 1981 को "वॉक थ्रू" प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत "ग्रीन चैनल" में नियंत्रणों को यदृच्छया चुने गए केवल कुछ प्रतिशत यात्रियों के सामान तक ही सीमित रखा जाता है।

कस्टम्स-कलेक्टर तथा एडीशनल कस्टम्स कलेक्टर हवाई अड्डों का, बिना किसी पूर्व सूचना के, दौरा करते हैं तथा एसिस्टेंट कस्टम्स कलेक्टरों को चौबीसों घंटे ड्यूटी पर तैनात रखा जाता है।

इम्मिग्रेशन क्लीयरेंस के लिये :

हवाई अड्डे पर यात्रियों की इम्मिग्रेश क्लीयरेंस को अधिक से अधिक तीव्रता से संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इम्मिग्रेशन क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है तथा चैकिंग में सामान्यतः प्रति व्यक्ति दो मिनट से अधिक नहीं लगते। पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों को जल्दी निपटने के लिए इम्मिग्रेशन काउंटरों पर स्टॉफ बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

1699. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को 40 प्रतिशत अधिक ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दिए हैं यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है;

(ख) : निकट भविष्य में उन्हें कितने प्रतिशत ऋण देने का विचार है और किस प्रकार तथा किस सीमा तक इसे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) : क्या सरकार को इन अनुदेशों के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) : शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति तथा समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत व्याप्त होते हैं, जिनमें कृषि, लघु उद्योग, सड़क तथा जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापार तथा लघु व्यापार, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति तथा शिक्षा शामिल हैं। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे वर्ष 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अपने ऋणों के अंश को बढ़ाकर, अपने कुल ऋण के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें। इसका अनुपालन न करने की व्यक्तिगत शिकायतें जब भी प्राप्त होती हैं, गुणावगुण के आधार पर उनका निपटान किया जाता है। तथापित, ऐसी सभी शिकायतों का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

'काफी के भिन्न-भिन्न ग्रेडों की दरों में वृद्धि'

1700. **श्री टी० आर० रामन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि काफी के भिन्न-भिन्न ग्रेडों की दरों में विगत तीन महीनों में दो बार वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या उनका विचार काफी की कीमत के सभी पहलुओं की जांच करने और देश की अर्थ व्यवस्था, काफी प्रयोक्ताओं तथा उत्पादकों के सर्वोत्तम हित में काफी की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए काफी बोर्ड को काफी की न्यूनतम रिलीज कीमत में 16 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी। काफी बोर्ड द्वारा कीमतों में अन्तर रखने के आधार पर आदेश का कार्यान्वयन किए जाने के परिणामस्वरूप कुछ ग्रेडों की कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो गई। बोर्ड ने इस स्थिति को युक्तिसंगत

बनाया है और 1-1-81 से सभी ग्रेडों के सम्बन्ध में वृद्धि 16 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है।

(ख) : जी हाँ। वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा से अनुरोध किया गया है कि काफी के उत्पादन का नये सिरे से लागत अध्ययन करें।

मणिपुर के लिए रेपसीड तेल का कोटा

1701. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर राज्य को वर्ष 1978-79, 1979-80, 1981 में अब तक अवधि-वार और वर्ष-वार रेपसीड तेल का कितना कोटा दिया गया; और

(ख) क्या मणिपुर को विगत दुर्गा पूजा के अवसर पर (1980) रेपसीड तेल का विशेष कोटा दिया गया था; और यदि हां तो क्या सारे कोटे की डिलीवरी कर दी गई थी ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) : मणिपुर की राज्य सरकार को तेल वर्ष 1878-79, 1979-80 और 1981 में अब तक रेपसीड तेल की आवंटित की गई मात्रा नीचे दी गई है :—

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	मात्रा	रूप
1978-79	1700 मीटरी टन	कच्चा
1979-80	1600 मीटरी टन 1350 मीटरी टन	कच्च परिष्कृ
1981 (नवम्बर 80 से फरवरी, 81)	1700 मीटरी टन	परिष्कृत

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया

1702. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपनाई गई पिछली और वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) : क्या ऐसे प्रत्याशियों को रोजगार कार्यालयों से अथवा समाचार पत्रों में

विज्ञापन के जरिए बुलाया जाता है या बैंक अधिकारियों और यूनियन के नेताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है;

(ग) : गत तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का बैंकवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उस संख्या में कितने सफाई कर्मचारी हैं और उनकी भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थीं;

(घ) : ऐसे सभी प्रत्यशियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से न बुलाए जाने के क्या कारण है: और

(ङ) : क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए प्रत्याशियों को रोजगार कार्यालयों से बुलाया जाए ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क), (ख) (घ) और (ङ) : सितम्बर, 1978 में सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश जारी किए थे कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ कर्मचारियों की भरती केवल रोजगार कार्यालयों की मार्फत ही की जानी चाहिएं चाहे रिक्ति का स्वरूप अथवा अवधि कैसी भी क्यों न हो। लेकिन, जहाँ रोजगार दफ्तरों से उपयुक्त उम्मीदवार न उपलब्ध हो सकें, वहाँ उचित रोजगार दफ्तर से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों पर भरती, अन्य माध्यमों से की जा सकती है। उपर्युक्त अनुदेशों के जारी किए जाने से पहले, अधीनस्थ संवर्ग में भरती बैंकों द्वारा अपने आप ही समाचार पत्रों की मार्फत या अन्यथा आवेदनपत्र मंगा कर की जाती थी।

(ग) :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बरखली तथा फ्रीजरगंज क्षेत्रों को सुन्दर बनाया जाना

1703. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता से सीधे सुन्दरबन में बरखली और फ्रीजरगंज पहुंचने के लिए पर्यटकों की सुविधा हेतु नमखाना नदी पर पुल के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों को सुन्दर बनाने के पक्ष में है;

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के लिए प्रबन्ध सम्बन्धी कैडर

1704. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के लिए प्रबन्ध सम्बन्धी कैडर के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है;

(ख) किस विभाग को इसका प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा जाएगा;

(ग) इसका मूल ढाँचा क्या होगा;

(घ) इसके प्रारम्भिक कैडर में किन-किन अधिकारियों को सम्मिलित किए जाने की आशा है; और

(ङ) भविष्य में अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका क्या होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) : केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर से नीचे अधिकांश प्रबन्धकीय पदों के बनाने और उन पर नियुक्तियां करने की शक्तियां उद्यमों को ही सौंप दी गई हैं। इन प्रबन्धकीय पदों के बारेमें संवर्ग बनाने की समुचित योजनाएं लागू करने और प्रबन्धक विकास का दायित्व भी उन्हें सौंप दिया गया है। किन्तु इन उद्यमों में शीर्ष पदों पर नियुक्ति करने की जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है। भारत सरकार ने इन शीर्ष पदों के लिए चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी उद्यम चयन मण्डल की स्थापना करते हुए दिनांक 30 अगस्त, 1974 के संकल्प में निर्धारित की है।

राष्ट्रीयकृत बैंक सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा

1705. **श्री राम लाल राही :**

श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : राष्ट्रीयकृत बैंक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित कोटा भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) : क्या सरकार का विचार बैंक सेवाओं में आरक्षित कोटा पूरा होने तक

इन सेवाओं में नई भर्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करने का है और यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : बैंकों में लिपिक तथा अधिकारियों के काडर के पदों पर भरती, बैंकिंग सेवा भरती बोर्डों द्वारा की जाती है, जबकि अधीनस्थ काडर के पदों पर भरती स्वयं बैंकों द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष भरती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बिना भरी रिक्तियों को, सरकारी आदेशानुसार, तीन अनुवर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाया जाताहै। जनवरी, 1981 में हुई बैंकिंग सेवा भरती बोर्डों के अध्यक्षों की समिति में यह निर्णय किया गया था कि बची हुई, बिना भरी आरक्षित रिक्तियों को भरने के वास्ते, सम्बद्ध बोर्डों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो विशेष भरती की जानी चाहिये।

(ख) : जी, नहीं।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेंशनर्स, कीर्ति नगर, दिल्ली द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

1706. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेंशनर्स कीर्ति नगर, नई दिल्ली से दिनांक 4 जुलाई, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पुराने और नए पेंशनरों के बीच अंतर तथा सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते में अंतर जो 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे उन कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन, पेंशन के परिवर्तित हिस्से का दिया जाना, दिसम्बर, 1977 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दो माह की ग्रेच्यूटी का वापस किया जाना तथा पेंशरों को निःशुल्क चिकित्सा एवं आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में विचार करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी, हाँ

(ख) : संस्थान द्वारा की गई विभिन्न मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया परन्तु उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया। तथापि, सरकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशनभोगियों को मंहगाई सम्बन्धी राहत मंजूर कर रही है। अब तक राहत की 11 किस्तें मंजूर की जा चुकी हैं जिनकी कम से कम राशि 55/-रुपये तथा अधिक से अधिक राशि 275/-रुपये हैं। इसके अलावा, ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1-1-1973 से पहले सेवा-निवृत्त हुए थे उनको 15/-रुपये से 35/-रुपये प्रतिमास तक की तदर्थ राहत दी गई है।

आयकर की बकाया राशि

1707. **श्री सुनील मंत्रा :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथक-पृथक उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और बकाया राशि कितनी है जिनकी ओर विगत दस वर्षों से आयकर की एक लाख से अधिक की राशि बकाया है; और

(ख) इन वर्षों के दौरान इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जिन व्यक्तियों की तरफ पिछले दस वर्षों से आयकर की एक लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है, उनके नाम तथा बकाया राशि के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, वसूली निदेशालय में इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे 101 व्यक्तियों के नाम, जिनमें से प्रत्येक की ओर 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार 10 वर्षों से अधिक समय से 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक आयकर बकाया था, लोक सभा में 8 अगस्त 1980 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7443 के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी।

(ख) : आयकर अधिनियम, 1961 में बकाया कर की वसूली और उगाही के लिए अर्थदण्ड लगाने, चूक कर्ताओं को देय धन का अभिग्रहण करने, चल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री करने और अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री करने आदि जैसे अनेक उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, करों की बकाया को वसूल करने के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं।

कुछ मामलों में, विभाग द्वारा अथवा विभाग के सुझाव पर करों की वसूली। उगाही के लिए आरम्भ की गई कार्यवाही भिन्न-भिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। कुछेक मामलों में, मांगे अन्तिम नहीं हैं, क्योंकि अपीलें अथवा मामले अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं। कुछ अन्य मामलों में, कार्यवाही समझौता आयोग के समक्ष विचारधीन है। कुछ मामले उन कम्पनियों के हैं जिनका परिसमापन हो चुका है तथा विभागीय दावे परिसमापक के समक्ष विचाराधीन पड़े हैं। अन्य अनेक मामलों में ऐसी कोई परिसम्पत्तियां नहीं हैं जिनसे करों की वसूली की जा सके, ऐसे मामलों में कर की बकाया रकमों को बट्टे-खाते डालने के प्रस्ताव भिन्न-भिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

'खाली कंसेंट खोलों का आयात'

1708. **श्री आरिफ मोहम्मद खांन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) . ऐसी कौन-कौन सी फर्में हैं, जिनके पास जापान तथा अन्य देशों से खाली कैसेट खोलों का आयात करने के लाइसेंस हैं;

(ख) . इन वीडियों टेप रिकार्डों को बेचने की शर्तें क्या हैं; और

(ग) . क्या सरकार को उक्त फर्मों द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीखुरशीद आलम खान) : (क) : आयात लाइसेंसों के विवरण आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की जाने वाली वीकली बुलैटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इन्डस्ट्रीयल लाइसेंसेज में प्रकाशित किए जाते हैं। इन बुलेटिनों की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) : संभाव्यत: अपेक्षित जानकारी शर्तों तथा निबन्धनों के बारे में है जिनके अधीन वीडियो कैसेटों के आयात की अनुमति है। वीडियो कैसेटों के आयात की अनुमति उन औद्योगिक एककों को है जो वीडियों कैसेट रिकार्डर्स बनाने के लिए अनुमोदित है, और प्रत्येक उत्पादित तथा बेचे गए वीडियो कैसेट रिकार्डर के साथ वे ग्राहक को दो वीडियो कैसेट बेच सकते हैं।

(ग) : ऐसी कोई शिकायत अब तक जानकारी में नहीं आई है।

अगुचा राजस्थान में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना करना

1709. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के अगुचा ग्राम में भारी मात्रा के जस्ता निक्षेपों की उपलब्धता को देखते हुए और इस क्षेत्र के पिछड़ा क्षेत्र होते हुए वहाँ पर जस्ता प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना करने का विचार है चूंकि यह स्थान सभी दृष्टियों से सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है; और

(ख) उक्त संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय सरकार द्वारा कब तक लिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : **(क) और (ख)** : छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए स्कीमें बनाने हेतु सरकार द्वारा गठित अलौह धातु कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट (जून, 1980) में **अन्य बातों के साथ-साथ** पश्चिमी क्षेत्र में एक अतिरिक्त जस्ता-सीसा प्रद्रावक लगाने की सिफारिश की थी। प्रस्तावित जस्ता-सीसा प्रद्रावक के लिए जस्ता-सीसा सान्द्रों की पूर्ति का एक स्रोत अगुचा अयस्क निक्षेप है।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने प्रस्तावित जस्ता-सीसा प्रद्रावक की स्थापना के लिए

साध्यता-पूर्व अध्ययन हेतु एक विदेशी परामर्शक को नियुक्त किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुरा-अगुचा क्षेत्र भी प्रस्तावित प्रद्रावक के लिए विचाराधीन स्थलों में से एक हैं। साध्यता-पूर्व अध्ययन में, अन्य बातों के अलावा, अत्यधिक उपयुक्त स्थल के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा। अध्ययन 1981-82 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। उसके बाद संयंत्र के स्थान के बारे में सरकार निर्णय करेगी।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात

1710. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में किए गए निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आने वाले वर्षों के लिए अधिक निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सारणीबद्ध निर्यात में वृद्धि के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) : वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान राज्य व्यापार निगम के निर्यात क्रमशः 557 करोड़ रु०, 602 करोड़ रु० तथा 639 करोड़ रु० के थे।

(ख) : 1984-85 के लिए 784 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है और गैर-सरणीबद्ध निर्यातों पर अधिक बल दिया गया है। जबकि ऐसी आशा है कि सरणीबद्ध निर्यात लगभग 283 करोड़ रु० के होंगे, गैर-सारणीबद्ध निर्यातों के 501 करोड़ रु० के होने का अनुमान है।

(ग) : निगम द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ उपाय ये हैं : दीर्घावधि योजना तैयार करना, बड़े अभियान के लिए उत्पादों तथा बाजरों का पता लगाना, कार्यकलापों की कार्यानुसार व्यवस्था, सप्लाई आधार का उपयुक्त रूप से सृजन करने, विस्तार करने तथा सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्रम तथा तकनीकी जानकारी और प्रति-क्रय समझौतों के लिए विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग।

सरकार की मूल्य नीति की पुनरीक्षा

1711. **श्री एच० एन० गौडा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विभिन्न यूनिटों को भुगतान किए गए अवधारण मूल्यों के विशेष सन्दर्भ में, सरकार की मूल्य नीति की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : कीमत सम्बन्धी नीतियों के मामले में सरकार व्यवहारिक तरीका अपनाती है, इसके लिए वह अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण आवश्यकताओं और इसके साथ ही उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सन्तुलन बनाए रखने का भी ध्यान रखती है। इसलिए कीमत सम्बन्धी नीति बनाना एक लगातार प्रक्रिया है और प्रशासनिक कीमतों में यदि कोई समायोजन किए जाते हैं, तो प्रायः औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो, कृषि सम्बन्धी कीमत आयोग और तदर्थ समितियों जैसी विशेषज्ञ संगठनों की सिफारिशों के अनुसार किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों का उपयुक्त प्रचार किया जाता है।

निर्यातक उद्योगों के लिए विशेष बोर्ड

1712. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यातक उद्योगों के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस बोर्ड की अवधि क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 25 (अ) दिनांक 13 जनवरी 1981 की एक प्रति लोक सभा के 27-2-81 के अतारांकित प्रश्न सं०: 1754 के साथ संलग्न की गई है, जिसमें बोर्ड के गठन तथा कार्यकलाप विहित हैं।

(ग) : बोर्ड के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है।

गोवा में उद्यमियों के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन

1713. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ संघ क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वहाँ निम्नलिखित सुविधाएं देने का विचार है; (एक) जम्मू और काश्मीर सरकार की भाँति केन्द्रीय बिक्री कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना; (दो) ब्याज-मुक्त बिक्री कर ऋण योजना; (तीन) राज्य वित्त निगम द्वारा ऋण के रूप में एक प्रतिशत की राज्य सहायता दिया जाना; और

(ग) सरकार का उस क्षेत्र में उद्यमियों के लिए क्या सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पणजी नगर के सिवाय समस्त गोआ क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है ।

(ख) : (1) गोआ सरकार से हाल ही में इस आशय का एक प्रस्ताव मिला है कि गोआ से पड़ोसी राज्यों को जाने वाले तैयार माल पर केन्द्रीय बिक्री से छूट दी जाय । इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

(2) पहले संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने ब्याज मुक्त बिक्री ऋण योजना के लिए प्रस्ताव भेजा था । लेकिन उन्हें सलाह दी गई थी कि यदि आवश्यक हो, तो वे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चल रही वैसी ही योजना के आधार पर इस योजना को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करें ।

(3) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम द्वारा मंजूर किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज के कारण राज-सहायता योजना के बारे में कुछ बातें पूछी थी । लेकिन योजना के विस्तृत विवरण की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :—

(1) केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना;

(2) अखिल भारतीय सावधि ऋण वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्रबन्ध की सुविधाएं;

(3) परिवहन-राज सहायता;

(4) कर सम्बन्धी रियायतें;

(5) लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योगों से मशीनो की किराया खरीद;

(6) तकनीकी सेवाओं के लिए सलाह-मशविरा देना;

(7) कच्चा माल आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं जुटाना;

(8) ब्याज-राज सहायता;

(9) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम;

(10) ग्रामीण दस्तकार कार्यक्रम;

(11) जिला उद्योग केन्द्र ।

विश्व बैंक परियोजनायें

1714. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्व बैंक परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर मंजूरी दी गई है और निर्माणाधीन हैं अथवा शुरू किए जाने के लिए तैयार हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में प्रत्येक का वित्तीय परिव्यय कितना है और इनमें से प्रत्येक के पूरा होने का अवधि क्या है;

(ग) क्या कोई और परियोजना विश्व बैंक को मंजूरी के लिए विचाराधीन पड़ी है; और

(घ) यदि हाँ, उनका नाम तथा स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—1984/81) ।

(ग) और (घ) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—1984/81) ।

भारत की निर्यात आय में वृद्धि

1715. श्री बी० डी० सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की निर्यात आय में 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान विदेशी मुद्रा के रूप में इसी अवधि में आयात बिल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) इन वर्षों में मुख्य रूप से किन वस्तुओं का आयात हुआ और भारत द्वारा किन वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के सम्पूर्ण आयात व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) : 1977-78 से 1979-80 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत के समग्र निर्यातों और आयातों के मूल्य में हुई वृद्धि निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	निर्यात	वृद्धि दर	आयात	वृद्धि दर
1977-78	5404.26	+5.1	6025.29	+18.8
1978-79	5726.26	+6.0	6814.30	+13.1
1979-80*	6426.75	+12.2	8795.15	+29.1

*संशोधन के अध्यधीन

(ख) तीन वर्ष की इस अवधि के दौरान आयात की प्रमुख मदें ये थीं--पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, लोहा एवं इस्पात, वनस्पति तेल, उर्वरक, अलौह धातुएं, मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध-बहुमूल्य रत्न, रसायनिक पदार्थ, कागज तथा गत्ता, और संश्लिष्ट तथा नवीन-कृत रेशे। निर्यात की प्रमुख मदें थीं इंजीनियरी माल, हस्त शिल्प की वस्तुएं जिसमें रत्न तथा आभूषण शामिल हैं, वस्त्र (जिसमें परिधान भी शामिल हैं), चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं, चाय, पटसन से बनी वस्तुएं, लौह अयस्क, मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, काफी, मसाले, चीनी, खली, काजू तथा चावल।

(ग) : निर्यात संवर्धनात्मक उपायों के अतिरिक्त आयातों के स्थान पर खाद्य तेलों, इस्पात, कोयले, उर्वरक तथा अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने और तेल पूर्वेक्षण एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी पूंजी प्राप्त करना

1716. **श्री आरिफमौहम्मद खान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ भारतीय कम्पनियां विदेशी पूंजी बाजार से सीधे पूंजी प्राप्त कर रही हैं, और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) कोई भी भारतीय कम्पनी, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना विदेशों से पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती। विदेशी मुद्रा के ऋणों को प्राप्त करने की अनुमति ज्यादा लाभ देने वाली ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में दी जाती है, जिनकी वित्त-व्यवस्था बहुपार्श्विक/द्विपार्श्विक उपलब्ध ऋण अंशों में से नहीं की जा सकती। प्रत्येक मामले पर, इस तरह के प्रस्तावित ऋणों को शर्तों तथा परियोजनाओं की लाभ क्षमता तथा उनके स्वरूप को देखते हुए, उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। यदि किसी विशेष अनुमोदित प्रस्ताव के बारे में जानकारी आवश्यक हो तो ब्यौरा दिया जा सकेगा।

विदेशों द्वारा कुद्रेमुख लौह अयस्क की खरीद

1717. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कुद्रेमुख लौह अयस्क की खरीद करने में अनिश्चितता के कारण, अनेक देशों ने कुद्रेमुख लौह अयस्क खरीदने की इच्छा व्यक्त की है,

(ख) यदि हाँ, तो किन देशों ने यह इच्छा व्यक्त की है;

(ग) क्या उनके साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) क्या रूस ने 1981 से भारत से लौह अयस्क न खरीदने का अन्तिम निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय ईरान की सरकार के उस संकेत की ओर है कि ईरान कुद्रेमुख से प्रतिवर्ष 45 लाख टन से अधिक सांद्रण की खरीद नहीं कर सकेगा, जबकि कुद्रेमुख परियोजना की वार्षिक क्षमता 75 लाख टन है। रूमानिया, बहरीन, ट्रिनिडाड और टोबागो आदि जैसे कुछ देशों ने कुद्रेमुख के सांद्रण की खरीद में अपनी अभिरुचि दिखाई है।

(ग) रूमानिया से अप्रैल/मई, 1981 में सप्लाई के लिए 50,000 टन सांद्रण का आर्डर प्राप्त हुआ है। दीर्घावधि आधार पर आगे और आर्डर प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक भाड़े के कारण सोवियत रूस इस समय भारत से लौह-अयस्क खरीदने की स्थिति में नहीं है।

सरकारी क्षेत्र संयंत्रों के पास "कोल्ड इगनोट्स" और "स्लेब्स" का भंडार

1718. **श्री बी०वी० देसाई :**

श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों ने ऐसे "कोल्ड इगनोट्स" और "स्लेब्स" का भंडार कम करने के लिए कोई त्रिसूत्री नीति अपनाई है, जो गत महीनों में कोकिंग कोयले और बिजली की कमी के कारण बिक्री योग्य इस्पात में न बदला जा सका था;

(ख) यदि हाँ, तो उस नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) "कोल्ड इगनोट्स" और "स्लेब्स" के इकट्ठे हुए भण्डार जिससे कई

इस्पात संयंत्रों के सामने आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो गई हैं, के किस हद तक उठा लिया गया है; और

(घ) क्या 1 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए चार महीनों की अवधि में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के संयंत्रों के पास पड़े "कोल्ड इगनोट्स" का भंडार 7.5 लाख टन से घटकर 6.2 लाख टन हो गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कोककर कोयले तथा बिजली की सप्लाई में चल रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस्पात पिण्ड के स्टाक में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं :

1. इस्पात पिन्ड के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए भरसक प्रयास करना ताकि वेलन मिलें वर्तमान उत्पादन के अलावा बिजली की उपलब्धि के अनुसार स्टाक से अधिकाधिक पिन्डों का वेलन कर सकें। (इससे न केवल पिण्डों के स्टाक में वृद्धि के रुख पर नियंत्रण रखने में सहायता मिली है बल्कि उपलब्ध तप्त धातु से विक्रेय कच्चे लोहे का अधिक उत्पादन करने में भी सहायता मिली है, इस प्रकार घरेलू बाजार के लिए विक्रेय इस्पात तथा कच्चा लोहा अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ है);
2. जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धि अपेक्षाकृत अच्छी है, उन क्षेत्रों में स्थित इस्पात कारखानों को इस्पात पिन्ड देना; और
3. बाज़ार के लिए अर्द्ध-तैयार इस्पात देना ताकि घरेलू बाजार में अर्द्ध-तैयार इस्पात/तैयार इस्पात अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके।

(ग) तथा (घ) ऊपर बताए गए उपायों के फलस्वरूप इस्पात पिन्ड का स्टाक, जो 1.8.80 को 7.49 लाख टन के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, 1.12.80 को घटकर 5.06 लाख टन रह गया था। स्टाक में और कमी करने के लिए प्रयास जारी है।

'एन एयरलाइन्स मैगजीन टू बी लाईटर रीडिंग'

1719. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "स्टेट्समैन" दिनांक 21 जनवरी, 1981 में "एन एयरलाइन्स मैगजीन टू बी लाईटर रीडिंग" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो एयर इन्डिया और इंडियन एयरलाइंस के बारे में भी इसी प्रकार के कदम उठाने के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) लेख का अध्ययन किया जा रहा है।

स्पंज लोहे की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना

1720. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**: क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्पंज लोहे की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि करने की सोच रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है और कच्चे माल के स्रोतों तथा उपभोक्ता क्षेत्रों, भण्डारण तथा परिवहन को देखते हुए संयंत्रों की स्थापना स्थानों तथा उनके आकार के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कोयले को ठोस-अपचायक के रूप में इस्तेमाल करके स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए एक प्रदर्शन-संयंत्र आंध्र प्रदेश के कोत्तगुडेम नामक स्थान पर लगाया जा चुका है। उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड को 3,00,000 टन क्षमता का एक कारखाना लगाने के बारे में लाइसेंस दिया गया है, जिसमें से वे 1,50,000 टन क्षमता का कारखाना लगा रहे हैं। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को भी 1,20,000 टन क्षमता का स्पंज लोहे का एक कारखाना लगाने के बारे में आशय-पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा पैट्रोलियम विभाग बम्बई हाई से मिलने वाली गैस के इस्तेमाल से 4-5 लाख टन स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए गैस देने के लिए सहमत हैं। कोत्तगुडेम के कारखाने को अभी हाल ही में चालू किया गया है तथा उड़ीसा के कारखाने के वर्ष 1981 के अन्त तक चालू होने की सम्भावना है। इन कारखानों के परिचालन के परिणामों से सरकार को स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए नई क्षमताएं लगाने के बारे में नीति बनाने में सहायता मिलेगी। अभी हाल ही में छोटे पैमाने पर एक अन्तःमंत्रालय समिति गठित की गई है; जो कारखाने के स्थल, इसके साइज आदि विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करेगी।

बड़े औद्योगिक घरानों को आई०डी०बी०आई० द्वारा आसान शर्तों पर ऋण दिया जाना

1721. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन बड़े औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जिन्हें आई०डी०बी०आई० द्वारा चालू वर्ष के दौरान आसान शर्तों पर ऋण दिया गया है और उस ऋण की राशि तथा भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उन बड़े औद्योगिक घरानों के नाम, जिन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सुलभ ऋण योजना के अधीन वित्तीय सहायता दी गई है, जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान उन्हें स्वीकृत की गई राशि के साथ, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वे प्रमुख निबंधन तथा शर्तें निम्नलिखित हैं जिनके अधीन इस योजना के अधीन ये ऋण दिए गए हैं :

1. 11 प्रतिशत की सामान्य ऋण दर के स्थान पर 7.1/2 प्रतिशत की रियायती दर से सहायता (दिए गए आँकड़ों में ब्याज दर शामिल नहीं है) जो एककों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग मात्रा में होती है और कमजोर इकाइयों के मामले में शत-प्रतिशत तक तथा बेहतर उद्योगों के मामले में 20 प्रतिशत तक होती है।
2. इस योजना के अन्तर्गत ऋण की चुकौती अवधि 3 से 5 वर्षों के ऋण-स्थगन सहित 15 वर्षों तक है।
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा आधुनिकीकरण योजना की लागत में यथोचित अंशदान पर जोर दिया गया है।

विवरण

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एम०आर० टी०पी० एक्ट) 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उन बड़े औद्योगिक घरानों के नाम जिन्हें सुलभ ऋण योजना के अन्तर्गत आई०डी०बी०आई० द्वारा जनवरी, 1980 से जनवरी 1981 के दौरान वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

औद्योगिक घराने का नाम	(लाख रुपये) स्वीकृत राशि
1	2
1. अशोक लेलैंड	122.50
2. बिरला	626.00
3. जे०के० सिंघानिया	116.00
4. किलाचंद	50.00
5. मद्रास सीमेंट	72.50

1		2
6.	मदुरा कोट्स	275.00
7.	मफतलाल	300.00
8.	नौरोजी बाडिया	210.00
9.	रेलीज	75.00
10.	साहनी	36.00
11.	श्री अम्बिका (हरीबल्लभदास)	250.00
12.	सूरजमल नागरमल	100.00
13.	ठाकरसी	188.00
14.	थापा	145.00
15.	वी० रामकृष्ण	271.00
16.	टी०वी०एस० अयंगार	66.00

असम में चाय बागान

1722. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने चाय बागान हैं;

(ख) उनका कुल फसली क्षेत्र कितना हैं;

(ग) वर्ष 1981 में इन बागानों से चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) उसमें से चाय की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ङ) असम के चाय उद्योग में कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार असम द्वारा चाय के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) वर्ष 1979 में असम में 769 चाय एस्टेट थीं ।

(ख) 31 मार्च, 1979 को असम में चाय के अन्तर्गत 19.5,459 हेक्टार का कुल क्षेत्र था ।

(ग) वर्ष 1981 में असम में चाय के कुल उत्पादन के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि, वर्ष 1980 में असम में लगभग 305 मिलियन कि०ग्रा० चाय का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 1979 में 278 मि० कि०ग्राम चाय का उत्पादन आ था ।

(घ) भारत से निर्यात की गई असम चाय की मात्रा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध

नहीं हैं। किन्तु विभिन्न राज्यों में उत्पादन के अनुसार 1980 के दौरान भारत से कुल 224.49 मि० कि०ग्रा० चाय के निर्यात होने का अनुमान है जबकि 1979 में 199.63 मि० कि०ग्राम चाय का निर्यात हुआ था।

(ङ) असम में 1978 में चाय बागानों में नियुक्त दैनिक श्रमिकों की अनुमानित संख्या 420,710 थी जबकि 1977 में यह 410,520 थी।

(च) भारत से निर्यात की गई असम चाय के निर्यात के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1980 में अनुमानतः कुल 412.55 करोड़ रु० मूल्य की भारतीय चाय का निर्यात किया गया जबकि 1979 में 361.84 करोड़ रु० तथा 1978 में 362.89 करोड़ रु० मूल्य की चाय का निर्यात किया गया था।

काचार, मिजोरम में इस्पात के बिक्री-डिपो खोलना

1723. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काचार और मिजोरम क्षेत्रों के लिए इस्पात तथा अन्य संबंद्ध सामग्री की नियमित सप्लाई के लिए काचार में इन चीजों की बिक्री-डिपो खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। काचार और मिजोरम की इस्पात की आवश्यकता की पूर्ति "सेल" के गोहाटी स्थित स्टाकयार्ड से की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा अपनी आरक्षित निधि का निर्माण करना

1724. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण से अपनी आरक्षित निधि का निर्माण करने की अपेक्षा की गई थी;

(ख) किन उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि का निर्माण करने की आवश्यकता समझी गई थी;

(ग) वित्तीय वर्ष 1980-81 के आरम्भ में कितनी आरक्षित निधि थी और इसमें से कब, कैसे, क्यों तथा किसके प्राधिकार से धनराशि खर्च की गई और शेष राशि कितनी है; और

(घ) इस आरक्षित निधि का पुनः कैसे निर्माण करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) प्रवृत अनुमोदित वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध के अनुसार सरकार द्वारा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को उसके सामान्य कार्यकलापों और अभिकरण कार्यों के लिए दी गई विधियों को पूंजी अनुदान के रूप में उसके लेखे में समयोजित किया जाता है। अनुमोदित कार्यक्रमों पर आवश्यक परिचालन और पूंजी व्यय को पूरा करने के पश्चात पूंजी अनुदान शेष को पूंजी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने और अन्य मौलिक सुविधायें देने के लिए क्रमबद्ध रूप में इस्तेमाल हेतु पूंजी आरक्षण निधि के रूप में अलग रखना होता है।

(ग) तथा (घ) 31 मार्च, 1980 को पूंजी आरक्षण निधि 2.79 करोड़ रु० थी। 1980-81 (जनवरी, 1980 तक) के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा पूंजी परियोजना पर 20 लाख रु० की राशि व्यय की गई है। रक्षित निधि का निर्माण अनुमोदित वित्तीय प्रबन्ध के अनुसार किया जाता है और इसमें से उसका इस्तेमाल निदेशक मण्डल/सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर किया जाता है।

असम आंदोलन के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

1725. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम आन्दोलन के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) असम आन्दोलन के कारण विदेशी मुद्रा में हुई हानि की दृष्टि से जिन दो क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वे हैं तेल और उर्वरक।

दिसम्बर, 1979 में असम आन्दोलन शुरू होने के बाद से असम में डिगबोई, गोहाटी तथा बोंगाईगांव के तीन तेल-शोधक कारखानों के साथ-साथ बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन में तेजी से कमी करनी पड़ी। जबकि बरौनी और बोंगाईगांव तेल-शोधक कारखाने पूर्ण रूप से बन्द रहे परन्तु गौहाटी और डिगबोई कारखानों में बीच-बीच में काम चलता रहा। इस कारण 1980 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में हुई कुल हानि का अनुमान लगभग 37 लाख मैट्रिक टन है जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर लगभग 924 करोड़ रुपए हैं। असम आन्दोलन से नाम रूप, सिंदरी, बरौनी, नंगल, कानपुर, पानीपत, गोरखपुर और फूलपुर में उर्वरक कारखानों की आधारभूत कच्ची सामग्री जैसे कि नेथा, लो सल्फर हैवी स्टाक और ईंधन तेल के प्रवाह में बाधा पड़ी। दिसम्बर, 1980 के अंत तक उर्वरकों के उत्पादन में चालू अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के

अनुसार 226 करोड़ रुपये के मूल्य की लगभग 4.91 लाख मैट्रिक टन नाइट्रोजन की कुल हानि होने का अनुमान है। इस कारण मासिक आधार पर लगभग 11 करोड़ रुपए के मूल्य की 25,000 मैट्रिक टन की लगातार हानि होने का अनुमान है।

कर्नाटक में पर्यटकों को देखने योग्य कुछ और स्थानों के लिए विमान सुविधा

1726. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1981 के दौरान कर्नाटक में पर्यटकों के देखने योग्य कुछ और स्थानों को हवाई मार्ग से जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कर्नाटक में वे कौन से स्थान हैं जिन्हें 1981 के दौरान हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स की 1981 के दौरान कर्नाटक के किसी नए स्टेशन को अपने मार्ग-तंत्र में सम्मिलित करने की कोई योजनाए नहीं हैं।

1980 के दौरान पर्यटन के लिए आवंटित की गई और खर्च की गई धनराशि

*1727. **आचार्य भगवान देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान देश में पर्यटन के विकास के लिए आवंटित की गई कुल धनराशि और वास्तव में राज्यवार खर्च की गई धनराशि कितनी है;

(ख) राजस्थान के उन पर्यटन-स्थलों के क्या नाम हैं जिनके लिए धनराशि का आवंटन किया गया और वस्तुत: उन पर खर्च की गई धनराशि की तुलना में प्रत्येक स्थल के लिए आवंटित की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) वर्ष 1981 के लिए राजस्थान के एक पर्यटन-स्थल अजमेर के विकास के लिए आवंटित की गई धनराशि कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन विकास पर खर्च राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता। विभिन्न केन्द्रों पर स्कीमें इस आधार पर शुरू की जाती हैं कि उनमें पर्यटकों को आकर्षित करने की कितनी संभावनाएं हैं और तदनुसार स्कीम-वार धन-राशियाँ निर्धारित की जाती है। वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत पर्यटन के संवर्धन के लिए अनुमोदित परिव्यय और किया गया खर्च नीचे दिया गया है :

	अनुमोदित परिव्यय	किया गया खर्च (रुपये लाखों में)
(1)	पर्यटन विभाग 322.25	155.20
(2)	भारत पर्यटन विकास निगम 882.00	840.42
	जोड़ 1204.25	995.62

(ख) 1979-80 के दौरान राजस्थान में किसी पर्यटक केन्द्र के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया था। तथापि 1979-80 के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई स्कीमें और उन पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है :

पर्यटन विभाग

	स्कीम	किया गया खर्च (रुपये लाखों में)
(1)	मेवाड़ काम्पलेक्स का मास्टर प्लान तैयार करना	2.00
(2)	राजस्थान में विभिन्न झीलों पर नौकाओं की व्यवस्था	3.12
	जोड़	5.12

भारत पर्यटन विकास निगम

(1)	जयपुर में होटल	23.81
(2)	जयपुर में परिवहन इकाइयां	3.05
(3)	उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का विस्तार	4.18
	जोड़	31.04
	कुल जोड़	36.16 लाख

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान अजमेर में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विकास के लिए किसी स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला जाना

1728. **आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में 1981-82 के दौरान कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने हैं तथा किन-किन स्थानो पर ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : 1981-82 में राजस्थान में तीन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापित किए जाने की सम्भावना है। उन जिलों के नाम, जहाँ इनकी स्थापना होनी है, राज्य सरकार के परामर्श से निश्चित किए जाएंगे।

लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

1729. **आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको ने राज्य-वार कितनी ऋण-राशि दी है;

(ख) राजस्थान में जिला-वार कितना ऋण दिया गया; और

(ग) अजमेर जिले में कितने लघु एककों को ऋण दिया गया और प्रत्येक को कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति (सबसे हाल के आँकड़ों) के अनुसार, सूचना **विवरण-1** में दी गई है ।

(ख) तथा (ग) जून, 1978 के अन्त (सबसे हाल के आँकड़ों) की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में लघु उद्योगों को दिए जाने वाले अग्रिमों की बकाया राशि के सम्बन्ध में, जिला-वार सूचना **विवरण-2** में दी गई है। अजमेर जिले की अलग-अलग इकाइयों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रिवाजों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करने वाले विधानों के उपबंधों के अनुसार भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में, सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

विवरण-I

दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को राज्यवार दिए जाने वाले अग्रिम

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		एकों की संख्या	बकाया राशि
1		2	3
1.	हरियाणा	11653	8824.20
2.	हिमाचल प्रदेश	3100	710.61
3.	जम्मू व कश्मीर	17311	1402.84
4.	पंजाब	24981	16217.12
5.	राजस्थान	36756	5400.82
6.	चण्डीगढ़	1066	1113.39
7.	दिल्ली	10691	13937.07
8.	असम	12444	1516.35
9.	मेघालय	558	34.08
10.	मणिपुर	1019	37.14
11.	नागालैंड	480	59.17
12.	सिक्किम	50	0.80
13.	त्रिपुरा	1216	91.81
14.	अरुणाचल प्रदेश	45	2.02
15.	मिजोरम	115	1.13
16.	बिहार	31741	6819.21
17.	उड़ीसा	22130	2142.57
18.	पश्चिम बंगाल	51182	18827.31
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	140	6.15
20.	मध्य प्रदेश	34166	5550.01
21.	उत्तर प्रदेश	75904	20611.06
22.	गुजरात	36843	21578.88
23.	महाराष्ट्र	49718	46248.11
24.	गोआ, दमन और दीव	1566	1007.53
25.	दादर और नागर हवेली	31	69.00

1		2	3
26.	आंध्र प्रदेश	53469	11475.75
27.	कर्नाटक	45622	14382.22
28.	केरल	28055	9475.86
29.	तमिलनाडु	102287	24276.56
30.	पांडिचेरी	1270	435.41
31.	लक्षद्वीप	—	—
	जोड़	655609	232254.23

टिप्पणी : आँकड़े अन्तिम हैं ।

विवरण-2

जून, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को राजस्थान में जिलेवार दिए जाने वाले अग्रिम ।

(स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, प्राथमिक सांख्यिकीय रिपोर्ट, जून 1979)

(रकम : लाख रुपयों में)

	जिले का नाम	एककों की संख्या	बकाया राशि
1		2	3
1.	अजमेर	2,127	424.83
2.	अलवर	907	277.43
3.	बाँसवाड़ा	133	66.13
4.	बारमेड़	331	80.54
5.	भरतपुर	601	308.39
6.	भीलवाड़ा	453	176.32
7.	बीकानेर	775	318.00
8.	बूंदी	123	29.86
9.	चितौड़गढ़	492	48.14
10.	चूरू	332	85.95
11.	डूंगरपुर	175	13.13
12.	गंगानगर	397	245.36
13.	जयपुर	4,160	1733.03

1		2	3
14.	जैसलमेर	25	10.67
15.	जालौर	176	5.08
16.	झालावाड़	186	22.48
17.	झुंझुनू	417	28.70
18.	जोधपुर	1,264	562.48
19.	कोटा	1,332	534.89
20.	नागौर	616	86.44
21.	पाली	434	162.40
22.	सवाई माधोपुर	437	44.38
23.	सीकर	269	46.36
24.	सिरोही	518	19.41
25.	टोंक	388	38.29
26.	उदयपुर	993	314.86

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स को पिछले 5 वर्षों में हुआ लाभ हानि

1730. **श्री चिरन्जीलाल शर्मा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इंडिया और एयरलाइन्स को पिछले पाँच वर्षों में वर्षवार, कितना वार्षिक हानि/लाभ हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का पिछले पांच वित्तीय वर्षों का लाभ/हानि का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	लाभ/हानि (करोड़ रुपयों में) एयर-इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
1975-76	6.35	7.79
1976-77	17.59	20.74
1977-78	28.45	14.33
1978-79	34.09	11.42
1979-80	(15.09)*	(2.34)*

*कोष्ठों में दिए गए आंकड़े हानि के द्योतक हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हरियाणा में पर्यटन विकास

1731. **श्री चिरन्जीलाल शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में पर्यटन विकास के लिए भारत पर्यटन विकास निगम क्या कदम उठा रही है;

(ख) हरियाणा में पर्यटन-स्थल के रूप में कौन से क्षेत्रों का विकास किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य में, जिनमें हरियाणा शामिल है, चुने हुए यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। हरियाणा में विकास के लिए जो स्कीमें प्रारम्भ की जानी हैं उन पर होने वाले वित्तीय खर्च और उसे जुटाने के संसाधन तथा भारत पर्यटन विकास निगम सहित उन एजेंसियों, जो स्कीमों को कार्यान्वित करेंगी, से सम्बन्धित ब्यौरे राज्य सरकार से परामर्श करते हुए तैयार किए जा रहे हैं।

चण्डीगढ़ हवाई अड्डे का विकास

1732. **श्री चिरन्जीलाल शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे के विकास के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस योजना को कब कार्यान्वित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हरियाणा में हवाई अड्डों के विकास के लिए व्यवस्था

1733. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में हवाई अड्डों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से स्थान चुने गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोणार्क के सूर्य मन्दिर में प्रकाश तथा संगीत व्यवस्था

1734. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के पास कोणार्क के सूर्य मन्दिर में प्रकाश तथा संगीत व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी,

(ग) क्या इस प्रस्ताव को इस वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं, फिलहाल नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

थाना जिले में मैसर्स अहमद वूलन मिल, अम्बरनाथ को पुनः खोला जाना

1735. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वाणिज्य मन्त्री थाना जिले में स्थित अहमद वूलन मिल के बारे में 18 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1979 से बन्द पड़े मैसर्स अहमद वूलन मिल्स, अम्बरनाथ (जिला थाना, महाराष्ट्र) को पुनः खुलवाने के प्रश्न पर कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा उक्त मिल के प्रबन्धकों तथा उसके बैंक के बीच आयोजित की गई बातचीत चर्चा का निष्कर्ष क्या रहा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : थाना जिले में मैसर्स अहमद वूलन मिल, अम्बरनाथ एक निष्क्रान्त सम्पत्ति है जिसमें पुनर्वास विभाग तथा सिंडीकेट बैंक, मिल के बैंक के प्रमुख वित्तीय हित हैं । वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने 26 सितम्बर 1980 को मैसर्स अहमद वूलन मिल के प्रबन्ध के साथ एक बैठक आयोजित की थी । तथापि, प्रबन्धकों तथा उसके बैंक के बीच मतभेद कम करने के संबन्ध में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी ।

कागज का आयात करने वाली फर्में

1736. **श्री निहालसिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज का आयात करने वाली फर्में और ऐजेंसियों के नाम और पते क्या हैं और उनके द्वारा किन-किन किस्मों के कागज का आयात किया जा रहा है; और

(ख) उनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आयातित कागज का विदेशी मुद्रा में मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) आयात आँकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते । विगत तीन वर्षों के दौरान कागज तथा गत्ते (जिसमें माप अथवा आकार वाले कटे हुए टुकड़े तथा कागज अथवा गत्ते की वस्तुएं शामिल हैं) को आयात का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1977-78	81.12
1978-79	104.83
1979-80 (दिसम्बर, 79 तक)	102.91

भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क के यात्रा-सर्किट के विकास के लिए वित्तीय सहायता

1737. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क और भुवनेश्वर-सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के दो यात्रा सर्किटों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का उनके मन्त्रालय का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्र और राज्य पब्लिक और प्राईवेट सेक्टरों के संसाधनों को एकत्र करते हुए, यात्रा परिपथों की स्कीम के अन्तर्गत पर्यटक सुविधाओं को एकीकृत रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है । इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय पर्यटन विभाग का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक वन गृह के निर्माण का प्रस्ताव है । भारत पर्यटन विकास निगम का उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पुरी और कोणार्क में क्रमशः एक होटल और कुछ कुटीरों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा व्यक्तियों तथा संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता

1738. **श्री डी०एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय यात्री आवास विकास समिति नाम की एक सोसायटी पंजीकृत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों अर्थात् 1979-80 और 1980-81 में कितने और किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं को ऐसी सहायता दी गई और कितनी-कितनी राशि दी गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने वर्ष 1979-80 में किसी भी व्यक्ति या संस्था को वित्तीय सहायता नहीं दी । तथापि, वर्ष 1980-81 में समिति ने अप्रैल 1980 में उज्जैन में सिंहस्त कुम्भ मेले के दौरान लगभग 9000/- रुपए के खर्च पर टेंटों वाले आवास की व्यवस्था की थी । समिति ने अमरकंटक में तीर्थ केन्द्र की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के उपयोग के लिए दो कुटीरों के निर्माण हेतु श्री रामकृष्ण कुटीर अमरकंटक, मध्य प्रदेश को मैचिंग आधार पर 50,000/- रुपए का अनुदान भी दिया ।

उड़ीसा में चार्ज क्रोम परियोजनाओं की स्थापना करना

1739. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि उड़ीसा में कुछ चार्ज क्रोम परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और इन प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कहाँ-कहाँ पर की जायेगी;

(ग) : प्रस्तावित संयंत्रों की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) : तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी हां । उड़ीसा में चार्ज क्रोम संयंत्र स्थापित करने के लिए दो फर्मों नामतः मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन और मेसर्स फैरो एलाय कारपोरेशन लि० को आशय-पत्र जारी किए गए हैं ।

उड़ीसा में चार्ज क्रोम संयंत्र स्थापित करने हेतु मेसर्स इंडियन मेटल एण्ड फैरो भयनेाईल आवेदन दिया है ।

(ख) मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन और मेसर्स फैरो एलाय कारपोरेशन के संयंत्र उड़ीसा के क्रमशः क्योंझर और बालासोर जिले में लगाने का प्रस्ताव हैं।

(ग) : मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन और मेसर्स फैरो एलाय कारपोरेशन लि० के संयंत्रों की अनुमानित लागत क्रमशः 20 करोड़ रुपए और 25.72 करोड़ रुपए है।

(घ) : उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (ओ० एम० सी०) फिनलैंड की मेसर्स वाएस्ट एल्पाइन ए० जी० (आस्ट्रिया)—ओटु-कुम्पु आए की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा। यह प्रौद्योगिकी पहले से इस्तेमाल में है। इसमें 100 प्रतिशत क्रोम अयस्क के चूरे का उपयोग करके चार्ज क्रोम तैयार किया जाता है। अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में इस प्रक्रिया में बिजली की खपत कम है और इसमें क्रोम का ऐसा चूरा इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें क्रोम की मात्रा बहुत कम अर्थात् 25 प्रतिशत तक होती है। इस फर्म की एक सहायक कम्पनी ने ओ० एम० सी० के चार्ज क्रोम का कुल उत्पादन लेने की पेशकश की है।

जहां तक मेसर्स फैरो एलाय कारपोरेशन का सम्बन्ध है, इसके संयंत्र में यह फर्म अपनी प्रौद्योगिकी का ही इस्तेमाल करेगी। इनका कुल उत्पादन भी निर्यात के लिए होगा। फर्म ने इसके लिए 10 वर्षों तक ऐसा करने का वायदा किया है।

दोनों फर्मों को प्रति वर्ष 50,000—50,000 टन क्षमता की मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल की गयी ऋण की राशि

1740. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल किए जाने के लिए ऋण की बहुत बड़ी राशि बकाया है;

(ख) : यदि हां, तो प्रत्येक बैंक द्वारा 31 दिसम्बर, 1980 को जितनी राशि वसूल की जाने वाली थी उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) : इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) : क्या कुल राज्य सरकारों ने कृषि-क्षेत्र को दिए गए विशेष रूप से सहकारी ऋणों को माफ करने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ङ) : यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली केवल कृषि ऋणों की मांग और वसूली के सम्बन्ध में ही आंकड़े एकत्र करती है। जून, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, जो कि सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़े हैं, कुल 934 करोड़ रुपए की मांग की गई जिसमें से केवल 487

करोड़ रुपए की वसूली हुई तथा शेष राशि अतिदेय रही। जून, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के(प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम)वसूली निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण विवरण—1 में दिया गया है।

(ग) :—बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अपनाए गए कुछ मुख्य उपाय विवरण 11 में दिए गए हैं।

(घ) तथा (ङ) :—कुछ राज्य सरकारों का प्रस्ताव, छोटे तथा सीमांतिक किसानों के ऋणों को बट्टे-खाते डालने का था और इस कार्य के लिए उन्होंने केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की थी। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकारी ऋणों को बट्टे खाते डालने की किसी भी स्कीम के लिए राशि उन्हें अपने ही स्रोतों से जुटानी होगी और इस प्रयोजन के लिए कोई भी केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकथी। ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि सामान्य रूप से, या बड़े पैमाने पर ऋणों को बट्टे खाते डालने से वित्तीय संस्थाओं को ऋण की वापसी अदागगी के वातावरण तथा उनके कृषि क्षेत्र को ऋण देने के चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

विवरण-I

जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का (प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों) वसूली निष्पादन ।

बैंक का नाम	बकाया अधिशेष	मांग	वसूली	अतिदेय	मांग और वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3336.71	1370.61	745.56	625.05	54.4
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3391.32	1807.26	674.90	1132.36	37.3
स्टेट बैंक आफ इंदौर	879.75	443.52	150.99	292.53	34.0
स्टेट बैंक आफ मैसूर	1716.28	1354.40	687.00	667.40	50.7
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3226.49	1906.95	1509.87	397.08	79.2
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	563.29	237.97	111.88	126.09	47.0
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर	2525.31	862.93	597.54	265.39	69.2
एक समूह के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	15689.15	7983.64	4477.74	3505.90	56.1
भारतीय स्टेट बैंक	63379.83	29803.78	18833.50	10970.23	63.2
भारतीय स्टेट बैंक समूह	79068.98	37787.42	23311.24	14476.18	61.7

1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	1798.24	397.14	302.04	596.01	33.6
बैंक आफ बड़ौदा	10852.51	6447.30	3303.31	3143.99	51.2
बैंक आफ इंडिया	7489.86	5375.18	2389.06	2986.12	44.5
बैंक आफ महाराष्ट्र	2210.73	1592.38	504.42	1037.96	31.7
केनरा बैंक	9721.47	7235.18	4040.27	3194.91	55.8
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	12848.61	9126.01	2647.56	6478.45	29.0
देना बैंक	2157.42	1576.69	697.81	878.88	44.3
इंडियन बैंक	3956.93	1667.95	718.92	949.03	43.1
इंडियन ओवरसीज बैंक	4572.13	1878.16	1087.86	790.30	57.9
पंजाब नेशनल बैंक	9785.09	3421.20	1372.16	2049.04	40.1
सिण्डीकेट बैंक	6606.89	4302.53	2693.16	1609.37	62.6
यूनियन बैंक आफ इंडिया	7769.11	6323.95	3446.34	2877.61	54.5
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	5793.21	3297.26	1254.33	2024.93	38.3
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3682.19	2482.79	972.58	1510.21	39.2
राष्ट्रीयकृत बैंक	89244.39	55605.72	25428.82	30176.90	45.7
सरकारी क्षेत्र के बैंक	168313.37	93393.14	48740.06	44653.08	52.2

विवरण 2

बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अपनाए गए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :

1. कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले उधारों के सम्बन्ध में सिफारिशें लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तलवार समिति नियुक्त की गई थी। तलवार समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के अनुपालन में, अधिकांश राज्यों ने, वाणिज्यिक बैंक ऋणों के सम्बन्ध में भी वही प्राथमिकताएं दिए जाने के लिए, जो सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली के मामलों में लागू हैं, तथा इस सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल तथा अधिक कारगर बनाने के लिए कानून बनाए हैं।

2. बैंकों ने ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन के स्तर में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं और इस प्रयोजन के लिए तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

3. बिखरे हुए उधारों के स्थान पर, अब बैंकों ने कृषि क्षेत्र को उधार देने के लिए एक योजनाबद्ध रीति अपनाई है। वे सरकार के आई० आर० डी० पी० जैसे विशेष विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

4. अपने कृषि अग्रिमों के बेहतर पर्यवक्षण के वास्ते फील्ड कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए बैंकों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

सिले-सिलाये (रेडीमेड) वस्त्रों का निर्यात

1741. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में सिले-सिलाए वस्त्रों का कितना निर्यात किया गया;

(ख) मुख्य निर्यातकों के नाम क्या हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें ये वस्त्र निर्यात किए गए;

(घ) क्या किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जनवरी—अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान अनन्तिम रूप से 325.85 करोड़ रु० के सूती परिधानों के निर्यात होने का अनुमान है। नवम्बर, 80 तथा दिसम्बर, 1980 के महीनों के लिए जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) अलग-अलग परिधान निर्यातकों के निर्यात निष्पादन के बारे में जानकारी संकलित नहीं की जाती है।

(ग) परिधानों के हमारे अधिकांश निर्यात संयुक्त राज्य अमेरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों, कनाडा, स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, जापान तथा सोवियत संघ को किए गए।

(घ) सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ऋण भार

1742. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को भारत पर कुल विदेशी ऋण भार कितना था; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे भारत ने ऋण लिया हैं तथा देशवार ऋण की राशि क्या है?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) : 31 दिसम्बर, 1980 को दूसरे देशों/संस्थाओं को विदेशी ऋणों की देय राशि 13147.95 करोड़ रुपए थी।

(ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें उन देशों और संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जिसमें उनको भारत द्वारा लौटाए जाने वाले ऋण का विभाजन दिखाया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	देश/संस्था का नाम	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2.	3.
1.	आस्ट्रिया	48.37
2.	बेल्जियम	83.95
3.	कनाडा	355.47
4.	डेनमार्क	26.36
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	1423.13
6.	फ्रांस	317.01
7.	इटली	41.90
8.	जापान	998.13

1	2	3
9.	नीदर लैंड	450.09
10.	स्विटजर लैंड	20.61
11.	ब्रिटेन	890·01
12.	अमेरिका	2562.88
13.	नार्वे	0.38
14.	स्वीडन	0.17
15.	स्पेन	0.23
16.	चेकोस्लोवाकिया	30.07
17.	हंगरी	10.00
18.	पोलैंड	6.89
19.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	188.84
20.	यूगोस्लाविया	34.89
21.	बल्गारिया	0.69
22.	जर्मन जनवादी जनतंत्र	26.17
23.	रूमानिया	16.09
24.	संयुक्त अरब अमीरात	55.58
25.	आबू धाबी निधि	14.28
26.	कुवैत निधि	46.94
27.	साऊदी निधि	54.70
28.	ईरान	715.04
29.	ईराक	105.87
30.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक	647.04
31.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3363.82
32.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	6.28
33.	पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन निधि	30.31
34.	यूरोपीयन आर्थिक समुदाय (विशेष कार्य ऋण)	41.80
35.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	533.96
	जोड़	13,147.95

थार रेगिस्तान में नमक का खनन तथा एक उर्वरक फैक्टरी की स्थापना

1743. **श्री निहाल सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी में हुई विज्ञान कांग्रेस में भारतीयभू-विज्ञान

सर्वेक्षण के निदेशक ने यह बताया था कि थार-रेगिस्तान में 80 हजार किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में नीचे 200 फीट की गहराई पर खरबों टन नमक की परतें हैं;और

(ख) यदि हां, तो नमक के खनन तथा इस पर आधारित एक उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के वाराणसी संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक ने राजस्थान के चुरु और बीकानेर जिलों में पहाड़ी नमक (सोडियम क्लोराइड) के विशाल निक्षेपों की हाल में हुई खोज के बारे में बताया था। विभिन्न बोर होलों में 324 मी० से 664 मी० की गहराई पर पहाड़ी नमक परतों की ऊपरी सतह पाई गई हैं। पहाड़ी नमक परतों की मोटाई 104 मीटर से 432 मीटर है। अब तक की खोज से इस क्षेत्र में पहाड़ी नमक के 8 बिलियन टन भंडार होने का अनुमान है। नमक बहुल क्षेत्र 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 5000 वर्ग किलोमीटर की अब तक स्काउट ड्रिलिंग द्वारा खोज की जा चुकी है।

(ख) पहाड़ी नमक का उर्वरक बनाने में उपयोग नहीं होता। अत: पहाड़ी नमक पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक का करेंसी एवं वित्त के बारे में प्रतिवेदन

1741. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, उत्पादन, मूल्यों तथा विदेश व्यापार में प्रतिकूल स्थिति के कारण देश की अर्थव्यवस्था में जो भारी गिरावट आई थी उसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी एवं वित्त के बारे में प्रतिवेदन के अनुसार सुधार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हो रहा है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी एवं वित्त सम्बन्धी प्रतिवेदन में और किन बातों का उल्लेख है;

(घ) क्या उसमें यह भी कहा गया है कि मूल्यों के बारे में भी पर्याप्त सुधार हुआ है;

(ङ) अर्थव्यवस्था में इस सुधार के क्या कारण है; और

(च) क्या इन उपायों को जारी रखा जायेगा जिससे कि अर्थव्यवस्था में 1981-82 वर्ष में भी वही प्रवृत्ति बनी रहे ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) करेंसी और वित्त की

1979-80 की रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्न के उत्पादन में 1979-80 के दौरान तेजी से 230 लाख टन की कमी हुई थी और यह 1089 लाख तक पहुंच गया था, उसके 1980-81 में 1320 लाख टन से अधिक होने की आशा है। हाल के महीनों में कतिपय महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि इसे दृष्टिगत रखते हुए 1980-81 में वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि काफी अधिक होगी जबकि 1979-80 में अन्तिम अनुमानों के अनुसार 3 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(ग) रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1979-80 में कुल निवेश और बचत के अनुपातों में 1978-79 के अधिकतम स्तर से कमी हुई है। उसमें आधारभूत ढांचे की बाधाओं का भी उल्लेख है जिसके फलस्वरूप 1979 की अन्तिम तिमाही से औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई। रिपोर्ट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से भुगतान शेष की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। इस संदर्भ में, 1980-81 के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में से काफी अधिक निकासी की सम्भावना का उल्लेख है।

(घ) रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादन में कुल मिलाकर होने वाली अच्छी सम्भावनाओं का कीमतों पर पहले ही कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कीमतों में वृद्धियां बनी हुई हैं तथापि थोक कीमत सूचक अंक में वृद्धि की दर जून से दिसम्बर, 1980 तक केवल 2.2 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में 1979 की इसी अवधि के दौरान यह दर 11.1 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि मुद्रास्फीति की दर में निश्चित रूप से कमी हुई है, कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत वृद्धि की स्थिति में, हमारी आयातित तेल पर निर्भरता ने, कीमतों के क्षेत्र में वृद्धिकारी तत्वों को उभारा है।

(ङ) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के कार्यचालन में सुधार के लिए किए गए उपायों और पर्याप्त रूप से हुई वर्षा ही ऐसे मुख्य तत्व हैं जिनके आधार पर हम चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था में सुधार की आशा कर सकते हैं।

(च) 1980-81 के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप आर्थिक स्थिति में, विशेष तौर से वर्ष के उत्तरार्ध में काफी सुधार हुआ है। यह उपाय जारी रखे जाएंगे।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अपनाई गई 'बल्क डील' नीति

1745. **श्री के० राममूर्ति**: क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा नकद सहायता के बदले में, वर्ष 1974 में अपनाई गई 'बल्क-डील' नीति का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस बक्त 'बल्क-डील' नीति के अधीन हथकरघा निर्यातकों को कितनी राशि

अदा की गई और नकद राशि प्राप्त करने वाले ऐसे हथकरघा निर्यातकों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त 'बल्क-डील' नकद सहायता कार्यक्रम के अतिरिक्त अपनाई गई थी अथवा नकद सहायता के बदले में और क्या इस 'बल्क-डील' नीति के निर्यात में वृद्धि हुई; और यदि हां, तो वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने 1970 के दशक के मध्य में सरकार को यह अभ्यावेदन किया था कि भारतीय सूती मिल परिसंघ से सदस्यों को देय नकद सहायता की अदायगी में काफी विलम्ब के कारण हथकरघा निर्यातकों को सभी विलम्बित अदायगियों आदि पर बैंक दरों पर ब्याज की अदायगी की स्वीकृति दी जाए। नकद प्रतिपूर्ति सहायता (सी०सी०एस०) की अदायगी भारतीय सूती मिल परिसंघ द्वारा किए जाने से विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि उद्योग के अंशदान को पूर्णतः एकत्र नहीं किया गया था। इन सभी तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैर-परम्परागत बाजारों को प्रत्येक 20 लाख रु० से अधिक के बल्क सौदों के अन्तर्गत 1973-74 के दौरान किए गए हथकरघा सूती वस्त्रों तथा मेड अप्स के निर्यातों के सम्बन्ध में निर्यातों के एफ०ओ०बी० मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय किया। यह सहायता लागू नकद सहायता योजना के अलावा थी और उसके स्थान पर नहीं।

(ख) केवल उस वर्ष में जिसमें यह सहायता लागू थी अर्थात् 1973-74 के दौरान दी गई अतिरिक्त सहायता की मात्रा और उन निर्यातकों के नाम, जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाया, नीचे दिए गए हैं :

पार्टी का नाम	नकद सहायता
भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, मद्रास	5,43,538.00 रु०
माला इन्टरकान्टिनेन्टल, मद्रास	6,13,217.00 रु०
सी०आर० नल्लान्वामी एण्ड कं०, करूर	1,95,304.00 रु०
अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारिता समिति लि०, मद्रास	1,83,226.00 रु०
जे०वी० गोकल एन्ड कं०, बम्बई	1,23,319.00 रु०
माधवजी ठाकरसे सन्स एण्ड कं०, बम्बई	1,72,269.00 रु०
योग	18,30,873.00 रु०

(ग) जैसाकि प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख किया गया है, यह योजना सर्वमान्य

नकद सहायता के अलावा थी और केवल एक ही वर्ष 1973-74 के सम्बन्ध में ही लागू रही थी। 1972-73, 1973-74, 1974-75 तथा 1975-76 के वर्षों के दौरान हथकरघा वस्त्र तथा मेड अप्स के निर्यातों के मूल्य नीचे दिए जाते हैं :

	(करोड़ रुपये में)
1972-73	23.65
1973-74	41.58
1974-75	42.39
1975-76	52.63

मछलियों के निर्यात में गिरावट

1746. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की मछलियों के निर्यात में 25 प्रतिशत तक गिरावट आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की अवधि में समुद्री उत्पादों के निर्यात में गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई।

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यातों में गिरावट मुख्यत: इन कारणों से आई है; सम्पूर्ण भारतीय तट पर श्रिम्पों के पकड़न में अभूतपूर्व कमी, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चार्टरिंग प्रबन्धों का नवीकरण न किया जाना, कीमतों में उतार-चढ़ाव, विश्व की मुख्य अर्थ-व्यवस्थाओं में मन्दी के कारण अनिश्चित बाज़ार परिस्थितियां, स्टाक कम रखने की आयातकों की सोद्देश्य नीति, हमारे मुख्य निर्यात बाजारों में क्वालिटी सम्बन्धी समस्याएं तथा ईंधन की ऊंची लागत, जिससे मछली पकड़ने का कार्य अलाभकर हो गया है।

सरकार ने पामफ्रेट्स के सम्बन्ध में निर्यात नीति पहले ही संशोधित कर दी है, डिब्बा बन्द श्रिम्पों पर नकद मुआवजा में वृद्धि की है, भारतीय समुद्री उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए योजनाएं आरम्भ की हैं तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी जहाजों को चार्टर करने हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया है। हाल ही में मद्रास में एक व्यापार मेला आयोजित किया गया था।

सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए टास्क फोर्स स्थापित किया है।

कृषि पुनर्वित्त निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विदेशों की यात्रा

1747. **श्री के०पी० सिंह देव :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि पुनर्वित्त निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वर्ष 1976 से 1979 तक की अवधि के दौरान विदेशी यात्राओं पर 50,000 रुपए की धन राशि खर्च की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक यात्रा का औचित्य क्या था और किन-किन देशों की यात्रा की गई;

(ग) इन यात्राओं से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या खर्च पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार इसमें परिवर्तन करना उचित समझती है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वर्ष 1976 से 1979 के दौरान किए गए विदेश भ्रमणों के ब्यौरे तथा भ्रमण के स्थानों, अवधि, प्रयोजन तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि विदेश भ्रमणों की संख्या तथा अवधि दोनों में ही कठोरता से कमी की जानी चाहिए। ये यात्राएं केवल कारोबारी बा चीत के लिए ही की जानी चाहिए। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के मुख्य कार्यपालक द्वारा ये विदेश यात्राएं मुख्यतः विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उन विभिन्न ऋणों के बारे में, जो कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के माध्यम से दिए जा रहे थे, बातचीत में भाग लेने के विशिष्ट प्रयोजन से की गई थी। ये भ्रमण केवल तभी किए जाते हैं, जबकि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो।

विवरण

कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के मुख्य अधिकारी द्वारा किए गए विदेश भ्रमणों के ब्यौरे

1976 के दौरान

क्रम सं०	पद	नाम	भ्रमण का स्थान व अवधि	उद्देय तथा आवश्यकता	खर्च की गई राशि (रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	प्रबन्ध निदेशक	श्री एम०ए० चिदंबरम	वाशिंगटन 31 मार्च, 1976 से 14 अप्रैल, 1976	आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर सिंचाई तथा कमान क्षेत्र परियोजना की बातचीत के लिये।	25,267.17
2.	-तदेव-	-तदेव-	वाशिंगटन 23 अप्रैल, 1976 से 11 मई, 1976	राष्ट्रीय बीज परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ बातचीत करने के लिए।	28,425.55
3.	-तदेव-	-तदेव-	वाशिंगटन 15 दिसम्बर, 1976 से 1 जनवरी, 1977	केरल वृक्ष फसल परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से बातचीत।	31,710.55
	1977 के दौरान				
1	प्रबन्ध निदेशक	श्री एम०ए० चिदंबरम	न्यूयार्क तथा वाशिंगटन 5 फरवरी, 1977 से 20 फरवरी, 1977	गुजरात मत्स्य उद्योग परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से बातचीत।	30,578.77

1	2	3	4	5	6
2.	प्रबन्ध निदेशक	श्री एम०ए० चिदंबरम	लंदन तथा वाशिंगटन 14 अप्रैल, 1977 से 1 मई, 1977	कृ०पु०वि०नि० ऋण परियोजना-II तथा कमान क्षेत्र सिंचाई परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से बातचीत ।	35,039.95
3.	-तदैव-	-तदैव-	वाशिंगटन 22 जुलाई, 1977 से 5 अगस्त 1977	उड़ीसा मध्यम तथा लघु सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए बातचीत ।	30,487.05
4.	-तदैव-	-तदैव-	फ्रैंकफूर्ट (प० जर्मनी) 21 अक्तूबर, 1977 से 27 अक्तूबर, 1977	तवा परियोजना के लिए पश्चिम जर्मनी के के०एफ० डब्ल्यू से बातचीत	17,760.50
	1978 के दौरान				
1.	प्रबन्ध निदेशक	श्री एम०ए० चिदंबरम	वाशिंगटन 19 फरवरी, 1978 से 8 मार्च, 1978	कर्नाटक (ऊपरी कृष्णा) सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत	30,082.33
2.	-तदैव-	-तदैव-	वाशिंगटन 2 अप्रैल, 1978 से 20 अप्रैल, 1978	जम्मू व कश्मीर बागवानी परियोजना तथा आंध्र प्रदेश मत्स्य उद्योग परियोजना के लिए बातचीत	32,042.07
	1979 के दौरान				
1.	प्रबन्धक निदेशक	श्री एम०ए० चिदंबरम	वाशिंगटन-ओटावा-फ्रैंकफर्ट 14 अप्रैल, 1979 से 5 मई, 1979	कृ०पु०वि०नि० ऋण परियोजना-III के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत	43,351.01

खाद्यान्नों की जमाखोरी

1748. **श्री निहाल सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की जमाखोरी के कितने मामले, राज्यवार सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) अब तक निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है और उन्हें क्या सजा दी गई है तथा निपटाए न गए मामलों की संख्या कितनी है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केरल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

1749. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने और इनकी आपूर्ति करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज की रियायती दरों पर नकद ऋण की सुविधाएं देने के लिए अनुरोध किया है। देश के अन्य राज्यों ने भी इस सुविधा के लिए अनुरोध किया है। ब्याज की रियायती दरों पर नकद ऋण सुविधाएं प्रदान करने के प्रस्ताव की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

कम्पनी जमा राशि में कमी

1750. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ ऋण प्राप्तकर्त्ता कम्पनियों द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि किए जाने के बावजूद कम्पनी जमा राशियों में पर्याप्त कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी कम्पनियाँ, जो तीन वर्ष की जमा राशि पर 13.5 प्रतिशत

का ब्याज देती हैं, निवेशकर्त्ता व्यक्तियों से एक करोड़ रुपया भी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई हैं;

(घ) क्या इन कम्पनियों द्वारा 1980 के दौरान 100 करोड़ रुपए एकत्र किए जाने की संभावना थी;

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) 1981 में कम्पनियों की जमा राशियों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) गैर-बैंकिंग कम्पनियों में जमा राशि साल दर साल बढ़ती जा रही है। 1-4-1971 से लेकर 4 वर्ष की अवधि में इसमें लगभग 1340 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) से (च) इन सरकारी उद्यमों द्वारा जनता के ऐसे लोगों, जो कर्मचारी अथवा भूतपूर्व कर्मचारी आदि नहीं हैं, उनको 3 वर्षीय जमा रकम पर 13.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। सरकार ने सरकारी उद्यमों द्वारा जमा राशि एकत्र करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। जनवरी, 1981 के मध्य तक ऐसे आठ सरकारी उद्यमों, जिन्होंने जमा राशियां आमंत्रित की थी, में लगभग कुल 38 करोड़ रुपए की रकम एकत्र की गई है। जनता से जमा राशि एकत्र करने में अब तक काफी सफलता मिली है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए शत्रु सम्पत्ति के निपटान के बकाया दावे

1751. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत्रु सम्पत्ति के दावों के निपटान सम्बन्धी योजना के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए बकाया दावों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इन दावों का और विलम्ब किए बिना निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) अन्तिम रूप से निपटाये गए दावों की संख्या, बकाया दावों की संख्या तथा प्रति माह निपटाए जाने वाले दावों की औसत संख्या क्या है; और इन दावों का निपटान करने में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव उन लोगों के लिए जो इन दावों को पहले नहीं भेज सके थे समय में बढ़ोत्तरी करने का है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (ग) अब तक 40,927 दावों को निपटाया गया है जिसमें 9127 भुगतान किए गए दावे तथा 31,800 रद्द किए गए दावे शामिल हैं तथा 1655 दावे निपटान के लिए लम्बित हैं। प्रत्येक माह निपटाए गए दावों की औसत संख्या 250 से 300 दावों के मामले हैं। 15 फरवरी, 1981 तक दावों के निपटाने में 30.94 करोड़ रु० वितरित किए गए हैं। केवल एक पेनल जुलाई, 1981 तक के दावों का सत्यापन कर रहा था। दावों के सत्यापन को जल्दी पूरा करने के लिए 5 पेनल स्थापित किए गए हैं जिनमें अध्यक्ष के रूप में उप सचिव स्तर के पूर्ण कालिक विशेष कार्य अधिकारी हैं। अन्य 3 पेनल शीघ्र स्थापित किए जाएंगे।

(घ) चूंकि अनुग्रही योजना के अन्तर्गत दावेदारों को अपने दावों को फाइल करने के लिए पहले ही उचित अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः दावे फाइल करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्थापना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों का वेतन-ढांचा

1752. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल कन्फेडरेशन आफ दि सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच वेतन के अन्तर को कम करने के लिए बातचीत की जाये;

(ख) क्या उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि वे कर्मचारियों के सम्पूर्ण वेतन-ढांचे का पुनरीक्षण करें, ताकि जीवन-निर्वाह सूचकांक तैयार करने के पहलुओं का पुनर्निर्धारण किया जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन मुद्दों पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ ;

(ख) और (ग) इस विषय पर एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तथा कामगार संघ ने 20.1.81 को वित्त मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें दी हुई हैं :

1. अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस;

2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ समानता के आधार पर

वेतन में संशोधन किए जाने का निर्णय होने तक 150/- रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वेतन के रूप में अन्तरिम राहत की मंजूरी ।

3. सभी प्रयोजनों के लिए 344 अंकों तक मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाया जाना ।

4. आपातकाल के दौरान मंहगाई भत्ते की दरों में की गई 2-1/2 प्रतिशत की कटौती को फिर से बहाल करना ।

5. ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत के निराकरण का सुनिश्चय करने के लिए मंहगाई भत्ते के फार्मूले का संशोधन ।

6. नैमित्तिक कर्मचारियों के नैमित्तिकरण को समाप्त करना और डाक-तार विभाग के विभाग-वाह्य कर्मचारियों का विभागीकरण किया जाना और इन मांगों को कार्यान्वित किए जाने का निर्णय होने तक, जैसाकि भारतीय रेलवे में किया जाता है, 120 दिनों की सेवा पूरी होने पर ऐसे कर्मचारियों को उन पदों का पूरा वेतन/आनुपातिक वेतन और भत्तों की स्वीकृति देना ।

7. असमर्थताओं सहित सभी प्रकार की सताए जाने सम्बन्धी क्रिया को समाप्त करना ।

8. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और कामगारों को पूरे ट्रेड यूनियन, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का दिया जाना, वर्तमान आचार नियमों को समाप्त करना, अनुच्छेद 310, 311(2)(ग) और (ग), अस्थायी सेवा नियमावली के नियम 5, मूल नियम 17-ए और 56-जे को रद्द करना और संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध के अ-तर्गत संसदीय अधिनियम द्वारा नए प्रजातांत्रिक सेवा नियमों का बनाया जाना ।

2. ज्ञापन में दी गई मांग संख्या 2 का सम्बन्ध, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ समानता के आधार पर वेतन संशोधन का निर्णय होने तक अतिरिक्त वेतन के रूप में 150/- रुपये प्रतिमास की अन्तरिम राहत की मंजूरी से है । राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) के कर्मचारी पक्ष की एक मांग यह भी है कि केन्द्रीय सरकार में समूह 'ग' और 'घ' के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमास 150/- रुपये का अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वैसी ही श्रेणी के कर्मचारियों के मुकाबले में उनके वेतन की असमानता के लिए उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके । यह मांग राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) के विचाराधीन है ।

3. उपर्युक्त ज्ञापन में जीवन निर्वाह सूचकांक के संकलन के लिए अपेक्षित संघटकों का पुनर्निर्धारण करने के लिए विशिष्ट मांग नहीं है ।

विटामिन के बिना वनस्पति का निर्माण करने के लिए अनुमति

1753. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री एन०के० शेजवलकर : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बनाए जा रहे एक किलो ग्राम वनस्पति में विटामिन 'ए' की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अब वनस्पति निर्माताओं को विटामिन के बिना वनस्पति बनाने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका औचित्य क्या है; और

(घ) इस समय बनाए जा रहे वनस्पति की तुलना में विटामिन के बिना बनाए गए प्रति किलो ग्राम वनस्पति के लिए देश में उपभोक्ता को कितनी कम कीमत अदा करनी पड़ेगी ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : वनस्पति तेल उत्पाद (गुणवत्ता मानक) आदेश, 1975 में यह विनिर्दिष्ट है कि कृत्रिम विटामिन 'ए' की मात्रा 25.0 अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट प्रति ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए । इसका यह मतलब है कि 1 किलो ग्राम वनस्पति में विटामिन की मात्रा 25,000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ख) जी नहीं । तथापि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने वनस्पति तैयार करने में विटामिन 'ए' का अनिवार्य उपयोग करने के उपबन्ध को हटाने के प्रस्ताव पर सुझाव/आपत्तियां आमन्त्रित की हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस प्रस्ताव पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

लाइसेंसों की स्वीकृति देने के लिए बोर्ड

1754. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यात-प्रधान एकक स्थापित करने के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्रों के निपटान के लिए बोर्ड गठित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस बोर्ड को क्या शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) बोर्ड के गठन तथा कार्यों को दर्शाने वाली उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं० 25 (अ) दिनांक 13 जनवरी, 1981 की एक प्रतिलिपी संलग्न है।* (ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी०—1985/81)।

भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक

1755. श्री के०पी० सिंह देव :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योग तथा औद्योगिक निर्यात जैसी आर्थिक गतिविधि के अन्य क्षेत्रों में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) जी हाँ। भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति की चौथी बैठक 19 से 22 जनवरी, 1981 तक नई दिल्ली में हुई। विचार विमर्श में जो विषय शामिल थे वे हैं : भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन, आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग जिसमें तीसरे देश के उद्यमों में भारत-ब्रिटेन सहयोग की सम्भाव्यताएं भी शामिल हैं। चूंकि इस विचार-विमर्श में अधिकांशतः विचारों का परस्पर आदान प्रदान ही हुआ इसलिए कोई नए निर्णय नहीं लिए गये।

एल्यूमिनियम प्रद्रावक, उड़ीसा के लिए ऋण

1756. श्री के० पी० सिंह देव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फ्रांसीसी सहायित उड़ीसा एल्यूमिनियम प्रद्रावक के लिए रियायती ब्याज की दरों पर पेट्रोडालर ऋण प्राप्त करने में सफल हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सतबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण की उपलब्धता के कारण उड़ीसा में परियोजना आरम्भ करने के लिए रास्ता साफ हो गया है; और

(घ) क्या इस परियोजना के लिए फ्रांस से डिलीवरी की सूची का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और संयंत्र की स्थापना का वास्तविक कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उड़ीसा एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलैक्स के वित्तीय खर्च हेतु बैंक नेशनल डी० पेरिस, सोशिएट जनरल, बी० ए० एशिया लि० तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया बैंक-समूह द्वारा 680 मि० अमेरिकी डालर का यूरो-करेंसी ऋण दिया जाएगा ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) उड़ीसा एल्यूमिनियम परियोजना के लिए तकनीकी परामर्शी करार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० और फ्रांस की एल्यूमिनियम पेशीने (ए० पी०) के बीच 9-1-1981 को हुआ है । तकनीकी ज्ञान, पेटेंट और आधारभूत इंजीनियरी सामाग्री की सप्लाई का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसे करार में सम्मिलित कर लिया गया है । परियोजना की विभिन्न इकाइयों के लिए तकनीकी सामाग्री ए० पी० द्वारा क्रमश: प्रदान की जाएगी । 'नालको' द्वारा परियोजना की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरु कर दिया गया है ।

हस्तशिल्प में पूंजी निवेश

1757. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्त शिल्प उद्योगों में लगाई गई कुल पूंजी कितनी है और इसमें से सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ख) उसका वार्षिक उत्पादन तथा उनमें रोजगार पा रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) हस्तशिल्प के, कुटीर क्षेत्र में अत्यन्त विकेन्द्रीकृत व बिखरा हुआ उद्योग होने के कारण निवेश, उत्पादन तथा रोजगार से सम्बन्धित सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि, 1979-80 के मोटे तौर पर अनुमान निम्नलिखित अनुसार है :

(1) उत्पादन : 2,050 करोड़ रु०

(2) रोजगार : 20.30 लाख

(3) निवेश : 700 करोड़ रु०

सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि के फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

1758. **श्री निहाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य सूचकांक के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी करती है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कितनी बार वृद्धि की गई तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कितनी बार वृद्धि की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जीवन निर्वाह लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए तथा सरकार द्वारा सुधारे गए मंहगाई भत्ते के फार्मूले के अनुसार कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी करती है। यह फार्मूला, औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960 = 100) के 12 महीने के औसत में हुई वृद्धि से सम्बद्ध है।

(ख) 1979 और 1980 के दौरान अब तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंजूर की गई मंहगाई भत्ते की किस्तों की संख्या छः है इस मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक अपने ही मानदण्ड अपनाते हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र के कामगरों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

नान रेजीडेंट भारतीयों के साथ विदेशी निवेशकर्ताओं के समान व्यवहार किया जाना

1759. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नान-रेजीडेंट भारतीयों के साथ विदेशी निवेशकर्ताओं के समान व्यवहार नहीं करती;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में अधिक विदेशी मुद्रा के आने में यह एक बड़ी हानि तथा बाधा है;

(घ) क्या सरकार का विचार नान रेजीडेंट के साथ कम से कम विदेशी निवेशकर्ताओं के समान व्यवहार करने का है; और

(ङ) इस दिशा में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) निवेश के प्रयोजनों के

लिए सरकार अ-निवासी भारतीयों को विदेशी निवेशकर्ताओं के सम-तुल्य नहीं समझती। जिस मामले में निवेश, पूंजी को स्वदेश लौटने के अधिकारों से विहीन होकर किया गया हो, उस मामले में शेयरधारिता पर बिना किसी भी प्रतिबन्ध के किसी भी कार्यक्षेत्र में पूंजी के निवेश की अनुमति दे दी जाती है और इस प्रकार अनिवासी भारतीयों के लिए पूंजी-निवेश की उदार सुविधाओं का निर्माण किया गया है। एक प्रवरणित सूची में दर्ज नई कम्पनियों के नए निर्गमों में स्वदेश लौटाये जाने के अधिकारों सहित 20 प्रतिशत तक और परिशिष्ट 1 के क्षेत्रों में तथा निर्यात प्रधान उपक्रमों के नए निगमों में 74 प्रतिशत तक का पूंजी निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यदि अ-निवासी भारतीयों को विदेशी निवेशकर्ताओं के समतुल्य समझा जाता, तो इस सुविधा का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं था।

नई विदेश निवेश नीति का प्रभाव

1760. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि नई विदेशी निवेश नीति का भारतीय उद्यमकर्ताओं तथा तेल निर्यातक विकासशील देशों के इच्छुक निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) इस नीति के कार्यकरण की देखभाल किस तंत्र तथा अधिकरण द्वारा की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) यद्यपि घोषित की गई नई नीति के प्रति प्रतिक्रिया अनुकूल ही रहा है, तथापि सरकार के समक्ष विचारार्थ कोई भी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। किन्तु ऐसा मालूम हुआ है कि नई सुविधा का फायदा उठाने के लिए उत्सुक कतिपय परियोजनाओं के लिए आरम्भिक बातचीत चल रही है।

(ख) यद्यपि नीति के प्रभाव का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त मंत्रालय ही सारवान कार्यकर्ता मंत्रालय रहेगा, तथापि अलग-अलग परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण वैसे ही जैसे परियोजना के सम्बन्ध में अभिस्वीकृति मिलेगी सम्बद्ध प्रशासनिक-मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

किस्म नियन्त्रणतथा पोत-लदान पूर्व निरीक्षण के उल्लंघन के मामले

1761. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री जगपाल सिंह :
श्री रशीद मसूद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के दौरान ऐसे अनेक मामलों का पता चला है जिसमें किस्म नियंत्रण तथा पोत लदान पूर्व निरीक्षण का उल्लंघन हुआ है;

(ख) क्या अनेक मामलों में निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो 1979 और 1980 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला और इनमें अन्तर्ग्रस्त निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के अधिकारियों की संख्या क्या है;

(घ) उल्लंघन के इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त निर्यातकों/निर्माताओं तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) किस्म नियंत्रण उल्लंघन को सख्ती से रोकने तथा घटिया माल के लदान पर कड़ी निगरानी रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1979 तथा 1980 के वर्षों के लिए क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के उल्लंघन वाले मामले और उन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे।

		1979	1980
(1)	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के अधीन	1	3
(2)	जिन पर अभियोग चलाया जा रहा है	+	—
(3)	काली सूची में शामिल	2	—
(4)	न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए गए	3	2
(5)	जितने मामलों पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा शास्तियां लगाई गई	23	8
(6)	न्यायालयों के समक्ष लम्बित	—	5
(7)	अभियोग चलाये जाने के प्रयोजनार्थ विभागीय जांच के अधीन।	—	9
		30	27

ऐसे मामलों तथा उन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे जिनमें निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है ।

		1979	1980
(1)	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जाँच अधीन	1	4
(2)	जितनों पर बड़ी शास्ति लगाने के लिए की गई/ की जा रही नियमित विभागीय कार्यवाही	9	8
(3)	सेवा से हटाए गए	—	1
(4)	जितनों पर अभियोग चलाया गया	1	—
(5)	जितनों पर अभियोग चलाया जा रहा है	1	—
		12	13

अन्य बातों के साथ साथ क्वालिटी नियंत्रण के उल्लंघन पर अपेक्षाकृत कड़ी रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के मुख्यालयों में तकनीकी लेखा परीक्षा-सह-सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं ।

(2) लदान पत्तनों पर जांच पड़ताल का प्रबन्ध किया गया है ।

(3) निरीक्षण तथा न्यूनतम विशिष्टियों की प्रणाली का सरल तथा कारगर बनाया जाता जिनसे नीचे माल के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती ।

(4) निर्यात निरीक्षण परिषद् के सतर्कता स्कन्ध को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर एक नियमित आई० पी० एस० अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो निदेशक (निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण), निर्यात निरीक्षण परिषद् को सीधे रिपोर्ट करेंगे ।

उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा की गई अनियमितायें

1762. **प्रो० अजित कुमार मेहता** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और सप्लाई विंग ने विशेष रूप से सर्किल 39 में और सामान्यतया अन्य सर्किलों में अलग-अलग नामों से एक ही स्थान पर मिट्टी का तेल, गेंहूं, खाद्य तेल और उचित दर की दुकानों के लाइसेंस दिए हैं हालांकि वास्तविक किरायेदार लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति से अलग हैं;

(ख) क्या दुकान में स्थान के कमी के कारण तेल को ड्रम मुख्य व्यस्त सड़क के निकट रखे गए हैं जिसके परिणामस्वरूप खुले तौर पर आग लगने का खतरा है;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों द्वारा साथ-साथ ही वनस्पति घी बेचा जाता है क्योंकि उन्हें सस्ती दरों पर बेचने के लिए "रेपसीड" और "पायम आयल" दिया गया है;

(घ) यदि हाँ तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और वे अनियमितताएं कब तक दूर कर दी जायेंगी; और

(ङ) इस प्रकार के कुल कितने मामले हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

(क) से (ङ) यह सही है कि कुछ मामलों में एक ही म्यूनिसिपल नम्बर किन्तु अलग-अलग कक्षों वाले स्थान में उचित दर की दुकानों के लाइसेंस, मिट्टी के तेल के लाइसेंस अथवा एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को लाइसेंस देने पर विचार करते समय व्यापारिक इलाकों में उपलब्ध जगह की विकट कमी की समस्याओं और साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा को भी ध्यान में रखना होता है। दिल्ली के सभी भागों, विशेषकर भीड़ वाले वाणिज्यिक इलाकों में उचित दर की दुकानें/ मिट्टी के तेल के डिपो खोलने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना हमेशा संभव नहीं होता है। इसके अलावा, उचित दर की दुकान या मिट्टी के तेल का डिपो चलाना अधिक लाभ का काम नहीं है और शुरू में इनके लाइसेंसों की मांग अधिक नहीं थी। इस प्रकार, पहले लाइसेंस आवश्यकता के आधार पर दिए गए थे और ऐसा करते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं लिया गया था कि क्या लाइसेंसधारी के पास पहले से ही कोई और लाइसेंस भी है। पुराने लाइसेंसों में रद्दोबदल करने की कानूनी तौर पर इजाजत नहीं है। वास्तव में एक ऐसे लाइसेंसधारी के मामले में उसके मिट्टी के तेल के डिपो का लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्यवाही की गई थी। लाइसेंसधारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया। उपर्युक्त स्थिति के बावजूद दिल्ली के खाद्य तथा सम्भरण विभाग ने यह प्रशासकीय निर्णय लिया है कि उस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जिसके पास आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पहले से ही लाइसेंस है, ताकि एकाधिकार को रोका जा सके, किन्तु किन्ही मामलों में, जब कोई अन्य आवेदक नहीं है और उस इलाके से उचित दर की दुकान या मिट्टी के तेल का डिपो खोलने की मांग है, तो उस स्थिति में उक्त नीति में ढील देते हुए लाइसेंस देना होगा।

जहाँ तक वनस्पति घी का सम्बन्ध है, उचित दर की दुकान द्वारा वनस्पति घी बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु 5 किलोलीटर से अधिक वनस्पति तेल तथा अन्य खाद्य तेलों के बेचने तथा भण्डारण करने के लिए लाइसेंस लेना होता है।

यह कहना सही नहीं है कि तेल के ड्रम सड़क के किनारे जमा किए पाए जाते हैं, जिससे यातायात/आग लगने का खतरा रहता है जब कभी ऐसा दृष्टांत जानकारी में आता है, जहाँ लाइसेंसधारी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति दुकान चला रहा हो, वहाँ लाइसेंसधारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों को कठिनाइयाँ

1763. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालयों में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों को, जब उनका स्थानांतरण एक सेवा मुख्यालय से दूसरे सेवा मुख्यालय में कर दिया जाता है तो उन्हें वित्तीय मामलों में भारी संकट, असुविधा तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों में रक्षा लेखा नियंत्रकों में परिवर्तन हो जाता है तथा थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना के रक्षा लेखा नियंत्रकों के कार्यालय मेरठ, देहरादून और बम्बई में स्थित है और उनके सामान्य भविष्य निधि लेखे आदि उनके सेवा-निवृत्त होने के बाद भी अनिर्णित रहते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का प्रस्ताव सशस्त्र सेना मुख्यालयों में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में एक साझा रक्षा लेखा नियंत्रक की नियुक्ति करने तथा उन्हें उनके स्थानान्तरण के समय होने वाली कठिनाइयों से बचाना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) कुछ शिकायतें की गई थीं किन्तु वे सिद्ध नहीं हुई हैं।

(ख) नई दिल्ली में, असैनिक (सिविल जनों) के लिए एक साझा रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा काम करना आरम्भ कर दिया है। अभी, उसका लक्ष्य रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय और अन्तर्सेवा संगठनों के वेतन और भत्ते तथा यात्रा भत्ते आदि का काम करना है। उसे और काम सौंपने के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि दावों को शीघ्र निपटाने में और सुविधा हो सके।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के प्रबन्ध का अधिग्रहण

1764. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के प्रबन्ध का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) सरकार द्वारा इसके प्रबन्ध का अधिग्रहण किए जाने की तिथि तथा शर्तें क्या हैं; और

(ग) अप्रत्याभूत लेनदारों की देय राशि क्या है तथा इन लेनदारों के हितों की रक्षा करने के लिए नए प्रबन्ध द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० से, उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत निम्नोक्त शर्तों के अध्यधीन 13-4-1978 से स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर का प्रबन्ध ग्रहण किया गया था :

1. प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विदेशों का पालन करेगा;

2. प्राधिकृत व्यक्ति अधिग्रहण की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए कार्यभार संभालेगा;

3. केन्द्रीय सरकार अगर वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति इससे पहले भी समाप्त कर सकती है।

(ग) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के अप्रत्याभूत लेनदारों की देय राशि का अनुमान 701 38 लाख रु है। इन दायित्वों को उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1951 की धारा 18 च ख के अन्तर्गत जारी अधिसूचना द्वारा विलम्बित कर दिया गया है।

मूल्य समीकरण के अन्तर्गत वस्तुओं की समीक्षा

1765. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मन्त्री कृपा, रसायन और पैट्रोलियम के मूल्यों के एक रूप करने के बारे में 12 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3715 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य समीकरण के अन्तर्गत वस्तुओं की पिछली बार समीक्षा कब की गई थी;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव और पुनरीक्षा करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति ने जिसने मई 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की है, भाड़ा समीकरण/कीमत समीकरण के विषय पर परीक्षण किया है :

(ख) और (ग) सरकार द्वारा, उत्पन्न स्थिति के अनुसार समय-समय पर कीमत समीकरण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का पुनरीक्षण किया जाता है।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम कम्पलेक्स का निर्माण

1766. **श्री चित्त बसु :** क्या इस्पात और खान मन्त्री उड़ीसा में एल्यूमिनियम काम्पलेक्स के निर्माण के बारे में 12 दिसम्बर, 1980 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 3714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं अर्पित की हैं और उनका अन्य ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस बीच परामर्शदाताओं का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है; और

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नई कम्पनी स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) फ्रांस की मैसर्स एल्यूमिनियम पैशीने (ए०पी०) जिन्होंने परियोजना की साध्यता रिपोर्ट तैयार की थी, को उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलेक्स के लिए भारत में तकनीकी जानकारी, आधारभूत इन्जीनियरी तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदाता (9.1.81) को हुए एक करार के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। ए०पी० फ्रांस के पैशीने दुजीन कुहयन (पी०यू०के०) ग्रुप की एक बड़ी कम्पनी है जो विश्व के महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। उन्होंने अनेक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम उत्पादकों को अपने पेटेंट, तकनीकी ज्ञान और डिजाइन सप्लाई किए हैं। ए०पी० की गतिविधियां, बाक्साइट खनन से लेकर प्राथमिक धातु के उत्पादन और एल्यूमिनियम उपभोक्ता माल तक व्याप्त है।

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी 7.1.1981 को बनाई गई है और परियोजना की स्थापना हेतु प्रारम्भिक कार्य पहले से शुरू किया जा चुका है।

राज्य नागरिक उड्डयन निगम के लिए उत्तर प्रदेश का अनुरोध

1767. **श्री चित्त बसु :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राज्य नागरिक उड्डयन निगम की स्थापना करने के लिए केन्द्र की मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रस्ताव के विस्तृत ब्यौरे अभी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने हैं।

कोफेपोसा में संशोधन का प्रस्ताव

1768. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कोफेपोसा" में कुछ कमियों को दूर करने तथा इसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

देशीय विमान उड़ानों में समाचार-पत्रों की सप्लाई

1769. श्री राम विलास पासवान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशीय विमान उड़ानों द्वारा यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए कुल कितने समाचार-पत्र सप्लाई किए गए थे और उनमें हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के कितने समाचार-पत्र हैं;

(ख) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में की जाने वाली देशीय विमान उड़ानों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के कितने समाचार-पत्र सप्लाई किए गए थे?

(ग) क्या संसद सदस्यों ने ऐसी विमान उड़ानों में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों की सप्लाई करने में उपेक्षित रवैये के बारे में बारम्बार शिकायतें की हैं; और

(घ) इस बारे में असमानता दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) इण्डियन एयर लाइन्स की उड़ानों पर प्रतिदिन रखे जाने वाले समाचार-पत्रों की कुल संख्या 4709 है। विभिन्न-भिन्न भाषाओं में इनका विवरण निम्न प्रकार है :

अंग्रेजी	:	3,530
हिन्दी	:	529
बंगाली	:	192
मराठी	:	135
गुजराती	:	118
उर्दू	:	108
तमिल	:	78
तेलगू	:	19
कुल	:	4,709

(ख) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विमानों पर रखे जाने वाले समाचार-पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

हिन्दी	:	126
अंग्रेजी	:	338
कुल	:	464

(ग) और (घ) अन्तर्देशीय उड़ानों में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समाचार-पत्रों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में समय-समय पर संसद्-सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लिहाजा विमानों पर हिन्दी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि करने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

सरकारी निगमों के प्रबन्धकों द्वारा विदेशी दौरे

1770. **श्री रामविलास पासवान :**
स्वामी इन्द्रवेरा :
श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी निगमों के प्रबन्धक प्रायः विदेशी दौरों पर जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार में उन निगमों के क्या नाम हैं जिनके प्रबन्धकों ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों का दौरा किया है;

(ग) प्रत्येक मामले में विदेशी मुद्रा की कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के दौरों में कमी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (घ) सरकारें उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे वस्तुतः सरकारी काम के लिए किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के इस प्रकार के दौरों के लिए मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को स्वीकृति लेनी आवश्यक है, जबकि सम्बद्ध उद्यम के अन्य कार्यकारी अधिकारियों के ऐसे दौरों को स्वीकृति सम्बन्धित उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दी जाती है।

(ख) और (ग) 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों के बारे में प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, उद्यमों के नाम, विदेशी दौरे पर किए गए खर्च का इस कार्यालय में उपलब्ध विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी०—1986/८1)।

उत्तर प्रदेश में डाक-सामग्री के निर्माण के लिए एकक की स्थापना

1771. **श्री जैनुल बशर :** वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में डाक-सामग्री तथा अन्य सुरक्षा (सिक्योरिटी) मुद्रण वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित एकक की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने पहले ही हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का फैसला कर लिया है जहाँ हैदराबाद टकसाल के उन कर्मचारियों को खपाने का प्रस्ताव है जिनके सिक्कों की मांग में कमी होने के कारण फालतू हो जाने की प्रत्याशा है।

प्रभावी सार्वजनिक वितरण पद्धति लागू करने के लिए योजना

1772. **श्री जैनुल बशर :**
श्री पी० के० कोडियन :
श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रभावी सार्वजनिक वितरण पद्धति लागू करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली; इस देश में लम्बे अर्से से कार्य कर रही है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति का कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इसकी निरन्तर पुनरीक्षा की जाती रहती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों में संसद में पेश किए गए विधेयकों द्वारा संशोधन किया जा रहा है, ताकि इन अधिनियमों का प्रवर्तन कार्य बेहतर तरीके से किया जा सके। राज्य सरकारें इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं। जनवरी, 1980 से इस प्रणाली के बिक्री केन्द्रों में 40,000 से अधिक की वृद्धि की गई है। इस प्रणाली को मजबूत करने के एक उपाय के रूप में, देश के 12 राज्यों ने आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति का कार्य अपने नागरिक पूर्ति निगमों को सौंप दिया है और पाँच अन्य राज्य सरकारें अपने राज्यों में नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं।

इस्पात फैक्टरियों द्वारा मांगे गए वैगन

1773. श्री अंतुले बशीर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात फैक्टरियों द्वारा 1 अप्रैल, 1981 तक मांगे गए वैगनों की संख्या क्या है;

(ख) उन्हें सप्लाई किए गए वैगनों की संख्या क्या है; और

(ग) शेष वैगनों की सप्लाई करने में विफलता के लिए रेल द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : विक्रेय उत्पादों के प्रेषण के लिए अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान रेलवे द्वारा इस्पात कारखानों को सप्लाई किए गए वैगनों की संख्या नीचे दी गई है :

(4 पहिए वाले वैगनों के समतुल्य)

संयंत्र	जितने वैगनों की मांग रखी गई थी	जितने वैगन दिए गए
भिलाई	105,350	99,352
दुर्गापुर	31,673	30,040
राउरकेला	93,836	45,964
बोकारो	90,541	85,868
इस्को (बर्नपुर)	47,033	30,020

(ग) जबकि रेलवे का कहना है कि वे इस्पात कारखानों को वैगन सप्लाई करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है तथापि वैगनों की पर्याप्त सप्लाई न होने के मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

1. चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में अनुपयुक्त वैगनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही है,
2. सी०आर०टी० और बॉक्स-टाइप बन्द वैगनों के अंशतः लदान पर प्रतिबंध.
3. पूरे रेकों की ढुलाई पर अधिक बल देना जिससे उपलब्ध रेल के डिब्बों का इष्टतम उपयोग किया जा सके; और
4. कुछ उपयोक्ताओं द्वारा वैगन निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए रोके रखना जिसके परिणामस्वरूप यातायात के लिए रेल डिब्बों की उपलब्धि में कमी हो जाती है। रेलवे ने बताया है कि इस्पात कारखानों में इस प्रकार का एक उपयोक्ता राउरकेला इस्पात कारखाना है।

निर्यात संवर्धन परिषदें

1774. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोलह निर्यात संवर्धन परिषदों के चेयरमैनों का गत तीन वर्षों का यात्रा और टेलीफोन (विदेशी मुद्रा में और रुपयों में) संबंधी व्यय कितना है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में निर्यात संवर्धन परिषदों के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के निर्यात में इन निर्यात संवर्धन परिषदों का क्या योगदान रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) : विगत 3 वर्षों के दौरान पन्द्रह निर्यात संवर्धन परिषदो के अध्यक्षों के यात्रा तथा टेलीफोन सम्बन्धी व्यय नीचे दिए गए हैं। सोलहवी निर्यात संवर्धन परिषद् अर्थात् सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने इस अवधि के दौरान अपने प्रशासकीय व्यय के लिए सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं की।

	यात्रा सम्बन्धी व्यय		टेलीफोन सम्बन्धी व्यय	
		रुपये		
वर्ष	(रु० में)	(वि०मु० में)	कार्यालय	आवास
1977-78	59,964	11,102	1,162	कुछ नहीं
1978-79	1,18,084	23,092	1,118	कुछ नहीं
1979-80	1,68,815	17,094	8,458	37,810

(ख) इस सम्बन्ध में निर्धारित कोई सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है। तथापि, अध्यक्षों के आवासीय टेलीफोन व्यय पर कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता। अध्यक्षों के यात्रा सम्बन्धी व्यय तभी सरकारी अनुदान के लिए पात्र होते हैं अगर वे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए हों।

(ग) उन वस्तुओं के, जिनसे निर्यात संवर्धन परिषद सम्बन्धित हैं, उन निर्यातों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

**निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न उत्पादों के 3 वर्षों के निर्यात आंकडे प्रत्येक निर्यात संवर्धन परिषद् के सामने दिए गए हैं:

क्रमांक	निर्यात संवर्धन परिषद का नाम	(करोड़ रु० में) 77-78	78-79	79-80 (अन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	रासायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता।	158.0	152.3	154.3
2.	काजू निर्यात संवर्धन परिषद् कोचीन।	150·61	84.92	132.37
3.	इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता।	623.96	716.93	680.00
4.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास।	257.5	329.8	424.4
5.	प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई।	27.30	30.18	35.66
6.	चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता।	6.34	8.37	11.12
7.	रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई :	33.06	43.61	48.93
	रेशम :			
	मानव निर्मित वस्त्र :	32.32	41.80	33.59
8.	मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् एर्नाकुलम।	140.07	160.16	135.40

1	2	3	4	5
9.	खेल कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।	18-10	23.47	24.38
10.	साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।	105.20	138.00	120.38
11.	मूल रसायन, मेषजीय तथा सौंदर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई ।	171.59	174.84	150.22
12.	ऊन तथा ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।	125.63	134.23	138.76
13.	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास ।	250.43	302.92	310.10
14.	रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।	560	727	600
15.	तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर ।	226.24	260.89	365.09
16.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई ।	614.34	637.51	728.63

** —आँकड़े वही हैं जो निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं ।

रुई के निर्यात पर प्रतिबन्ध

1775. **श्री डी०पी० जदेजा :**

श्री बी०डी० सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुई का और आगे निर्यात बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस कदम की वजह से उत्पादन अपने लाभप्रद मूल्यों से वंचित रह जाएंगे और

(घ) यदि हां, तो रुई उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) चालू रुई वर्ष

(सितम्बर, 1980-81--अगस्त 1981) के दौरान सरकार ने अब तक स्टेपल रुई की 3 लाख गाँठों, और बंगाल देशी तथा उसीप्रकार की रुई की । लाख गाँठों के निर्यात की अनुमति दी है । ये पिछले वर्ष की वचनबद्ध शेष गांठों के अलावा है । रुई की उपलब्धता तथा कीमतों से उत्पन्न स्थिति पर निर्भर करते हुए समय समय पर निर्यात के लिए निर्णय लिया जाता है । यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने रुई के और निर्यातों को रोक दिया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात में बाधक समस्याएं

1776. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी०वी० देसाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार उद्योग और निर्यातकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने निर्यात में बाधक समस्याओं की जांच करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय समन्वय समिति गठित किए जाने के लिए सरकार पर जोर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मांग करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार उनके अनुरोध से सहमत हो गई है; और

(घ) निर्यात में अन्य सुधार करने के लिए उन्होंने सरकार को क्या उचित उपाय सुझाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हाँ । यह सिफारिश 24.1.81 को हुई निर्यात संवर्धन संगठनों के अध्यक्ष तथा सचिवों की बैठक में की गई थी । इस सुझाव के लिए मुख्य तर्क यह था कि निर्यातकों की उन समस्याओं का, जिनका सरकार के कई विभागों से सम्बन्ध है, अतः मंत्रालय मंच पर अधिक शीघ्रता से समाधान किया जा सकता है ।

(ग) यह सिफारिश विचाराधीन है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

निर्यात संवर्धन संगठनों के अध्यक्ष तथा सचिवों की बैठक में दिए गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित के बारे में हैं :

1. क्रिया विधियों/दस्तावेजों को सुव्यवस्थित तथा सरल बनाना;

2. निर्यात उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करना;

3. निर्यात उत्पादन के लिए निर्यात माल तथा कच्चा माल तेजी से लाना ले जाना;

4. टेलीफोन, केबल, टेलेक्स आदि जैसी पर्याप्त संचार सुविधाओं की व्यवस्था करना;

5. विदेशों में भांडागार स्थापित करना;

6. प्रतियोगी दरों पर पोतलदान पूर्व तथा पोतलदान पश्चात् ऋण प्रदान करना;

7. प्रत्यक्ष कर लाभ/कर ऋण प्रमाण पत्र प्रदान करना जिसमें निर्यातों पर आय कर में स्टैन्डर्ड छूट प्रदान करना भी शामिल है;

8. उचित कीमत पर अच्छी क्वालिटी के माल के सप्लायर के रूप में भारत की छवि प्रस्तुत करने के लिए विदेशों में निर्यात केन्द्र स्थापित करना;

9. निर्यात संवर्ति खर्च की और अधिक मदों को शामिल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35-ख का क्षेत्र व्यापक बनाना;

10. विदेशों से संभावित खरीदारों के प्रतिनिधि मंडल आमंत्रित करना;

11. व्यापारिक सदन स्थापित करना;

12. मुक्त व्यापार जोनों में आधुनिक संचार प्रणाली की व्यवस्था करना;

13. सुस्थापित निर्यातकों द्वारा क्वालिटी नियंत्रण के लिए स्वयं प्रमाणिकरण योजना आरम्भ करना;

14. आयात नीति निर्यातोन्मुख होनी चाहिए;

15. विदेश स्थित भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक अनुभागों को अन्य प्रभागों से अलग करना;

उपर्युक्त के अलावा, बैठक में वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिए गये।

संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना की समीक्षा

1777. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर के लिए संक्षिप्त कर निर्धारण योजना की समीक्षा करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कतिपय कर-निर्धारिती, छूट अथवा कटौती की प्रत्यक्षतः अस्वीकार्य मदों के सम्बन्ध में दावे करके, वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1980 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) (ख) से उपखण्ड (ii) और (iii) हटाए जाने का अनभिप्रेत लाभ उठा रहे हैं। अतः बोर्ड ने फैसला किया है कि ऐसे मामलों को संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना की प्रभाव-सीमा से बाहर माना जायेगा और इन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) के अधीन जांच पड़ताल कर लेने के बाद पूरा किया जाना होता है। नमूना जांचके विषय क्षेत्र को भी अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से और विस्तृत तथा सुदृढ बनाया गया है।

भुगतान शेष

1778. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुगतान शेष का ह्रास 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हाँ। भुगतान शेष के सम्बन्ध में वित्त वर्ष 1980-81 में चालू खाते में 2000 करोड़ रुपए तक का घाटा होने का अनुमान है।

(ख) सरकार आधारभूत ढांचे के कार्यचालन को सुधारने, उत्पादन पर नियंत्रणों को हटाने, आयातो को कम करने के लिए क्रांतिक क्षेत्रों के उत्पादन में क्षमता का और अधिक उपयोग और विस्तार करने के लिए कई उपाय कर रही है। ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं जिनसे; (क) तेल और गैस की देश में ही खोज और उत्पादन बढ़ा कर आयातित तेल पर भारी निर्भरता को कम किया जा सके, (ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सके और (ग) निर्यात के कार्यनिष्पादन को बढ़ाया जा सके ताकि विकास और आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई आयात आवश्यताओं को पूरा करने में देश सक्षम हो सके।

एअर इण्डिया द्वारा चार्टर उड़ानों का शुरू किया जाना

1779. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से एअर-इण्डिया चार्टर उड़ानोंको शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ख) देश में विदेशी पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ावा देने की दृष्टि से चार्टर उड़ानें परिचालित करने के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

पर्यटन केन्द्रों का विकास करने सम्बन्धी केरल सरकार के प्रस्ताव

1780. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में छठी योजना अवधि में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो भेजे गए प्रस्तावों का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव सम्बन्धी कुल लागत क्या होगी; और

(घ) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) मई/जून, 1980 में राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के पर्यटक अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय आधार पर हुई चर्चा के दौरान सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से यात्रा परिपथ संकल्पना पर आधारित एक पर्यटन विकास का ब्लू-प्रिंट तैयार करने का अनुरोध किया गया था, जिसके अनुसरण में केरल सरकार ने राज्य में पर्यटक यात्रा परिपथों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) और (ग) 1980-85 की अवधि के लिए 1836.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर आधारित संरचना सम्बन्धी सुविधाओं की आयोजना के उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने हेतु 4 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं। प्रस्तावित किए गए यात्रा परिपथ नीचे दिए गए हैं :—

1. त्रिवेन्द्रम-कोवलम-वेली-पोनमुडी-वर्कला
2. त्रिवेन्द्रम-कोटियम-कुमार-कोण-थेकडी
3. त्रिवेन्द्रम-कोचीन-थेकडी
4. त्रिचूर-गुरूवयूर-कन्नानोर-एजही माला

(घ) चुने हुए यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों का समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए केन्द्रीय तथा राज्य

सेक्टरों में शुरू की जाने वाली स्कीमों को अंतिम रूप देने के लिए मार्च 1981 में नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली बैठक में राज्य के पर्यटक अधिकारियों के साथ इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

1781. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग द्वारा 1980 में कुल कितने मूल्य की निषिद्ध वस्तुयें पकड़ी गईं थीं;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति कैसी है; और

(ग) तस्करी विरोधी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या अतिरिक्त कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1979 तथा 1980 में पकड़े गए माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1979	40.42
1980	52.83

(ग) बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए वर्ष 1980 में एक कार्य-योजना तैयार की थी। इस सम्बन्ध में अपनाए गए उपायों में, निवारक और गुप्त सूचना तन्त्र को, विशेषतया तस्करी के लिये सुगम्य क्षेत्रों में एवं तस्करी आकर्षण वाली मदों के सन्दर्भ में सुदृढ़ बनाना भी शामिल है। सीमा शुल्क विभाग के पास मौजूदा बेड़े में अतिरिक्त अत्याधुनिक अवरोधक-यान प्राप्त करके वृद्धि की गई और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों में पड़ने वाली भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ तस्करी के लिए सुगम्य स्थलों पर पर बेतार-संचार व्यवस्था कायम की गई।

तस्करी के एवं विदेशी मुद्रा जालसाजी के संयोजकों और वित्तपोषकों की निवारक नजरबंदी के लिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वित किया गया।

देश से चांदी के तस्कर— निर्यात को रोकने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय iv—ख के उपबन्धों को, जिनमें चांदी के भण्डारण, उसके लाने-ले-जाने और उसकी बिक्री के बारे में विनियामक उपबन्ध शामिल हैं, भारत-नेपाल एवं भारत-पाकिस्तान

सीमाओं के साथ-साथ पचास किलोमीटर की पट्टी लागू किया गया। ये उपबन्ध, पश्चिमी समुद्रतठ के और तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी समुद्रतट के साथ-साथ 50 किलोमीटर की पट्टी पर पहले से ही लागू थे।

श्रीलंका की सरकार एवं नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ, भारत तथा इन दोनों देशों के बीच होने वाली तस्करी को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए, द्विपनीय बैठकें आयोजित की गईं। समस्त तस्करी-निवारक अभियान के अन्तर्गत अन्य प्रवर्त्तन एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ नजदीकी तालमेल भी बनाए रखा गया।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, फरीदाबाद, और दिल्ली के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा की गई कथित ठगी/धोखाधड़ी

1782. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद और दिल्ली स्थित पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कुछ कर्मचारियों तथा अधिकारियों को गलत काम करने, सत्ता का दुरुपयोग करने और ठगी तथा धोखा-धड़ी करने के लिए जनवरी, 1981 में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या विभागीय और अन्य कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि उसकी एन०आई०टी० फरीदाबाद शाखा (हरियाणा) में कार्य कर रहे दो अधिकारियों को, इस शाखा में हुए एक धोखाधड़ी के मामले के सम्बन्ध में 28-1-1981 को हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ख) बैंक ने सूचना दी है कि मामला एक खाताधारक द्वारा 48,600/- रु० का एक जाली ड्राफ्ट जमा करा कर 48,100/- रुपये निकाले जाने से सम्बन्धित है।

(ग) क्योंकि मामले की जांच राज्य की पुलिस कर रही है, इसलिए विभागीय और अन्य कार्यवाही, पुलिस जांच के परिणामों पर निर्भर होगी।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, फरीदाबाद और दिल्ली के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा कथित ठगी/धोखाधड़ी

1783. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1981 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक फरीदाबाद तथा दिल्ली के कुछ कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अवैध कार्य, सत्ता के दुरुपयोग, ठगी तथा धोखा-धड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध विभागीय तथा अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मंगनभाई बरोट) : (क) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि उसकी फरीदाबाद तथा दिल्ली शाखाओं का कोई भी पदाधिकारी/कर्मचारी, जनवरी, 1981 में अनैतिक कार्य करने, पद के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और गबन के मामलों में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

मध्य प्रदेश के स्थानों का विकास और पर्यटन के लिए परिव्यय की व्यवस्था

1784. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं,

(ख) उनके लिए कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है; और

(ग) उन योजनाओं में मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों को शामिल किया गया है तथा इस सम्बन्ध में पूरा ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) : पहले से चली आ रही स्कीमों के अतिरिक्त केन्द्रीय पर्यटन विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन के विकास के लिए यात्रा परिपथों की संकल्पना के अनुसार आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों से अपने अपने राज्यों में यात्रा परिपथों की संकल्पना के आधार पर पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिन्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। मार्च 1981 में, राज्य के पर्यटन अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में, जब केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों में पर्यटन विकास के लिए स्कीमों को अन्तिम रूप दिया जाएगा और उनके लिए वित्तीय परिव्यय निर्धारित किए जाएंगे, तभी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ का आयात

1785. **श्री के०ए० राजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम का 15,000 टन प्राकृतिक रबड़ आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक प्रयोग कर्ताओं ने अपनी वास्तविक मांग राज्य व्यापार निगम के पास दर्ज करवा दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयात लक्ष्य का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) अप्रैल-जून 1980 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने 400 मे० टन प्राकृतिक रबड़ का आयात किया। सरकार द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया है कि वे 1980-81 के दौरान 10,000 मे० टन की मात्रा का और आयात करें।

(ख) तथा (ग) प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति देश में मांग तथा पूर्ति की स्थिति का अनुमान लगाने के बाद दी जाती है। वास्तविक प्रयोक्ताओं ने आयात के लिए प्राधिकृत सीमा के भीतर अपनी ग्रेडवार आवश्यकताएं राज्य व्यापार निगम के पास पंजीकृत करा दी है।

केन्द्रीय नागरिक पूर्ति निगम

1786. **श्री के०ए० राजन** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार बहुत आवश्यक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का रक्षित भण्डार बनाने तथा राज्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार सप्लाई करने के लिए एक केन्द्रीय नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना की सम्भाव्यता पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला है तथा इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) सरकार यह मानती है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को सामान्य स्तर पर बनाए रखने का एक उपाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना भी है। खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी के तेल, खाद्य तेलों और नियंत्रित कपड़े की अधिप्राप्ति, भण्डारण और सप्लाई का काम भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों, राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा है। अत: विभिन्न वस्तुओं की अधिप्राप्ति और उनका सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए केन्द्रीय नागरिक पूर्ति निगम स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1787. **श्री के०ए० राजन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के कर्मचारियों ने प्रबन्धक द्वारा मानी गई मांगों को कार्यान्वित न किए जाने के विरोध में प्रगति मैदान नई दिल्ली में प्रशासकीय ब्लाक के सामने 3 फरवरी को प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हां। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के मुट्ठी भर कर्मचारियों ने बिना उचित इजाजत के प्रशासनिक भवन के अहाते में एक सभा बुलाई। पाँच कर्मचारियों ने अपमानजनक भाषण देते हुए सभा को सम्बोधित किया और प्रबन्धकों के विरुद्ध अश्लील नारे लगाये।

पार्ले कम्पनी समूह के सीमा शुल्क कलेक्टर के कार्यालय में न्याय-निर्णयाधीन पड़े मामलों की संख्या

1788. **श्री के० लकप्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्ले कम्पनी समूह के सीमा शुल्क कलेक्टर के कार्यालय में अनेक मामले न्याय-निर्णयाधीन पड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी ओर अनुमानत: कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) उक्त मामलों का कब तक अन्तिम निपटान हो जाने की आशा है; और

(घ) सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) यह प्रश्न संभवत: पार्ले कम्पनी समूह द्वारा सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन किए जाने के मामलों और परिणामत: सीमा शुल्क समाहर्ताओं द्वारा न्याय निर्णय किए जाने से सम्बन्धित है। उक्त कम्पनी-समूह के विरुद्ध ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिनमें न्यायनिर्णयन किया जाना हो।

तथापि कई 'कारण बताओ तथा मांग नोटिस' जारी किए गए हैं जिनमें पार्ले कम्पनी समूह द्वारा उत्पादित उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल के न्यून मूल्यांकन का आरोप लगाया गया है। इन मामलों में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा न्यायनिर्णयन की कार्यवाही की जा रही है।

'पेपर सप्लायर ट्रैप्ड इन इन्कम टैक्स नेट' शीर्षक के समाचार

1789. श्री के० लकप्पा :
श्री एच०एन० गौडा :
श्री डी०एम० पुत्ते गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित 'पेपर सप्लायर ट्रैप्ड इन इन्कम टैक्स नेट, शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि नासिक स्थित सरकारी मुद्रणालय को घटिया किस्म के कागज के तथाकथित सप्लायरों ने करोड़ों रुपयों का अवैध धन इकट्ठा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो आयकर विभाग की जानकारी में आई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) आयकर विभाग द्वारा की गई जाँच से यह पता चलता है कि भारत सरकार सुरक्षा प्रेस के कागज सप्लाई कर्त्ता ने, कागज की सप्लाई के जरिए बड़ा मुनाफा कमाया है। यह भी पता चला है कि उसका एक बड़ा मकान बिलासपुर में है तथा दो फ्लैट नागपुर में है। ऐसी सामग्री भी मिली है जिससे बखूबी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह बम्बई में एक फ्लैट जाली नाम से रखे हुए है।

(ग) पकड़े गए दस्तावेज प्रथम दृष्टया यह बताते हैं कि आयकर और धनकर का अपवचन करने की दृष्टि से कागज के वास्तविक सप्लाईकर्त्ता ने नागपुर में एक नकली कम्पनी चालू की थी। यद्यपि, यह बेनामी व्यक्ति उक्त कारोबार का स्वामी माना जाता हैं तथापि वह वास्तव में रद्दी कागज का कारोबार कर रहा था और उसकी सुरक्षा प्रेस के लिए कागज के सौदे और सप्लाई के मामले में कोई हाथ नहीं था।

(घ) इस मामले में आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जा रही हैं।

"आयकर कर्मचारियों ने 'मृत' करदाता का पता लगाया" शीर्षक समाचार

1790. श्री के० लकप्पा :
श्री एच० एन० गौडा :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 29-1-1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में आयकर कर्मचारियों ने एक मृत करदाता का पता लगाया शीर्षक समाचार को देख लिया है; :

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) करदाता के खिलाफ आयकर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार ।

(ग) मामले में अभी जांच-पड़ताल चल रही है ।

विवरण

आयकर विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि श्री गोपी चन्द, श्री हेम सूरा के कृत्रिम नाम से मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कं० तथा मेसर्स फ्रंटियर ट्रेडर्स के मालिक की हैसियत से कारोबार चला रहा था । वह भी पाया कि वह मैसर्स राज ट्रेडिंग, मैसर्स के० वी० कारपोरेशन, मैसर्स सतीश चन्द एण्ड कं० तथा मैसर्स जी० के० ट्रेडिंग कं० जैसे अनेक अन्य नामों से कारोबार कर रहा था । श्री हेम सूरी द्वारा दिये गए कतिपय ऋणों के सत्यापन के सम्बन्ध में आयकर विभाग श्री सूरी की जांच करना चाहता था । वह, 8-12-1980 को विभाग के एक अधिकारी के समक्ष पेश हुआ था लेकिन आगे जांच हेतु वह बाद में अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हो सका । उसके द्वारा दिए गए शिनायशी पते पर जब अधिकारी ने उससे सम्पर्क करने का प्रयत्न किया तो पाया गया कि दिया गया पता फर्जी था । जब, उसके द्वारा दिए गए व्यापारिक परिसरों के पते पर उससे सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो एक कर्मचारी द्वारा यह सूचित किया गया कि कारोबार का मालिक श्री गोपी चन्द है । व्यापारिक परिसरों पर अधिकारी को मेरठ से भेजा गया 14-10-1980 का एक तार मिला जिसमें यह सूचित किया गया था कि श्री हेम सूरी की मृत्यु हो गई । तार में प्रेषक का पता नहीं दिया गया था । इसके बाद, आयकर विभाग के अधिकारियों ने, श्री गोपी चन्द से उसके निवास पर मिलने का प्रयत्न किया और यह जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री गोपी चन्द और कोई नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जो 8-12-1980 को हेम सूरी के रूप में पेश हुआ था । श्री गोपी चन्द के निवास से अधिकारियों को, तार की फोटोस्टैट प्रतियां तथा चिकित्सा अधिकारी, म्यूनिसिपल बोर्ड, मेरठ द्वारा जारी किया गया एक मृत्यु प्रमाण-पत्र मिला, जिससे यह पता चलता है कि 38 वर्षीय श्री हेम सूरी सुपुत्र श्री चेत राम की मृत्यु 13-8-1980 को हो गई थी । उसकी मृत्यु टी० बी० से हुई बताई गई थी । अधिकारियों को वर्ष 1971-72 से सम्बन्धित श्री हेम सूरी की लेखा-पुस्तकें भी मिली और उन्होंने यह नोट किया कि श्री गोपी चन्द की हस्तलिपि श्री हेम सूरी की हस्तलिपि से मिलती है ।

दिल्ली के बैंकों में सुरक्षा के उपाय

1791. श्री के० लक्कप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बैंकों में धन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपायों की कमी है;

(ख) क्या धन के सुरक्षा उपायों में इस प्रकार की कमी के कारण डाका डालना आसान हो जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनमें धन की सुरक्षा के मूल-भूत उपाय अर्थात् निकट के पुलिस स्टेशन से अलार्म सम्पर्क, क्लोज सर्किट टेलीविजन, फोटो-इलेक्ट्रिक 'ट्रिप' अलार्म, टाइम लाक-उपाय नहीं हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) सभी बैंकों के अपने-अपने आंतरिक सुरक्षा प्रबंध होते हैं जिनमें नकदी के रात्रि भंडारण के लिए संयुक्त निगरानी में स्ट्रांग रूमस की व्यवस्था, काउंटरों पर नकदी का भुगतान करने तथा नकदी प्राप्त करने वाले खजांचियों के लिए सुरक्षात्मक प्रकोष्ठ, रास्ते में नकदी ले जाने वालों के लिए सशस्त्र प्रहरी, कुछ शाखाओं में सशस्त्र रक्षक तथा कुछ बड़ी शाखाओं में विद्युत-चालित अलार्मों की व्यवस्था शामिल है। लेकिन इनकी पर्याप्तता का निर्णय, जहाँ आवश्यक हो, बैंकों द्वारा, अपने-अपने अनुभवों के आधार पर, समय-समय पर इनकी समीक्षा करके और स्थानीय पुलिस के साथ परामर्श करके किया जाता है।

(ग) दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक द्वारा, क्लोज सर्किट टेलीविजन, फोटो इलेक्ट्रिक 'ट्रिप' 'अलार्म' पास के पुलिस थानों से जुड़े अलार्मों अथवा टाइम-लॉक उपायों जैसे आधुनिक सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए हैं क्योंकि इन उपकरणों के स्थापना तथा अनुरक्षण पर बहुत खर्च होगा। केवल पंजाब नेशनल बैंक ने एक शाखा में फोटो-इलेक्ट्रिक "ट्रिप" अलार्म लगवाया है।

(घ) यद्यपि बैंक, सभी यथोचित सुरक्षा प्रबंध करते हैं, तथापि डकैती चूंकि कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, सरकार यह आशा करती है कि राज्य सरकारें ऐसे समुचित कदम उठाने की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगी जिससे कि ऐसी डकैतियों को रोका जा सके।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के बजट अनुमान

1792. श्री दयाराम शाक्य : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान क्या है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की आय के क्या स्रोत हैं और कितनी धनराशि वसूल की जा चुकी है; और

(घ) यदि कोई घाटा है, तो भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का उसे कैसे पूरा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का संशोधित प्राक्कलन 621.23 लाख रुपये है।

(ख) दिसम्बर, 1980 तक प्राक्कलित व्यय 389.59 लाख रु० है।

(ग) प्राधिकरण की आय मुख्यतः सरकार से सहायता अनुदान से होती है जिसके लिए वर्ष 1980-81 के लिए 422.88 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्राधिकरण भारत तथा विदेशों में आयोजित मेलों में स्थान से किराये आदि से, वाणिज्यिक प्रकाशनों में चंदे तथा विज्ञापनों और प्रवेश शुल्क से राजस्व अर्जित करता है और उसे अपने पास रखता है। दिसम्बर, 1980 तक सरकार से सहायता अनुदान के स्रोत के अलावा अनुमानित आय 103.64 लाख रु० है।

(घ) आय से अधिक व्यय को यदि कोई हो प्राधिकरण की आरक्षित निधि से पूरा किया जायेगा।

भविष्य निधि पर ब्याज की अधिक दर

1793. **श्री वी०एस० विजय राघवन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज की अधिक दर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के ब्याज की दरों में पहली अप्रैल, 1980 से 1/2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। संशोधित दरें इस प्रकार हैं :

(एक) 25,000 रुपए तक की संचित रकम पर 8-1/2 प्रतिशत वार्षिक।

(दो) 25,000 रुपए से अधिक की रकमों पर 8 प्रतिशत वार्षिक।

इसके अतिरिक्त, यदि अभिदातों ने अपनी भविष्य निधि में संचित रकमों में से

पिछले पाँच वर्षों में कोई रकम नहीं निकाली हो तो वे अपनी जमा शेष की सम्पूर्ण राशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन बोनस पाने के हकदार हैं।

कपड़ा निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा कर का अपवंचन

1794. **श्री वी०एस० विजय राघवन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपड़ा निर्माण करने वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियां रुई को मिश्रित सूत (ब्लेण्डिड यार्न) बतलाकर भारी धनराशि के करों का अपवंचन करती है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और कर-अपवंचन के तरीकों को नाकाम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और उत्तर लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के चाय-बागानों पर आय-कर लगाया जाना

1795. **श्री निरेन घोष :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने चाय-बागानों की आय को पूर्णत: कृषि सम्बन्धी आय घोषित किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के चाय-बागानों की आय के 40 प्रतिशत भाग पर केन्द्र ने आय-कर लगाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर; और

(घ) क्या यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध न होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) उच्चतम न्यायालय ने बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ बनाम डी०एस० विष्ट एण्ड सन्स, नैनीताल (1980) ए०आई०आर०एस०सी० 169 के मामले में अपने फैसले में इस प्रश्न का विवेचन किया था कि निर्मित और बेची जाने वाली चाय, उत्तर प्रदेश में लागू बिक्री कर-कानून के प्रयोजन के लिए 'कृषि-उत्पाद' है अथवा नहीं। इस निर्णय का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए कृषि आय क्या होती है।

(ख) तथा (ग) भारत में विक्रेता द्वारा उत्पादित और निर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त आय पर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8(1) के अधीन आयकर लगाया

जाता है। नियम 8(1) में बताया गया है कि भारत में उत्पादित, निर्मित तथा बेची गई चाय से प्राप्त आय की संगणना इस तरह से की जाएगी कि माना कि वह आय कारोबार से प्राप्त हुई हो और इस तरह की 40 प्रतिशत आय कर लगने योग्य होती है।

(घ) पिछले पैराग्राफों में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न के इस भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के बैंकों में गोलमाल के मामले

1796. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अधिकांश बैंकों में हर महीने छोटी और बड़ी दोनों प्रकार का गोल माल होता रहता है और ऋणों के भुगतान में भी बैंकों के अधिकारी अनियमितताएं बरतते रहें हैं;

(ख) क्या बिहार में सी० बी० आई० के पास गत कई महीनों मेंजांच के लिए आने वाले मामलों में 75 प्रतिशत मामले बैंक अधिकारियों द्वारा किए गये गोलमाल और अनियमितताओं के हैं;

(ग) गत तीन महीनों के पंजीकृत ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) दोषी अधिकारियों की जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है, संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री भगतभाई बरोट) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि वर्ष 1980 के दौरान इसकी पटना शाखा में दर्ज किए गए 45 मामलों में से केवल 19 मामले बैंकों से सम्बन्धित थे। इसलिए, बैंकों से सम्बन्धित मामले लगभग कुल 42 प्रतिशत बैठते हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पटना शाखा द्वारा नवम्बर, 1980 दिसम्बर, 1980 तथा जनवरी, 1981 के महीनों के दौरान, दर्ज किए गए मामलों में से 4 बैंकों से सम्बन्धित हैं।

(घ) इन 19 मामलों में से, 14 मामलों की जांच/पूछ ताछ, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जानी बाकी है। बाकी के 5 मामलों के सम्बन्ध में, जांच पूरी की जा चुकी है तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा उचित कार्यवाही की सिफारिश कर दी गई है। इन पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

शोडी मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएसन से प्राप्त अभ्यावेदन

1797. **श्री नीला लोहिथादसन नाडर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शोडी मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएसन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) शोडी मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएसन, बम्बई शोडी ऊनी वस्त्र उद्योग की विभिन्न समस्याओं के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन कर रही है। इस एसोशिएशन के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि-मंडल 8 अक्तूबर, 1980 को वाणिज्य मंत्री से भी मिला था, उस समय उनकी कई समस्याओं के सम्बन्ध में उन्हें स्थिति स्पष्ट की गई थी। उनकी कुछ प्रमुख मांगें तथा उनसे सम्बन्धित स्थिति संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

शोडी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, बम्बई द्वारा की गई मांगें तथा उनके सम्बन्ध में स्थिति

क्रम सं०	मांगें	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	शोडी कताई एककों को विद्युत करघों का आबंटन	प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को 8 अक्टूबर, 1980 को सूचित किया गया था कि वस्त्र नीति को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात इस प्रश्न के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।
2.	रक्षा सेवाओं द्वारा शोडी ऊनी कम्बलों (ग टाइप) की खरीद	एसोसिएशन को रक्षा अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने का परामर्श दिया गया।
3.	शोडी उत्पादनों की मांग को पुनः कराने हेतु राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के द्वारा सस्ते शोडी कम्बलों एवं बुने वस्त्रों का वितरण	इस मामले पर विचार किया जा रहा है।
4.	सोवियत संघ एवं अन्य समाजवादी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत कम्बलों का निर्यात और निर्यात बढ़ाने के लिए नगद क्षति पूर्ति सहायता में वृद्धि।	1981-82 के लिए सोवियत संघ के साथ व्यापार योजना में शोडी कम्बलों को शामिल करने के प्रयासों में सफलता नहीं मिली है। दूसरा मामला विचाराधीन है।

1	2	3
5.	पत्तनों पर ऊनी चिथड़ों के लिए विलम्ब शुल्क की दरों में कमी ।	शीघ्र निर्णय के लिए मामला बम्बई फान ट्रस्ट के साथ उठाया गया है।
6.	बंगला देश से परिधानों की तस्करी रोकने के उपाय ।	इस मामले की वित्त मंत्रालय को सूचना दी गई थी जिसने आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित सीमा-शुल्क कार्यालयों की ओर इसका ध्यान दिलाया है ।
7.	शोडी कच्चे माल पर आयात शुल्क की पूरी छूट दी जानी चाहिए । पहले संघ ने शुल्क 5 प्रतिशत पर रखने की दलील दी थी ।	शोडी चिथड़ों, ऊन वेस्ट पर आयात शुल्क जुलाई, 79 से पहले ही 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत यथा मूल्य कर दिया गया है ।
8.	60 रु० और कम के मूल्य वाले कम्बलों के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क से छूट ।	8 अक्तूबर, 1980 को प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया गया कि संभवतः यह प्रशासनिक जटिलताओं के दृष्टिकोण से स्वीकार्य न हो ।
9.	शोडी यार्न की कताई के अन्य क्षेत्रों को रोकने के लिए ऊनी माल उद्योग में कताई के वास्ते लाइसेंस समाप्त करने की योजना का संशोधन ।	प्रतिनिधि मंडल को 8 अक्तूबर, 1980 को सूचित किया गया था कि गैर-शाडी क्षेत्र को दी गई, रियायत को वापस लेना संभव नहीं होगा । हालांकि उन्हें अपनी वृद्धि के लिए न्यायोचित सहायता प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें नकारात्मक नीति पर निर्भरता समाप्त कर देनी चाहिए और यह वृद्धि अन्य क्षेत्रों में वृद्धि को रोककर प्राप्त की जा सकती है ।
10.	शोडी यार्न की खपत के लिए राज्यों में हथकरघा एकक स्थापित करना ।	हथकरघा विकास आयुक्त इस प्रस्थापना की संभाव्यताओं पर विचार कर रहे हैं राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

1	2	3
11.	आर०ई०पी० आयात लाइसेंसों पर शाडी उद्योग के लिए कच्चे माल पर शुल्क का पूरी तरह समाप्त करना ।	शाडी यर्दा के निर्यातक निर्यात संवर्धन के लिए कच्चे माल के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग योजना का लाभ उठा सकते हैं ।
12.	गोदी में ऊनी चिथड़ों के विकृत करने के लिए कस्टम्स द्वारा अवरोधन प्रमाणपत्र जारी करना ।	इस प्वाइंट का अब कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है क्योंकि ऊनी चिथड़ों की खेपों को सामान्य बिना किसी देरी के विकृत कर दिया जाता है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव

1798. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री बी०वी० देसाई : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन मदान्नो) : (क) और (ख) जी नहीं । आवश्यक विधेयक पहले ही राज्य सभा के समक्ष रखे 24 फरवरी 1981 को पेश किया जा चुका है ।

शिवकासी में गैर मशीनीकृत मझोले क्षेत्र के माचिस उद्योग में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन के मामले

1799. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में शिवकासी में गैर मशीनीकृत मझोले क्षेत्र के माचिस उद्योग में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन के कितने मामले पाए गये ;

(ख) उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने वाले लोगों के नाम क्या हैं और

(ग) क्या 1980 की अन्तिम तिमाही में मझोले क्षेत्र के माचिस उद्योग के एक उद्योगपति को उत्पादन शुल्क के अपवंचन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और

यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए उद्योगपतियों के नाम सहित मामले का ब्यौरा क्या है और उसकी फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले तीन वर्षों में पकड़े गए मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1978	—	4 मामले
1979	—	8 मामले
1980	—	7 मामले

(ख) ग्रस्त व्यक्तियों के नाम, वर्ष-वार, निम्नलिखित हैं :

1978

1. श्री दौरेस्वामी
2. श्री मुरूगेसन
3. श्री एस०के० सुन्दरराजन
4. श्री ए० कलियप्पा नाडार

1979

1. श्री एम०एस०डी० मूर्ति (2 मामले)
2. मैसर्स कादम्बरी मैच इण्डस्ट्री (चार भागीदारों अर्थात् वी०ए०पी० शिवकामी, एस० सुगनन्दम् एस० शिवनन्दनम्, और एस० योगनंदम् की भागीदारी वाली एक फर्म)
3. जे० क्रिस्टी
4. एम०के० गणेशन् (2 मामले)
5. कनगराज
6. कलियप्पा नाडार

1980

1. श्रीमती बासंती
2. श्री जी० कादिरेशन्
3. श्री जयराजन्
4. श्री के०आर० मुरुसामी
5. श्री वी० मीरा
6. श्री एम०एस० मुरूगेसन
7. श्री पी०एस० धर्मराजन और चार साथी अर्थात् श्रीमती डी० कलिसी

चारी, श्रीमती टी०सी० मनोनमणि, श्री वी० वेंकटसामी और श्री एम०एस० मुरूगेसन ।

(ग) जी, नहीं । ब्यौरे पेश करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अगरतला से कलकत्ता तक के विमान किराए में कमी

1800. **श्री अजय विश्वास :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला से कलकत्ता तक के विमान किराए को कम करने के लिए त्रिपुरा की राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव है;

(ख) त्रिपुरा की राज्य-सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है,

(ग) संचार की कमी, भौगोलिक स्थिति और त्रिपुरा के लोगों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार द्वारा त्रिपुरा की राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

— विमानन ईंधन के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि की वजह से कलकत्ता/अगरतला के किराए में वृद्धि न करना ।

— कलकत्ता-अगरतला सैक्टर पर फ्युएल सरचार्ज के वर्तमान स्तर में कटौती करने पर विचार करना ।

(ग) और (घ) विमानन ईंधन के मूल्य में हुई हाल की वृद्धि की वजह से कलकत्ता-अगरतला के किराये पर फ्यूएल सरचार्ज में कोई वृद्धि नहीं गई है। कलकत्ता-अगरतला सैक्टर सहित पूर्वी क्षेत्र में किराए बाकी देश में प्रचलित किरायों से सस्ते हैं और उनमें कटौती करना संभव नहीं है ।

———

स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर रखे गए पत्र लिए जाएंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर पुर) : महोदय, मैं दो बात कहना चाहता हूं । पहली बात यह है कि बड़ी संख्या में संसद सदस्य प्रधान मंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह किस नियम के अन्तर्गत ये प्रश्न उठा रहे हैं ? क्या उन्होंने अध्यक्ष पीठ से अनुमति ले ली हैं ?

श्री जार्जफर्नान्डीस : मैंने अध्यक्ष पीठ से अनुमति ले ली है । श्री लकप्पा के सभा में आने से बहुत पहले मैंने अध्यक्षपीठ को इस सम्बन्ध में लिखा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने अनुमति ले ली है ।

श्री जार्जफर्नान्डीस : श्री लकप्पा के सभा में आने से बहुत पहले मैंने अध्यक्ष पीठ को इस विषय में लिखा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही मुझे लिख चुके हैं तथा मैंने उन्हें अनुमति दे दी है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जैसाकि मैं कह रहा था, बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के संसद सदस्य प्रधान मंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं । यह धरना सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल के मामले पर है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है । आपके माध्यम से मैं सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि वस्तुस्थिति के हाथ से निकलने से पहले सरकार कोई पहल करे तथा इस मामले पर कोई समझौता करवाए ।

मैं आप से यह भी जानना चाहूंगा कि नागा लैंड की स्थिति के विषय पर मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ । सरकार द्वारा कही जा रही उत्प्रेरित कहानियों के अनुसार, वहाँ पर स्थिति के विस्फोटक होने की संभावना है । वे नागालैंड सरकार को गिराना चाहते हैं इस बारे में मेरे पास पर्याप्त कारण हैं । महोदय, आप जानते हैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थिति अधिक विस्फोटक होती जा रही है । उन्होंने मणिपुर में समस्याएं पैदा की थीं और अब वे नागालैंड में समस्याएं पैदा करना चाहते हैं । यदि आप मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देते तो मैं सरकार से कम-से-कम यह आश्वासन चाहूंगा कि वे ऐसा कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से बात कर सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय.....

उपाध्यक्ष महोदय : एक या दो मिनट से ज्यादा समय मत लीजिएगा।

श्री राम विलास पासवान : दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

गुजरात से एक तार आया है; जिसको मैं पढ़ कर सुना रहा हूं और आप की इजाजत से रख भी दूंगा :

> **अहमदाबाद नगर तथा गुजरात राज्य में कई उप नगरों में हरिजनों पर आक्रमण किए गए हैं। पुलिस सुरक्षा विफल रही है। बहुत से हरिजन मार डाले गए हैं, घरों को लूटा तथा जला दिया गया है। वे लोग अपने आवासों को छोड़ कर जा रहे हैं। राज्य के गांवों के असहाय हरिजनों पर भी आक्रमण किया गया है तथा उन्हें आतंकित किया गया है। उनका जीवन खतरे में है। स्वर्ण हिन्दुओं के कथितआवाह्वन पर हरिजनों में आतंक पैदा करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा नुकसान होने से रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा का अनुरोध किया जाता है।
>
> (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, आप हमारी बात सुन लीजिए। आपने दो मिनट कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे समाप्त हो गए हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं सिर्फ यह कहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हो गया है कि इस पर डिस्कशन होगा। इसमें दो राय नहीं है लेकिन जिस ढंग से समस्या जटिल होती जा रही है, मैं यहाँ पार्लियामेंटरी एफयर्स मिनिस्टर से आग्रह करूंगा कि इस पर तुरन्त डिस्कशन करवाइए। आप ने कह दिया है कि डिस्कशन होगा लेकिन जितनी जल्दी हो सके, करवाइए। आप ने एग्री किया है, आप डिस्कशन करवाइए..... (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परूलेकर।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी विपक्ष के एक सदस्य है क्या आप लोग बैठ नही सकते ?

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमान्..... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय ने इस प्रलेख को आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की। अतः इसे सभा पटल पर रखे गए पत्रों के रूप में नहीं माना गया।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री धनिक लाल मंडल : संविधान के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों को कहा था कि शून्य काल में उन्हें एक-एक करके बोलना चाहिए जिससे मैं भी उन समस्याओं को समझ सकूं जिन्हें वे इस सभा में तथा संवाददाताओं के सामने रखते हैं···

श्री धनिक लाल उठ खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो आपको बैठे रहना चाहिए, चाहे आप भूतपूर्व गृह मंत्री ही क्यों न हों । मैं माननीय सदस्यों को एक या दो मिनट का समय दे रहा हूं । सदस्य लोगों की समस्याएं सभा को तथा भारत की जनता को बताइए । अतः क्या आप स्वयं अपनी सहायता नहीं करनी चाहेंगे ? व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं व्यवस्था के एक प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ।

श्री धनिक लाल मंडल : संविधान के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत ?

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अन्तर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते । केवल सभा के नियमों के अन्तर्गत आप ऐसा कर सकते हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : नियम 60 के अन्तर्गत । संविधान नियमों से ऊपर है । मेरे पास नियमों की पुस्तक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं समय नष्ट नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विपक्ष के अन्य सदस्य इनको समझा नहीं सकते ? मैं प्रत्येक को अवसर देने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

श्री धनिक लाल मंडल : शायद आपने अब तक मेरा अनुरोध सुन लिया होगा । नियम 60 मुझे अवसर प्रदान करता है । मैं आपकी सुविधा के लिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं । मैंने गुजरात प्रश्न पर एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना भी दी है । माननीय अध्यक्ष ने मुझे सूचित किया था कि मेरी पूर्व सूचना को अस्वीकृत कर दिया गया है । नियम 60 मुझे आपसे निवेदन करने का अवसर प्रदान करता है अतः मैं···के अन्तर्गत (व्यवधान) मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं और आपको मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न समझ गया हूं ।

श्री धनिक लाल मंडल : नहीं । आप नहीं समझे··· हैं । जब तक मैं कहूंगा नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं ? संविधान का अनुच्छेद 355 पढ़िए । इसके अनुसार :

> "बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा ।"

वास्तव में मेरा निवेदन यह है कि गुजरात सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला रही है; तथा इस अशांति में इसका भी हाथ है । यही मेरा निवेदन है । आपको इसे सुनना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के इस प्रश्न को मैं स्वीकार नही करता । (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : आप निरन्तर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं । नहीं, नहीं । अध्यक्ष का कर्त्तव्य यह नहीं है । आपको सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना है । आपको संरक्षण प्रदान करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संरक्षण देना चाहता हूं, परन्तु आप नहीं चाहते कि संरक्षण दिया जाए ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं संरक्षण चाहता हूं ।

केवल गुजरात सरकार ही राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला रही हैं**·····(व्यवधान) इसलिए इस सरकार को बरखास्त कर देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राय का मामला है ।

श्री धनिक लाल मंडल : अतः, एक निष्पक्ष न्यायिक जांच की जानी चाहिए । मेरा निवेदन यही है । अतः क्या आप मुझे दो मिनट के लिए सुनेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, गुजरात के मामले में हम कार्य मंत्रणा समिति में पहले ही चर्चा कर चुके हैं और अध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा के लिए सहमत थे । आप ये बातें क्यों उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : दंगा नगरेतर क्षेत्र में फैल गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परूलेकर ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने समाप्त कर लिया है ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने समाप्त नहीं किया है। आपको मुझे सुनना होगा। यह क्या है ? (व्यवधान) मैं नहीं बैठूंगा। यदि आप समाप्त करने के लिए मुझे दो मिनट का समय देंगे तो मैं आप की आज्ञा का पालन करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम जानता हूं। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है। जो कुछ श्री मंडल कहेंगे, उसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा। श्री परूलेकर। ये सब मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। उनका कथन रिकार्ड नहीं किया जाएगा। जो बात श्री परूलेकर कहेंगे, वह रिकार्ड की जाएगी। श्री परूलेकर के अलावा कोई भी कुछ भी कहेगा, कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। अब श्री परूलेकर। (व्यवधान)** श्री परूलेकर। आप अपना भाषण जारी रखें। इसे रिकार्ड किया जाएगा आप बोलते जाएं।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : मैं अपनी बात कहने से पहले एक बात ठीक करना चाहता हूं। मेरा नाम 'परूलेकर' है; और 'परलोकर' नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप भी कुछ दक्षिण भारतीय नामों का उच्चारण हमारी तरह करते हैं। यही कठिनाई है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि नागालैंड की कथित स्थिति के संदर्भ में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और यह बताया गया है कि राष्ट्रीय तथा राष्ट्र-विरोधी शक्तियों के बीच गृह युद्ध होने की संभावना है और यही कांग्रेस (इ०) के पदाधिकारियों ने प्रधान मंत्री को बताया है। हम यह भी देखते हैं कि राज्य में राजनैतिक वातावरण इतना बिगड़ गया है कि विद्रोही कार्यवाहियां आसानी से सिर उठा सकती हैं। और सरकार द्वारा स्थापित सेनाओं में भी विद्रोही हैं। एक अत्यधिक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मुझे बताया गया है कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है। मैं इस विशिष्ट मुद्दे पर आपका निर्णय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री बापू साहिब परूलेकर : कृपया आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए, ज्यादा नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं। हमें सदा ही बताया जाता है कि हमारे स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए हैं। परन्तु, मैं आपका ध्यान नियम 56 की ओर दिलाता हूं और यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब मुझे कहा गया कि मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है, मैं नियम 56 का हवाला देता हूं और नियम 56 की व्याख्या 1956 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई थी। मैं आपका ध्यान दिनांक 9-7-1956 के लोक सभा वाद-विवाद सं० 2 के पृष्ठ 2547-2553

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की ओर दिलाता हूं। यदि माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव नियमानुसार नहीं है तो अध्यक्ष महोदय स्वयं ही अपने कक्ष में उसे अस्वीकृत कर सकते हैं। किसी अन्य आधार पर यदि इसे अस्वीकृत किया जाता है तो उसे सभा में बताना होगा और वक्ता को बोलने की अनुमति देनी होगी। क्या मैं माननीय अध्यक्ष का निर्णय पढ़ सकता हूं? इसके अनुसार :

> जहां, जहां अध्यक्ष संतुष्ट हो कि स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना प्रत्यक्षतः अमान्य है, मामला सभा में लाए बिना वह उसे अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं और सम्बन्धित सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय से सूचित किया जाएगा।

मुझे यह नहीं बताया गया कि मेरा स्थगन प्रस्ताव नियमानुसार नहीं है। इसमें आगे कहा गया है :

> जहां यह सीमा रेखा का मामला हो या अध्यक्ष पूर्व सूचना की मान्यता का निर्णय करने के लिए सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो, वह सभा में प्रस्ताव की प्राप्ति का उल्लेख करेगा तथा सम्बन्धित सदस्य या मंत्री का संक्षिप्त वक्तव्य सुनने के बाद गुणों के आधार पर अपना निर्णय देगा।

मेरे स्थगन प्रस्ताव को इस लिए अस्वीकार नहीं किया गया कि यह नियमानुसार नहीं है इसलिए मैं अध्यक्ष पीठ से निर्णय चाहता हूं। इस निर्णय के होते आप मेरे स्थगन प्रस्ताव को अन्य किसी आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकते सिवाय इसके कि यह नियमों के विरुद्ध है। मुझे यह नहीं बताया गया कि यह नियम विरुद्ध है। यह इसी सभा का पूर्वोदाहरण है। और आप इसे मानने को बाध्य हैं मैं इस बारे में निर्णय चाहता हूं क्योंकि हमें अध्यक्ष महोदय के अधिकारी द्वारा सदा यही बताया जाता है कि हमारा स्थगत प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है तथा वह नियमानुसार तथा भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लिखित पूर्ण उदाहरणों के अनुरूप नही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपने बताया है। आपके स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। (व्यवधान) कई बार इस सभा में बताया गया था अथवा नियमानुसार स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति न देने के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सभा में कारण नहीं बताये जाते।

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या इस पर अनुमति नहीं दी गई है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बापू साहिब परुलेकर : इस पर अनुमति नहीं दी गई है। इसे अस्वीकार नहीं किया गया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति नहीं दी है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या उन्होंने इसे रोक लिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री बापू साहिब परुलेकर : अस्वीकार नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए उन्हें कारण बताने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने रोक लिया है। मेरे समक्ष यही सूचना उपलब्ध है यदि कुछ सदस्य अध्यक्ष महोदय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं ऐसे सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर सभा का समय नष्ट न करें तथा कल अध्यक्ष महोदय से उसके कक्ष में मिल लेवें। (व्यवधान) यह मेरा निवेदन है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने सभी स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति नहीं दी है। आप अध्यक्ष महोदय से कल मिल सकते हैं। अब मैं कार्य सूची में अगले मामले को लेता हूं।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा का शुद्धि पत्र, खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारम्भ से पूर्व दिए गए खनन पट्टों सम्बन्धी अधिसूचना भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और पटसन उत्पाद विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षायें :

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : मैं श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा का एक 'शुद्धि पत्र' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 1948/81)

(2) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां०आ० 213 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति, जो दिनांक 17 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें वह तारीख दी हुई है जब तक खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के आरम्भ से पूर्व, यदि उस समय यह अधिनियम

प्रवृत्त हो, दिए गए सभी खनन पट्टों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुरूप लाया जाएगा। (ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल०टी० 1949/81)

(3) (एक) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 1950/81)

(4) (एक) पटसन उत्पाद विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पटसन उत्पाद विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1951/81)।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड बंबई के वर्ष 1979-80 के रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब सम्बन्धी वक्तव्य और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1952/81)

(2) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1958/31)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1954/81)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1981, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (लोक उद्यम सर्वेक्षण) का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री भगतभाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादनशुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 फरवरी 1981 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना सं सा० सं० नि० 133 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1955/81)

(एक) सा० सं० नि० 68(ङ) जं० दिनांक 17 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा दिनांक 4 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 179 सीमाशुल्क के अनुसार, महानिदेशक, तकनीकी विकास के औद्योगिक सलाहकार अथवा अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार को महानिदेशक, तकनीकी विकास के स्थान पर अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम विशिष्ट प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सं० नि० 69 (ङ) जो दिनांक 17 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 27 नवम्बर, 1980 की

अधिसूचना संख्या 231-सीमाशुल्क के अनुसार महानिदेशक, तकनीकी विकास के औद्योगिक सलाहकार अथवा अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार को महानिदेशक, तकनीकी विकास के स्थान पर अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समक्ष विशिष्ट प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ज्ञोन) सा० सां० नि० 74 (ङ) जो दिनांक 20 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा डाक-टिकट प्रदर्शनियों में पदक और ट्राफी प्राप्तकर्त्ताओं को भी रियायती सीमाशुल्क का लाभ देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1956/81)

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 60 (ङ) जो दिनाँक 12 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा "जीवाणुरहित मिल्टोन" पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 67 (ङ) जो दिनांक 16 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमित अभिलेखीय अध्ययन अथवा संग्रह और संदर्भ के प्रयोजनों के लिए ही सीधे प्रयोगशाला से देते समय सिनेमाटोग्राफ फिल्मों पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1957/81)

(4) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (लोक उद्यम सर्वेक्षण) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन खंड (एक से तीन) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1958/81)

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है ।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) विधेयक

(एक) मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1980, जिसे लोक सभा ने अपनी 23 दिसम्बर, 1980 की बैठक में पारित किया था, उसे राज्य सभा ने अपनी 25 फरवरी, 1981 की बैठक में निम्न संशोधनों सहित पारित किया है :

अधिनियमन सूत्र

(1) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 4 में, "इकतीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।"

खंड 1

(2) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 9 में, "1980" अंक के स्थान पर "1981" अंक प्रतिस्थापित किया जाये ।"

इसलिए मैं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा तथा कार्य संचालन नियम के नियम संख्या 122 के अधीन इस विधेयक को इस निवेदन के साथ वापस भेजता हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की स्वीकृति की सूचना दी जाए ।

...ें के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक

...क्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम तीन के ...ै कि मैं संसद सदस्यों के वेतन भत्ते ...1981 जिसे राज्य सभा ने अपनी ...त किया था संलग्न करूं ।

...त्रण) विधेयक, 1981 को जिसे ...टल पर रखता हूं ।

...और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1981 ...न पर रखता हूं ?

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

चौथा, पांचवां तथा छठा प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी-समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग डिवीजन) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा रोजगार व्यवस्था के बारे में समिति (छठी लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन ।

(2) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)—भारतीय तेल निगम लिमिटेड (रिफाइनरिज एण्ड पाइप लाइन डिवीजन) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा रोजगार व्यवस्था के बारे में समिति (छठी लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा गई कार्यवाही सम्बन्धी पांचवां प्रतिवेदन ।

(3) रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड)—पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा रोजगार व्यवस्था और पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोटे-मोटे ठेके देने के बारे में समिति (छठी लोक सभा) के 41वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन ।

स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि के बारे में जारी

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो बातें मेरी अनुमति के बिना कही गई हैं, उन्हें रिकार्ड नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)* ये बातें रिकार्ड नहीं की जायेंगी । केवल श्री हाल्दर जी का भाषण ही रिकार्ड किया जायेगा । (व्यवधान)* मैं सभी माननीय सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से सहयोग करने की अपील करता हूं। (व्यवधान)* नहीं मुझे इसके लिए खेद है। (व्यवधान)* ये बातें रिकार्ड नहीं की जायेंगी, क्योंकि ये मेरी अनुमति के बगैर कही गई है। (व्यवधान) अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव । श्री हाल्दर ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, यदि आप कार्यवाही का अध्ययन करें, तो यह मालूम होगा कि आपने स्वयं ही इसके लिए कहा है। श्री शास्त्री की बात सही है। आपने कहा था कि हम सदन का समय नष्ट नहीं करेंगे। मैं कोई भी विवाद उत्पन्न करना नहीं चाहता हूं। कि जिन लोगों ने नोटिस दिया है, उनको एक अथवा दो मिनट का समय दिया जाये। मेरा सुझाव यह है कि जिन लोगों ने नोटिस दिया है, उनको एक अथवा दो मिनट का समय दिया जाये और इस विवाद को समाप्त किया जाये। मैं यह नहीं चाहता हूं कि मुझे समय दिया जाये। मैं कोई भी विषय नहीं उठा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी ही व्यवस्था के विपरीत कैसे जा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने स्थगन प्रस्तावों का नोटिस दिया है (व्यवधान) मैंने पहले ही उन सदस्यों से जिन्होंने स्थगन प्रस्तावों का नोटिस दिया है यह निवेदन किया है जो कि कार्यवाही वृतान्त में भी है, और जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी अनुमति नहीं दी है। वे सदस्य अध्यक्ष महोदय से उनके चैम्बर में मिल सकते हैं (व्यवधान) यदि मैं सभी को अनुमति दूं तो एक घंटे का समय लगेगा (व्यवधान) आप कृपया उन्हीं से बात करें। मैं सभी स्थगन प्रस्तावों को पढ़ दूंगा और अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को सदन में घोषित करूंगा। अब आप शांत रहिए और उसके बाद अध्यक्ष महोदय से मिल लें। क्या आप इसके लिए सहमत हैं ? कृपया बैठ जाइये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब सदन में सत्र चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में वृहत नीति सम्बन्धी परिवर्तन सदन को बताए बगैर ही नहीं किए जाने चाहिए। सदन की यह परम्परा रही है, कि जब कोई नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है तो मन्त्री महोदय, द्वारा एक वक्तव्य दिया जाता है। समाचार-पत्रों से यह पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्रों को खरीदने के लिए सरकार ने निश्चय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने न तो अध्यक्ष महोदय को लिखा है, और न ही आपने मेरी अनुमति मांगी है। इसलिए मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपने मुझे भी इसके बारे में नहीं लिखा है। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको शायद यह मालूम है कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में एक ऐसा विशिष्ट नियम है जिसमें यह प्रावधान है कि अध्यक्ष महोदय को स्थगन प्रस्तावों की घोषणा सदन में बताने की जरूरत नहीं होती और उसके कारण बतौनी.....

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्या आप, अध्यक्ष पीठ द्वारा दिए गए विनिर्णय को चुनौती देना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जो कुछ मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार तो ढाई स्थगन प्रस्तावों को सदन में पढ़ने जा रहे हैं। इससे एक बुरा उदाहरण स्थापित हो जाएगा। यदि ऐसा किया जाना है तो ऐसा नियम समिति द्वारा ही किया जा सकता है। यदि सदन चाहे और यदि पीठासीन अधिकारी चाहते हों तो इसे अनेक तरीकों से किया जा सकता है। मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि आप इनकी बात से सहमत न हों। (व्यवधान)

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : समस्या इस समय उत्पन्न होती है जब किसी सदस्य को सदन के समक्ष कोई ऐसी बात कहने की अनुमति दे दी जाती है जिसका उत्तर देने का अवसर सरकार को नहीं दिया जाता। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु उससे भ्रान्ति तो पैदा हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरा विनम्र निवेदन नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है क्योंकि उन्होंने इसे लिखकर नहीं दिया हैं।..... (व्यवधान)

श्री बापू साहिब परुलेकर : आपने विनिर्णय दिया था कि आप सभी स्थगन प्रस्तावों को पढ़ने जा रहे हैं। जब माननीय मन्त्री श्री शिवराज पाटिल पीठासीन थे तो उन्होंने एक विनिर्णय दिया था कि नियमों के अनुसार अध्यपीठ द्वारा दिए गए किसी भी विनिर्णय पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती...।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय नहीं दिया है। आप मेरे साथ न्याय कीजिए। मैंने यही कहा है कि बजाय इसके कि हरएक खड़ा हो; इससे उनकी तसल्ली हो जायेगी... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। मैं परम्परा को तोड़ना नहीं चाहता।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : इसमें पूर्वोदाहरण का प्रश्न कहां से आ गया? यह तो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है।..... (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : रूल 60 के तहत आपको अधिकार है पढ़ने का। आप देखें :

"परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 56 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इंकार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा।"

अतः इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। उपाध्यक्ष जी, इस नियम के अनुसार आपको पढ़ने का अधिकार है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप कृपया हमारे स्थगन प्रस्तावों को एक-एक करके पढ़ दीजिए। यही हमारा निवेदन है। हम उसके सम्बन्ध आगे कुछ नहीं कहेंगे।

श्री नीरेन घोष (दम दम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसी सदन के रिकार्ड में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जबकि स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी गई थी परन्तु फिर भी स्थगन प्रस्ताव के लिए सम्बद्ध सदस्यों को एक या दो मिन्ट के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यही परम्परा तथा प्रथा रही है। आप इसे ताक पर नहीं रख सकते।..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी प्रथा या परम्परा को नहीं तोड़ना चाहता। यह एक ऐसा विषय है जिस पर नियम समिति या कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा किए जाने के बाद ही निर्णय किया जाना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। ...(व्यवधान) मैं किसी भी परम्परा को तोड़ना नहीं चाहता।

श्री रामबिलास पासवान : पहले आपने कहा था कि आप पढ़ देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर नियम समिति में विचार करके ही कोई निर्णय किया जा सकता है ...(व्यवधान)

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आप पहले ही अपना विनिर्णय दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यह गलत है। मैंने अपना विनिर्णय नहीं दिया है। आप रिकार्ड देख लीजिए ...(व्यवधान) मैं यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने अपना विनिर्णय नहीं दिया है। श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सदन द्वारा स्वीकृत किसी भी प्रथा या परम्परा का उल्लंघन मैं नहीं करना चाहता। मैंने अभी जो कुछ कहा है उस पर नियम समिति तथा कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जा सकता है। उसके बाद निर्णय किया जा सकता है। ...(व्यवधान)

श्री सी०टी० दण्डपाणि (पोल्लामी) : अध्यपीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि जो भी स्थगन प्रस्ताव उसे भेजे गए हैं, वह उन सभी को सदन में पढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर समिति में विचार किया जा सकता है। मैं किसी भी प्रथा या परम्परा को तोड़ना नहीं चाहता। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया जाएगा। श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं 'कोल एण्ड शकधर' द्वारा लिखित पुस्तक से उद्धृत करना चाहता हूं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। श्री हाल्दर (व्यवधान) यह सब कुछ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा**(व्यवधान) कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल मेत कीजिए। कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी नहीं जायेगा। (व्यवधान)

मैंने कहा है कि इस पर कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति में विचार होना है। मैं परम्परा को नहीं तोड़ना चाहता। मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं (व्यवधान) मैं बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा नहीं होगा। आधा घन्टा पहले ही हो चुका है। (व्यवधान) ये सब बातें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगी। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। (व्यवधान)** यह भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही होगा। (व्यवधान)** यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। (व्यवधान)** मैं अपने सहयोगियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगा (व्यवधान) मैं कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे आपकी सद्भावना मिलेगी···(व्यवधान) मैं जानता हूं। अपने सहयोगियों के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं करूंगा। अब श्री हाल्दर

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मेरे पास एक समाधान है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जायें। ये समाधान के साथ आ रहे हैं। (व्यवधान) विपक्ष के किसी अन्य सदस्य को बोलने दें। कृपया बैठ जायें। वे कि समाधान का सुझाव दे रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका यह कहना ठीक ही है कि आप स्थगन प्रस्ताव पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें न पढ़ने के लिए भी बाध्य नहीं हैं। दोनों बातें हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति में विचार किया जाये। आपने एक वक्तव्य दिया। आपने कहा कि "यदि मैं पढ़ूं, तो क्या आप सब चुप रहेंगे ?"

एक माननीय सदस्य : यह वचन दिया गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह कोई वचन नहीं है। ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया। आपने कहा, "यदि मैं इसे पढ़ लूं, तो क्या आप सब चुप हो जायेंगे ?" हम सबने कहा, "हम चुप रहेंगे।" फिर कुछ और हुआ। अब मैं भविष्य के लिए कहूंगा कि जो कुछ आप कहते हैं उसे कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति के विचारार्थ रखा जाए। लेकिन आज आप इसे विशेष मामला बना रहे हैं और इस सबको पढ़ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जाधवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं सकते ? कृपया आप बैठ जाएं। श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसे कि कहा गया है आपने उस बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन यह भी सच है कि इसे न पढ़ने की एक परम्परा अथवा प्रथा रही है। लेकिन क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं ? उस दिन आपने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सदस्यों को एक या दो-दो शब्द बोलने की अनुमति दी। इसी तरह उन्हें अभी भी बोलने दीजिए ताकि उन्हें उस दिन की तरह एक दो दो मिनट में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वीकार करता हूं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी, जो सभापति तालिका में भी है। के सुझाव को स्वीकार करता हूं और मै इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए उन्हें भी एक या दो-दो मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : क्या आप हमें अपनी इच्छा से अनुमति दे रहे हैं या.....के निदेशों.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आक्षेप न करें।

(व्यवधान)

जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, वे एक अथवा दो मिनट बोल सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव की गहराई में मत जाइए।

श्री आर०एन राकेश (चंदौली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उनके यहां थाने नीलाम होते हैं। दिल्ली के बारे में भी यही शिकायत है, हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों के बारे में भी यही शिकायत है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार बहुमत में है, बहुत-सा नाजायज काम कर रही है, इस पर भी कानूनी वर्दी पहना दें ताकि बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें।.....(व्यवधान)...अभी जो पैसा प्राइवेट पाकेट में जा रहा है, कानूनी जामा हो जाएगा तो वह राष्ट्र के पास जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री। कृपया आप सभी बैठ जायें।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आज 27 फरवरी है...

उपाध्यक्ष महोदय : अरे बागड़ी, क्या आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं (व्यवधान) अब जो मनीराम बागड़ी, अन्य सभी बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बोल रहा हूं । कृपया मुझे बोलने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के बहुत सारे सदस्य और साथ ही हिन्दुस्तान की सैंट्रल ट्रेड यूनियन्स के बहुत सारे लीडर प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि जो बंगलौर में·····

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में श्री जार्ज कह चुके हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप मुझे अनुमति दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस बारे में पहले कह चुके हैं । इसे दोहराइए नहीं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कुछ और कह रहा हूं ।

प्रो० मधुदंडवते : किसी अन्य दृष्टिकोण से ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं डिफरेन्ट ऐंगल से कह रहा हूं । उसमें संसद सदस्य भी हैं और सैंट्रल ट्रेड यूनियन्स के लीडर भी हैं, वह धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि बंगलौर में 2 महीने से ज्यादा से जो सरकारी कारखानों के मजदूरों की हड़ताल चल रही है उसमें सरकार इंटरवीन करे, समझौता कराए, उनकी मांगों पर विचार करे और साथ ही जो लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन के 43 हजार मजदूर मांग कर रहे हैं, उनके बारे में जो अधिनियम लाया गया है उस पर बात न हो, उसको सरकार विदड्रा करे, इन मांगों को लेकर वे धरना पर हैं, 3 मार्च को पूरे देश में डिमांस्ट्रेशन होगा और 11 मार्च को पूरे देश के सरकारी कारखानों के कर्मचारियों की हड़ताल होगी। तो यह सिचुएशन बड़ी सीरियस है । हाथ से निकल सकती है·····

उपाध्यक्ष महोदय : उन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है । (**व्यवधान**) आप सभा के समय को बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : इसलिए आखरी निवेदन है कि सरकार कोई वक्तव्य इस सदन के सामने दे ताकि वे लोग संतुष्ट हो सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, हाँ आप इसकी गहराई में जा रहे हैं । गहराई में मत जाइए ।

श्री जयपालसिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय दिल्ली में औ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार थानों में और पुलिस में इस सीमा तक बढ गया है**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने विस्तार में क्यों जाते हैं । (**व्यवधान**) देखि ये आरोप नहीं हैं । स्थगन प्रस्ताव···(**व्यवधान**)···

**अध्यक्षपीठ के आदेशानसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

श्री जयपालसिंह कश्यप : यह मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोलूंगा, जबकि पूरी व्यवस्था ला एंड आर्डर की उन थानों से तय होती है।**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है। आपको प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री जयपालसिंह कश्यप : नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तो कैसे सरकार का शासन चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी बात कहने का कोई और तरीका नहीं जानते ? आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। श्री हरिकेश बहादुर (व्यवधान) ये पहले ही बोल चुके हैं। आप में से एक बोल सकते हैं। प्रत्येक नहीं। हरएक नहीं बोल सकता। यदि कोई दोषारोपण या आरोप की बात हो तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाल दूंगा।

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : श्री बागड़ी जी अपने व्यवहार से सदन की गरिमा को कम कर रहे हैं कलंकित कर रहे हैं। आप कृपया उनसे पूछें कि वे इस प्रकार क्यों खड़े हैं। आप कृपया उनसे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहें। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : बागड़ी साहब बाद में अपनी बात कहें, आपने मुझे एलाऊ किया है तो आप मेरी बात को सुनिए। मैंने आपके पास एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश में निरन्तर अपराध बढ़ते जा रहे हैं।**

अभी वाराणसी के अन्दर एक पुवारी कला सखा गाँव है जहाँ 47 पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान फूंक दिए गए हैं। सात सौ लोग बेघरबार कर दिए गए हैं। छः लाख रुपये मूल्य का कपड़ा, मोती बनाने की मशीन, साइकिल, ट्रांजिस्टर, गहने आदि लूट लिए गये। जो कपड़ा लत्ता सरकार की ओर से बांटने के लिए दिया गया है उसको मजिस्ट्रेट लेकर घूम रहे हैं। मुआवजा भी गलत ढंग से लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। आप कृपया किसी विधायक से कहें कि वह इसे विधान-सभा में उठाए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें और अविलम्ब वहाँ पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करवायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लगभग 45 मिनट ले लिए हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कानून और व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर हो गई है। मैंने नागालैण्ड की स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है । वहां पर भी स्थिति काबू से बाहर हो रही हैं। अतः भारत सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और मन्त्री महोदय को उस पर वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गाँव के अन्दर पुलिस के पांच जवानों ने चार हरिजन युवतियों के साथ उनके घरों के अन्दर घुसकर···(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । आप कृपया किसी विधायक से इसे विधान सभा में उठाने को कहें ।

श्री फूलचन्द वर्मा : हरिजन आदिवासियों के मामले पर इस सदन में चर्चा हो सकती है । हरिजन युवतियों के साथ जो बलात्कार हुआ है उसके सम्बन्ध में चर्चा का अवसर आपको देना चाहिए और मामले की पूरी तहकीकात की जानी चाहिए ।

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुरा) : मैंने नियम 377 के अधीन सूचना भेजी है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल लें ।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : मैं सिच्युएशन की ग्रेविटी और अर्जेन्सी की डेफ्नीशन जानना चाहता हूं । गुजरात के जो हालात हैं उससे ज्यादा ग्रेव और अर्जेन्ट सिच्युशन कोई और दूसरी हो नहीं सकती है । वहाँ रोजाना गोलियां चल रही हैं और रोज 4-5 लोग मारे जा रहे हैं । आपने वायदा किया था कि इस पर डिस्कशन एलाऊ करेंगे लेकिन अभी तक एलाऊ नहीं किया है, एडजर्नमेंट मोशन्स को रेजेक्ट कर रहे हैं । इसलिए आपका क्या फैसला है वह आप बतला दें ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : उत्तर-पूर्वी भाग की स्थिति गम्भीर है, सरकार को उन राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री धनिकलाल मंडल (झंझारपुर) : क्या यह मैं जान सकता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है क्या उसे आपने कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ।

श्री धनिकलाल मंडल : हाँ, मैं एक स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा हूं । मैं संविधान से पढ़कर सुनाता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : केवल स्थान प्रस्ताव पर ही ।

श्री धनिकलाल मंडल : मैं स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहा हूं और मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । आप कृपया सूची देखिए ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संविधान आदि को इस मामले में मत लाइए । आप कृपया स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें । मैंने केवल उसकी अनुमति दी है ।

श्री धनिकलाल मंडल : मेरा यह कहना है कि संविधान में अनुच्छेद 355 है और उसमें संघ सरकार के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको स्थगन प्रस्ताव को छोड़कर अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया उचित मुद्दे पर ही बोलें ।

श्री धनिकलाल मंडल : मैं केवल उस मुद्दे को बात कर रहा हूं । कृपया पहले सुनिए और उसके बाद ही कोई निर्णय दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं कृपया स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलिए ।

श्री धनिकलाल मंडल : यह गुजरात से सम्बद्ध स्थगन प्रस्ताव के बारे मे है । अनुच्छेद 355 में कहा गया है :

"बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अव्यवस्था से, गड़बड़ से प्रत्येक राज्य को सुरक्षा प्रदान करना केन्द्र, संघ का कर्त्तव्य होगा .....।"

मैं आन्तरिक गड़बड़ की बात कहना चाहता गुजरात में आन्तरिक गड़बड़ हो रही है । यदि नहीं तो 'आन्तरिक गडबड़' की क्या परिभाषा है ? यह गड़बड़ एक मास से चल रही है, 27 जनवरी से लेकर आज 27 फरवरी हो चुकी है । वहां पर वस्तुतः गृह-युद्ध हो रहा है । प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं, छुरे बाजी की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ गृहदाह हो रहा है । अतः मैं एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना देना चाहता हूं कि जितनी शीघ्र राज्य सरकार को अपदस्थ किया जा सके उतना ही अच्छा है ।**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं ।

श्री धनिकलाल मंडल : **फिर भी, यह एक गलती है.....

उपाध्यक्ष महोदय : मन्डल जी, आप जब भी बोले प्रेस-दीर्घा की ओर भी देख लें । यही तो कठिनाई है ।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय मैं ऐसा कभी नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरी ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री धनिकलाल मंडल : कठिनाई यह है कि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं । कृपया दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।** इसके अतिरिक्त यहाँ मन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री.....

*अध्यक्षपीठ के आदेश नुसार कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी राज्य सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का दोषारोपण या अनादरपूर्वक बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री धनिकलाल मंडल : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए, यह पहले भी किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री धनिकलाल मंडल : अतः मैं इसकी माँग कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री रत्नसिंह राजदा : आपकी टिप्पणी यह थी कि वे प्रेस दीर्घा की ओर देख रहे थे। क्या वे प्रतिबंधित हैं ? क्या उनका देखना निषिद्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया है। आप क्यों प्रतिवाद कर रहे हैं ? श्री मण्डल मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने इसे अच्छी भावना में लिया है। उन्होंने इसका प्रतिवाद नहीं किया है। वे ऐसा कर रहे हैं।

अब श्री बागड़ी बोलेंगे। वह अब अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जबान तो आपके पास होनी चाहिए। आज हमारा सवाल उठाने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि आप बैठे थे। लेकिन जब आपने वचन दिया था, तब फिर आप वचन भंगी हो गए, तो उसका प्रायश्चित मैं करूंगा या आप करेंगे।

दूसरी अर्ज यह है कि इस सदन के अन्दर बहुत सी बातें ऐसी चलती हैं, तो 'न उधर शोभा देती है और न इधर शोभा देती हैं। आपने जो मुझे अनुमति दी है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि राष्ट्र के सामने एक भारी संकट है, जिस के लिए मैंने काम-रोको-प्रस्ताव दिया है कि हरियाणा के अन्दर बिजलीघरों को फौजों कब्जे में लेने के लिए मिलिटरी को सतर्क कर दिया गया है। अब आप देखिए अब फसल की पकाई है, किसान की फसल पक चुकी है, इस वक्त अगर उसको बिजली नहीं मिलेगी, तो बिजली के बगैर पकी हुई फसल खत्म हो जाएगी। इस वक्त हरियाणा और पंजाब सारे भारत को फीड करते हैं। मैं कोई सरकार को बदनामी की बात नहीं करता हूं। मैं राष्ट्रहित के नाते बात करता हूं कि ये राष्ट्रीय बातें हैं यानी इसके ऊपर सदन को सोचना चाहिए। उनको इन हालात में कम से कम एक महीने तक जब तक फसल कटे उनको बिजली देनी चाहिए। इसके लिए चाहे आपको एयर कन्डीशनल सिनेमा आदि बन्द करने पड़ें, सब बन्द कर दो, लेकिन किसानों को बिजली दो, ताकि आपको भोजन मिले।

मैं एक बात अर्ज कर दूं—जिसको कहते हुए मैं खुशी नहीं मानता हूं, लेकिन ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि इसकी चोट हमको भी लगती है। मैं अभी हरियाणा से

आया हूं—वहां छोटे-छोटे बच्चे सड़क को घेर कर बैठे हैं और कहते हैं कि ये बिजली नहीं देते हैं, इस लिए इनको डेले मारो। वे यह नहीं देखते हैं कि भीष्म नारायण जा रहा है या मनीराम जा रहा है। चूल्हे-चक्की की बात बच्चों के दिमागों में पहुंच गई है। इसके बारे में बिजली मंत्री कोई बयान दें या आप कहें कि किसानों को बिजली जरूर मिलनी चाहिए। इस में राष्ट्र का हित है।

आप "वचन-भंगी" मत हुआ करें, जो वचन दें उस पर चला करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धि

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं नागरिक पूर्ति मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बि लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

दिल्ली और देश के अन्य भागों में उचित दर की दुकानों पर चीनी, गेहूं, खाने के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के न मिलने का समाचार।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर कुछ आवश्यक वस्तुओं तथा आम उपयोग की वस्तुओं की अस्थायी स्वरूप की स्थानीय कमी होती रही है।

अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल आदि जैसी चुनी आवश्यक वस्तुयें राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जा रही हैं। वर्ष 1980 के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न अधिक मात्रा में दिए गए। वर्ष 1980 में, 148.4 लाख मीटरी टन खाद्यान्न वितरित किए गए, जबकि गत वर्ष 136.6 लाख मी० टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था। इसी प्रकार, तेल वर्ष 1978-79 की 93,000 मीटरी टन की तुलना में, तेल वर्ष 1979-80 में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु राज्यों को आयातित खाद्य तेलों की 3.5 लाख मीटरी टन मात्रा निर्मुक्त की गई। लेवी चीनी का मासिक कोटा 2.71 लाख मीटरी टन ही रखा जा रहा है। गत वर्ष की तुलना में, 1980 में मिट्टी के तेल की मात्रा 4 प्रतिशत अधिक बेची गई।

1979 के अभूतपूर्व सूखे के प्रभावों के बने रहने के कारण उचित दर की दुकानों से खाद्यान्नों, खाद्य तेलों आदि की मांग काफी अधिक रही है। इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में निर्मुक्त किए जाने के बावजूद, हाल में गेहूं, मिट्टी के तेल और चीनी की स्थानीय कमी की सूचनाएं मिलीं हैं।

केन्द्र तथा राज्य सरकारें सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति प्रबंध को काफी महत्व देती हैं। तदनुसार, वर्ष 1980 के दौरान 40,000 अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोली गई हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के महत्व को समझते हुए, इसे अर्थव्यवस्था का एक स्थाई अंग बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में, केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारें, संघ शासित राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि देश भर में उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मंत्री महोदय ने वही वक्तव्य दिया है जो उन्होंने 23 फरवरी को दूसरे सदन में दिया था। केवल इतना अन्तर है कि राज्य सभा में इसे श्री महन्ती ने पढ़ा था और यहां श्री शुक्ल ने। फिर भी इसमें कोई अन्तर नहीं है। महोदय, आप तो जानते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण और चीनी, गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल तथा खाने के तेलों के न मिलने के कारण हमारे देश के करोड़ों लोग, विशेषकर जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और कमजोर वर्ग के लोग बड़ी ही दयनीय स्थिति में हैं। महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वक्तव्य से हमारे लाखों पददलित लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है।

महोदय, मैं आज के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धरण देता हूं कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है :

> "गेहूं और चीनी का सर्वव्यापी अभाव। खुरेजी, शकरपुर, लक्ष्मी नगर और पुनर्वास काल्लोनियों जैसे क्षेत्र में सेवारत मण्डल 6 की सभी 65 दुकानों पर गेहूं और चीनी की कमी है।"

महोदय, बात यह है कि नागरिक पूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों से मौखिक रूप में कह दिया है कि पखवाड़े के कोटे के बदले साप्ताहिक कोटे की सप्लाई की जाये।

24 तारीख के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में लिखा है कि गोदामों में केवल 400 टन चीनी होने से दिल्ली प्रशासन का नागरिक पूर्ति विभाग पखवाड़े के लिए चीनी के बांटने में असमंजस में पड़ गया है। महोदय, स्वाभाविक है कि जब निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, कामगर, और कार्यालय जाने वाले राशन की दुकानों पर जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आज गेहूं और चीनी उपलब्ध नहीं है। दूसरे दिन जब वे जाते हैं तो बताया जाता है कि मिट्टी का तेल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने कार्य-स्थल पर देर से पहुंचते हैं

और इस प्रक्रिया में कई लोगों का तो साप्ताहिक कोटा ही मारा जाता है। मैं अब यहाँ एक उद्धरण देना चाहता हूं :

> "मिर्चें सस्ती हैं। नमक महंगा है। औषधियों की कीमतें स्थिर रही हैं। कपड़े के दाम चढ़ गए हैं। दालों के दाम बढ़ गए हैं। गेहूं और चावल अधिक मंहगे हो गए हैं। साबुन के दामों में तेजी आई है परन्तु चीनी के मामले में तो वृद्धि ने कमाल ही कर दिया है। डबल रोटी के भावों ने भी उल्लेखनीय तेजी दिखाई है।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर जी आप दोपहर के भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर सात मिनट पर म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर अपना भाषण जारी रखें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सभापति महोदय, मैं अपने देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा था। महोदय श्री रोथुमा ने, जो इस सभा के सदस्य हैं और मिजोरम का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें बताया कि वे गोल मार्किट क्षेत्र में एक राशन की दुकान पर गये, जहाँ उनके राशन कार्ड पर चीनी नहीं दी गई। उनकी दुकानदार से कुछ कहा-सुनी हुई। परन्तु उन्हें उस राशन की दुकान से कोई राशन नहीं मिला। यदि दिल्ली की यह स्थिति है कि जहाँ एक संसद सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो आप इस राजधानी शहर में आम आदमी और श्रमिक-वर्ग के भाग्य की तो कल्पना भली-भाँति कर सकते हैं। मैं जानता हूं महोदय, कि श्री रावत अल्मोड़ा जिले की बात करेंगे और महोदय आप कह सकते हैं कि भोपाल के लोगों को भी चीनी की कड़वाहट झेलनी पड़ रही है। परन्तु विभिन्न प्रदेशों के आदिवासियों को राशन नहीं मिल है। कल अपने भाषण में प्रधान मंत्री महोदया विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत कर रही थीं। मैं कहता हूं कि आंकड़े प्रस्तुत करने की इस बाजीगरी से कोई हल नहीं निकलेगा।

अब देखिए केरल में क्या हुआ ? वहाँ का नागरिक पूर्ति विभाग भारत सरकार से चावल, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अतिरिक्त सप्लाई के आवंटन के लिए प्रचलता की हद तक अपीलें कर चुका है। केरल के मुख्य मन्त्री ने संघ सरकार के नागरिक पूर्ति मन्त्री महोदय के पास एक अभ्यावेदन भेजा और उसके बाद केरल सरकार के खाद्य-मन्त्री महोदय ने भी अभ्यावेदन भेजे। परन्तु सब व्यर्थ रहा। महोदय, आप जानते हैं कि केरल

के नागरिक पूर्ति निगम ने एक निर्णय लिया है कि वे आवश्यक वस्तुओं की 16 मदें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को सप्लाई करेंगे और उसके लिए उन्हें 10 करोड़ रुपया चाहिए। उन्होने इस धन के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया परन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार से कोई उत्तर नहीं आया है। उस दिन श्री शुक्ल ने हमें बताया कि वे केरल राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इस बारे में जो कुछ वे कर रहे हैं उसके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। वास्तव में केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह आवश्यक वस्तुओं की अतिरिक्त सप्लाई को मिलाकर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे और सार्वजनिक वितरण-प्रणाली को कुशलता से चलाने के लिए केरल सरकार की दस करोड़ रुपये की मांग को पूरा करेंगे ?

पश्चिम बंगाल के खाद्य मन्त्री नागरिक पूर्ति मन्त्री महोदय के पास एक अभ्यावेदन भेज चुके हैं कि पश्चिम-बंगाल एक घाटे में चलने वाला राज्य है और अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अर्थात चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल और अन्य वस्तुओं की आवश्यक मात्रा पश्चिम-बंगाल को यथाशीघ्र भेज दी जाए जिससे कि राशन प्रणाली को चालू रख सकें। हमारी राज्य सरकार मोटा कपड़ा और अन्य वस्तुएं भी राशन की दुकानों से वितरित कर रही हैं। राज्य सरकारों के सीमित स्रोत हैं। सरकार ने पश्चिम-बंगाल राज्य को मिलाकर सभी राज्यों का गेहूं का कोटा घटा दिया है।

उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गेहूं प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। दिल्ली में भी लोगों ने चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सामयिक पूर्ति के बारे में सरकार से अपना विश्वास उठा लिया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि व्यापारी, जमाखोर स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और गेहूं, चीनी तथा अन्य चीजों की जमाखोरी कर रहे हैं।

दिल्ली में धनी परिवार अपने प्रयोग के लिए एक बार में चीनी की एक बोरी खरीद रहे हैं।

आंकड़ों के इस इन्द्रजाल से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक वस्तुएं, चीनी, चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा आदि ठीक समय पर लोगों को मिल सके।

इस सरकार ने पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी की है। कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत पं० बंगाल ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत करोड़ो श्रम दिनों का काम दिया है और इस काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दिए हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास कार्य हो रहा है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। आपको यहाँ पर पूर्ण वक्तव्य नहीं देना अपितु केवल प्रश्न पूछते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं केवल दिल्ली के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए बोल रहा हूं। मैं केरल के सम्बन्ध में प्रश्न उठा चुका हूं और अब मैं पं० बंगाल के बारे में भी प्रश्न पूछने जा रहा हूं। श्रीमान, आपके राज्य अर्थात मध्य प्रदेश के लिए भी मैं प्रश्न पूछूंगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह उन सारी मांगों की पूर्ति करेंगे जिनकी पं० बंगाल ने मांग की है। आपको मालूम है कि त्रिपुरा बड़े कठिन समय का सामना कर रहा है। (व्यवधान) पूर्वी क्षेत्र में, हमारे पास असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड हैं। ये सभी राज्य आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। त्रिपुरा के मामले में भारत सरकार द्वारा अपनी सप्लाई न करने तथा परिवहन की कठिनाइयों के कारण इस राज्य को आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच रही हैं। भारत सरकार को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों की परेशानी समाप्त हो जाए। मैं आपसे त्रिपुरा को चावल, गेहूं तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाने वाली मात्रा के बारे में जानना चाहता हूं।

मुझे सन्देह है कि क्या कृषि मंत्री और सिविल सप्लाई मन्त्री के बीच कोई समन्वय है। आपने कहा कि इस वर्ष खाद्य उत्पादन लगभग 11.2 करोड़ टन होगा। परन्तु उत्पादित खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दर से आम लोग तक पहुंचना चाहिए। मुझे मालूम है कि वहाँ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा उनकी अनुपलब्धता है क्योंकि आप उस नीति का अनुसरण कर रहे हो जो पूंजीपतियों, बड़े व्यापारियों तथा जमाखोरों के उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। आपने चीनी के व्यापार वाले धनी व्यक्तियों, व्यापारियों तथा पूंजीपतियों से करोड़ों रुपये वसूल किए हैं। इसलिए आप उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। क्या आप मेरे रचनात्मक सुझावों को स्वीकार करेंगे और 14 आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति करने के लिए तैयार होंगे ? क्या आप चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल, कपड़े, खाद्य-तेल तथा 14 आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेंगे ? क्या आप थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं ? क्या आप इन वस्तुओं का सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए तैयार हैं ?

केवल आश्वासनों से हमारे लोगों की क्षुधा शान्त नहीं होगी। करोड़ों लोग बेचैन हैं। आपको मालूम है कि भूख किसी कानून को नहीं जानती है। इसलिए, हर जगह लोग विद्रोह कर रहे हैं—किसान, मजदूर और कर्मचारी, अल्मोड़ा के किसान जहां से श्री रावत निर्वाचित हुए हैं और गोवा के लोग जहां से फर्नीरो निर्वाचित हुए हैं। (व्यवधान)। भूख किसी कानून को नहीं जानती है। यदि आप भूखे लोगों को खाद्य सप्लाई नहीं करते हैं तो वे एक दिन विद्रोह कर देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जनता की

सरकार की स्थापना कर देंगे। इसलिए मेरे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सुनकर मुझे खेद हुआ है कि हमारे एक सदस्य के साथ गोल मार्किट क्षेत्र में राशन की दुकान पर अभद्र व्यवहार किया गया। मैं निश्चित रूप से इस मामले पर दिल्ली प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा तथा चाहूंगा कि वह सुधारात्मक कार्यवाही करे। और हम उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन करेंगे कि संसद सदस्यों के साथ इस ढंग का व्यवहार न हो। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा विशिष्ट मामला 10 करोड़ रु० के अनुरोध के बारे में है जो केरल सरकार ने भारत सरकार से अर्थात वित्त मन्त्रालय से ऋण के लिए किया है। हमने इस मांग का समर्थन किया है और हमें आशा है कि यह सुविधा न केवल केरल को दी जानी चाहिए बल्कि अन्य विभिन्न नागरिक पूर्ति निगमों को भी दी जानी चाहिए ताकि वे आवश्यक वस्तुओं में ठीक ढंग से वितरण कर सकें और वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुशल ढंग से चलाने में मदद दे सकें। उसके बाद माननीय सदस्य ने प० बंगाल में गेहूं के कोटे में कमी के बारे में पूछा। इसमें न केवल बंगाल के लिए पूछा गया है बल्कि सभी राज्यों के लिए भी पूछा गया है जो भी किया गया है वह सभी राज्यों के लिए एक-सा किया गया है। इसलिए, ऐसी कमी के लिए प० बंगाल सरकार को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

पूर्ति की स्थिति के कारण सभी जगह एक-सी कार्यवाही की गई है। वस्तुतः प० बंगाल तथा केरल के माननीय सदस्यों द्वारा किए गए जोरदार अभ्यावेदन के कारण विभिन्न आवंटनों तथा पूर्तियों में इन राज्यों को अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा अधिक मिल गया है। इसलिए कोई उचित शिकायत नहीं होनी चाहिए; और यदि कोई यह दिखाना चाहता है कि राजनैतिक कारणों से कुछ अन्तर कर दिए जाये तो यह पूर्ण रूप से गलत है। देश के विभिन्न राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को निर्धारित करते समय हम ऐसे कारणों पर कभी विचार नहीं करते हैं। माननीय सदस्य ने त्रिपुरा की दशा तथा समस्याओं का भी उल्लेख किया है। उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों में वहाँ पर वर्तमान स्थिति तथा परिवहन के मार्गावरोध के कारण समस्या में बनी हुई हैं। परन्तु हम पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं और राज्य सरकारों ने उनकी कठिनाइयों का हल करने के लिए प्रयास करने में हमारे सहयोग की प्रशंसा की है। प्रत्यक्ष कठिनाइयों के होते हुए भी हम उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे तथा कृषि मंत्रालय के बीच पूरा सहयोग है। इस मामले में सहयोग का कोई अभाव नहीं है क्योंकि हम नागरिक पूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में एक दूसरे के प्रयास के पूरक है। चोरबजारी करने वालों से तथा जमाखोरों से धन वसूल करने के आपके आरोप के बारे में, मैं सभा के ऊपर फैसला छोड़ दूंगा कि प० बंगाल ने इन चोरबजारी करने वाले व्यक्तियों तथा जमाखोरों को नजर बन्द करने से क्यों इनकार किया है। हम मामलों पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और वे कहते हैं कि

वे चोरबजारी तथा जमाखोरी निवारक अधिनियम के अन्तर्गत चोरबाजारी करने वाले व्यक्तियों तथा जमाखोरों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। (व्यवधान)। उसके बाद हमने कहा यदि आप निवारक आदेश जारी नहीं करना चाहते हैं तो हम निवारक आदेश जारी करेंगे; कृपया आप हमें यह जानकारी दें कि कौन इस चोरबाजारी कर रहा है और कौन इस जमाखोरी कर रहा है। यदि वे हमें पर्याप्त जानकारी और कुछ सबूत देते हैं तो हम निवारक आदेश जारी करेंगे। (व्यवधान) मैंने प० बंगाल के मुख्य मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा कि यदि उन्हें चोरबजारी करने वाले व्यक्तियों तथा जमाखोरों के विरूद्ध निवारक आदेश जारी करने में कोई आपत्ति है तो हम उनके विरुद्ध निवारक आदेश जारी करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई संगठन नहीं है जिससे हमें मालूम हो सके कि प० बंगाल में कौन चोरबजारी तथा जमाखोरी कर रहे हैं। केवल स्थानीय सरकार ही हमें बता सकती है। इस मामले में वे हमें सहयोग देने में भी इंकार करते हैं। वे इस मामले को हमें सौंपना भी नहीं चाहते हैं। कोई भी इस बात को देख सकता है कि चोरबाजारी करने वाले व्यक्तियों तथा जमाखोरों का पक्ष कौन ले रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपने आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : समय-समय पर यह मामला स्पष्ट किया जाता है। मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार जहाँ तक उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, नियंत्रण में लिया जा रहा है और सरकार इसे पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लेगी। परन्तु यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसका मतलब प्रत्येक क्षेत्र में थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना नहीं है, यह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक सीमित है। हम नहीं चाहते हैं कि गैर-सरकारी व्यापारियों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई भाग हो। हम चाहते हैं कि राज्य नागरिक पूर्ति निगम तथा राज्य सहकारी विपणन संघ आदि इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य करें जिनका राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जाता है; और इस समय पूर्ण रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा मतलब है कि गैर-सरकारी व्यापारी हैं जो राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गैर-सरकारी तत्व को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इस हद तक हमने कार्यवाही की है और हम इस मामले पर दबाव डालना जारी रखेंगे। परन्तु इस बात की परवाह न करते हुए थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना कि क्या यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित है या नहीं, न तो मेरे पास से इसका सम्बन्ध है और न ही इसे अपने अधिकार में लेने सरकार की नीति का सम्बन्ध है; हम तो उसे करना ही नहीं चाहते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, माननीय आपूर्ति मंत्री जी ने अपने जवाब में सभी बहुत सी पूर्ति कर दी है, लेकिन मैं उनसे वास्विकता के बारे में पूछना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री हाल्दर, ने हिन्दुस्तान टाइम्ज का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय ने पढ़ा होगा कि दिल्ली की राशन की दुकानों में राशन-कार्ड होल्डरों को भी गेहूं, चीनी इत्यादि चीजें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में पिछली बार महीने के कोटे से 46,000 टन गेहूं और चावल तथा 5,304 टन चीनी उपलब्ध करवाई गई थी। वास्तविकता यह है कि—सरकारी अधिकारी भी यह मानते हैं और शायद मंत्री महोदय भी मानते होंगे—दिल्ली की जरूरत 64,000 टन गेहूं और चावल तथा 6100 टन चीनी है। यह मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, जो हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा शहर है और देश की राजधानी है।

मैं पश्चिम बंगाल और केरल की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मंत्री महोदय कहेंगे कि वहाँ पर गैर-कांग्रेस सरकारें हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूंगा, जहाँ उनकी पार्टी की सरकार कायम है। मंत्री महोदय ने राज सभा में कहा कि फरवरी में उत्तर प्रदेश को, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, 35,000 टन गेहूं और चावल दिया गया है। इसके मुकाबले में दिल्ली को, जिसकी आबादी पचास साठ हजार है, 46,000 टन गेहूं और चावल दिया गया है।

मंत्री महोदय का जवाब है कि वहाँ की सरकार ने अनाज की वसूली नहीं की। वह सरकार किसकी थी ? अप्रैल और मई, 1980 में, जबकि अनाज की वसूली और खरीद होती है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था। इस लिए इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी और लायबिलिटी इस सरकार की है, लोक दल या जनता पार्टी की सरकार की नहीं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो बहुत अच्छे मिनिस्टर कहे जाते हैं बार-बार कृषि मंत्री के दरवाजे पर दस्तक देते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वह बेचारे निराश हो कर लौट गए और वहाँ के अधिकारी भी वापिस चले गए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पीछे वहाँ पर सूखा पड़ा था और अनाज की उपज नहीं हुई थी।

मैं ऐसे जिले से आता हूं, जिसे अनाज के मामले में सरप्लस कहा जाता है—आगरा। कहा जाता है कि आगरा से मेरठ तक के इलाके में सरप्लस फसल होती है। अगर यह मान भी लिया जाये, तो आज आगरा में गेहूं ढाई रुपए किलो के हिसाब से बाजार में उपलब्ध है। फेयर प्राइस शाप्स में तो वह है ही नहीं। चीनी भी है ही नहीं। गांव का किसान चीनी का एक दाना भी नहीं पा सकता है, वह तो एक चमच चीनी के लिए भी तरसता है।

मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, मगर क्या उन्होंने देखा है कि लोग सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें गेहूं, चावल और चीनी उपलब्ध नहीं होती है।

इन सब चीजों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। इस बारे में फिनांशल एक्सप्रेस में कहा गया है :—

थोक मूल्य सचांक में वृद्धि मार्च, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि में 1979-8। की समान अविध में 23.8 प्रतिशत की तुलना में 27 प्रतिशत थी ।

पिछली बार 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अब 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है— यह फांनेंशियल एक्सप्रेस की बात है और आप कहते हैं कि कीमतें गिरी हैं।

जहां तक तेल का प्रश्न है, बाजार में सरसों के तेल का भाव थोक में 12 रुपए किलो है लेकिन खुले में वह 17 रुपए किलो भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आप उसको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तेलों के भाव में कम से कम 30 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है। गुजरात की सरकार ने तेल की निकासी के सम्बन्ध में नीति बनाई और भारत सरकार ने उस नीति की प्रशंसा कर डाली। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप आज जो उपभोक्ता है वह अत्यन्त परेशान है। यह बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आप किसी रैली पर करोड़ों रुपए का डिजल फूंक सकते हैं तब क्या बाहर से कुछ तेल आयात कर के लोगों का बदन चिकना नहीं कर सकते ? लोग अगर तेल अपने बदन पर न लगा सकें तो कम से कम सब्जी में डाल लें। इसलिए मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या आप उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाने जा रहे हैं और क्या आप तेल का आयात करने जा रहे हैं ?

जहाँ तक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, मैं बंगाल या केरल नहीं, उत्तर प्रदेश की बात पूछता हूं जहां पर आपका शासन है कि वहाँ पर अभी तक नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत कितने लोगों को जेल में बन्द किया गया है ? आप केरल या बंगाल की बात न करें, आप वहाँ की बात करें जहाँ पर आपका शासन है, उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशो के कोटे में केन्द्रीय कोटे से आप ने कितनी बढ़ोत्तरी की है ? दूसरा प्रश्न यह है क्या आप तेल का आयात करेंगे तथा जो चीनी आपके पास उपलब्ध है उसमें से प्रदेशों को आप देंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति जी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एलाटमेन्ट में तुलना करना इसलिए गलत है क्योंकि दिल्ली में गेहूं पैदा नहीं होता, यहाँ उपभोक्ता रहते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में स्वयं गेहूं पैदा होता है। जो कमी होती है उसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह तुलना बराबर की नहीं है।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के बारे में पूछा है कि कितने लोग उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में कार्यवाही हुई है और हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा है कि जितनी कार्यवाही की अपेक्षा हम करते हैं उतने व्यापक पैमाने पर अभी कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए इसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर, जो लोग वास्तव

में आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में गलत काम कर रहे हैं। उन पर कड़ी कार्यवही की जाए। इस सम्बन्ध में जहां तक हम सहायता दे सकते हैं, पूरी सहायता देते हैं। जो भी सूचना हमें मिलती है वह उनके पास भेजते हैं। उन्होंने इस तरह की कड़ी कार्यवाही करनी शुरू कर दी है और मुझे आशा है कि इससे स्थिति में सुधार आयेगा।

जहाँ तक गेहूं की कमी की बात है, वह देश व्यापी है। जिस तरह से इस सम्बन्ध में केरल और वेस्ट बंगाल प्रभावित हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी प्रभावित हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा रबी की फसल है वह अच्छी है। 1979 के अकाल के कारण खाद्यान्न उत्पादन में जो कमी हुई थी उसको इस साल पूरा कर लिया जायेगा और अभी जो कठिनाई गेहूं के बारे में हमारे सामने है वह काफी कम हो जायेगी।

इसी तरह से शुगर के बारे में भी आप जानते हैं कि पिछले सालों के उत्पादन के मुकाबले अब उत्पादन बढ़ा है।

उस उत्पादन के बढ़ने से अभी जिस तरह से देश में शुगर के बारे में कठिनाइयाँ हो रही हैं, वे कठिनाइयाँ दूर हो सकेंगी—इस की हमें पूरी आशा है। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से ऐसी योजना बनाकर कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे कि शुगर और शक्कर की वितरण व्यवस्था हो सके और जिससे हर जगह शुगर पहुंचाई जा सके। इसके लिए हम एक तरफ उत्पादन बढ़ा रहे हैं और वितरण व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं तथा ज्यादा से ज्यादा वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत दुकानें खोल रहे हैं। बढ़े हुए उत्पादन को वितरित करने के लिए अधिक से अधिक हम सहकारी समितियों का उपयोग करने जा रहे हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह: खाद्य तेलों के आयात के बारे में आपने कुछ जवाब नहीं दिया।

श्री विद्याचरण शुक्ल: खाद्य तेलों का हम हर साल पांच सौ करोड़ रु० का आयात करते हैं और आवश्यकता हुई तो और अधिक उस का आयात करेंगे। जितनी भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने के लिए हम किसी प्रकार कंजूसी नहीं बरतेंगे। जितनी आवश्यकता अपने देश की होगी उतनी ज्यादा, उससे थोड़ा अधिक बाहर से मंगा कर समान रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ): मैं नहीं समझता हूं कि देश में ऐसा कोई प्रश्न है जिससे इतनी चिन्ता उत्पन्न हो गई है और जो इस सम्पूर्ण देश के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जितना कि आवश्यक वस्तुओं के सदा बढ़ते हुए मूल्यों का प्रश्न है मुझे इस विषय का इतना विशेष ज्ञान नहीं है जितना कि एक अर्थ शास्त्री को हो सकता है, परन्तु मैं इस देश को उस आम नागरिक के रूप में बोलता हूं जिसका इससे बहुत ही अधिक सम्बन्ध है। निश्चित रूप से यह एक ऐसा मामला है जो दलगत राजनीति से ऊपर है क्योंकि हम सभी के परिवार इससे गम्भीर रूप से प्रभावित हैं, चाहे हम इस दल से

सम्बन्धित हों या उस दल से सम्बन्धित हों। यह सच है कि बढ़ते हुए मूल्य और मुद्रा स्फीति से न केवल इस देश के लोग बल्कि समस्त विश्व के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह तो विश्वव्यापी तथ्य है। यह अमेरिका को भी प्रभावित कर रहा है जो विश्व में सबसे अधिक धनी देश है। सभापति महोदय, जैसा कि आपको मालूम है, क्योंकि आप हाल में वहां गए थे कि वहां भी लोग दुखी हैं। जब हम वहां गए और हमने उनसे पूछा कि "आपको अमेरिका में प्रचुर मात्रा में वस्तुएं मिलती हैं," वे कहते हैं, "प्रचुर मात्रा में वस्तुएं मिलने की बात न करें। मुद्रा स्फीति की धनराशि पर तथा उस लागत पर जिस पर वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, नजर डालिए।" ऐसा ब्रिटेन में भी है। जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है मेरे पास बड़ी विश्वसनीय जानकारी है कि सोवियत संघ में कभी मूल्य वृद्धि का प्रश्न कभी नजर में नहीं आता है, वहां भोजन की कमी है। यह विश्वव्यापी तथ्य है और इस तथ्य को इसी रूप में देखा जाता है। मुझे गलत समझा जाये। इससे पहले मुझे यहां पर उद्धृत करना चाहिए कि माननीय सदस्य मुझे यह बता रहे थे कि इस सच्चाई से कोई बड़ी सान्त्वना नहीं मिलती है कि दूसरे भी हमारी तरह दुखी हैं।

मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने उस बात पर कुछ बल दिया है जिसको मैं खुद सोच रहा हूं कि इस समस्या पर अति गंभीरता से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ध्यान देना होगा। यह आज सबसे बड़ी समस्या है जिससे देश चिन्तित है और इसके दो पहलू हैं। प्रथम पहलू उत्पादन—उत्पादन में वृद्धि है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, यह वास्तव में एक ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य हमेशा बढ़ता रहता है। चीनी का पर्याप्त भन्डार थे लेकिन तत्कालीन सरकार का दृष्टिकोण लोकप्रियता प्राप्त करना था और उस समय उन्होंने मूल्य कम करके लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप किसान को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल सका। गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई हैं जहां गन्ने की फसल को वास्तव में जला दिया गया। अतः सरकार ने सबसे पहले उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि मांग पूरी की जा सके, ताकि मूल्यों में यथा संभव कमी हो सके? मूल्य कभी भी अपने मूल स्तर तक कम नहीं होते। लेकिन उनमें इतनी तो कमी की जा सकती है कि वह उपभोक्ताओं की व्यय शक्ति के अनुरूप हो सके। इसके अतिरिक्त सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? चाहे आप कुछ भी करें इस प्रकार की कृषि वस्तुओं के उत्पादन में उतार-चढ़ाव तो हमेशा आता ही रहता है। इसलिए हमें उत्पादन में उतार-चढ़ाव के बुरे प्रभावों पर नियंत्रण रखने के लिए सुरक्षित भण्डार बनाने चाहिए। मैं जानता हूं कि इससे मन्त्री महोदय का सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन वह मन्त्री मंडल के सदस्य हैं और इसलिए मुझे विश्वास है कि वह इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण कर सकेंगे।

जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इसके लिए दंड और प्रलोभन की

नीति अपनानी पड़ेगी । जहां तक हो सके उन्हें इसके लिए राजी करने का प्रयास किया जाए । इस संदर्भ में मैंने ऐसे समाचार पढ़े हैं उदाहरण के तौर पर मंत्री महोदय ने वनस्पति निर्माताओं के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने मूल्यों को स्थिर रखने के लिए उन्हें राजी करने का प्रयास किया । क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि इन वार्ताओं के क्या परिणाम रहे ? मुझे यह मालूम हुआ है कि उन्होंने मूल्यों को स्थिर रखने में स्पष्ट रूप से बिक्री-कर तथा अन्य बहुत-सी कठिनाइयों का उल्लेख किया । इस बारे में सरकार की वास्तव में क्या प्रतिक्रिया है ? एक उपभोक्ता के रूप में मुझे व्यक्तिगत रूप से कम से कम अपने देश में व्यापारियों को बातचीत से मनवाने में अधिक विश्वास नहीं है । मेरा विचार है कि अन्य देशों में भी वही हाल है जहां चीजों का अभाव होता है और व्यापारी उसका लाभ उठाते ही हैं ।

जहां तक दंड की नीति का सम्बन्ध है मैं दलगत राजनीति में नहीं पड़ूंगा । लेकिन गोआ जैसे एक छोटे से क्षेत्र में आर्थिक अपराधियों को दंड देने का बहुत अच्छा रिकार्ड है । इसका नम्बर महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में आता है । पश्चिम बंगाल सबसे अन्त में आता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : गोआ में मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सर्वप्रथम यदि मैं कानून का प्रशासक होता और यदि आर्थिक अपराधी होते तो मैं मूल्यों पर प्रभाव के बारे में चिन्ता नहीं करता । मैं उन्हें अवश्य दंडित करता क्योंकि वे सबसे बड़े अपराधी हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी आपसे सहमत हैं लेकिन मतभेद तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं जानना चाहूंगा कि यदि यह तरीका नहीं है तो वह कौन-सा तरीका है जिस पर सरकार विचार कर रही है ? यह प्रत्येक की दिलचस्पी का विषय है कि यदि इन क्षेत्रों में निवारक नजरबन्दी लागू नहीं की जाती है तो मूल्यों के नियंत्रण या उनकी स्थिरता और आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ।

अब मैं दिल्ली के विषय में दो बातें पूछना चाहूंगा । सभा की इस ओर के दिल्ली के संसद सदस्य कृषि मन्त्री से मिले थे । मुझे नहीं पता कि उस ओर के सदस्य भी उनके साथ थे ?

श्री एच०के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : हम मन्त्री महोदय से दो बार मिले थे ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वे माननीय नागरिक पूर्ति मंत्री से भी मिले थे । मैं समझता हूं कि उन्होंने यह सुझाव दिया था कि दिल्ली के लोगों को आवश्यक वस्तुओं,

विशेषकर चीनी की पर्याप्त सप्लाई की जाए । इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मूल्यों को स्थिर करने के प्रश्न पर अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है । वास्तव में, इसमें प्रभावित लोगों का सहयोग भी इस काम के लिए आवश्यक है । हम कुछ करना चाहते हैं । मैं संसद सदस्य के तौर पर नहीं बोल रहा हूं अपितु एक साधारण उपभोक्ता के रूप में बोल रहा हूं । उपभोक्ता उकता गए हैं । वे मूल्यों को स्थिर नहीं कर सकते । कभी-कभी भोजन वहाँ उपलब्ध होता है परन्तु उनके मूल्य इतने अधिक होते हैं कि वे उसे खरीद नहीं सकते ।

दिल्ली में बहुत से मूल्य विरोधी आन्दोलन हुए हैं । मैं उन पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा । क्या सरकार उनकी सहायता करेगी या सुनेगी या उनके सुझावों की जांच करेगी ? क्या मैं एक विशिष्ट आन्दोलन का उल्लेख कर सकता हूं जो दिल्ली, भोपाल तथा कहीं और भी एक बड़ा काम कर रहा है । वह है राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा । यहाँ इसके 42 कार्यालय हैं । मेरे विचार से यह एक ऐसा आंदोलन है जैसाकि उपभोक्ता मूल्य विरोधी आन्दोलन होना चाहिए । ऐसे ही और आंदोलन भी हैं । सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य जब यह कहते हैं, तो वह बिल्कुल ठीक है, कि बुनियादी तौर पर हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए तथा विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टाक भी बनाना चाहिए जिससे परिवहन की अड़चन या अन्य किन्हीं समस्याओं के कारण मौसमी या अन्य अस्थिरता की स्थिति में इस बफर स्टाक का मूल्यों को बराबर करने के लिए उपयोग किया जा सके । निःसंदेह, सरकार की भी यही नीति है । केवल उत्पादन के अभाव के कारण ही नहीं अपितु, विभिन्न प्रकार की नीतियों के कारण भी पिछले कुछ वर्षों में इन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है । परन्तु अब, उत्पादन बढ़ाकर हम बफर स्टाक बनाने की आशा करते हैं जो विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने में सहायक होगा ।

वनस्पति के सम्बन्ध में निर्माताओं के साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं । हमारा विचार है कि तेलगांना, रायलासीमा तथा गुजरात क्षेत्र में सूखे के कारण पैदा हुई कमी, जिसके फलस्वरूप मूंगफली का उत्पादन कुछ कम हुआ है, का ये लोग अनावश्यक तथा बनावटी तौर पर लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे थे । इस सम्बन्ध में हमने उनसे बात की तथा उनको विश्वास दिलाया कि वे इस अस्थाई कठिनाई का लाभ नहीं उठा सकते और हम निश्चय ही इस सम्बन्ध में उनसे सख्ती से पेश आएंगे । हमने उनके साथ एक समझौता किया है । वे लोग जो इस समझौते का सम्मान करेंगे उन्हें हमसे कानूनी तथा उचित प्रशासनिक सहायता मिलेगी परन्तु जो समझौते का उल्लंघन करेंगे उन्हें सरकार के साथ किए गए समझौते को तोड़ने के परिणाम निश्चय ही भुगतने पड़ेंगे ।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, वह ठीक है कि निवारक नजरबन्दी अधिनियम

का भली-भांति उपयोग किया गया था। किसी के लिए भी यह पता लगाना बहुत कठिन है कि क्या किसी राज्य विशेष में मूल्य स्थिति पर निवारक नजरबन्दी का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है या नहीं। परन्तु हमें यह मानना होगा कि जब काला बाजारियों तथा जमाखोरों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर इसका हितकारी प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से हमें इस बात का अन्दाज नहीं है कि यदि हम 10 लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो बाजार पर इसका क्या प्रभाव होगा या यदि एक आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो बाजार पर इसका क्या प्रभाव होगा। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक अपराध कर रहा है या कालाबाजारी या जमाखोरी कर रहा है, चाहे इसका मूल्य स्थिति पर प्रभाव हो या न हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना प्रत्येक सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। यदि हम उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नहीं पकड़ सकते तो आर्थिक अपराधी जो सामाजिक शत्रु हैं, के विरुद्ध निवारक नजरबन्दी अधिनियम का प्रयोग करना होगा। अतः मैं माननीय सदस्य के सुझाव का समर्थन करूंगा कि सम्पूर्ण देश में इन आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसी प्रकार माननीय सदस्य ने कहा कि दिल्ली के संसद सदस्य हमसे मिले थे तथा उन्होंने दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देने के लिए जोर दिया था। जैसाकि मैंने पहले कहा है दिल्ली इन विभिन्न वस्तुओं का उपभोक्ता क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र नहीं और इसीलिए हमें उससे पूरी-पूरी सहानुभूति है और हमने दिल्ली में स्थिति को सुधारने की भरसक कोशिश की है परन्तु दिल्ली देश में एक द्वीप नहीं हो सकता। देश के अन्य राज्यों की समस्याओं तथा कठिनाइयों को इसे भी वहन करना पड़ेगा। परन्तु फिर भी, मैं दिल्ली के संसद सदस्यों को बधाई दूंगा जो संघ राज्य में अपने चुनाव क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए उनका दौरा करते रहते हैं। हमने कुछ उपाय किए हैं जो दिल्ली के उपभोक्ताओं की भविष्य में सहायता करेंगे। उपभोक्ताओं के मूल्य विरोधी आन्दोलन को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, परन्तु दुर्भाग्यवश, उपभोक्ताओं का आंदोलन देश में पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, परन्तु राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने उनकी सहायता की है तथा पूरे देश में उनके क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि नवयुवकों के नेतृत्व में ऐसे अच्छे संगठनों को, जो अराजनैतिक ढंग से उपभोक्ताओं की अच्छी सेवा करना चाहते हैं, न केवल हम सहायता देंगे अपितु राज्यों में अन्य सामाजिक संगठन भी सहायता देंगे जिससे देश में एक अच्छा उपभोक्ता मूल्य विरोधी आंदोलन पनप सके।

श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की क्षमता में अगाध विश्वास है और जो कोशिश इस दौरान उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने की की है उसकी मैं सराहना भी करता हूं लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज व्यवहारिक रूप से सारे देश के अन्दर है, उसको आपने यहां पर

रखा है। जैसा आपने कहा कि आज कामन आदमी, जो सब से गरीब व्यक्ति है, लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसको आवश्यक वस्तुएं सही दामों पर पहुंचे लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज जितनी चोट इन व्यक्तियों के मन पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों से पहुंच रही है उतनी किसी ओर से नहीं पहुंच रही है।

आज जगह जगह पर सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। आप उन पर देखिए। मैं विशेषकर यू० पी० की दुकानों के बारे में कहना चाहूंगा कि लोगों को एक राशन कार्ड पर एक किलो गेहूं नहीं मिल पा रहा है। खाने का तेल नहीं मिल पा रहा है। लोगों को मिट्टी का तेल बहुत मुश्किल से मिल रहा है। चीनी तो, हम मानते हैं कि उसकी कुछ कमी है लेकिन उसके बावजूद भी चीनी बहुत कम भी नहीं मिल पा रही है। एक कारण तो यह हो सकता है कि हमारे देश में चीजें नहीं हों अगर हमारे देश में चीजें नहीं हों तो हिन्दुस्तान का हर आदमी सरकार के साथ मिलकर बिना उसके गुजारा कर लेगा, उस अभाव को सहन कर लेगा। लेकिन जब एक चीज सस्ते गल्ले की दुकान पर तो मिले नहीं और वही चीज बगल की प्राईवेट शाप में मिल जाएतो हमें मानना होगा कि सस्ते गल्ले की दुकानों में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत-सी खामियाँ हैं।

एक तो यह बात है और दूसरे हम देखते हैं कि प्राइवेट शाप्स से बिकने वाली चीजों और सस्ते गल्ले की दुकानों से बिकने वाली चीजों की कीमतों में भारी अन्तर है। इस कारण मुनाफाखोरी करने वाले लोग हमारे भ्रष्ट तंत्र के साथ मिल कर वही चीजें प्राइवेट तौर से लोगों को बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह की चीज को रोका जाए। आपने कहा भी है कि आप इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के सम्बन्ध में केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श दे रहे हैं।

दूसरी तरफ हमारा लेण्ड बार्डर बहुत लम्बा चौड़ा है। हमारे पड़ौसी देशों में अनेशल आइटम्स की कीमतें बहुत ज्यादा हैं इस पर भी सरकार को नजर रखनी चाहिए। आप जो इन सब चीजों को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों को जो गाइडलाइंस भेजी गई है उनके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रान्तीय सरकारों को कौन-कौन-सी गाइडलाइंस भेजी गयी हैं और कौन-कौन-सी राज्य सरकारें उनका पालन कर रही है और कौन-कौन-सी राज्य सरकारें उनका पालन नहीं कर रही हैं?

एक चीज जो उत्तर प्रदेश में हमने देखी है वह यह है कि वर्तमान सरकार के पहले वहाँ जो सरकार रही है उसने राजनीतिक कारणों से सस्ते गल्ले की दुकानें दीं। जिनको वे दुकानें दी गयीं आज वे लोग राजनीतिक कारणों से हमारे साथ कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। जो भी आइटम्स उनके पास आ रही हैं उन्हें या तो वे ब्लेक में बेच दे रहे हैं या किसी और तरीके से वे उन्हें इधर-उधर कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा

कि इस तरह की शिकायतें जिन प्रांतों से सरकार के पास आयी हैं कि सस्ते गल्ले की दुकानें राजनीतिक कारणों से अलाट की गई थीं क्या उनसे ये सस्ते गल्ले की दुकानें निकलवाने के लिए कदम उठा रहे हैं ?

एक पश्चिम बंगाल के विषय में विशेष शिकायत कई लोगों के द्वारा आयी हैं। वह यह है कि पश्चिम बंगाल में सुना गया है कि वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मोस्टली उन्हीं पार्टीज के लोग कंट्रोल करते हैं जो कि शासन में हैं। यह भी वहां के बारे में बताया गया है कि उनसे या उनकी पार्टी से जो लोग सिम्पैथी रखते हैं उन्हीं को वे चीजें देते हैं। क्या इस तरह की शिकायतें सरकार के पास भी आयी हैं और यदि आयी हैं तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उनकी जांच की जाए। क्या माननीय मन्त्री जी उनकी जाँच करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब वे ऐसा करते हैं तो उसकी सीमा है। (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उनमें से बहुत सी दुकानें कांग्रेस (इ) द्वारा चलाई जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री सोम नाथ चटर्जी : इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्हें जाँच करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उनमें से बहुत-सी दुकानें कांग्रेस (ई) की हैं..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय को उत्तर देना चाहिए। आप इसकी चिन्ता क्यों करते हैं ?

श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत : मान्यवर मैंने केवल यह कहा है कि जांच की जाए। (व्यवधान) आपने जब हम पर आरोप लगाया तो हमने शांति से सुना, अब हमने एक सच्ची बात कह दी तो आप इस तरह से कर रहे हैं। मैंने जाँच के लिए कहा है, जांच के बाद सारी बात सामने आ जायेगी। इसमें आपको क्या नाराजगी है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह हास्यास्पद तथा निरर्थक है (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, हमने शांति से सहा, लेकिन जब एक सच्ची बात कह दी तो आपसे सहन नहीं हो रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक फैशन बन गया है क्यों कि वे हीन भावना से ग्रस्त हैं। पश्चिम बंगाल देश में सबसे अच्छा प्रशासन करने वाली सरकार है इसलिए वे सब हीन भावना से ग्रस्त हैं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि केरल के

अन्दर जब कुछ लोगों ने असेंशियल आर्टिकल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के विरोध में जुलूस निकाला था तो उन पर लाठी चार्ज क्यों किया गया था, हमारे कार्यकर्त्ताओं को मारा-पीटा क्यों गया था। उसमें मुस्लिम लीग के एक सदस्य को जान से हाथ धोना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में तो इससे भी बुरी हालत है। मैंने तो अपनी बात कही है।

अन्त में मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है और मैं जानना चाहूंगा जितने हमारे रिमोट एरियाज हैं, दूरस्थ स्थान हैं, जहां पर गेहूं, चावल, शुगर कुछ भी पैदा नहीं होता है वहाँ पर सप्लाई ठीक नहीं होती है। जो भी सामान आता है वह रेल-हैड पर ही बिक जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे प्रांतों की सरकारों को यह निर्देश देंगे कि वे इसके लिए वहां पर बफर-स्टाक बनाएं, जिससे सप्लाई ठीक हो सके। इसी प्रकार शहरों में आप एक किलो शुगर देते हैं और देहातों में 500 ग्राम देते है, यह डिस्पेरिटी जो है, इसको समाप्त करने के लिए क्या आप कदम उठाएंगे ?

सभापति महोदय : मैंने सुना है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण किया है जो असंसदीय हो सकते हैं। क्या यह सत्य है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा था कि यह हास्यास्पद तथा निरर्थक है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है यह असंसदीय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल प्रधान मंत्री ने स्वयं 'निरर्थक' शब्द का प्रयोग किया था। कृपया पहले उसका पता लगाइए। यदि उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि ऐसा था तो जब इस शब्द का प्रयोग किया गया तब किसी माननीय सदस्य ने आपत्ति क्यों नहीं की थी। कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहाँ किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार : क्या श्री रावत के पक्ष में यह अनाप-शनाप उच्चारण रिकार्ड किया जाएगा ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इसे अपने आप ही न उठाएं। मैंने कहा था कि यह हास्यापद तथा निरर्थक है।

सभापति महोदय : यह शब्द असंसदीय हो सकता है और इस मामले में मुझे इसे कार्यवाही वृतान्त से निकालना होगा।

श्री सोम नाथ चटर्जी : श्रीमान, इसे कार्यवाही वृतान्त से मत निकालिए।

सभापति महोदय : मैं इसे अध्यक्ष महोदय पर निर्णय के लिए छोड़ता हूं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में

खामियों का जिक्र किया है। यह सही बात है कि इस में बहुत सी खामियाँ हैं। हम उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने गोआ के माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा हमें माननीय नागरिकों के द्वारा जो कंज्यूमर रिजिस्टेंस मूवमेंट चलाए जाते हैं, उनका उपयोग करना है, कानून जो हैं उनका उपयोग करना है जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, एंटी ब्लैकमार्किटिंग एण्ड होर्डिंग एक्ट है। शासकीय तंत्र का भी इस काम के लिए उपयोग करना है। साथ ही साथ माननीय सदस्यों की जागरूकता का भी उपयोग करना है। जितनी जल्दी आप इन खामियों को हमारे ध्यान में लाएंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही शीघ्र और अच्छी तरह से हम इनको दूर करने में सफल भी हो सकते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है इसको दूर करने के लिए जो कदम उठाएं गए हैं वे सर्वविदित हैं। भ्रष्टाचार को रोकने में हमें पूरी सहायता नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी खामी है जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बिगाड़ती है। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक प्रमुख अंग है और इसको दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं।

तस्करी का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि बहुत सी चीजों की तस्करी उत्तर प्रदेश से नेपाल वगैरह को होती है। इसको रोकने के लिए सामान्य जो व्यवस्था है उसी का उपयोग किया जा रहा है। कोई विशेष व्यवस्था इसके लिए नहीं की जा सकती है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि राजनीतिक कारणों से भी दूकाने दे दी गई हैं। कहीं कहीं लोगों को इनको इसलिए नहीं दिया गया है कि वे काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं. बल्कि राजनीतिक कारणों से दे दी गई हैं और यह दोषपूर्ण चीज है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि सहकारिता के आधार पर इस व्यवस्था को चलाया जाए और अधिक से अधिक दूकानें सार्वजनिक क्षेत्र में या सहकारिता के क्षेत्र में हो ताकि राजनीतिक दुरुपयोग जो समय-समय पर किया जाता है वह न किया जा सके।

माननीय सदस्य ने सुदूर इलाकों में बफर स्टाक बनाने की बात कही है। उसकी ओर हम जरूर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करेंगे और उनको कहेंगे कि इस तरह के जो क्षेत्र हैं और जहां के निवासियों को बहुत तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए वे कारगर कदम उठाएं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि बंगाल में जो व्यवस्था चल रही है उसमें रूलिंग पार्टी के सदस्यों का उपयोग किया जा रहा है और माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए। इसका विरोध बंगाल के माननीय सदस्यों ने किया है। मैं नहीं जानता कि विरोध क्यों किया गया है। यदि कोई आरोप होता तो उसका खंडन कर दिया जाता

तो वह तो अलग बात थी। लेकिन माननीय सदस्य ने आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने यही कहा है कि ऐसी बातें कही जा रही हैं, ऐसी बातें अखबारों में आई हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उनका यह सुझाव था कि इस आरोप की जांच करा ली जाए। मैं समझता हूं कि सदन इस बात से सहमत होगा कि जांच करा लेनी चाहिए और हम इसके बारे में जरूर पूछताछ करेंगे।

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बालेश्वर राम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) केरल को सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) द्वारा किये गये सीमेंट के आवंटन के अनुसार केरल में केन्द्र-प्रायोजित सड़क/पुल निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1980 की दूसरी तिमाही में केवल 880 मीटरी टन सीमेंट दी गई है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य के लिए तीसरी तिमाही में कम से कम 3280 मीटरी टन सीमेंट की आवश्यकता होगी। चूंकि यह कम से कम मांग है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती, केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि इसे बिना कटौती किए पूरा किया जाये। परन्तु भारत सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए केवल 1000 मीट्रिक टन सीमेंट का आबंटन किया है। चौथी तिमाही के लिए केरल सरकार ने 4970 मीट्रिक टन सीमेंट की मांग की है परन्तु आवंटित मात्रा केवल 465 मीट्रिक टन है। इन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए केरल सरकार ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय को उस राज्य में केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में सीमेंट आवंटित किए जाने के लिए पत्र लिखा है। परन्तु पता चला है कि आज तक केरल सरकार को भारत सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

इस लिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि केरल राज्य को आवंटित किए जाने वाले सीमेंट में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्त्ती।

***श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम (तिरुनेलवेली)** : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तूतीकोरिन पत्तन न्यास आता है। जुलाई, 1979 में पत्तन न्यास ने निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया था। आवेदन पत्रों के साथ 5 रुपए लिए गए थे। इस उद्देश्य के लिए एक परीक्षा भी ली जानी थी। इसके लिए अन्तिम तिथि 10. 8. 79 रखी गई थी। इसके प्रत्युत्तर में लाखों बेरोजगार युवकों ने आवेदन पत्र दिए तथा पत्तन न्यास को 5 लाख रुपए अवश्य प्राप्त हो गए होंगे। बहुत से समाचार पत्रों में पत्तन न्यास की ओर से प्रत्याशियों को चेतावनी दी गई कि वे इस बारे में बिचोलियों के शिकार न हों, जोकि उनमें से प्रत्येक से 5000 रुपए या 6000 रुपए ठग लेंगे। पत्तन न्यास एक परीक्षा लेगा तथा भर्ती हेतु केवल योग्यता को ही ध्यान में रखा जायेगा। जनवरी, 1980 तक पत्तन न्यास की ओर से परीक्षा की कोई तिथि घोषित नहीं की गई। पिछले वर्ष मैंने चेयरमैन से भर्ती की स्थिति की जानकारी मांगी परन्तु मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच रोजगार दिलाऊ

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

दफ्तर के माध्यम से भर्ती करली गई हैं। जबकि आवेदकों को लगभग 1½ वर्ष तक अंधेरे रखा गया है।

सहसा एक दिन 5 लाख रुपए निकालकर धनादेश भिन्न-भिन्न स्थानों जैसे तूतीकोरिन, मदुरै, मद्रास, तिरुचिरापल्ली श्री वेकुंटम से लौटाए गए। इसे भिन्न-भिन्न स्थानों से भेजने की शीघ्रता क्यों बरती गई ? प्रत्याशियों ने गाइडें, नोटस आदि खरीद लिए थे तथा वे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए बहुत धन व्यय किया है।

उन्हें आधे टिकटों की बजाए शुल्क वापस पाकर अत्यन्त दुःख हुआ है। कोई परीक्षा नहीं ली गई। बेहतर होता यदि परीक्षा रद्द की जाने की घोषणा कर दी जाती। दो वर्ष तक धन बैंक में पत्तन न्यास के नाम में जमा रहा जिससे पत्तन न्यास को ब्याज प्राप्त हुआ तथा बैंक को अन्य लाभ रहा। उम्मीदवारों से कितना धन प्राप्त किया गया ? किस बैंक में उसे जमा किया गया तथा ब्याज की क्या दर ली गई थी ? पूरे धन को एक ही दिन निकालने की क्या आवश्यकता थी ? धनादेश भेजने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाने की क्या आवश्यकता थी ? इस कार्य के लिए यात्रा पर कितना व्यय हुआ ? भर्ती के लिए शीघ्र विज्ञापन देने की क्या आवश्यकता थी ? भर्ती के प्रस्ताव को रद्द करने की क्या आवश्यकता थी ? इन सब प्रश्नों के उत्तर सरकार को जनता को देने होंगे ?

(तीन) बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री द्वारा चित्तौड़गढ़ में वायु-प्रदूषण

प्रो० निर्मल कुमारी, शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से बड़े उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण गम्भीर चिन्ता का मामला है। अभी हाल ही में हमें इस विषय पर एक विधान पर चर्चा करने का अवसर मिला था। चित्तौड़गढ़ के इतिहासिक नगर में स्थित बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री द्वारा जिस प्रकार वायु प्रदूषण किया जा रहा है, उसकी ओर मुझे बड़े दुःख के साथ विशेष ध्यान दिलाना पड़ रहा है।

फैक्ट्री आवसीय क्षेत्रों के इतने निकट है कि यह लोगों के दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही है।

चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध नगर के सैनिक स्कूल की दीवारें हर समय सीमेंट से ढकी रहती हैं। यह उस संस्था की दशा है जहाँ देश के सभी भागों से बच्चे देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षण लेने आते हैं। हरियाली और खेत नष्ट हो रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री का धूल नियंत्रण संयंत्र अधूरा है। मैं केन्द्रीय सरकार के अनुरोध करूंगी कि इस मामले में हस्तक्षेप करें।

(चार) पश्चिम बंगाल में मोहिनी काटन एण्ड टेक्सटाइल मिल्स को फिर से खोला जाना।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : पश्चिम बंगाल में मोहिनी काटन एण्ड टैक्सटाइल मिल्स 28 फरवरी, 1980 से बंद पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप 2500 कार्मिक बेरोजगार

हो गए हैं। भारत सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत मिल के मामलों की जांच करने के लिए अधिसूचना जारी करके एक जांच समिति की नियुक्ति की थी। पता चला है कि जांच प्रतिवेदन नवम्बर, 1980 में सरकार को दे दिया गया था। यदि मिल का ठीक प्रबन्ध हो तो यह स्वावलम्बी समवाय है। मिल के निरन्तर बन्द रहने से न केवल भारी संख्या में कामिक भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं अपितु इससे राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर भी गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ा है और उत्पादन को भारी हानि हुई है। खेद की बात है कि कामिक संघों द्वारा अनेक आवेदन एवं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने मिल को अपने अधिकार में लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं वाणिज्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि मोहिनी मिल्स को पुनः शीघ्र खोलने के लिए शीघ्र उचित कार्यवाही करें ताकि मिल उत्पादन शुरू कर सके तथा कामिकों को पुनः कार्य मिल सके। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(पांच) कोवलम स्थित केरल समुद्री अध्ययन संस्थान को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने की आवश्यकता।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : ऐसा अनुभव किया गया है कि केरल में एक राष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने से बहुत लम्बे समुद्रतट वाले केरल के बेरोजगार युवकों में समुद्र गमन व्यवसाय को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान व्यक्तियों को नाविकों के व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं, जहाजरानी और समुद्री नौकाओं के संचालन और उनके इंजनों की मरम्मत तथा जीवन रक्षा साधनों के उपयोग करने का प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ताकि वे बड़ी संख्या में यंगीकृत मछली पकड़ने की नौकाओं तथा अन्य समुद्रगामी नौकाओं को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी कार्यदक्षता को बढ़ा सकें तथा समुद्री दुर्घटनाओं से बच सकें।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय किया था कि केरल नाविक अध्ययन संस्थान की त्रिविद्रम से 18 किलो मीटर की दूरी पर कोवलम विझीन्जन में स्थापना की जाए। उक्त संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा सितम्बर, 1977 में किया गया था। प्रारम्भ में नाविकों के प्रशिक्षण के लिए छः महीने का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था तथा उसके अन्तर्गत 40 प्रशिक्षणार्थी पहले ही अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं। अगले सैत्र से 100 प्रशिक्षणार्थी चुनने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय तथा केरल के अधिकारी और संबद्ध मंत्री पहले ही नाविक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। फिर भी इसे अभी सरकारी तौर पर मान्यता प्रदान की जानी है। यह मामला अगस्त, 1979 में पुनः नौवहन के महानिदेशक के साथ

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उठाया गया था और इस बारे में मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए समुद्री व्यवसायों में रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र इस संस्थान को बिना और विलम्ब किये मान्यता दे।

(छः) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को मिट्टी के तेल, डीजल और डामर की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता :

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों में प्रान्तीय सरकार द्वारा समुचित आवंटन के बावजूद मिट्टी के तेल व डीजल की उपलब्धता नहीं के बराबर है। इसका कारण इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा समय पर सप्लाई का न दिया जाना है। इन दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मिट्टी का तेल व डीजल ले जाने वाले ठेकेदारों के पास टैंकरों की कमी है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन व अन्य के वहाँ डिपो बने नहीं हैं। डीजल के अभाव में पर्वतीय क्षेत्रों में सप्लाई की स्थिति को कुप्रभावित हो रही है। अतः पेट्रोलियम मत्री जी से अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों में आइल डिपो बनायें तथा टैंकरों की संख्या बढ़ायें।

इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में बिटुमेन के अभाव में सड़को को पक्का करने का काम भी रुका हुआ हैं। सड़कों के पक्का न होने से भूस्खलन हो रहा है, जिसके कुप्रभाव से मैदानी भागों में बाढ़ आती हैं पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बीस हजार मैट्रिक टन बिटुमैन के विशेष वार्षिक आवंटन करें।

पर्वतीय क्षेत्रों जंगलों के विनाश को रोकने के लिए आवश्यक है कि वैकल्पिक ईंधन स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जाये। इस संदर्भ में पेट्रोलियम मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों में गैस कनेक्शन गत वर्ष नवम्बर तक उपलब्ध करवाने का वादा किया था, जिसे उस समय पूरा नहीं किया गया।

अतः अब वादे के अनुसार शीघ्र गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जायें।

(सात) महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती जिलों में सन्तरों को कीड़ा लगने से बचाने की आवश्यकता :

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती दोनों मुख्य जिले हैं, वहां ज्यादा तौर पर सन्तरे पैदा होते है और देश के हर कोने में भेजे जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी उनका निर्यात किया जाता है। 1980-81 में सन्तरों की पैदावार 1,78,388 मेट्रिक टन थी। एक जमाने में अमरावती जिले का मोर्शी वरुड विभाग भारतवर्ष का केलीफोर्निया कहलाता था। लेकिन आज यह क्षेत्र एक ऐसी बीमारी से प्रभावित हुआ है, जिसे "कौलसी" कहते हैं। इससे लगभग 50 लाख पेड़ों को क्षति होने की संभावना है। इसबर्बरतापूर्ण आक्रमण की गंभीरता और बढ़ गई है।

पहले ही सिंचाई के पानी का लेवल लगातार गिरता जा रहा है। पानी का लेवल पचास फुट तक पहुंच गया है। इसी वजह से सूखे के संकट का वहां के किसान सामना कर रहे हैं। के इसमें इस "कौलसी" के आक्रमण के कारण एक नया खतरनाक संकट पैदा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराके इस बीमारी को रोकने के लिए शीघ्र कार्यवाही की है। फिर भी राज्य की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, वे सीमित साधनों और मंत्रों के कारण आवश्यकता से कम हैं। इस कारण यह आवश्यक है कि भारत सरकार भी इस विषय में तुरन्त कोई कार्यवाही करें, जिससे भविष्य में कोई दुर्भाग्यप्रद घटना न घटे, क्योंकि सोर्शे वस्त्र विभाग के किसानों की रोजी-रोटी संतरे की फसल से जुड़ी हुई है। यदि समय पर इस ओर ध्यान न दिया गया, तो यह बीमारी और भी लगे हुए क्षेत्र में बढ़ सकती है, जिससे निर्यात की क्षमता भी घटेगी और सन्तरों का उत्पादन भी गिर जायेगा।

इसलिए मैं सरकार से नम्र निवेदन करती हूं कि वह युद्धस्तर पर इससे लिए कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करें।

रेल बजट १९८१–८२ सामान्य चर्चा जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में रेल बजट पर आये सामान्य चर्चा की जाएगी।

प्रो० नारायणचन्द पराशर अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो० नारायणचन्द पाराशर (हमीर पुर) : मुझे आशा है कि आप मुझे कल अपना भाषण जारी रखने की अनुमति देंगे। 3.30 म० प० से पूर्व मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाऊंगा। 3.30 पर हमें गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 10 मिनट पहले ही ले चुके हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैंने केवल 8 मिनट लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं रिकार्ड के अनुसार आप 10 मिनट ले चुके हैं। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : श्रीमान, मेरे लिए 3.30 म० प० तक अपना भाषण समाप्त करना सम्भव नहीं है। फिर भी, मैं निवेदन करता हूं।

श्रीमान, कल मैं देश के पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए नई रेल लाइनों तथा लाइनों के बड़ी लाइनों में बदलने पर बोलते समय बता रहा था कि किस प्रकार देश के पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई है। श्रीमान कल नई लाइनों के निर्माण

और कुछ अन्य रेल लाइनों जिनका कि सर्वेक्षण किया जा चुका है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में नयी लाइनों के बारे में शीघ्र कार्य किए जाने की आवश्यकता पर आग्रह कर रहा था।

इसके बारे बारे में मैं पांचवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति के 69वें प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा था। उसमें कहा गया है।

समिति अनुभव करती है कि पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण से अत्यावश्यक संचार सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण उनके विकास में भारी सहायता मिलेगी।

इसलिए समिति सिफारिश करती है नई लाइनों पर खर्च की जाने वाली पूंजी का एक निर्धारित प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

इस सभा की महान समिति द्वारा की गई यह विशिष्ट सिफारिश है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय समिति द्वारा की गई इस सिफारिश पर अवश्य गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

इसके संबंध में, मैं आपका ध्यान नई रेल लाइनों की स्थापना करने पर लोक लेखा समिति द्वारा की गई टिप्पणी की ओर दिलाना भी चाहता हूं।

श्रीमान, मैं आपका ध्यान लोक लेखा समिति के 171 वें प्रतिवेदन (1974-75) में की गई सिफारिश की ओर दिलाना चहता हूं।

मैं इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 26 से पढ़ रहा हूं। इसमें बताया गया है : समिति को उपलब्ध की गई सूचना से पता चलता है कि उन 15 नई लाइनों में से, जिन पर 31 जनवरी, 1975 को समाप्त होने वाले गत 5 वर्षों के दौरान निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था, दो लाइनों, अर्थात् सरायगढ़-प्रतापगंज और कठुआ-जम्मू लाइनों पर कार्य पूरा हो चुका है।

पाँच लाइनों अर्थात् (1) नांगल बांध तलवाड़ा सम्पर्क लाइन, (पहाड़ी राज्य में एक मात्र रेल सम्पर्क) (2) हावड़ा-आमरा-तम्पदंगा बड़ी लाइन (3) नडिकुडे-बीबी नगर, (4) सकरी हसनपुर और (5) रामनगर—काठगोदाम के बारे में स्थान निर्धारण संबंधी अन्तिम सर्वेक्षण कार्य या तो कुछ चल रहा है अथवा पूरा हो चुका है। समिति चाहती है कि इन सभी पांचों लाइनों और उन दस लाइनों के बारे में भी जिनका कार्य गत पांच वर्षों के दौरान अथवा उससे भी पहले आरम्भ हुआ था और जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें अति शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। एक बार जब किसी परियोजना का उद्घाटन हो जाता है या उस पर कार्य शुरू कर दिया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धनाभाव के कारण उस परियोजना के कार्य रुकने नहीं पायें और उसे यथा-सम्भव निर्धारित समयानुसूची के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य और अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य को एक साथ किया

जाता है। रेल बोर्ड को विचार करना चाहिए कि इन पांच लाइनों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य को शीघ्रता का प्रमाण पत्र जारी करके अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षणों के, साथ ही साथ किया जाना चाहिए। जहाँ नयी रेल लाइनों के विशेषकर 150 किलोमीटर या उससे कम लम्बाई वाली लाइनों जो अभी तक न मिलाए गए बड़े क्षेत्रों को मिलाएंगी, निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, तो इन्हें पूरा किया जाना चाहिए और यथा शीघ्र काम को हाथ में लिया जाना चाहिये।

समिति ने कहा कि इन लाइनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तथापि दुर्भाग्यवश जनता सरकार ने सारी प्रक्रिया को ही बदल दिया। महोदय, मैंने योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पंचवर्षीय योजना, 1978-83 नामक योजना दस्तावेज को पढ़ा है, जो तत्कालीन जनता सरकार के मार्ग दर्शन में तैयार किया गया था। कृपया इस विशिष्ट दस्तावेज के पृष्ठ 208 को पढ़िए।

1978-83 के लिए प्रस्तावित नई रेल लाइनों के लिए 120 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। इसकी तुलना में 4 महानगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। महोदय, आपको यह जानकर दुख होगा। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पहले शुरू की गई प्रक्रिया को जनता पार्टी की सरकार ने बदल दिया है। समूचे देश भर में फैली हुई नई रेल लाइनों के समस्त जाल के लिए केवल 120 करोड़ रुपया नियत किया गया था, जबकि 4 महानगरों के लिए इस प्रारूप योजना में 125 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सारे देश के लिए निर्धारित राशि से भी 5 करोड़ रुपया अधिक 4 महानगरों के लिए नियत किया गया है। अतः मैं रेल मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा करके नगरों के लिए अधिक धन देने की प्रक्रिया को बदलिए। महोदय, महात्मा गाँधी सदैव देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के महत्व पर जोर दिया करते थे और हमें इस दिशा में सभी प्रकार के पग उठाने चाहिए ताकि रेल लाइन को गाँवों के समीपतम लाया जा सके। मेरा सविनय निवेदन है कि जिन लाइनों का निर्माण अथवा सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, उन्हें सदैव राष्ट्रीय हित को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

जैसाकि आप जानते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्हें आजादी मिलने के बाद पिछले 33 वर्षों में कोई भी नई रेल लाइन नहीं दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जो इस सम्बन्ध में उपेक्षित रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि रेल बोर्ड को इस सभा के समक्ष वास्तविक स्थिति रखनी चाहिए कि आजादी मिलने के बाद देश के प्रत्येक राज्य में कितने किलो मीटर रेल लाइन और बढ़ाई गई है। जो राज्य उपेक्षित रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज से पता चला है कि नई रेल लाइनों के सम्बन्ध में

380 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है जबकि रेल पटरी नवीनीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये, यातायात सुविधाओं के लिए 489 करोड़ रुपये तथा इंजन डिब्बों आदि के लिए 2,100 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं। यह कुल 5100 करोड़ रुपये के परिव्यय में है। मेरा निवेदन है कि नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए अधिक धन नियत किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे एक रिपोर्ट से सूचना मिली है कि इस समय 30 से अधिक नई रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं जो 2082.88 किलोमीटर लम्बी हैं। 15 से अधिक ऐसी लाइनें हैं जिन्हें छोटी लाइनों से बडी लाइनों में बदला जाना है और वे 3800 किलोमीटर लम्बी हैं। इन सभी कामों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। मैं माननीय रेल मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान दें। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने राजकोषों से काफी बड़ी धनराशि नई रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में देते हैं, मैं यह महसूस करता हूं कि उन क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संबंधित राज्य सरकारें भी इन नई लाइनों के निर्माण में और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ योगदान कर सकती हैं। यह बात नहीं कि केवल केन्द्रीय सरकार को ही सारा धन खर्च करना चाहिए और राज्यों का अंशदान न हो। महोदय, सरकार इस देश के अधिक गरीब वर्गों के लोगों के प्रति बहुत ही ऋणी है। क्षेत्र के विकास के लिए नांगल बाँध और तलवाड़ा के बीच रेल लाइन की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन के निर्माण हेतु प्रधान मन्त्री की शुभ कामनाओं के साथ तत्कालीन रेल मंत्री, श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा उद्घाटन किया गया था। बाद में श्री कमलापति त्रिपाठी ने इस लाइन का उल्लेख किया और इस सभा में वचन दिया गया था कि इस लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य लाइनें भी हैं। ये छोटी लाइनें हैं जिनका निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए। कालका और परवानु के बीच 5 कि० मी० दूरी के लिए रेल लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जगाधरी और पौंटासाहिब के बीच एक बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को भी किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी कालका परवानु बड़ी लाइन के विस्तार के लिए अंशदान करने का वचन दिया है।

मैंने दूसरी बात यह कहनी है कि रेल मन्त्री महोदय ने एक नया दृष्टिकोण पैदा किया है। उन्होंने रेलों की अर्थव्यवस्था के लिए एक नये ढंग की नवीन दृष्टि से विचार करने के नए रुख को अपनाया है। यह दृष्टिकोण किराया बढ़ाने के विचार से संबंधित है और इस विचार का पालन करना होगा, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी कठिनाई है। पिछले कुछ समय से हम अति तेज गाड़ियों को बहुत अधिक महत्व देते रहे हैं। मैंने हिसाब लगाया है कि एक अति तेज गाड़ी के कारण छः माल गाड़ियाँ बन्द हो जाती हैं। अतः ऐसी संभावना है कि यह नई योजना इस नए विचार से मेल नहीं खाएगी। अति तेज गाड़ियों को शुरू करने का विचार करते समय हमें मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों के

चलाए जाने के संबंध में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । हम सवारी गाड़ियों के विरुद्ध नहीं हैं। हम यह भी चाहते हैं कि माल गाड़ियाँ अधिक तेज गति के साथ चलें। मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने मालगाड़ियों को तेज गति से चलाने के बारे में सोचा है और इससे रेलों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मैं माल को लाने ले जाने के काम को सुधारने के लिए उठाए गए पगों के बारे में, मैं समझता हूं कि सबसे अधिक लाभदायक बात संभवत: यह होगी कि रोलर बेयरिंग तथा सेन्टर बफर कौपलरों वाले आधुनिक माल डिब्बों के बेड़े को अलग किया जाए और इनको माल लाने ले जाने के तेज वाहनों के रूप में प्रयोग में लाया जाये। विशेष प्रकार के जम्बो माल डिब्बों का उपयोग खाद्यान्न जैसे महत्वपूर्ण बहुत बड़ी मात्रा में माल को लाने ले जाने के लिए किया जाने लगा है। यदि बाधाओं को दूर कर दिया जाए, तो ये नवीन प्रयोग फल लायेंगे ।

अन्य बहुत-सी जटिल समस्याएं हैं। रेल पटरियों के विद्युतीकरण के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि छठी योजना में नियत की गई है। किन्तु, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जबकि हिमाचल प्रदेश में नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश से पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा जैसे पड़ौसी राज्यों को बिजली की सप्लाई की जा सके। रेलो के विकास, नई लाइनों के निर्माण तथा लाइनों को बदलने के लिए विचार करते समय राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक समूचे देश के मानचित्र को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए । रेल मन्त्री महोदय ने प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का विचार किया है। गोपाल स्वामी आयंगर ने वर्तमान क्षेत्रीय प्रणाली चालू की थी। हम देखते हैं कि उत्तर रेल अपने विशाल सेवित क्षेत्र, विशेषकर हमारे राज्य के साथ न्याय करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। मेरी मांग यह है कि हमारे राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए पश्चिमोत्तर क्षेत्र नामक एक नए क्षेत्र का निर्माण करने हेतु उत्तर रेल का पुनर्गठन किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पराशर, आप अपने भाषण को कल जारी रख सकते हैं।

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री टी आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 25 फरवरी, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 25 फरवरी, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।" **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

आदि वासी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में श्री गिरीधर गोमांगों द्वारा 1 अगस्त,1980 को पेश किये गए निम्न संकल्प पर आगे चर्चा की जायेगी :—

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजना और देश की अनुसूचित जातियों की संघटक योजना में स्वीकृत नीतियों एवं कार्यक्रमों को तुरन्त क्रियान्वित करने हेतु पग उठाए तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी उन्हें दृढतापूर्वक क्रियान्वित करने को कहे ताकि निहित स्वार्थों द्वारा आदिवासियों के शोषण और हरिजनों पर अत्याचार के कारण उनमें बढ़ते हुए असंतोष और रोष को रोका जा सके तथा राष्ट्र के व्यापक हित में उनके हितों की रक्षा की जा सके।"

श्री बापूसाहिब परूलेकर : श्री मान जी, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे यह बताया गया है कि इस संकल्प के लिए 22 मिनट का समय रह गया है। हम पहले ही इस संकल्प के समय को दो बार बढ़ा चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रो० सत्य देव सिंह का दूसरा संकल्प चर्चा के लिए कब लिया जायेगा। पिछली बार ऐसा हुआ था कि अन्य संकल्पों को नहीं लिया जा सका। वह व्यगत हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अराकल द्वारा अपना भाषण समाप्त कर लेने के बाद मंत्री महोदय उत्तर देगें।

श्री अराकल आप पहले ही 16 मिनट का समय ले चुके हैं आज आप केवल 5 मिनट का समय ही लेगें।

श्री जेनियर अराकल (राणोकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भाषण देते समय मैं अनुसूचित जातियो के उत्थानसम्बन्धी कुछ सुझाव दे रहा था। इस सन्दर्भ में मैं सदन का ध्यान इन क्षेत्रों में मिशनियरियों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी भरपूर सराहना सदस्यों द्वारा की गई थी। यदि आप इस संकल्प पर की गई चर्चा को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने यह ठीक ही कहा कि — मिशनियरियों द्वारा किए गए कार्यों की भरपूर सराहना की गई थी। मैंने इस विषय से सम्बद्ध अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैं उन सभी ग्रंथों से तो उद्धत नहीं करना चाहता परन्तु मैं केवल डा० गोपीनाथ मोहन्ती द्वारा उनकी "टाईबल प्राबलम आफ टूडे एण्ड टूमारो" में "न्यू प्रारीजन्ज एन्ड ओल्ड" नामक लेख में से कुछ उद्धत करना चाहता हूं। उन्होंने उसमें कहा है :

"उड़ीसा तथा विश्व के अन्य भागों में आदिवासियों के विकास सम्बन्धी कार्य करने का श्रेय 19वीं शताब्दी के लिए तो ईसाई मिशनियरों को दिया जायेगा। चूंकि इस को करने के लिए आदिवासियों धार्मिक विचारों को बदलना पड़ा, उन्हें अपने परम्परागत मूल्यों, मान्यताओं, आस्ताओं, जीवन के तौर-तरीके आदि को बदना पड़ा इसलिए गैर-ईसाई लोगों द्वारा मिशनियरियों द्वारा किए गए काम का मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाता है। परन्तु यदि उनके कार्य का मूल्यांकन आदिवासियों को होने वाले व्यवहारिक लाभ तथा उसके प्रभाव की दृष्टि से किया जाये, तो इस कार्य का निश्चय ही आज भी सराहनीय कहना पड़ेगा।"

आप पूछ सकते हैं कि मैं इस संकल्प से सम्बद्ध सदन की कार्यवाही तथा कुछ अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के कथनों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ आदिवासी जब ईसाई बन जाते हैं तो उनके आदिवासी होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सम्बद्ध मंत्री तथा यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी हमने इस अन्याय के खिलाफ अनेक ज्ञापन दिये हैं, ताकि उनके प्रति यह अन्याय समाप्त हो सके।

एक माननीय सदस्य : आप गलत कह रहे हैं, वह ऐसा नहीं करते।

श्री जेनियर अराकल : वह ऐसा ही करने हैं। मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूं।

मेरा निवेदन यही है कि उनके अधिकारो को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की कसौती नहीं अपनाई जानी चाहिए। उनके धार्मिक विचार चाहे कुछ भी हो, परम्परायें चाहे कुछ भी हो, वह मुख्य रूप से तो वहां के आदिवासी ही हैं। उनका ध्यान रखा जाना चाहिए तथा उनकी सहायता की जानी चाहिए क्योंकि वह आदिवासी तो है ही। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरे यदि आप संकल्प के दूसरे भाग पर ध्यान दें तो उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि आदिवासियों में जो आक्रोश तथा असंतोष बढ़ता जा रहा उसका कारण यही है कि निहित स्वार्थो तथा अन्य ऐसे लोगों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे गृह विभाग द्वारा भेजे गये एक प्रबन्ध मानग्राफ प्राप्त हुई है, जिसे मैं आपकी अनुमति से उद्धत करता हूं :

"असंतोष का मुख्य कारण अर्थात् आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करने सम्बन्धी बनाए गए कानूनों को गलत ढंग से क्रियान्वित करना, अभी तक बना हुआ है। जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता; जब तक आदिवासियों का विश्वास प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आदिवासियों का नेतृत्व आदिवासियों ने संभाल लिया है।"

मैं "आदिवासियों" शब्द पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं। यह अतिवादी लोग उनकी गरीबी, उनकी अज्ञानता तथा उनके पिछड़ेपन का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। अब समय आ गया है जबकि हमारी सरकार को इस समस्या के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैंने कुछ लेखों का अध्ययन भी किया है। वह एक आन्दोलन चला रहे हैं—हमें छोड़ दीजिए और हमारे वन हमें दे दीजिए। राज्य के कुछ भागों एक अन्य आन्दोलन भी चल रहा है जिसमें आदिवासियों से स्वतन्त्र राज्य की मांग करने को कहा जा रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह ठीक तरीका नहीं है और आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए उपयोगी नहीं है। एक और बात भी है। आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण सम्बन्धी कुछ आँकड़े मुझे देखने को मिले हैं। खनिज के मामले में यह भूमि बहुमूल्य है (व्यवधान) इस जमीन को मैदानी इलाके के लोग ले गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 47,332 मामले दर्ज किए गए और केवल 13,713 मामलों में आदिवासियों को जमीन वापिस की गई। शेष मामलों का क्या हुआ ? मैदानी इलाके के लोगों ने कितनी जमीने वहाँ ली ? बिहार में, 40,000 मामले दर्ज कराए गए और आश्चर्य की बात है कि 15,973 मामले आदिवासियों के विरुद्ध गए। यह एक दुखदायी बात है। गाँधी जी तथा सामाजवाद के देश में ऐसा हो रहा है। हमारी क्या स्थिति वहाँ है ? बिहार में कोई भी जमीन वापिस नहीं की गई। गुजरात में आदिवासियों ने जमीन वापिस करने के लिए 17,171 मामले दर्ज किए और केवल 795 मामलों में जमीन वापिस की गई। उड़ीसा में 46,090 मामले खड़े किए गए और केवल 22,000 मामलों में निर्णय आदिवासियों के पक्ष में हुआ। यदि राज्य सरकारों का रवैया आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण के बारे ऐसा ही है तो यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। अतः केन्द्रीय सरकार को आदिवासियों को उनकी जमीन वापिस करने के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेना चाहिए।

पिछली बार मैंने एक अनुरोध किया था। केरल सरकार ने मालाबार-वाईनाड क्षेत्र की जमीन वापिस करने के बारे अधिनियम पारित किया लेकिन इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। मैंने पिछली बार इस प्रश्न को पूछा था। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह समृद्ध भूमि, खनिजों तथा अन्य संसाधनों की भूमि उन लोगों को ही जानी चाहिए जिनकी संख्या 3करोड़ 80 लाख है। इनकी संख्या हमारी जनसंख्या का 6.94 प्रतिशत है। कुल 80 प्रतिशत आँकड़ों की तुलना में 96 प्रतिशत आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 8 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 87.8 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। उनका साक्षरता 8.5 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत 8.5 है। इनमें से 91 प्रतिशत कृषक हैं। घुमन्तु लोग भी हैं जो जगह-जगह जाकर खेती या कुछ अन्य कार्य करते हैं। भारत में 427 से अधिक जातियाँ हैं। ये आँकड़े अफ्रीका के बाद आते हैं। अब समय आ गया है कि हम इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें

तथा क्रियान्विति के लिए ठोस कदम रखें : (क) उप—योजना (ख) कम्पोनेंट प्लान तथा (ग) आई० टी० डी०।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्री गिरधर गोमांगो तथा उन अन्य सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस संकल्प की चर्चा में भाग लिया। इस सभा के कुल 36 सदस्यों ने भाग लिया और देश के आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कई सुझाव दिए माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव जिनमें से मैं एक की चर्चा अभी करता हूं और शेष की चर्चा भाषण के अन्त में विस्तारपूर्वक करूंगा।

यह देश की एक जटिल और महत्वपूर्ण समस्या है और हमें इसका ध्यान रखना है। यद्यपि पिछले सत्र में इस संकल्प पर 3-4 सप्ताहों तक चर्चा हुई, फिर भी हमने गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में कुछ भयानक दृश्य देखे हैं। इस बात का जिक्र करना दुखदायी है कि बापू जी के राज्य में हरिजन सम्पत्ति की आगजनी, लूट, हरिजनों को छुरे से मारने तथा हरिजन महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इस बारे में जब हम सभ्य समाज में बात करते हैं तो हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं। हम आदिवासियों, पिछड़े लोगों तथा हरिजनों पर हमलों की बात करते हैं और वह भी आरक्षण सम्बन्धी एक छोटे से प्रश्न को लेकर करते हैं। आरक्षण अधिकार की गारन्टी संविधान में दी गई है जिसकी व्यवस्था संविधान के रचयिताओं ने उनके पिछड़ेपन तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए की।

सरकार ने इस नीति की कई बार समीक्षा की है और सरकार उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए अनेक सुविधाएं देती आ रही है। कुछ राज्य सरकारों ने आयोगों का गठन भी किया है और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों का भी पता लगाया गया है और उन्हें आरक्षण सम्बन्धी कई लाभ भी दिए हैं। गुजरात के मामले में, स्नातकेत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं और 1 प्रतिशत आदिवासियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं और 5 प्रतिशत उन पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षित किए जाते हैं जिनका पता जास्तखे बख्शी की अध्यक्षता में गठित आयोग ने लगाया है। यदि हम आंकड़ों की समीक्षा करें तो पता चलेगा कि अनेक लाभ उन्हें नहीं पहुंचे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। आजकल बिहार में स्नातकोतर चिकित्सा पाठ्यक्रम के मामले में आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहा है। हाउसमेन तथा रजिस्ट्रार के पद के लिए आरक्षण है। इस समय प्रोफैसरों के 60 पद हैं। क्लीनिकल शाखा में एक भी अनुसूचित जाति जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग का लड़का प्रोफेसर नहीं है। क्लीनिकल साईड में प्रोफेसरों के 34 पद हैं और जिनमें से एक ही अनुसूचित जाति

तथा जनजाति का है। अतः जहाँ तक एसोसिएट प्रो० का सम्बन्ध है, 31 पदों में से एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग से एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। गैर-क्लीनिक शाखा में 39 पदों में से केवल एक ही लड़का है। जहाँ तक एसिसटेन्ट प्रोफ़ेसर का सम्बन्ध है, इसके पद 115 हैं और कलीनिकल शाखा में केवल 3 एसिसटेंट प्रोफैसर हैं और गैर-कलिनिकल शाखा में 138 में से केवल दो हैं।

यदि गुजरात के स्नात्तकोतर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में व्याप्त स्थिति की जांच की जाए तो 27 से 46 प्रतिशत का पता चलता है। सबसे अधिक प्रतिशत 45 का है। यह स्थिति 1978 की है। प्रतिशतता का पालन कभी भी पूरी तरह से नहीं किया। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवारों की शत प्रतिशत भर्ती कभी नहीं हुई। फिर भी आरक्षण हटाने के लिए आन्दोलन चल रहा है। (व्यवधान)

प्रो० एन०जी० रंगा : लेकिन सभी राजनैतिक दल उनसे सहानुभूति रखते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रो० रंगा, प्रश्न सहानुभूति का नहीं है। लेकिन वास्तव में राजनैतिक दलों ने आरक्षण हटाने के मामले में आन्दोलनकारियों को समर्थन दिया है। (व्यवधान) यह हमारे राजनैतिक जीवन का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इसके पीछे कुछ राजनैतिक दल हैं (व्यवधान)। और वे इसका समर्थन कर रहे हैं। मैंने उनके नाम का उल्लेख एक बार किया है और अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि राज्य की स्थिति बहुत गम्भीर है : (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया उनके नामों का उल्लेख करें। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : शास्त्री जं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इस समय स्थिति बहुत खराब है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उस दिन आपने कहा कि सी०पी०आई०...(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : कृपया सी०पी०आई० के बारे में बात न करें। उन्होंने आन्दोलन का समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने आंदोलन का समर्थन कभी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : कृपया मेरी बात सुन लें। मैं कोई मिथ्या बात नहीं कहूंगा। मैं इसे जानता हूं और जब मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं केवल तभी मैं इसका जिक्र यहाँ करता हूं। उस समय शुरू-शुरू में सी०पी०आई० (एम) ने आरक्षण का पूरा समर्थन किया। अब मैं जानता हूं कि उन्होंने अपना सपर्थन वापिस ले लिया है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : हमने वापिस नहीं लिया है। आप सी०पी०आई० का वक्तव्य पढ़ लें···(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं नहीं चाहता कि···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : सी०पी०आई० ने कभी भी इस आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप नहीं समझते। मैं कहता हूं कि केवल सी०पी०आई० (एम) ने ही आरक्षण का समर्थन किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने वही कहा है (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप मेरी बात ठीक तरह से नहीं सुन रहे। कृपया ध्यान से सुनिए और फिर आप·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये केवल श्री रामावतार शास्त्री के बारे में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : क्या आपने हमारा वक्तव्य पढ़ा है ? आप इसे पढ़ें और फिर बताएं। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब मैं बोलता हूं तो अधिकार के साथ बोलता हूं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि इसका समर्थन कौन कर रहे थे और कौन नहीं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप जान लेंगे। लेकिन सी०पी०आई० का नाम न लें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अतः मैंने कहा है कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं उनका बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं साथ-साथ यह कहता हूं कि मैं इसका समर्थन करने वाले किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता। इस बात को सभी जानते हैं कि इसके पीछे कुछ लोग हैं। (व्यवधान)

श्री ए०के० राय (धनबाद) : समाचार पत्रों में आया है कि गुजरात के मुख्य मन्त्री इस आंदोलन के पीछे हैं।(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह शुभ लक्षण है कि राष्ट्रीय स्तर के सभी राजनैतिक

दलों ने इस आंदोलन की निंदा की है और उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया है। लेकिन गुजरात स्थित उनके सहयोगियों ने ऐसा नहीं किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं उनसे एक-एक करके मिला और हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वे गुजरात में अपने सहयोगियों को इस आंदोलन से पीछे हटने और सरकार का समर्थन करने के लिए कहें। यह कोई ऐसा मामला नहीं जिसके द्वारा आप सरकार को परेशान कर सकें और यह ऐसा मामला भी नहीं जहां आपको कोई राजनैतिक कार्य करना है। लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक नाजुक मामला है।

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : क्या श्री अडवानी तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य वहां आंदोलन को बन्द करने के लिए आपकी ओर से गए हैं या वे स्वयं गए हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं नहीं कह सकता.....

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : वे स्वयं ही गए हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वे स्वयं गए हैं लेकिन उनके जाने से पहले मैंने इस सभा में पांच दिन पहले सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया था और मैं उनसे एक-एक करके व्यक्तिगत रूप से भी मिला था और अनुरोध किया था कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करें ताकि स्थिति नियंत्रण में लाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : गुजरात में व्याप्त स्थिति बहुत करुणाजनक है और मैं इस सभा के सभी वर्गों से राज्य सरकारों की इस समस्या का हल करने हेतु सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं और गुजरात स्थित उनके सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि वे आंदोलनकारियों को दी जा रही सहायता को वापिस ले लें और पूरे मन से आरक्षण का समर्थन करें।

अनेक सदस्यों ने जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के बारे में कई बातें कहीं। 36 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और उन्होंने कई बातें कहीं। पहले बोलने वाले कुछ सदस्यों ने विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे में सुझाव दिए। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जनजाति विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दी गई। इसके बाद 1980 में नई सरकार आई। प्रधान मन्त्री ने अनुसूचित जातियों तथा विशेष संघटन छेड़ने के लिए फिर से विशेष केन्द्रीय सहायता देनी शुरू कर दी है।

छठी योजना के दस्तावेज में, विशेष उपकरण योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के

रूप में योजना आयोग ने 600 करोड़ रुपए दिए हैं और 1980-85 की अवधि के लिए, आदिवासी उप-योजना के लिए 470 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। जैसाकि मैं कह चुका हूं यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और इसीलिए सरकार ये सब प्रयत्न कर रही है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि इन पिछड़े हुए समुदायों के आर्थिक विकास के लिए सरकार कुछ भी कसर न उठा रखेगी।

कुछ सदस्यों ने वन-नीति के बारे में ठीक ही कहा है। वन आदिमजातियों के लोगों के लिए आपके स्रोत है। वन-नीति में हमारा उद्देश्य यह निश्चित करना रहा है कि यह इतनी आकृष्ट हो कि आदिवासी अर्थव्यवस्था में सहायक हो सके। उस उद्देश्यार्थ राज्य-सरकारों से, मुख्यतः गाँवों और आसपास के जंगलों में रहने वाले आदिवासी सदस्यों को मिलाकर वन-श्रमिक सहकारी समितियों के गठन का निवेदन किया गया है। सहकारी समितियों को जंगलों के काम को सम्भालने के योग्य होना चाहिए। महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसी समितियाँ पहले से ही कार्यरत हैं। हाल ही में बिहार ने भी लगभग उसी पद्धति पर काम करने का निश्चय किया है। जंगलों के छोटे उत्पादनों के बारे में, राज्य सरकारों को हमारी सलाह है कि आदिवासियों द्वारा छोटे-छोटे वन-उत्पादनों को एकत्र करने पर कोई पाबन्दी कतई नहीं होनी चाहिए। 'लैम्पस' के नाम से जानी जाने वाली बड़े आकार की बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना की गई है, जिनको आदिवासी अपने छोटे उत्पादनों को बेचकर उचित लाभप्रद मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा यह प्रयास रहेगा कि तिलहन, इमली, टसर रेशम का कोया जैसी छोटी वन-उपजों को प्रथम अवस्था में ही संसाधित कर ली जाती है, जिससे कि आदिवासियों को लाभ मिल सके। नीति का मामला होने के कारण हमारा यह प्रयत्न रहता है वन-आधारित उद्योगों की स्थापना करते समय आदिवासी हितों को संरक्षण प्रदान किया जाए और उन्हें रोजगार दिए जाएं। बस्तर चीढ़ वृक्षारोपण पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस परि-योजना के बारे में अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया है।

माननीय सदस्यों ने उत्पाद-शुल्क पर भी विस्तार से चर्चा की है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने घरेलू उपयोग के लिए शराब निकालने के बारे में ठीक बात ही कही है। भारत सरकार की यह नीति है कि अपने घरेलू और धार्मिक कर्मकाण्डों के लिए स्वयं अपनी मदिरा तैयार करने की उन्हें अनुमति है। परन्तु इसके साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पाबन्दी है क्योंकि शराब बेचने वाले आदिवासियों का शोषण करते हैं। इसलिए, इसकी बिल्कुल मनाई है। जो लोग स्वयं अपनी शराब तैयार करते हैं वे उसका उपयोग अपने घरेलू और धार्मिक कर्मकाण्डों के लिए कर सकते हैं परन्तु इसे बेच नहीं सकते।

श्री नवलकिशोर शर्मा (दोसा) : आपका कहना है कि आदिवासियों को अपने

घरेलू उपयोग के लिए शराब निकालने की अनुमति है। परन्तु आबकारी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न ही इसकी छूट है। इस बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह राज्य का विषय है। हमने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे आदिवासियों को अपने घरेलू तथा धार्मिक कर्मकाण्डों में उपयोग के लिए स्वयं शराब तैयार करने का प्रावधान अधिनियम में सम्मिलित करें।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि राज्य सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो हम उनसे दोबारा कहेंगे।

श्री नवलकिशोर शर्मा : ऐसा हो नहीं रहा है। यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : श्री नवलकिशोर शर्मा जी द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली शराब को शोधन नहीं किया जाता है। इसे केवल निकाला जाता है। यह आबकारी कानून के अन्दर नहीं आ सकता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह बड़ी अच्छी बात है कि माननीय सदस्य ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है। शराब के शोधन और दोहन के बारे में मेरा ज्ञान सीमित है।

अपने दल के चुनावे घोषणा पत्र में हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी संस्कृति को सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए हम उन्हें अपने उपयोग के लिए शराब बनाने की उन्हें अनुमति देते हैं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : आप आदिवासियों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदया, आदिवासियों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं है। यदि आपने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी हो तो प्रायः सभी आदिवासी सांसदों ने जो इस सदन में बोले हैं उन सभी ने अपने घरेलू और धार्मिक कर्मकाण्ड में उपयोग के लिए स्वयं अपनी शराब बनाने के महत्व पर जोर दिया है। हम आदिवासी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। हम अपने चुनाव-घोषणा पत्र में इसका वचन दे चुके हैं और इसलिए इसकी अनुमति दी गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर) : गुजरात में कैसी स्थिति है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वहाँ भी वे ऐसा कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : गुजरात में आदिवासियों की क्या स्थिति है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : गुजरात में आदिवासी मदिरापान नहीं करते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गुजरात सरकार ने अपनी नशाबन्दी की नीति के कारण इस बात पर जोर दिया है कि राजस्थान के भी सीमावर्ती क्षेत्रों में नशाबन्दी लागू होनी चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : गुजरात के आदिवासियों ने स्वयं अपनी शराब बनाने पर जोर नहीं दिया है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ?

सभापति महोदय : यह श्री मकवाना के प्रभाव का फल है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : राज्य विधान सभा में 22 आदिवासी विधायक हैं, यदि वे चाहें तो इसके लिए राज्य सरकार पर दवाब डाल सकते हैं। परन्तु अभी तक उन्होंने अपने घरेलू उपयोग के लिए शराब बनाने के लिए राज्य सरकार से निवेदन नहीं किया है, इसलिए हमने अनुमति नहीं दी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों द्वारा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने पर लगे समय के बदले उनके परिवारों को आर्थिक क्षतिपूर्ति की योजना का सुझाव दिया है। इस मामले पर शिक्षा मन्त्रालय में बातचीत चल रही हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न ढंग से इस योजना को पहले से ही लागू कर रखा है। जबकि कुछ ने बच्चों द्वारा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में लगे समय के बदले उनके परिवारों को अनाज के रूप में भुगतान करने का सुझाव दिया है जबकि अन्यों ने छात्रों के परिवारों को निश्चित राशि मासिक देने का निर्णय लिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही यह बात उठाई है कि मेहतरगीरी को समाप्त करने के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाए और इसके साथ ही साथ छठी योजना की अवधि में उन्हें वैकल्पिक धन्धों में लगाया जाए। सरकार इसके प्रति पूर्ण सजग है और इसको समाप्त करने के कार्यक्रम की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि कुछ राज्य सरकारों ने मेहतरों को वैकल्पिक धन्धों में लगाने और उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू कर दी हैं। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम इस मामले में जुटा हुआ है।

लगभग जितने भी सदस्य यहाँ सदन में बोले हैं सभी ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कामों के लिए गृह मन्त्रालय में एक अलग विभाग खोलने का सुझाव दिया है अन्य अवसरों पर भी यह मामला दोनों सदनों के समक्ष आया है। मैंने उनके सुझाव को नोट कर लिया है और मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामलों को निपटाने के लिए मैं गृह मन्त्रालय में एक अलग विभाग के खोलने पर विचार करूंगा।

प्रो० एन०जी० रंगा : बहुत जल्दी ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं प्रो० रंगा से निवेदन करूंगा कि वे सरकार पर दबाव डालें कि यह कार्य अत्यन्त शीघ्र किया जाए । मैंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने और उनकी गतिविधियों को तेज करने की आवश्यता ठीक ही बताई है । कार्यान्वयन तंत्र पूर्णत: राज्य सरकारों के पास है, हालांकि संवैधानिक उत्तरदायित्व के लिए राज्य और केन्द्र दोनों ही भागीदार हैं । हम राज्य सरकारों पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बीच विकास प्रक्रियाओं को तेज करने की आवश्यकता पर जोर डालते रहे हैं । योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को सक्षम और संवेदशील कार्यान्वयन तंत्र के माध्यम से इस रेखा को पार करने के योग्य बनाना है । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा स्वयं मैंने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं । हम यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को कहते रहेंगे ताकि इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हो ।

सरकार इस बात से अवगत है कि इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कारगर निगरानी पद्धति परमावश्यक है । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास गृह मंत्रालय में निगरानी कक्षों की स्थापना करने का है । मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि तंत्र तथा ढांचे को उपयुक्त रूप से तेज करने, सुदृढ बनाने तथा उद्देश्य के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस दिशा में सभी आवश्यक उपाय करेंगे ।

श्री आर० के० महालगी : 'आवश्यक उपाय'---ये शब्द अस्पष्ट हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है हम गृह मंत्रालय में एक निगरानी कक्ष की स्थापना करेंगे । यह निगरानी रखने के लिए ठोस उपाय है ।

जन-जातीय उप-योजना तथा विशेष कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया इस समय जारी है । राज्य सरकारें, योजना आयोग, गृह मंत्रालय तथा केन्द्रीय मंत्रालय सभी इस कार्य में व्यस्त हैं । अब जबकि राष्ट्रीय छठी योजना तथा राज्यों की छठी योजना तैयार हो चुकी हैं, इनके साथ ही साथ 1980-85 के लिए जनजातीय उप योजनाएं तथा विशेष कार्य योजनाएं राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा तैयार की जाएंगी । योजना आयोग तथा भारत सरकार सामाजिक-आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन-लाने के लिए सशक्त साधन और माध्यम के रूप में दो अनुसूचित समुदायों के लिए योजनाओं को तैयार करने के काम को बड़ी महत्ता देती हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यकरण तथा विशेष कार्य योजना और जन-जातीय उप-योजना में केन्द्रीय मंत्रालयों के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में कुछ

कहा तथा कुछ टिप्पणियां की है। प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे हैं और गृह मंत्री ने भी उसी तरह से पत्र लिखे हैं। भविष्य में हम इस बात पर चर्चा करने के लिए अलग अलग केन्द्रीय मंत्रालयों की बैठकें बुला रहे हैं कि वे जन जातीय लोगों तथा अनुसूचित जातियों के लिए अपने मंत्रालयों से कुछ धनराशि किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों पर अत्याचारों के बारे में कहा है। मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं। सरकार इस विषय पर बड़ी चिन्तित है प्रधान मंत्री ने, गृह मंत्री ने तथा स्वयं मैंने भी समय-समय पर इस मामले में उपयुक्त निदेश राज्य सरकारों को दिए हैं। माननीय सदस्य इस बात को नोट करके प्रसन्न होंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रति होने वाले अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा चुकी है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि समाज के कमजोर वर्गों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा प्रयास होगा।

माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए ये कुछ सुझाव हैं। अन्तिम वक्ता तथा पहले के वक्ताओं ने भी आदिवासियों की भूमि के अपवर्तन के बारे में उल्लेख किया है। आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकारों ने कुछ कार्यवाही की है। उन्होंने कुछ कानूनों का कार्यान्वयन किया है और हम यहां से यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन हो, समय समय पर राज्य सरकारों को लिखते रहते हैं कि भूमि का अपवर्तन नहीं किया जा सकता और गैर-आदिवासी आदिवासियों से भूमि जबरन नहीं ले सकते हैं।

जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं कुल 36 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है और प्रायः सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिन पर मैंने ध्यान दिया है और इस बात पर हम विचार करेंगे कि उन सुझावों को हम कैसे अच्छी तरह से कार्यान्वयन कर सकते हैं, जो माननीय सदस्यों ने यहां दिए हैं।

मैं भी गिरिधर गोमांगो तथा उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है तथा मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के प्रति पूर्णतः वचन बद्ध है और हम उनके आर्थिक उत्थान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख छोड़ेंगे परन्तु जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं, इस मामलों में हमें सभी राजनैतिक दलों से सहयोग की आवश्यकता है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है और यह राष्ट्रीय समस्या है। हम इस मामले में आप से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हमें आशा है कि .....

श्री आर० के० महालगी : आप किस तरह से सहयोग चाहते हैं ? क्या केवल वाद-विवाद के द्वारा या इक्ट्ठे बैठकर विशेष योजना बनाने में सहयोग चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इक्ट्ठे बैठना जरूरी नहीं है और यहां पर वाद-विवाद करना भी जरूरी नहीं है। बहुत से रास्ते हैं जिनसे आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप गुजरात में सहयोग दे सकते हैं। इस पर यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह सहयोग वहाँ दिखाया जा सकता है।

श्री आर० के० महालगी : आप हर समय राजनीति को मत लाइए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं यहाँ किसी बात का लाभ नहीं उठा रहा हूं। मैं साधारण रूप से बता रहा हूं कि इस मामले आप हमारा सहयोग कर सकते हैं।

श्री आर० के० महालगी : मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था कि आप किस रूप में इस विशेष मामले में विपक्ष का सहयोग मांग रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभी संभव तरीकों से। हम उस ढंग से आपका सहयोग चाहते हैं जो आपको अनुकूल बैठता हो। समस्या का समाधान करने लिए कृपया सहयोग दीजिए। **(व्यवधान)**

मुझे आशा है कि वे समस्याएं पैदा नहीं करेंगे बल्कि वे समस्याओं को हल करने में अपना सहयोग निश्चित रूप से देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प के प्रस्तावक से इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : अपराधशील जनजातियों के लिए मिश्रित योजना के बारे में क्या स्थिति है ? उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अरविन्द नेताम : मैंने वन नीति के सम्बन्धी में एक प्रश्न पूछा है। वह कृषि मंत्रालय के समीक्षाधीन है। गृह मंत्रालय की क्या भूमिका है ? वन नीति, विशेष रूप से वन विकास की समीक्षा करने समय, राज्त पूर्णतः वाणिज्यिक बन गए हैं। हम वहाँ बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं उस विशिष्ट प्रश्न के बारे में जानना चाहता हूं।

योगेन्द्र मकवाना : उत्तर देते समय मैं वन नीति के बारे में बता चुका हूं—उन्हें वनों की छोटी-मोटी उपज को एकत्र करने तथा बेचने की अनुमति होनी चाहिए तथा जन-जातीय क्षेत्र में बड़ी बहु-प्रयोजनीय समितियों को वन उपज को एकत्र करने तथा इसकी बिक्री करने के लिए काम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य ने अपराधशील जन-जातीय लोगों तथा अन्य आदिवासियों का

उल्लेख किया है। हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की सूची को संशोधित कर रहे हैं और उनमें कुछ जन-जातियां जो पहले छोड़ दी गई थीं उन्हें शामिल किया जायेगा और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान देगी।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प के प्रस्तावक से अपना संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : वह पहले ही सभा से बाहर चले गये हैं।

सभापति महोदय : संकल्प का प्रस्ताव करने वाला सदस्य श्री गिरिधर गोमांगो सभा में उपस्थित नहीं हैं और उसने लिखा है कि वाद-विवाद को अगले दिन तक बढ़ाया जाए। चूंकि यह संभव नहीं है, अतः वाद-विवाद को अभी समाप्त समझा जाए।

कुछ संशोधन हैं। यदि उन्हें वापस नहीं लिया जाता, है तो उन्हें सभा में मत विभाजन के लिए रखा जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन सं० 1 वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा की अनुमति है कि श्री रामावतार शास्त्री द्वारा रखे गए संशोधन सं० 1 को वापस लेने दिया जाए।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द डागा : क्या आप अपने संशोधन पर आग्रह कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा की अनुमति है कि श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किए गए संशोधन सं०2 को वापस लेने दिया जाए?

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं सभा में मत विभाजन के लिए श्री भीखाभाई द्वारा पेश किए गए संशोधन सं०3 को रखता हूं।

संशोधन सभा में मत दान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं अपना संशोधन सं० 5 वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा की अनुमति है कि श्री बापू साहिब परूलेकर द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 5 को वापस लेने दिया जाए?

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया

सभापति महोदय : श्री गिरिधर गोमांगो का एक अन्य संशोधन सं० 6 है वह यहां पर नहीं है। अब मैं श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा पेश किए गए संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है : "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजना और देश की अनुसूचित जातियों की संघटक योजना में स्वीकृत नीतियों एवं कार्यक्रमों को तुरन्त क्रियान्वित करने हेतु पग उठाए तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी उन्हें दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने को कहे ताकि निहित स्वार्थों द्वारा आदिवासियों के शोषण और हरिजनों पर अत्याचार के कारण उनमें बढ़ते हुए असंतोष और रोष को रोका जा सके तथा राष्ट्र के व्यापक हित में उनके हितों की रक्षा की जा सके।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि के उपायों के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय को लेते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, आप पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए।

नं० 2 और नं० 3 पर जो रेजोल्यूशन हैं वे दोनों समान हैं। अगर कोई इस तरह का नियम है, जैसा कि प्रश्नों में करते हैं, कि दोनों को एक साथ लिया जा सके तो हम चाहेंगे कि दोनों प्रस्तावों को एक साथ पेश किया जाए और उसी के हिसाब से समय का एडजस्टमेन्ट कर लिया जाए।

सभापति महोदय : जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। परन्तु आप को थोड़ा बहुत समायोजन करना होगा।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के विचार्थ प्रस्तुत करता हूं :

"देश की जनसंख्या का लगभग तीन-चौथाई भाग कृषि पर निर्भर है और उनकी

देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है वह उर्वरकों, बीजों और कृषि उपकरणों के मूल्यों को कम करके, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके, किसानों को आधुनिकतम खेती के तरीकों से अवगत कराके, उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करके तथा फसल और पशु बीमा योजनायें आरम्भ करके उन्हें उचित प्रोत्साहन दें ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके।"

सभापति महोदय, यह बात सही है कि स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश में औद्योगिक विकास करने के लिए सफल प्रयास किए और कल-कारखानों की उन्होंने भिलाई, दुर्गापुर, बुकारो, हटिया(रांची)में स्थापना की। साथ-ही-साथ उनका ध्यान इस बात की ओर भी गया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, जैसे गंडक योजना, कोसी योजना और भाखड़ा नंगल फरक्का बांध आदि की स्थापना करके उन्होंने किसानों को राहत देने का प्रयास किया और इसके लिए आज हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी भी प्रयास कर रही हैं। भूमिहीन किसानों को मकान देने के लिए, बन्धवा मजदूरी का खात्मा करने के लिए तथा देहातों में जहां पर खेत मजदूर रहते हैं जिनको साल भर का काम नहीं मिलता है, इसके साथ-साथ अति-वृष्टि और अनावृष्टि तथा बाढ के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है और किसानों का जीवन भी संकटग्रस्त हो जाता है, इन सब चीजों की ओर सरकार ने ध्यान दिया है वैसे हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाओं की सम्भानाओं को लेकर सरकार ने हमारी प्रधान मंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्होंने किसानों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया करानें का प्रयास किया है ये सभी किसानों के लिए बड़े ही हितकारी कार्यक्रम हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इस विशाल देश में अभी भी किसानों की दशा सुधर नहीं सकी है। अभी उनके जीवन में दुर्दिन हैं। अनावृष्टि और अतिवृष्टि तथा भयंकर बाढ़ के चलते उनकी फसल नष्ट हो जाती हैं, इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह परमावश्यक हो जाता है कि सरकार खेती के जितने उपकरण हैं, खाद है और बीज है—इन सभी सामग्रियों को सस्ते दर पर किसानों को मुहैया करे फसल और बीमा पशु बीमा योजना लागू करें जिससे किसानों की आर्थिक दशा सुधर सकें। फसल नष्ट हो जाने की वजह से उनकी कमर टूट जाती है और वे दूसरों से कर्ज लेकर के उनको अपना काम करना पड़ता हैं और कभी-कभी तो भुखमरी की हालत भी पैदा हो जाती है। उन किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन किसानों को बचाने के लिए कोई भी देखने वाला नहीं होता और वे अपने आपको भाग्यहीन समझने लगते हैं और भयंकर निराशा के जीवन में आ जाते हैं।

एक तरफ देश को आजादी मिलने के बाद जहां पर कल-कारखानों और उद्योग में काम करने वालों को सालभर रोजी-रोटी मिलती है, फसल नष्ट होने से किसान निराश हो जाता है। इसलिए किसानों के जीवन में उत्साहवर्धन करने के लिए यह परमावश्यक है कि सरकार उन्हें कृषि उत्पादों का समर्थित मूल्य देकर प्रोत्साहन दे, चाहे वह खेत में काम

आने वाली वस्तुओं और उपकरणों के दाम करके या किसी भी रूप में हो लेकिन सरकार को उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए फसल और पशु बीमा योजना लागू करनी चाहिए। हमारे देश में सिंचाई की सन्तोषप्रद व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है और बिजली पर्याप्त मात्रा में समय पर न मिलने के कारण, खास कर हमारे बिहार प्रदेश में खेती मारी जाती है, जिसकी वजह से खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों और खेत मजदूरों की तो हालत और भी खराब हो जाती है। इस लिए आवश्यक है कि सरकार सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करायें। हमारे कृषि मजदूर जो फसलों के मारे जाने से बेकार हो जाते हैं, उनके जीवन को समुन्नत और सबल बनाने की दृष्टि से, उनके जीवन को अन्य वर्गों के समान बनाने की दृष्टि से, ताकि उन्हें भी इस आजादी का कुछ लाभ मिल सके, सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार के अब तक के प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों और खेतिहर मजदूरों को जितनी राहत मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिल सकी है। हमारी प्रधान मन्त्री और हमारे कृषि मन्त्री जी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, लेकिन फिर भी कृषि उत्पादन बढ़ाने और अधिक काम करने की जरूरत है—इसी लिए मैने इस प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

श्री आर०के० महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि संकल्प में :—

(एक) "कृषि उपकरण" के बाद "और अन्य आदान" जोड़ा जाये।

(दो) "सिंचाई" के बाद "और ऋण" जोड़ा जाये।

(तीन) "उनके उत्पादन के मूल्य" के बाद "उत्पादन की कुल लागत को शामिल करते हुए और जीवन-निर्वाह सूचकांक को ध्यान में रखते हुए।" जोड़ा जाए।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

3. कि संकल्प में—

अन्त में यह जोड़ा जाए—

"और यह भी सिफारिश करती है कि आम, काजू और अन्य खाद्य फसलों में 10 वर्ष के लिए किए गए निवेश पर आयकर में शत प्रतिशत छूट दी जाये।"

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, यह संकल्प वास्तव में देश के किसानों के समक्ष विद्यमान समस्याओं की ओर ध्यान दिलाता है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है भूमि सुधार का विषय हमारे देश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अति आवश्यक रहा हैं। बहुत से प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और इस देश का भ्रमण करने वाले विदेशी लेखकों ने भी यह सुझाव दिया है कि इस देश में भूमि सुधार के उपायों

के क्रियान्वयन के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी जाहिए। यह अच्छी बात है कि 1971 से 1976 तक के वर्षों में भूमि सुधार उपायों को बड़ी गम्भीरता तथा प्रबल राजनीतिक दृढ़ निश्चय के साथ लागू किया गया था। 1978 में घोषित कुल 15.74 लाख हेक्टेयर फालतू भूमि में से मार्च 1980 तक केवल 9.56 लाख हेक्टेयर भूमि ही राज्य सरकारों ने अपने अधिकार में ली है और इसमें से केवल 6.79 लाख हेक्टेयर भूमि ही अब तक वितरित की गई है। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि आगामी दो वर्षों के भीतर सरकार फालतू घोषित की गई सारी 15.74 लाख हेक्टेयर भूमि को वितरित कर देगी। यह फालतू भूमि हमें अधिकतम भूमि सीमा लागू किए जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है। लेकिन मैंने यह देखा है कि भूमि सुधार के इस उपाय का क्रियान्वयन बहुत धीमा है। इसका क्रियान्वयन दो वर्ष के समय बद्ध कार्यक्रम के भीतर किया जाना चाहिए ताकि भूमिहीन किसानों की कठिनाइयो को कुछ हद तक कम किया जा सके। इन भूमि सुधार उपायों से किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए। इनमें से अधिकांश भूमि भूमिहीनों, समाज के कमजोर वर्गों; निर्धन लोगों और हरिजनों को वितरित की जा रही है। छठी योजना प्रारूप में यह कहा गया है कि भूमि वितरण कार्यक्रम अपने आप में ही बहुत धीमा प्रतीत होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटित भूमि को विकसित करने में आवंटितियों की सहायता का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मेरे राज्य उड़ीसा में हमने एक लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित की है। भूमि के उन टुकड़ों को चिन्हाकित नहीं किया गया है। जाहिर है कि वे भूमि को अपने दखल में नहीं ले सकते। किसानों की वित्तीय कठिनाइयों के कारण वे भूमि पर फसल नहीं उगा सकते। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि छठी योजना में स्वत: ही इन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है और उसमें यह सुझाव दिया गया है कि जिन भूमिहीन लोगो को भूमि दी गई है उन्हें और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक यह है कि जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए भू-खण्ड दिए जाने चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है और 1971 से अब तक हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को 77 लाख भू-खण्ड आवंटित किए गए हैं।

उन भूमि सुधार अधिनियमों को, जिन्हें बहुत से राज्यों ने पारित कर दिया है, अभी तक संविधान की नवम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। उस संदर्भ में भी मेरा एक सुझाव है। मैं आशा करता हूं कि यह देखने के लिए तात्कालिक उपाय किए जाएंगे कि जिन अधिनियमों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, उन्हें नवम अनुसूचि में शामिल कर लिया जाए ताकि इन उपायों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

हम सब इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि 8 करोड़ से भी अधिक भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सुरक्षा-प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने सभी प्रमुख ग्रामीण श्रमिक संगठनों से परामर्श करके एक कृषि श्रमिक विधेयक लाने का निर्णय किया है। कृषि श्रमिक समितियों की सभी बैठकों में हमने इस पर चर्चा करके यह निर्णय लिया है और

सरकार ने भी इसको मान लिया है। विधयक का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। हमें यह बताया गया था कि उक्त विधेयक गत वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में हुए पिछले सत्र में ही पुरः स्थापित किया जायेगा। लेकिन इसे अब तक भी पुरः स्थापित नहीं किया गया है। इस सत्र में हमारे पास बहुत लम्बा समय है। कम से कम इस सत्र में तो इसे पुरः स्थापित कर दिया जाए और इसे एक विधेयक का रूप दे दिया जाये ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के 8 करोड़ कृषि श्रमिकों को सुरक्षा दी जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण-प्रणाली को भी प्रकाश में लाया जाना चाहिए। कृषकों को अधिक से अधिक ऋण की आवश्यकता है ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ? हमने वाणिज्यिक बैंकों की बहुत सी शाखायें खोली हुई हैं, ग्रामीण बैंक हैं और सहकारी ऋण संस्थाएं भी हैं।

परन्तु हो क्या रहा है ? ऋण देने में काफी क्षेत्रीय असंतुलन हैं। आप देखेंगे कि बिहार या उड़ीसा या उत्तर-पूर्वी राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों को ग्रामीण ऋण अधिक दिया गया है। कृषकों को ऋण देने में भी आप क्षेत्रीय असंतुलन पाएंगे। ये असंतुलन समाप्त किये जाने चाहिएं।

कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों के लिए संस्थागत ऋण के सम्बन्ध में, मुझे प्रसन्नता है कि छठी योजना में उन्होंने इसकी राशि को 1979-80 की 2,550 करोड़ रुपयों की राशि से बढ़ाकर 1984-85 तक 5,415 करोड़ रुपये करने की योजना बनाई है। वे इसकी राशि को बढ़ाना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। परन्तु आज व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों से 10.6 प्रतिशत की सीमा तक अधिक जमा धन प्राप्त करते हैं और वे ग्रामीण क्षेत्रों को केवल 8.2 प्रतिशत ऋण के रूप में देते हैं। वे ग्रामीण लोगों से अधिक प्राप्त करते हैं, वे उनकी बचत तथा जमा प्राप्त करते हैं तथा उसे शहरों में तथा केन्द्र खोलने के लिए भेज देते हैं। ग्रामीण लोगों को ऋण नहीं मिल पा रहा है, उन्हें केवल 8.2 प्रतिशत ही मिलता है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

जहां तक अतिदेय की समस्या का सम्बन्ध है, यह एक बड़ी कठिनाई है। जहां तक व्यापारिक बैंक ऋण का संबंध है, अतिदेय 50 प्रतिशत हैं। सहकारी ऋण में अतिदेय 42 प्रतिशत है। आप देखेंगे कि सारे देश में कृषकों को ये ऋण 10 से 20 वर्ष तक की अवधि में होते हैं और ऋण में ब्याज जोड़ दिया जाता है। अब कृषकों, मध्यम तथा छोटे कृषकों ने दावा किया है। किसी निश्चित समय तक ब्याज को अलग रखना चाहिए जिससे कि ऋण बढ़ता न रहे। कभी-कभी तो यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। कम-से-कम एक निश्चित समय तक, जो हमें निर्धारित करना होगा, हमारे कृषकों से ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए, जोकि उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

एक दूसरा प्रश्न उठता है सुरक्षित भंडार बनाने का। जब तक हम 100 से 150 लाख टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार बनाने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक कठिनाई

रहेगी। कल आर्थिक सर्वेक्षण में इसका संकेत किया गया था कि सुरक्षित भंडार 110.1 लाख टन से घटकर 100 लाख टन रह गया है। हमें सुरक्षित भंडार 150 लाख टन निर्धारित करना होगा ताकि सूखा या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आने पर हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ रहे तथा हम यह कह सकें कि जहां तक मूल्य-वृद्धि का संबंध है, कठिनाई के दिनों में कुछ नहीं होगा। इसकी जांच की जानी चाहिए।

दूसरा प्रश्न कृषकों की सामाजिक सुरक्षा का है। मेरा विचार है कि राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना प्रत्येक खण्ड में आरम्भ की जानी चाहिए। इस प्रकार हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तथा इससे अधिकाधिक उत्पादकता होगी।

मूल्य-स्थिरता के सम्बन्ध में, स्थिति यह है कि यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कृषकों को उनके उत्पाद के लिये लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। हमें प्रसन्नता है कि हाल में, गन्ना, कपास, गेहूं तथा चावल के मूल्य बढ़ाये गये हैं। परन्तु साथ ही साथ कृषि में उपयोग सामग्री के मूल्य भी बढ़े हैं। अतः मैं सुझाव दूंगा कि कृषक, उपभोक्ता तथा सभी सम्बन्धित लोगों को एक साथ बैठना चाहिए तथा कृषक के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करना चाहिए। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य अधिक मिलते हैं, जबकि कृषि उत्पादों का मूल्य बाजार में कम आंका जाता है। अतः कृषक कठिन स्थिति में होता है। इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में कोई संतुलन स्थापित करना चाहिए।

मैं अपने माननीय मित्र प्रो० सत्यदेव सिन्हा के संकल्प का समर्थन करता हूं। अब समय आ गया है कि हमें किसानों को अधिक उर्वरक, अधिक कृषि सामग्री तथा अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिएं। आज केवल 25 से 27 प्रतिशत तक भूमि में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं और 75 प्रतिशत वर्षा पर आश्रित हैं। अब, छठी योजना में कृषि को सर्वोच्च वरीयता दी गई है और कृषि के लिए बडी राशि आबंटित की गई है। किसान ही तो देश का भरण पोषण करता है, अतः हमें किसानों की सभी सम्भव तरीकों से सहायता करनी चाहिए। वह इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अच्छी तरह खड़ा रहे तथा फले-फूले ताकि वह देश की सहायता कर सके।

धन्यवाद, श्रीमान्।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : श्रीमान्, मैं प्रो० सत्यदेव सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपायों के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण संकल्प की ओर इस सभा का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैं सर्वप्रथम उन्हें बधाई देता हूं। इस संकल्प के द्वारा अस्तावक सरकार से सिफारिश कर रहा है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों

को समुचित प्रोत्साहन दिए जाएं तथा उनके द्वारा सुझाए गए प्रोत्साहन यह हैं कि उर्वरकों के मूल्य कम किए जाएं, बीजों तथा कृषि उपकरणों के मूल्य कम किए जाएं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएं, किसानों को खेती की आधुनिकतम तकनीकों से परिचित कराया जाए, लाभकारी मूल्य निश्चित किए जाएं तथा पशु बीमा योजना आरम्भ की जाए ।

श्रीमान, इन सभी बातों पर आबंटित समय के अन्दर अपनी बात कहना मेरे लिए असंभव होगा । अतः अपने निवेदन में मैं अपने आपको उर्वरकों और मूल्यों तथा किसानों को आधुनिकतम तकनीकों से परिचित कराए जाने के प्रश्न तक ही सीमित रखने का प्रयत्न करूंगा ।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं संकल्प का उल्लेख कर रहा हूं । इसलिए, मैं स्वयं को संकल्प तक सीमित रखूंगा । और भी बहुत सी बातें हैं । जब मैंने कह दिया है कि उपलब्ध समय में उन सब बातों का उल्लेख करना मेरे लिए संभव नहीं होगा तो मैं कैसे अन्य बातों पर जा सकता हूं ?

मैं उर्वरकों के प्रश्न पर आता हूं । यह केवल कम दरों पर उर्वरक सप्लाई करने का प्रश्न नहीं है अपितु, मैं देख रहा हूं कि सरकार किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं । सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उर्वरकों की वार्षिक खपत बढ़ रही है । मेरा विश्वास है कि यह फसल उत्पादन में देश के कार्य निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है । परन्तु यदि हम पर्याप्त खाद्य उत्पादन चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि किसानों को हमें आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कतिपय कदम उठाने चाहिएं ।

श्रीमान्, आंकड़ों से पता चलता है कि 1974-75 में देशी उत्पादन 15.1 लाख टन था और 1979-80 में यह 30.1 लाख टन था जबकि इसी अवधि के दौरान उपभोग 25.8 लाख टन से 53.6 लाख टन है । यदि हम 1974-75 और 1979-80 के बीच का कोई वर्ष लें तो हम पाते हैं कि प्रतिवर्ष उत्पादन तथा खपत के बीच बड़ा अन्तर है और उर्वरकों का ऊंचे मूल्यों पर आयात करना हमारे लिए आवश्यक हो गया है । अतः उर्वरकों के आयात के प्रश्न पर तथा देश के अन्दर उर्वरकों के उत्पादन पर विचार करना आवश्यक हो गया है और हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार किसानों को सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करा सकते हैं ।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कम से कम कुछ और वर्षों के लिए उर्वरकों का आयात करना आवश्यक होगा क्योंकि विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत में पोटाश का कोई ज्ञात भण्डार नहीं है, अतः देश को उर्वरकों के आयात पर निर्भर रहना

होगा। परन्तु जहां तक आयात का सम्बन्ध है इसमें कुछ बाधाएं हैं और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। सर्वप्रथम जो कठिनाई अनुभव की जाती है वह कुछ महत्वपूर्ण उर्वरकों की अपर्याप्त उपलब्धता है जो कि हमारे देश के लिए आवश्यक हैं। दूसरी कठिनाई मुझे यह लगती है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके मूल्यों के अत्यधिक बढ़ने की प्रवृति रहती है जो कि हमारे किसान नहीं दे सकते और तीसरी कठिनाई कतिपय संभरण कर्त्ताओं की सुपुर्दगी के कार्यक्रम के करार की वचन बद्धताओं को पूरा करने में असमर्थता है। पिछले वर्ष, बहुत से विदेशी ठेकेदार अपनी वचन बद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे अतः हमें सम्पूर्ण आयात कोटा नहीं मिल सका। मुझे बताया गया है और मैंने पिछले वर्ष का प्रतिवेदन भी देखा है कि सरकार को इन कठिनाइयों की जानकारी थी अतः ए एंड सी सचिवों की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समितियों की नियुक्ति की गई थी। इन समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों की हमें जानकारी नहीं है और न ही हम यह जानते हैं कि इन समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन इस कठिनाई विशेष को दूर करने में लाभप्रद रहे हैं या नहीं।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान देश में उर्वरकों के उत्पादन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका देशी उत्पादन, इसकी खपत के अनुसार नहीं बढ़ा है। अतः आयात पर निर्भर रहने की आवश्यकता हो गई है। इस सम्बन्ध में कुछ बाधाएं और कठिनाइयाँ हैं। हमें परिचालित किए गए विभिन्न प्रतिवेदनों से मुझे पता चला है कि देशी उत्पादन तीन कारणों से कठिन हो गया है जो कि मुख्यतः ये हैं —बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता तथा उन्हें लाने ले जाने में बाधाएं और उपकरणों का बिगड़ जाना।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि अन्तर-विभागीय समितियाँ स्थापित की जाएं। मुझे पता नहीं है कि ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं या नहीं क्योंकि मुझे इन समितियों के प्रतिवेदन देखने को नहीं मिले हैं। महोदय, हम देखते हैं कि यदि एक मंत्रालय या विभाग कार्य करता है और उससे संद्धया दूसरा विभाग कार्य नहीं कर रहा है तो उसका परिणाम यह होता है कि हमें उपयुक्त परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं।

जहाँ तक रासायनिक उर्वरकों का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतों तथा ऊर्जा पूर्ति के घटते हुए स्रोतों के कारण कठिन हो जाता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि इस उर्वरक के अन्य स्रोतों का पता लगाना आवश्यक हो गया है।

विकल्पों के प्रश्न पर विचार करते समय मैं माननीय मंत्री का ध्यान विभिन्न समितियों और निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों और सिफारिशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सिफारिशें केवल कागजों में पड़ी हैं। उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। कल मुझे कृषि मंत्रालय का एक प्रतिवेदन देखने को मिला। यह फसलों के उत्पादन में माइक्रो पोष्टिकी के उपयोग के बारे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) और नार्वे सरकार के सहयोग से 1977 में एक सेमिनार हुआ था। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। श्रीमान मुझे पता नहीं है कि ये सिफारिशें केवल कागजों में रहीं हैं क्योंकि न तो उन्हें क्रियान्वित किया गया और न ही उनका कहीं उल्लेख हुआ है। इस लिए मैं इस बारे में की गई अनुवर्ती कार्यवाही तथा उसके परिणाम के बारे में जानना चाहता हूं।

इन परिस्थितियों में भूमि की उर्वरता बढ़ाने की भावी उर्वरक नीति के बारे में मेरा सुझाव है कि इसे जैव, जीव-उर्वरकों एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयुक्त मिश्रण पर आधारित बनाया जाए। इन हालात में मेरा सरकार से निवेदन है कि क्याजैव, जीव-उर्वरकों तथा रासायनिक उर्वरकों का मिश्रण संभव है। स्थानीय खाद संसाधनों के विकास, जैव-गैस के विकास, मल-जल तथा कूड़ाकरकट के उपयोग तथा हरी खाद देने का कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्विति के लिए हाथ में लिया जाए। उर्वरक किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर तथा उचित मात्रा में दिए जाने चाहिए। परन्तु इस बारे में हमारा अनुभव भिन्न है। वे किसानों को उर्वरक उस समय देते हैं जबकि उनकी आवश्यकता नहीं होती। सरकार को किसानों को अद्यतन तकनीक बताने चाहिए। यंत्रीकृत खेती आज की आवश्यकता है। भारत में अनाज की प्रति हैक्टर उपज पूरे विश्व की औसत उपज से कम है तथा यह अन्तर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मक्का की खेती का क्षेत्रफल 1961 से 1976 के बीच 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया है परन्तु विश्व उत्पादन में इसका भाग 2 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। इस तरह से होता यह है कि कुछ नए क्षेत्र खेती के लिए उपयोग आने लगते हैं परन्तु उत्पादन नहीं बढ़ता। उसी अवधि में दालों की प्रति व्यक्ति खपत में 34 प्रतिशत की कमी आई है। मैं कह सकता हूं कि अन्य खाद्य फसलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

एक और मामले पर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के अनुसार कृषि कार्यों का व्यापक यंत्रीकरण ही एक मात्र साधन है, जिससे हम अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस सुझाव की एक तुरन्त प्रक्रिया यह होगी कि यंत्रीकरण से बेरोजगारी में पर्याप्त वृद्धि होती है, परन्तु यह सच नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं ? यंत्रीकृत खेती छोटे किसानों के लिए हानिकारक है और इससे बेरोजगारी बढ़ती है।

श्री बापू साहिब पल्लेकर : जब मैं यह कहने को सोच रहा था, तो मुझे प्रो० रंगा से आपत्ति की अपेक्षा थी।

प्रो० एन० जी० रंगा : न तो आप मुझे समझा सकते हैं न लाखों किसानों को।

श्री बापू साहिब परूलेकर : अब मैं हैदराबाद में सरकारी संस्थान की एक रिपोर्ट का हवाला दूंगा। ऊष्ण कटिबन्ध के कम उपजाऊ क्षेत्रों के अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अध्ययन से पता चला है कि किसान परिवारों द्वारा अपने ट्रैक्टरों का उपयोग कम हो गया है जबकि किराए के ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ी है। दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह है कि खेती में ट्रैक्टरों के उपयोग से यंत्रीकरण के अन्य क्षेत्रों के समान खेती से भिन्न रोजगारों के अवसर बढ़े हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा करनाल जिले में जहां पर 4800 ट्रैक्टरों तथा 40000 पम्पों का उपयोग किया जा रहा है, वहां पर 30000 व्यक्ति इन ट्रैक्टरों की मरम्मत आदि करने तथा उनके पुर्जे आदि उपलब्ध करने पर लगे हुए हैं। यह कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार है। अब आप ही विचार करें कि यंत्रीकरण से रोजगार के अधिक अवसर बढ़ते हैं अथवा कम होते हैं। मेरा निवेदन है कि ट्रैक्टरों से मनुष्यों का काम कम नहीं होता, परन्तु बैलों का कार्य कम होता है। खेती कार्य में पशुओं के उपयोग में कमी, पंजाब, में 70 प्रतिशत गुजरात में 40 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 62 प्रतिशत है। इनका उपयोग मेरी राय में लाभदायक है क्यों कि जो चारा बैलों के काम आता है उसका दूध देने वाले पशुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैं सभा का ध्यान कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त प्रतिवेदन से पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर पर हमें अपने अनाज के उत्पादन को शताब्दी के अन्त तक बढ़ा कर 24 करोड़ टन करना पड़ेगा तथा विशेषज्ञों का मत है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3.5 करोड़ अश्व शक्ति की अनुमानतः आवश्यकता होगी। इसे केवल यंत्रीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

मैंने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि बागवानी की ओर ध्यान दिया जाए। मेरे जिले रत्न गिरि में आम और काजू की उपज होती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि निर्यात के उद्देश्यों से आम का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस समय जो भी निर्यात होता है इसका लाभ किसानों को न मिलकर बिचौलियों को मिलता है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर विचार किया जाए और मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यदि ऐसा किया जाता है तथा आम का उत्पादन बढ़ाया जाता है तद सभी माननीय सदस्य मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात रत्नगिरि जिले से "अल्फांसो" आम प्राप्त कर पायेंगे।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : सभापति महोदय, मैं प्रो० सत्यदेव सिन्हा द्वारा रखे गए संशोधन का स्वागत करता हूं, जिसका सम्बन्ध अनाज का उत्पादन बढ़ाने से हैं। उन्होंने कई सुझाव दिए हैं तथा वह चाहते हैं कि सभा उन्हें क्रियान्वित करने की सिफारिश करे। उन्होंने अपने संकल्प में किसानों के जो उचित प्रोत्साहन देने की बात कही है वे हैं: (क) उर्वरकों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी (ख) सिचाई सुविधाएं दिया जाना (ग) किसानों को नवीनतम कृषि साधनों की जानकारी देना (घ) उनको उनकी उपज के लिए लाभ प्रद मूल्य देना (ङ) फसल तथा पशु बीमा योजनायें आरम्भ

करना। जहां तक इन सुझावों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसमें मत भेद नहीं है। मैं इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। आरम्भ में मैं सरकार का ध्यान समस्या के एक पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं और इस मामले में हमारा यही रवैया है। मेरा नम्र निवेदन है कि हम व्यापारी नहीं हैं जो हम किसी विशेष कारबार के लाभ-हानि की ओर ध्यान दें। हम विशुद्ध रूप से प्रशासक भी नहीं हैं जिनकी रुचि उन नीतियों की प्रभावी तथा लाभपूर्ण क्रियान्वित में होती है। जिनके अन्तर्गत बचत करने के लिए उचित प्रतिबन्ध लगाने पड़े तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। परन्तु हम लोग नीति निर्धारण करने वाले हैं तथा देश के करोड़ों लोगों के भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। अतएव हमारा ध्यान सार्वजनिक हित की ओर रहना चाहिए, तथा हमें यत्न करना चाहिए कि आम आदमी को देश का प्रभावी नागरिक बनाया जाये जो अपने मौलिक अधिकारों तथा अन्य संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। समस्या का समाधान खोजने से पूर्व हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए।

इस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की कार्यवाही को प्रभावी बनाने एवं देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हमें वर्तमान नीतियों में परिवर्तन तथा नई नीतियां अपनाने के लिए उद्धत रहना चाहिए। यदि यही दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो हमें कृषि क्षेत्र को परम्परा गत दृष्टि से नही देखना चाहिए अर्थात यह नहीं सोचना चाहिए कि कृषि क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही है जहां आप किसानों को लाभप्रद मूल्य देकर अधिक उत्पादन की बात सोच सकते हैं। हमें उनके श्रम के मूल्य का मूल्यांकन करने की विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हमारी अर्थ-व्यवस्था एवं संवैधानिक ढांचे में प्रमुख भूमिका निभाता है हमें उसके प्रति अपने परम्परागत रवैये को बदलने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में उस व्यक्ति की क्या स्थिति है ? स्थिति यह है कि कृषि क्षेत्र में निर्धनता की रेखा नीचे नहीं आयी है अर्थात गरीबी से निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या घटी नहीं है। यदि आप जन संख्या पर ध्यान दें तो गरीबी की रेखा से निचले स्तर पर जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या में संतोषजनक अन्तर नही आया। मैं इस बारे में नवीनतम आंकड़े सरकार से प्राप्त कर सकता हूं। मुझे इस मामले में पर विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। सचाई यह है कि किसानों की जनसंख्या में गरीबी की रेखा एक स्तर पर बनी हुई है। समग्र रूप से किसानों की स्थिति सुधरी नहीं है। इसके दो सरल कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि श्रम का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया तथा जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं के मामले में उन्हें उचित क्षति-पूर्ति नहीं दी गई। मैं मूल्य बढ़ाने, घटाने अथवा उनकी कृषि उत्पादों से तुलना की बात नहीं कह रहा। इस समय मैं कृषि क्षेत्र के मजदूरों को एक भारतीय नागरिक के रूप में उनके श्रम की समुचित रूप से क्षतिपूर्ति चाहता हूं। दूसरे यदि इस प्रक्रिया में हम अनुभव करते हैं कि उन्हें उचित क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती तब हमें उन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर देना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके।

कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी व्यापक रूप से विद्यमान है। इस पहलू पर भी बहुत कुछ सोच-विचार की आवश्यकता है।

आप कह सकते हैं कि कई तरह की राज्य-सहायता दी जाती है तथा आप उस बारे में सरकारी तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण दे सकते हैं। आप कृषि क्षेत्र में पूंजी लगाये जाने तथा सिंचाई कार्य और कृषि के आधुनिकीकरण आदि कार्यों सम्बन्धी आंकड़े भी बता सकते हैं।

परन्तु इस संकल्प में उल्लिखित अन्य पहलू बहुत महत्त्व रखते हैं। एक पहलू तो फसल तथा पशु बीमा शुरू किए जाने का है जिससे कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकता है तथा दूसरा किसानों को कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य देने के बारे में है। जब मैं लाभप्रद मूल्यों की बात करता हूं तो मैं मूल्यों पर धन की दृष्टि से ध्यान नहीं देता।

उदाहरथार्थ 5 या 6 या यहां तक कि 10 एकड़ कृषि भूमि को भी एक परिवार के जीवन यापन के लिए उचित भूमि सीमा माना गया है। यदि इतनी जोत का मालिक इस देश का अच्छा नागरिक है, तो उसे अपने श्रम के लिए उपयुक्त लाभ भी प्राप्त होना चाहिए —और यह लाभ उसकी उपज पर नहीं अपितु उसके द्वारा किए गए श्रम पर आधारित होना चाहिए। उसे अपने तथा अपने छोटे से परिवार के लिए उससे कुछ लाभ तो प्राप्त होना ही चाहिए। यदि ऐसा मान लिया जाता है; तो फिर कृषि उत्पादों के मूल्यों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और यदि हम देखें·····(व्यवधान)

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

ऐसा किया जाना चाहिए।

दूसरे माननीय सदस्य श्री परूलेकर ने ठीक ही कहा है कि कृषि का मशीनीकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। यह अनिवार्य है।·····(व्यवधान) यह बम्बई की अर्थ-व्यवस्था नहीं है। यह तो सम्पूर्ण देश की अर्थ-व्यवस्था है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह विश्व की अर्थ-व्यवस्था का ही एक अंग है। आज विश्व का विकास एक दिशा विशेष की ओर हो रहा है और यदि हम उस दिशा की अवहेलना करेंगे तो हम स्वयं अपने आपको तथा विश्व को भूल जायेंगे। अतः कृषि का मशीनीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। यह किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका निर्णय करना आप का काम है। इसे कई प्रकार से किया जा सकता है। इनमें कुछ के सुझाव मैं देना चाहूंगा।

ऐसा करने के लिए भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उत्तराधिकार तथा पैतृक कानून में निश्चय ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कृषि भूमि को हस्तांतरित करने सम्बन्धी कानून में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। आपको कोई इस प्रकार का

तरीका खोजना चाहिए जिससे कि आप इन निष्कर्ष पर पहुंच सके कि मशीनों की सहायता से कृषि करने के लिए कितनी बड़ी भूमि का टुकड़ा लाभप्रद तथा सम्भाव्य हो सकता है। इसके लिए आप सामूहिक तथा सहकारी कृषि एकक भी तैयार कर सकते हैं जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक मैं समझता हूं कि इस देश की कृषि अर्थ-व्यवस्था में इस दृष्टि से कोई सुधार नहीं किया जा सकता कि जो कृषक या व्यक्ति कृषि पर निर्भर करता है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता यद्यपि उत्पादन में कुछ वृद्धि तो की जा सकती है। किसी भी जोत की यदि दिनप्रतिदिन की आवश्यकताओं पर दिए जाने वाले श्रम का यदि प्रमुख रूप से मूल्यांकन कर लिया जाए तो फिर बड़े तथा छोटे कृषकों का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। यदि हम केवल वर्तमान मजूरी या उसके मूल्य का मूल्यांकन धन की दृष्टि से किया जाता है; तो ऐसा करके हम एक भिन्न दिशा की ओर अग्रसर हो रहे होंगे आप की उसके श्रम को उसके जीवन-यापन के स्तर के साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करके ही आप इस सामान्य व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य के लिए किए जा रहे उसके श्रम को समझ सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सकंल्प का समर्थन करता हूं यद्यपि इसमें परम्परागत तरीकों की बात की गई है।

****श्री आर० के० महालगी** : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र प्रो० सत्य देव सिंहा द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संकल्प में देश के लाखों किसानों के समक्ष आने वाली ज्वलंत समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है। आजकल जनगणना का जो कार्य चल रहा है उसके अनुसार अनुमानित 75 से 80 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 50 करोड़ लोग कृषि समुदाय से सम्बद्ध होगें। इन आंकड़ों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संकल्प में जिन समस्याओं को उठाया गया है, उनका आयात कितना व्यापक है।

प्रस्ताव ने अपने देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ सुझाव भी दिये हैं परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाली बिजली, सिमेंट, इस्पात, पम्प-सेट, बैलों तथा अन्य कृषि के काम आने वाले उपकरणों के मूल्यों को घटाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। मैं केवल अपने कृषि सम्बन्धी पहलूओं के बारे में ही कहना चाहूंगा जिन्हें कहने के बारे में मैंने अपने संशोधन की सूचना दी है।

किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलने ही चाहिए; यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इससे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। कृषि मूल्य आयोग का गठन बहुत पहले अर्थात 1965 में किया गया था और हमारे स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग दो दशक बाद तक भी कृषकों के हितों की अवहेलना की जाती रही। कृषि मूल्य आयोग

**मराठी में दिए गए भ षण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है; आयोग का गठन कुछ ऐसा है कि कृषक को उससे किसी भी लाभ की आशा नहीं है। इस आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर एक नया निकाय स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें कि किसानों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा कृषि विशेषज्ञों सहित अन्य ऐसे हितों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के निकाय द्वारा ही किसानों का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है जिससे कि उन्हें यह विश्वास हो जायेगा कि उन्हें अपने उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और इससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

प्रश्न यह है कि आज कृषक वर्ग के समक्ष आने वाली समस्याओं को मेरे द्वारा सुझाए गए नये आयोग की अनुपस्थिति में किस प्रकार हल किया जा सकता है। मेरे दल द्वारा एक ऐसी समय सारणी तैयार की गई हैं जिसके अन्तर्गत इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए कार्यवाही की जा सकती है। कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसी न किसी कसौटी का निर्धारित किया जाना तो बहुत आवश्यक हैं— (एक) वर्तमान जीवन यापन सूचांक को निश्चय ही दृष्टिगत रखा जाना चाहिए, (दो) औद्योगिक तथा कृषि से सम्बद्ध वस्तुओं में एक प्रकार का तालमेल रखा जाना चाहिए (तीन) मूल्यों का निर्धारण लागत मूल्य को आधार बना कर ही किया जाना चाहिये (चार) भूमि का पूंजी निवेश तथा कृषि के अन्य अवयवों को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिये। (पाँच) किसान के परिवार के सदस्यों को मजूरी कमाने वाले माना जाना चाहिए तथा उनके वेतन को लागत मूल्यों में शामिल किया जाना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग को अपने मूल्यों की घोषणा फसल की बुबाई के समय घोषित करनी चाहिए और न कि बुआई के बाद, जैसा कि वह प्रायः करता है। किसान को निश्चय ही यह मालूम होना चाहिए कि उसे फसल के लिए क्या मूल्य मिलेगा; तभी तो वह बुद्धिमतता से अपनी फसल का भी चयन कर सकेगा। महाराष्ट्र के लिए मूल्यों की घोषणा मई, 1981 से पहले कर दी जानी चाहिए।

आगामी मौसम के लिए मैं निम्न मूल्यों का सुझाव देना चाहता हूं :

(एक) ज्वार तथा बाजरे के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल;
(दो) धान 165 रुपये प्रति क्विंटल;
(तीन) गेहूं 200 रुपये प्रति क्विंटल;
(चार) प्याज 100 रुपए प्रति क्विंटल;
(पांच) गन्ना 300 रुपये प्रति टन और;
(छः) कपास 700 रुपये प्रति क्विंटल।

ऋण सुविधा एक अन्य ऐसा उपाय है जिससे किसानों को उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार सदा ही

उद्योगों की तुलना में कृषि क्षेत्र के साथ भेदभाव बरतती रही है। वर्ष 1975-76 के दौरान भारत के कृषि उत्पादन का मूल्य 24,841 करोड़ रुपए था जबकि इसके लिए दिया गया ऋण केवल 3,148.9 करोड़ रुपए था परन्तु औद्योगिक क्षेत्र को 6,663.5 करोड़ दिए गए जबकि उसका उत्पादन मूल्य 9,555 करोड़ रुपए था। इसकी प्रतिशतता यह है कि कुछ मूल्य के उत्पादन का 70 प्रतिशत उद्योग को जाता है जब कृषि को केवल 12-1/2 प्रतिशत जाता है। इससे यह मालूम होता है कि किसानों की कितनी अवहेलना की जाती है।

कृषि के लिए दिए जाने वाली संस्थागत वित्त में भी 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। छोटे तथा सीमांत किसानों को सहकारी समितियों के सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ऋण आसानी से मिल सके। थोड़ी अवधि के ऋण के लिए 6 प्रतिशत की दर से ब्याज ली जानी चाहिए जब कि मध्यम प्रकार के ऋण के लिए ब्याज की दर 6 प्रतिशत होनी चाहिए। कुछ परिस्थितियों में कृषि के लिए दिए गए ऋण को माफ करने के लिए पूरे देश के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का यही उचित तरीका हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, प्रो० सत्यदेव सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

देश की उन्नति कृषि उत्पादन पर और औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करती है परन्तु अपने देश में जहां पर 75 प्रतिशत किसान हैं, हम अभी तक भी, मैं देख रहा हूं, नेचर पर बहुत ज्यादा डिपेन्ड कर रहे हैं। अभी भी भगवान की जब हम पर कृपा हो जाती है और वर्षा अच्छी हो जाती है, तो किसानों की पैदावार बढ़ जाती है, और जब प्रकृति की कृपा नहीं होती है, तब अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और कहीं सूखा पड़ जाता है और फिर हमारे यहां अनाज का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है और हमारे देश की स्थिति बहुत ही विषम हो जाती है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक हम सिंचाई के क्षेत्रों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनको विकसित नहीं करते हैं, तब तक हम कृषि उत्पादन में स्थायित्व नहीं ला सकते। इस कृषि उत्पादन में स्थायित्व लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा सिंचाई की योजनाओं पर, उनके विस्तार पर और उनके विकास पर। इसके लिए मैं विशेष तौर पर जोर देना चाहूंगा। हमारे कृषि मंत्री जी अब सिंचाई मंत्री जी भी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का निर्माण-कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है। और इसके ऊपर केन्द्रीय सरकार ध्यान देती, इसके ऊपर राजस्थान सरकार भी ध्यान देती— वह एक राष्ट्रीय नहर है---तो हमारा जो यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, यह क्षेत्र हिन्दुस्तान के

दूसरे क्षेत्रों को भी अन्न दे देता और हमारा देश कभी का आत्मनिर्भर हो गया होता, परन्तु इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और अब स्थिति यह बन गई है कि जिस नहर का निर्माण-कार्य 15 वर्ष पहले पूरा हो जाना चाहिए, वह अभी तक सम्पन्न नहीं हुआ है और पता नहीं कि उसके सम्पन्न होने में कितना और समय लगेगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में जो आंकड़े आए हैं वे बहुत ही आशाप्रद है और उनके मुताबिक छठी पंच वर्षीय योजना में राजस्थान नहर का पहला और दूसरा फेज, दोनों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार के लक्ष्य बनाए गए हैं, अगर वे पूरे हो जाते हैं और निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो रेगिस्तानी क्षेत्र जेसलमेर, बीकानेर और गंगा नगर आदि का है, वह हिन्दुस्तान को बड़ी पैदावार देगा, बहुत सा अनाज पैदा करके देगा और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा, वह काफी तरक्की करेगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो नहरें बनाने काम है, जितनी भी नहरें हिन्दुस्तान के अन्दर बन रही हैं, उनका निर्माण-कार्य कहीं 4 साल पीछे है, कहीं 5 साल पीछे हैं और कहीं 10 साल पीछे चल रहा है। हमारे जो मंत्री मंडल के सदस्य हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी नहरें बन रही हैं, वे एक एक नहर के बारे में जांच करें और उनको पूरा कराने की कोशिश करें। इस छठी पंचवर्षीय योजना में जो भी दूसरे कॉस्ट्रेंट्स हैं, आब्सट्रक्शन्स हैं, उन सबको हटाने का प्रयास करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहरों के पानी के बटवारे के बारे में बहुत से डिस्प्यूट्स भी हैं और उनमें कुछ ट्रिब्यूनल्स के पास हैं और कुछ चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस के सामने भी आए हैं। मैं यह चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट उन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी निपटाए। उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

अभी हमारे जो माही और कड़ाना के प्रश्न हैं, और नर्मदा के प्रश्न हैं, अगर वे हल हो जाते हैं तो हमारे बाड़मेर और जालौर—जैसलमेर मैंने गलती से कह दिया था—के बहुत से क्षेत्र सिंचित हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी एग्रीमेंट हुआ था। यह एग्रीमेंट गवर्नमेंटों के बीच में हुआ था। उस एग्रीमेंट के अनुसार हमने बड़ा भारी डेम बनाया और बीसियों अरब प्रयास किए लेकिन अब उस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा है। यह एग्रीमेंट 1966 में गुजरात के मिनिस्टर और राजस्थान गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने किया था। अगर इस एग्रीमेंट पर अमल होता रहता तो हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सकता। इसलिए मैं विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं कि नहरों के निर्माण के बारे में आपको गति देने की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी बात इस देश में लघु काश्तकार, स्माल और मार्जिनल काश्तकारों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी जो स्थिति पैदा हुई है उसमें बड़े-बड़े काश्तकारों ने फायदा उठाया है, मध्यम श्रेणी के काश्तकारों ने फायदा उठाया है। जिनके पास ट्रेक्टर हैं आज उनकी पोजीशन अच्छी है। यह मैं मानता हूं कि आज के युग में उनकी उन्नति होनी चाहिए

उन्हें आगे बढ़ना चाहिए । परन्तु हमें यह भी देखना है कि हमारे जो स्माल और मारजिनल फार्मर्स हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, उनके लिए यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हमारे डवलपमेंट्स प्रोग्राम हैं, उनको सब्सीडी वगैरह देने का भी प्रोवीजन हमने किया है, और भी उनके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं परन्तु इन कार्यों को और गति देने की आवश्यकता है । क्योंकि आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि स्माल और मारजिनल फार्मर्स बड़े-बड़े काश्तकारों के कम्पीटीशन में स्टेण्ड नहीं कर पाते हैं । यह स्थिति पैदा हो गई है कि वे अपने छोटे-छोटे खेत जो कि इकोनोमिकल नहीं हैं उनको छोड़कर वे शहरों की ओर बढ़ रहे हैं । उनके पास छोटे-छोटे खेत हैं जिनकी उपज पर उनके दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह लोगों के परिवारों का गुजर बसर नहीं हो सकता है । वे छोटी-छोटी होल्डिग्स पर निर्भर नहीं रह सकते हैं । इसलिए उनकी स्थिति बहुत खराब है ।

स्माल और मारजिनल फार्मर्स को क्रेडिट फेसिलिटीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब अकाल पड़ता है तो लोन वगैरह की रिकवरी सस्पेंड कर दी जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि जब तीन साल तक लगातार अकाल पड़ता हो तो लोन वगैरह की वसूली केवल सस्पेंड ही नहीं की जानी चाहिए बल्कि माफ कर दी जानी चाहिए । आज हमारे क्षेत्र में तीन सालों से लगातार अकाल है । आप अगर उनसे सब की सब रेवेन्यु की रिकवरी करना चाहें या लोन की रिकवरी करना चाहें तो वह देने की स्थिति में नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी होनी चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव्ज दिए जाने चाहिएं कि उन एरियाज के लोगों से जहाँ तीन साल अकाल पड़ा है रेवेन्यु और लोन की रिकवरी केवल सस्पेंड ही नहीं होनी चाहिए बल्कि माफ कर दी जानी चाहिए ।

भूमिहीन किसानों का प्रश्न सब से महत्वपूर्ण है । वे मजदूरी करते हैं और दूसरों पर डिपेंड करते हैं । अभी तक हम उनको मिनिमम वेजिज दिलाने की गारन्टी नहीं कर सके हैं । वास्तविक रूप में जब तक हम यह गारन्टी नहीं कर सकेंगे तब तक हम उनका भला नहीं कर सकेंगे । बहुत से प्रांतों में मिनिमम वेजिज के बारे में निर्णय लिए गए हैं लेकिन उनके बारे में अभी तक इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि सरकार इनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में राज्य सरकारों को कहें । मैं तो चाहता हूं कि मिनिमम वेजिज के बारे में सारे देश में एक-सी पालिसी हो । तभी हम इसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे और इन गरीब काश्तकारों को कुछ रिलीफ दे सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने कृषि की दृष्टि से उन्नति की है और विकास किया है । इसमें जो हम आगे बढ़े हैं उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से आज हम आत्म निर्भर हो सके हैं जबकि समाजवादी देश इसमें आत्म निर्भर नहीं हो सके हैं ।

हम आत्म निर्भर हो रहे हैं । हम चाहते हैं कि आधुनिक युग में हम उन्नति करें ।

इस कार्य में हमारी केन्द्र सरकार ने भी मदद की है, सहयोग किया है। इसके लिए हम केन्द्र सरकार की प्रशंसा करते हैं, परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में और ज्यादा कार्य करे और ज्यादा कार्य करके किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करे, क्योंकि किसानों को हमें उन्नति के पथ पर लाना है।

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरा पुर) : श्रीमान जी, मैं खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कुछ कदमों के सम्बन्ध श्री सत्य देव सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गये संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्रीमान जी, आप इस बात को जानते हैं कि हमारा देश मुख्य रूप से कृषि-प्रधान देश है जिसकी अर्थ-व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर करती है यद्यपि हमारे यहाँ कुछ उद्योग भी हैं। जब कभी भी सूखे या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे कृषि उत्पादन को हानि होती है; हमारी अर्थ-व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। परन्तु जब कभी भी कृषि उत्पादन अधिक होता है; तो सरकार, चाहे वह सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, वह यह दावा करती है कि उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जब जलवायु उपयुक्त रहता है तथा अन्य परिस्थितियाँ ठीक रहती है तभी कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। आर्थिक समीक्षा (एकनामिक सर्वे) में यही बात कही गई है :

> "वर्ष 1980-81 के दौरान देश के अधिकांश भागों में मौसम प्रायः सामान्य रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1979-80 की तुलना में कृषि उत्पादन में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।"

परन्तु सरकार की नीतियों या उसके द्वारा किए गए उपायों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। परन्तु भी कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने आर्थिक समीक्षा से कुछ आंकड़े एकत्रित किये हैं जो यह दर्शाते हैं कि खाद्यान्नों के उत्पादन में कितना उतार-चढ़ाव होता रहता है। वर्ष 1973-74 में यह उत्पादन 1,04,665.5 हजार टन था जबकि वर्ष 1974-75 में यह 99,826.2 हजार टन था। वर्ष 1973-74 की तुलना में वर्ष 1974-75 में यह उत्पादन 4,838.3 हजार टन घट गया। वर्ष 1975-76 में यह उत्पादन 1,21,034.3 हजार टन था। वर्ष 1976-77 में यह उत्पादन 1,11,166.8 हजार टन था। अतः यह 9,867.5 हजार टन कम है।

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन में 100 प्रतिशत या उससे भी अधिक गिरावट आई है।

और फिर 1978-79 में विगत कुछ वर्षों की तरह कम उत्पादन हुआ।। इस प्रकार उत्पादन घट-बढ़ रहा है।

अब मैं इस देश में प्रति हैक्टेयर खाद्यन्नों की पैदावार का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। 1975-76 में यह प्रति हैक्टेयर 944 किलोग्राम था। 1976-77 में 894 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर था। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादन में 50 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर की गिरावट आई है। वर्ष 1978-79 में यह 1022 कि० ग्रा० था। वर्ष 1979-80 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह 878 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर ही रह गया। मैं यह नहीं कहता कि इस समय उत्पादन कम है और जनता पार्टी के शासन में अधिक था। और इस प्रकार मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि ऐसा उनके सद् प्रयासों का फल था। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि जलवायुगत परिस्थितियों के पक्ष में होने के कारण हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री मुकुन्द मण्डल : जब तक हम अवसर नहीं देते और हम कृषि मजदूर को विश्वास में नहीं लेते, तब तक उत्पादन अधिक नहीं होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो उनका कहना है।

श्री मुकुन्द मण्डल : हमारे पास भूमि सुधार के कानून विद्यमान हैं। हम जमींदारी प्रथा को समाप्त कर चुके हैं। परन्तु फालतू जमीन को भूमिहीनों में नहीं बांटा गया है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार अधिक उत्पादन करने की बड़ी इच्छुक है। उन्होंने विभिन्न उपाय किए हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक आप वास्तविक रूप में भूमि सुधारों को लागू नहीं करते, अधिक उत्पादन करना सम्भव नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्षों से भूमि का जो एकत्रीकरण किया उसको बन्द किया जाए। भूमि के जमाखोरों से फालतू भूमि लेकर गरीब लोगों और गरीब किसानों में बांट देना चाहिए।

सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण कृषि मजदूर अपनी भूमि खो चुके हैं। सरकार की गलत नीति के कारण जो कुछ भूमि उनके पास पहले से ही थी उसे भी खो बैठे हैं। परिणाम स्वरूप खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है।

निजी महाजनी प्रथा बन्द होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती। वे कठिन काम, परिश्रम करते हैं और अन्न पैदा करते हैं। वे हमें और राष्ट्र के लिए अनाज पैदा करते हैं। परन्तु उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मुझे यह भी कहना है कि उन्हें पूरा वर्ष काम नहीं मिलता है। उन्हें तो केवल 3 मास काम मिल पाता है। 9 मास वे बेरोजगार रहते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें गांव के महाजन के पास जाना पड़ता है आपको खेतिहर मजदूरों या तो काम देना चाहिए अथवा

उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तभी उत्पादन बढ़ सकेगा। गरीबों और सीमान्त कृषकों को जब तक सरकार सरकारी कोष या राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने के लिए कार्यवाही नहीं करती तब तक महाजनी प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। •

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री मुकुन्द मण्डल : अन्त में मैं सिंचाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुल 1260 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। वर्ष 1974-75 में 323.10 लाख हैक्टैयर पर सिंचाई होती थी और 1977-78 में केवल 350 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती थी। प्रगति बड़ी धीमी है। मेरा यह कहना है कि हम बड़े क्षेत्र पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। अधिकाधिक मात्रा पर सिंचाई होनी चाहिए। केवल तभी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, खेती के उपकरण, खाद और बीज सस्ते दिलाने के साथ-साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ बिजली और पानी भी ठीक प्रकार से उपलब्ध कराया जाय तब जा कर के ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सकेगा।

राजस्थान के बारे में मुझे यह कहना कि वहाँ 1 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली मिलनी चाहिए तब जा करके वहाँ खेती और इंडस्ट्री का काम पूरा हो सकता है मगर आज हमको करीब 80 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है इसलिए ऐग्रीकल्चर में भी 50 परसेंट से ज्यादा कट ऐग्रीकल्चर पर लगा रखा है जिससे प्रोडक्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। कमी क्या है ? थीयन बांध पर जो बिजली प्रोजेक्ट बना है उसमें राजस्थान का भी हिस्सा था जैसा कि शुरू में ऐग्रीमेंट के समय तय हुआ था। मगर अब पंजाब और हरियाणा सरकारें हमको बिजली से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है इस योजना से जो बिजली का हिस्सा हमको मिलना चाहिए था वह मिलना चाहिए तभी हमारा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ठीक प्रकार से हो सकेगा। इसी प्रकार से भाखड़ा और चम्बल योजनाओं से जो हमको बिजली मिलती है उसमें भी पंजाब सरकार हमको भाखड़ा से ठीक प्रकार से बिजली नहीं देती है और इसी तरह से चम्बल योजना से मध्य प्रदेश द्वारा हमको ठीक प्रकार से बिजली नहीं मिलती है। कहने का मतलब यह कि हमें जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल रही है जिससे ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आ रही है।

हमारे यहाँ दो ऐटमिक पावर प्लान्ट्स हैं मगर वह 5 दिन चलते हैं और 25 दिन बन्द रहते हैं। इस प्रकार बिजली के अभाव में राजस्थान का ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत सफर कर रहा है। इस बारे में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और नेशनल ग्रिड बना

करके राजस्थान को जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी मिले तब जा करके वहां ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकेगा।

दूसरी बात मुझे राजस्थान कैनाल के बारे में कहनी है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। हमने तो पहले सुझाव दिया था कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाय मगर केन्द्रीय सरकार इस सुझाव को स्वीकार नहीं करती है। और उसकी वजह से कितने ही वर्ष हो गए। आज से कई वर्ष पहले यह पूरा हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक पहला फेज ही पूरा हुआ है, दूसरा शुरू भी नहीं हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ जो हमको राजस्थान कैनाल में 15 हजार क्यूजेक पानी मिलना चाहिए उसके बजाय 9 हजार क्यूजेक पानी मिल रहा है। इसमें भी पंजाब और हरियाणा की सरकारें बराबर दखल करती हैं और जितना पानी हमको मिलना चाहिए जिसकी वजह से हमारी ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ सकती, उसमें भी बराबर कमी आती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान देकर जितना पानी का हमारा शेयर होता है वह हमें दिलाया जाये जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके।

इसी प्रकार नर्वदा में हमारा हिस्सा था। 5 लाख फिट पानी हमको चाहिए था, जब एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को खत्म करके अब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें, तीनों इस नर्वदा के पानी को अलग तरीके से बंटवारा करके ले रही हैं और राजस्थान को जो 5 लाख क्यूसेक पानी उपलब्ध होना चाहिए था, वह न मिलने की वजह से बाड़मेर और जालोर को सिंचित करके इस डेजर्ट ऐरिया में हम प्रोडक्शन करना चाहते थे वह प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमको इसके जरिए जो हिस्सा मिलना चाहिए था, वह हमको मिलना चाहिए। अगर वह हमको मिले तो निश्चित तरीके से हम राजस्थान में इतना ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं कि उससे हिन्दुस्तान के बहुत बड़े भाग को हम खिला सकते हैं और हमारी जो कमी है, उसको भी पूरा कर सकते हैं।

इसी तरीके से भीलवाड़ा जिले में 4 बांध हैं—मेजा, खारी, सरेरी और अरवड़। यह चारों बांध मीडियम प्रोजक्ट हैं। इन मीडियम प्रोजक्ट्स को अगर माडर्नाइज कर दिया जाये, इनकी नहरों को पक्का कर दिया जाये तो निश्चित तरीके से जितनी जमीन आज सिंचित होती है, उससे दुगुनी सिंचित हो जायेगी। इसलिए माडर्नाइज स्कीम को भीलवाड़ा के इन चारों बांधों पर जल्द से जल्द लागू किया जाये ताकि ज्यादा क्षेत्र सिंचित हो सके और ज्यादा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम कर सकें।

इसके अलावा क्राप-इन्श्योरेंस नितान्त आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हर साल अकाल पड़ता है और किसानों की खड़ी की खड़ी फसलें पानी के अभाव में जल जाती हैं जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है इसलिए

अगर क्राप-इन्श्योरेंस होती है तो इससे किसानों को यह भरोसा हो जाता है कि अगर हमारी फसल नष्ट हो जायेगी तो भी निश्चित तरीके से हमें मुआवजा मिलेगा और हमारी गुजर-बसर के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है। हमारी सरकार की नीति भी है कि क्राप-इन्श्योरेंस जल्द लागू किया जाये, इसलिए इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

राजस्थान एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है और इसमें एनीमल हजबेंडरी का काम भी बहुत होता है। इसलिए जानवरों का भी अगर इन्श्योरेंस किया जाए, गाय-भैंसों का इन्श्योरेंस किया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ के काश्तकारों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

एक प्वाइन्ट मेरा लैंड रिफार्म के बारे में है। आपने सीलिंग की कानून लागू किया, मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों पर यह सीलिंग का कानून लागू किया गया। मेरा कहना है कि सीलिंग के कानून को और देखा जाए, क्योंकि इससे बहुत लोग बच गए हैं। बड़े-बड़े जमींदार अलग-अलग गलत नामों से जमीनों का बंटवारा करके सीलिंग से बचकर बड़ी-बड़ी होल्डिंग्ज पर आज भी काबिज हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए और यह जानकारी भी करनी चाहिए कि कौन-कौन लोग आज भी बड़ी-बड़ी जमीदारियों पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से देखा जाना चाहिए तब हम इन जमीनों को लेकर इससे गरीबों को लाभ दे सकेंगे।

सीलिंग के तहत जो जमीनें आई, जिन्हें काश्तकारों को बांटा गया था, जनता पार्टी का शासन जब आया तो जागीरदारों ने उन जमीनों को, जिनको कांग्रेस की सरकार के समय में छोटे-छोटे काश्तकारों, शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को बांटा गया था, उन्होंने उस जमीन पर लाठी के जोर से कब्जा कर लिया मेरा निवेदन है कि इस चीज को भी देखा जाना चाहिए और जिन गरीबों की जमीनें जागीरदारों ने छीन ली हैं, उनको वापिस दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बांडेड लेबर के बारे में बड़े-बड़े काश्तकार यह कहते हैं कि हमने बांडेड लेबर समाप्त कर दी है, लेकिन आज भी बड़े-बड़े काश्तकारों के यहाँ बांडेड लेबर मौजूद हैं, उनकी सिर्फ शक्ल बदल दी गई है। दूसरे तरीके से उन्हें अग्रिम पैसा देकर, 2,2 और 3,3 साल तक का पैसा देकर उनको जोर-जबरदस्ती से अपने खेतों में रखा जाता है। वे लोग खुद खेती करते नहीं हैं और उनके जरिए से एक तरह से उन्हें बांडेड लेबर बनाकर जबरदस्ती उनसे खेती कराई जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था आज भी राजस्थान में जो बड़े-बड़े इलाके हैं, गंगानगर, कोटा बूंदी जहाँ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, चम्बल में राजस्थान कैनाल, भाखड़ा का इंग कैनाल, इस तरह के प्रोजेक्ट में उन लोगों को बांडेड लेबर की तरह रखा हुआ है। आज भी राजा-महाराजों की हजारों बीघा जमीन मौजूद है और इन जमीनों पर वह लोग इस प्रकार की बांडेड लेबर रखकर आज भी उनसे अपनी खेती-

बाड़ी करा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में भी हमारी सरकार को निश्चित तरीके से देखना चाहिए।

जहाँ तक किसानों से खरीदारी करने का सम्बन्ध है, फूड कार्पोरेशन और काटन कार्पोरेशन के द्वारा जिस प्रकार से खरीद होती है, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। काश्तकारों से बिचौलिए गेहूं, कपास और दूसरी चीजें खरीदते हैं और बहुत कम पैसा अदा करते हैं। इस लिए यह आवश्यक है कि कारपोरेशन्ज किसानों से डायरेक्ट खरीद करें, ताकि वे लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें।

आज राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल है और बहुत बड़ी पापुलेशन अकाल से पीड़ित है। भारत सरकार ने अकाल-राहत के लिए राजस्थान को बहुत थोड़ा सा पैसा दिया है, मगर राजस्थान की आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं है कि वह इस भयंकर अकाल का सामना कर सके। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे कर अकाल-राहत के काम को ज्यादा बड़े पैमाने पर चलाया जाये, ताकि जो काश्तकार अकाल से पीड़ित हैं और खेती नहीं कर सकते हैं, उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था की जा सके और वे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

अजमेर और उदयपुर में डी० पी० ए० पी० लागू है। इन दोनों के बीच में भील-वाड़ा जिला है, जहाँ हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है उसकी पांच तहसीलें—आसीन, मांडल, रायपुर, वनेड़ा और हुरड़ा—अकाल की चपेट में आ जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ पर डी० पी० ए० पी० लागू किया जाये, ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हमारे देश में 85 से 90 प्रतिशत किसान रहते हैं और उनकी तरक्की पर ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति का मजबूत होना निर्भर करता है। इस प्रस्ताव के जरिये प्रो० सत्य देव सिंह ने कई सवाल उठाने की कोशिश की है—खाद, बीज और कृषि-उपकरणों के मूल्यों में कमी की जाये, सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए, किसानों को लाभप्रद मूल्य दिए जायें, फसल और पशुओं का बीमा किया जाए। ये बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बातें माननीय सदस्य ने छोड़ दी हैं, जिनमें से एक की तरफ सभापति महोदय, आपने और कई माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया हैं, और वह है भूमि-सुधार का सवाल। जब तक बुनियादी भूमि-सुधार लागू नहीं किया जायेगा, तब तक उत्पादन में समय-समय पर जो ब्रेक लगती रहती है, वह लगती रहेगी। इसलिए भूमि-सुधार आवश्यक है। जो कानून बने हुए हैं, उनको अमल में लाना चाहिए और आपने ठीक ही कहा है कि उन कानूनों को जमींदारों की चोट से बचाने के लिए इस विषय को संविधान की नवीं सूची में दाखिल कर देना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो उत्पादन में रुकावट बनी रहेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने खेत-मजदूरों के सम्बन्ध में चर्चा की है। कृषि-मजदूर हमारी कृषि-व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, मगर उनकी चर्चा इस प्रस्ताव में नहीं है। पता नहीं, प्रोफेसर साहब ने इस चर्चा को क्यों छोड़ दिया।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैंने अपने भाषण में उसके बारे में कहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : वह इस प्रस्ताव का अंग होना चाहिए था, क्योंकि किसान और मजदूर हमारी कृषि-व्यवस्था की धुरी हैं। गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर वह नहीं चलेंगे, उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है, कृषि की उपज बढ़ाने में कठिनाई होगी क्योंकि सबसे ज्यादा हाड़-तोड़ परिश्रम खेत मजदूर करते हैं। लेकिन उनकी स्थिति सबसे दयनीय है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो आप के रेजोल्यूशन का भी अंग नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो इस रेजोल्यूशन पर बोल रहा हूं। तो उनका सहयोग लेना, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना यह सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिए। यह हो नहीं रहा है। मैं बता दूं, आपकी सरकारें तो ज्यादातर राज्यों में हैं, क्या मजदूरी आप दे रहे हैं। अपने सूबे बिहार की बात बताता हूं पांच रुपए भी मजदूरी खेत मजदूर को आप की सरकार नहीं देती है। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल में 8 रुपए 10 पैसे दिए जाते हैं।, केरल में 8 रुपए मिल रहे हैं। जगह-जगह लोगों को 12 से 15 रुपए तक मजदूरी मिल रही है। तो इन दोनों का फर्क देख लीजिए।

एक माननीय सदस्य : पश्चिमी बंगाल में 9 और 10 रुपए हो गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : 8 रुपए से तो कम नहीं ही है। लेकिन बिहार में तो पांच रुपए भी नहीं देते। राजस्थान में सुनते हैं उससे भी कम 2-3 रुपए देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम बढ़ाइए। इसी सदन में सवाल उठाया गया था कि पूरे हिन्दुस्तान के खेत मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए। उन्होंने भी रेफर किया और मैं भी चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी इस सदन के अन्दर कानून आप लाएं जिससे जो कृषि के अभिन्न अंग हैं खेत मजदूर उनकी स्थिति में सुधार हो सके। ऐसा कानून बहुत आवश्यक है। उन पर सामाजिक जुल्म जो होते हैं वह तो जग जाहिर हैं। हमारे सूबे में तो वे लोग दिन दहाड़े कत्ल कर दिए जाते हैं। जगह-जगह दूसरे सूबों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं।

दूसरी बात मैं लाभकारी मूल्य के बारे में कहना चाहता हूं। आज की स्थिति क्या है ? किसान जो सामान खरीदते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कोयला वह इस्तेमाल में लाते हैं, उसकी कीमत 328 .8 प्रतिशत बढ़ गई है। किसान डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। उसकी कीमत 280 प्रतिशत बढ़ गई है। स्टील भी वह अपने मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत 265 प्रतिशत बढ़ गई है। बिजली जो उत्पादन

बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है उसकी दर 232 प्रतिशत बढ़ गई है। उसी तरह सीमेंट और दूसरे जो मकान बनाने के सामान हैं उनकी कीमत 231.9 प्रतिशत बढ़ गई है। यह तो जो सामान वह खरीदते हैं उसकी हालत है। इसीलिए हम लोग बार-बार मांग करते हैं कि औद्योगिक सामानों में और कृषि के सामानों के मूल्यों में पैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए ताकि किसानों को लूटने वाले ये जो बिचौलिए हैं, इजारेदार हैं, टाटा बिरला या उनके छुटभैये जो मुनाफाखोर लोग हैं उनकी लूट से किसानों को बचाया जा सके। लेकिन इन बिचौलियों से तो आप की दोस्ती है, आप उनको हटाना नहीं चाहते। अगर दोस्ती नहीं है तो ऐलान कीजिए कि सरकार सीधे किसानों से सामान खरीदेगी और उनको लाभकारी मूल्य देगी। अगर ये बिचौलिए हट जाते हैं तो सरकार उनको लाभकारी मूल्य दे सकती है। आज जो समर्थन मूल्य आप तय करते हैं वह भी किसानों को नहीं मिल पाता। बिहार की सरकार ने 105 रुपए क्विंटल धान की कीमत तय की लेकिन धान बिका कितने में—90 रुपए में, 100 रुपए में।

राव बीरेन्द्र सिंह : गलत बात है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं चैलेंज की बात तो नहीं करता लेकिन आप चलिए, एन्क्वायरी कर लीजिए और नहीं तो एक पार्लियामेंट की एन्क्वायरी कमेटी बना लीजिए, सारा मसला तय हो जायेगा। गेहूं पिछले साल आप ने क्या तय किया था 105 रु०.....

राव बीरेन्द्र सिंह : 117 रुपए।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, वह 117 रुपए हर जगह नहीं मिला। लेकिन आज हमारे बिहार में गेहूं बिक रहा है 200 रुपए से ऊपर। तो ये बिचौलिये कौन हैं? यह फायदा कहां जा रहा है? यह पैसे किसान के पास नहीं जा रहे हैं। तो आप देखें, औद्योगिक सामानों के मुकाबले में किसानों की चीजों की कीमत 30 प्रतिशत कम हो गई। उनकी कीमत तो कम हो गई और उद्योगों में बनी हुई चीजों की कीमत बढ़ गई। इस तरह से दो तरफ से लूट होती है। किसान जब बेचता है, तब आप कम देते हैं और जब वह आप का सामान खरीदता है, जब कृषि के उपकरण खरीदता है, चीनी खरीदता है, खाद खरीदता है, तब उसको ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पैरिटी कीजिए।

किसान की उपज के मूल्य कौन तय करता है? कृषि मूल्य आयोग तय करता है। उसमें कौन लोग हैं? वे क्या सचमुच में किसानों के प्रतिनिधि हैं? आयोग ने ईख की क्या कीमत तय की थी? 12.50 रु० क्विन्टल तय की थी। लेकिन जब किसानों ने लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया, शांतिमय तरीके से, जिसके लिए आपने उनको सजा दी, 50 से ज्यादा किसान कई सूबों में शहीद हुए आप से लड़ते हुए, तभी जाकर आपने बिहार में 22 रु० और यू०पी० में 23 रु० क्वींटल गन्ने का दाम तय किया।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिहार में कितने शहीद हुए हैं?

श्री रामावतार शास्त्री : वे होने को हैं, आप आइए । लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है । जो किसानों के ऊपर बकाया हैं, चाहे वह मालगुजारी का हो, कर्जे का हो, टैक्स का हो, उनको देने की स्थिति में आज वे किसान नहीं हैं। इसीलिए उनके आंदोलन से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में जो आंदोलन हुए, उनसे विवश होकर आपने 200 करोड़ रु० की छूट दी है । अपने मन से तो आप किसानों को नहीं देना चाहते हैं । बिहार में भी आपकी सरकार को एलान करना पड़ा कि इन-इन बातों में छूट दी जाएगी । अभी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वे जाकर वसूली कर सकें ।···(**व्यवधान**)··· मैं यह कहना चाहता था कि जो कृषि मूल्य आयोग है, उसको पहले आप परिवर्तित कर दीजिए, उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को रखिए, ताकि सही मायनों में जो किसान खर्च करते हैं, उसके अनुरूप वाजिब मूल्य तय किए जा सकें । किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए । अगर लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, तो जाहिर है कि वे आंदोलन करते रहेंगे । इसलिए मैं आपको निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं—पहला यह कि नकदी फसलों और खाद्यान्नों समेत सभी कृषि उत्पादों के लाभप्रद मूल्य कटाई के मौसम से काफी पहले निश्चित किए जाएं, दूसरा—मूल उत्पादकों को कटाई के मौसम के आरम्भ से ही लाभप्रद मूल्यों की अदायगी की गारन्टी दी जाए, जिससे कि उन्हें मजबूरन बिक्री के लिए बाध्य न होना पड़े; तीसरा—मूल उत्पादक को दिए जाने वाले और वास्तविक उपभोक्ता से लिए जाने वाले वास्तविक मूल्य में देश भर में पूरे वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो; चौथा— कृषि आदानों और आवश्यक औद्योगिक सामान समुचित रूप से कम मूल्यों पर मुहैया कराए जाएं तथा कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामान के मुल्यों में साम्य सुनिश्चित किया जाये ।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन चार बातों को जरूर मानें । अगर मानेंगे तो किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वरना ये आन्दोलन चलते रहेंगे और आप गोली चलाते रहेंगे । इसलिए आप उन किसानों को ऐसा मौका मत दीजिए । आप कम से कम उनको लाभकारी मूल्य अवश्य दीजिए, तभी वे चुपचाप रहेंगे ।

सभापति महोदय : सभा अब कल ग्यारह बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की जाती है ।

मध्याह्न पश्चात 6-00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा 28 फरवरी, 1981/9 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

1981 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और गुप्ता प्रिन्टिंग वर्क्स दिल्ली 110006 द्वारा मुद्रित ।